माला, खंड 28, अंक 1, सोमवार, 9 जुलाई, 1979/18 आषाढ़, 1901 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवां सत्र)

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 6 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक, 1 सोमवार, 9 जुलाई, 1979/ 3 आषाढ़, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची		1-9
सभा के अधिकारी		10
मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा राज्य मंत्रियों की सूची		11-12
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		13
निधन संबंधी उल्लेख		13-20
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	1 से 4	20-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	5 से 20	32-44
अतारांकित प्रश्न संख्या	1 से 96, 98 से 146 और 149 से 200	44-196
अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काईलैब) के गिरने के बारे में		196-197
स्थगन प्रस्ताव :		
पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने में सरकार की असफलता		197-198
विशेषाधिकार के प्रश्न :		
(एक) एयर इण्डिया के भूतपूर्व चेयरमेन श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में की गई टिप्पणी		198-200
(दो) सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के बारे में 'इण्डिया टू डे' में प्रकाशित बदनाम करने वाली टिप्पणी		200
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		200-208
विशेषाधिकार समिति :		
5वां प्रतिवेदन		208
सभापति तालिका के बारे में घोषणा		208-209

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
हाल ही में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में आए समुद्री तूफान तथा इस संबंध में किए गए बचाव उपायों के बारे में विवरण	
—श्री सुरजीत सिंह बरनाला	209-212
नियम 377 के अधीन मामले :	
(एक) आगरा जिले में डाकलेखन सामग्री और टिकटों की कमी तथा आगरा में बैंकों द्वारा छोटे करेंसी नोट स्वीकार करने से इन्कार किए जाने का मामला	
—श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी	212
(दो) मानसून के विलम्ब के कारण महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति	
—श्री केशवराय धोंडगे	212-213
लोकपाल विधेयक :	213-214
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित रूप में	
श्री दुर्गा चन्द	214-215
श्री पी० वेंकटा सुब्बैया	215-221
श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी	221-225
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	225-228
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी	228-230
श्री विजय कुमार एन० पाटिल	230-234
श्री सोमनाथ चटर्जी	234-239
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	239-241
श्री वाई० पी० शास्त्री	241
प्रधान मंत्री की हाल की सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी योरोप के देशों की यात्रा के बारे में वक्तव्य	
—श्री मोरार जी देसाई	216-219
स्थगन प्रस्ताव—जारी	
पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की समस्यायों से निपटने में सरकार की असफलता	241-300
श्री समर मुखर्जी	241-247
श्री सौगत राय	247-251
प्रो० समर गुह	251-253
श्री सी० एम० स्टीफन	253-256
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	256-259
श्री गौरी शंकर राय	259-262

विषय	पृष्ठ
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	262-265
श्री अशोक कृष्ण दत्त	265-268
श्री उग्रसेन	268-271
श्री राज नायायण	271-274
श्री अरविन्द बाला पजनौर	274-277
श्री रामजी लाल 'सुमन'	277-280
श्री जी० एम० बनातवाला	280-286
श्री एच० एम० पटेल	286-300

लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

षष्ठम् लोक-सभा

अ

अंकनीडु, श्री मगन्ती (मछलीपटनम्)
अंकिनीडु प्रसादराव, श्री पी० (बापतला)
अंसारी, श्री फकीर अली (मिर्जापुर)
अकवर जहान बेगम, श्रीमती (श्रीनगर)
अग्रवाल, श्री सतीश (जयपुर)
अर्गल, श्री छबीराम (मुरैना)
अन्बालागन, श्री पी० (रामनाथपुरम)
अनन्तन, श्री कुमारी (नागरकोइल)
अप्पालानायडु, श्री एस. आर. ए. एस. (अनकापल्ली)
अब्दुल लतीफ, श्री (नालागोड़ा)
अमात श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अमीन, प्रो० आर० के० (सुरेन्द्र नगर)
अरुणाचलम् श्री एम० (टेंकासी)
अरुणाचलम, उर्फ अलाबी अरुणा, श्री बी० (तिरूनेलवेली)
अलगेशन, श्री ओ० बी० (अर्कोनम)
अलहाज, श्री एम० ए० हनान (बसीरहाट)
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस (नरसापुर)
अवारी, श्री गेव एम० (नागपुर)
अशोकराज, श्री ए० (परेम्बलूर)
अहमद, श्री हलीमुद्दीन (किशनगंज)
अहमद हुसैन, श्री (धुबरो)
अहसान जाफरी, श्री (अहमादबाद)

आ

आरिफ बेग, श्री (भोपाल)
आस्टिन, डा० हैनरी (एरनाकुलम)
आहूजा, श्री सुभाष (बेतूल)

इ

इन्द्र सिंह, श्री (हिसार)

उ

उग्रसेन, श्री (देवरिया)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बड़ागारा)

ए

एंगती, श्री बीरेनसिंह (स्वायत्तशासी जिला)
एलनचेजियन, श्री वी० एस० (पुडुक्कोट्टाई)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
उरांव, श्री लालू (लोहरदगा)

क

कछवाय, श्री हुकुम चन्द (उज्जैन)
कदम, श्री बी० पी० (कनारा)
कानन, श्री पी० (सलेम)
कपूर, श्री लखन लाल (पूर्णिया)
कर्ण सिंह, डा० (उधमपुर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कृष्ण कान्त, श्री (चण्डीगढ़)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (चिकबल्लापुर)
काकड़े, श्री सम्भाजीराव (बारामती)
कंडनापल्ली, श्री राम चन्द्रन (कासरगोड)
कामाक्षया, श्री डी० (नेल्लोर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कांबले, श्री बी० सी० (बम्बई दक्षिण-मध्य)
कार, श्री सरत (कटक)
कालदाते, डा० बापू (औरंगाबाद)
कासर, श्री अमृत (पणजी)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (आजमगढ़)
किशोरलाल, श्री (पूर्व दिल्ली)
किस्कू, श्री जदूनाथ (झाड़ग्राम)
कुन्हम्बू, श्री के० (ओटापालम)
कुन्डू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)
कुरील, श्री आर० एल० (मोहनलालगंज)
कुरीज, श्री ज्वाला प्रसाद (थाटमपुर)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी (अनंतनाग)
कुशवाहा, श्री रामनरेश (सलेमपुर)
केशरवानी, श्री एन० पी० (बिलासपुर)
कैलाश प्रकाश, श्री (मेरठ)
कैहो, श्री (बाह्य मनीपुर)
कोत्राशेट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोडियन, श्री पी० के० (अडूर)
कोलनथाइवेल, श्री आर० (तिरूचेगोड)
कोलूर, श्री राजशेखर (रायचूर)
कौसलराम, श्री के० टी० (तिरूचेंडूर)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (रायपुर)

ख

खिमे रिनचिंग खाण्डू (अरूणाचल-पश्चिम)
खां, श्री इस्माइल हुसेन (बारपेटा)
खां, कुंवर महमूद अली (हापुड़)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री महमूद हुसेन (बुलन्दशहर)
खां, श्री मोहम्मद शमसुलहसन (पीलीभीत)
खालसा, श्री बसन्तसिंह (रोपड़)

ग

गंगा भक्त सिंह, श्री (शाहबाद)
गंगा सिंह, श्री (मंडी)
गवई, श्री डी० जी० (बुलढ़ाना)
गट्टानी, श्री आर० डी० (जोधपुर)
गामित, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री एफ० पी० (बड़ौदा)
गिरजानन्दन सिंह, श्री (शिवहर)
गुप्त, श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री श्याम सुन्दर (बाढ़)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोडे, श्री सन्तोषराव (वर्धा)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोदारा, चौ० हरी राम मक्कासर (बीकानेर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोरे, श्रीमती मृणाल (बम्बई-उत्तर)
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गौडा, श्री एम० ननजेश (हसन)
गौंडर, श्री वेंणुगोपाल (वान्डी-वाशा)

घ

घोषाल, श्री सुधीर (मिदनापुर)

च

चक्रवर्ती प्रो० दिलीप (कलकत्ता-दक्षिण)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)
चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ (आगरा)
चन्दन सिंह, श्री (कैराना)
चन्द्र, डा० प्रतापचन्द्र (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)
चन्द्रप्पन, श्री सी. के. (कन्नानोरा)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर सिंह श्री (वाराणसी)

चन्द्रावती, श्रीमती (भिवानी)
चरण नरजरो, श्री (कोक-भार)
चरण सिंह, श्री (बागपत)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड)
चांदराम, श्री (सिरसा)
चाँवड़ा, श्री के. एस. (पाटन)
चिक्कलिंगया, श्री के. (माण्डया)
चेतरी, श्री के. बी. (दार्जिलिंग)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री के. बी. (बीजापुर)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बहरामपुर)
चौधरी, श्री मोतीभाई आर. (बनासकांठा)
चौधरी, श्रीमती रशोदाहक (सिलचर)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौहान, श्री बेगाराम (गंगानगर)
चौहान, श्री नबाब सिंह (अलीगढ़)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जगन्नाथन, श्री एन० (श्रीपेराम्बुडुर)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकासी)
जसरोटिया, ठाकुर बलदेव सिंह (जम्मू)
जार्ज, श्री एस० सी० (मुकुन्दपुरम)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर-उत्तर)
जाबदे, श्री श्रीधर राव नाथोबाजी (यवतमाल)
जुल्फीकार उल्ला, श्री (सुलतानपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई-उत्तर-पश्चिम)
जैन, श्री कचरू लाल हेमराज (बालाघाट)
जैन, श्री कल्याण (इन्दौर)
जैन, श्री निर्मल चन्द (सिवनी)
जातसवाल, श्री अनन्तराम (फैजाबाद)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्डा)
जोशी, डा० मुरली मनोहर (अल्मोड़ा)

ट

टिर्की, श्री पीयूस (अलीपुर द्वार)
टोम्बी सिंह, श्री एम० (आन्तरिक मणिपुर)

ठ

ठाकरे, श्री कुशाभाऊ, (खंडवा)
ठाकुर, श्री अघन सिंह (कांकेर)
ठाकुर, श्री कृष्ण राव (चिमूर)

ड

डान, श्री राज कृष्ण (वर्दवान)
डोले, श्री एल० के० (लखीमपुर)
डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डिगल, श्री श्रीवाटचा (फूलवनी)

ढ

ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह (जालन्धर)

त

तनसिंह, श्री (बाड़मेर)
तालवंडी, श्री जगदेव सिंह (लुधियाना)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (गोपालगंज)
तिवारी, बृज भूषण (खलीलाबाद)
तिवारी, श्री मदन (राजनंदगांव)
तिवारी, श्री रामानन्द (बक्सर)
तुर, श्री मोहन सिंह (तरन तारन)
तुलसीराम, श्री वी० (पैड्डापल्ली)
तोहरा, श्री जी० एस० (पटियाला)
तेज प्रताप सिंह, श्री (हमीरपुर)
त्यागी, श्री ओम प्रकाश (बहराइच)
त्यागराजन, श्री पी० (शिवगंगा)
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद (डुमरिया गंज)
त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश (कन्नौज)

थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायन)

घोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दण्डयुतपाणि, श्री वी० (बेल्लोर)
दत्त, श्री अशोक कृष्ण (दमदम)
दबे, श्री अनन्त (कच्छ)
दानवे, श्री पुण्डलोक हरि (जालना)
दामी श्री अजीत सिंह (आनन्द)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री रेणुपद (कृषनगर)
दास, श्री श्याम सुन्दर (सीतामढ़ी)
दास, गुप्ता, श्री के० एन० (जलपाइगुड़ी)
दासप्पा, श्री तुलसीराम (मैसूर)
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री (वैशाली)
दुर्गाचन्द कंवर, (कांगड़ा)
देशमुख, श्री नानाजी (बलरामपुर)
देशमुख, श्री राम प्रसाद (हाथरस)
देशमुख, श्री शेषराव (परभनी)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
देसाई, श्री दाजीबा (कोल्हापुर)
देसाई, श्री हितेन्द्र (गोधरा)
देवराजन, श्री वी० रसिपुरम)
देय, श्री वी० किशोर चन्द्र (पार्वतीपुरम)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

ध

धारा, श्री सुशील कुमार (तामलुक)
धारिया, श्री मोहन (पुणे)
धुर्वे, श्याम लाल (मंडला)
धोंगडे, श्री केशवराव (नांदेड़)

न

नाथूसिंह, श्री (दौसा)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (जूनागढ़)
नथूनी राम, श्री (नबादा)
नरेन्द्र सिंह, (श्री दमोह)
नाहटा, श्री अमृत (पाली)
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण (खजुराहो)
नायक, श्री एस० ऐच० (नांदरबार)
नायक, श्री वी० पी० (वाशिप)
नायक, श्री बी० के० (मर्वलिकारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नारायण, श्री के० एस० (हैदराबाद)
नायर, श्री विजय सिंह (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
नायर, श्री एम० एन० गोविन्दन (त्रिवेन्द्रम)
नायडू, श्री पी० राजगोपाल (चित्तूर)
नेगी, श्री टी० एस० (टिहरी गढ़वाल)

प

पंडित, डा० वनन्तकुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, श्री अहमद एम० (गड़ोच)
पटेल, श्री आर० (दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, कुमारी मणिबेन बल्लभभाई (मैहसाना)
पटेल, श्री द्वारकादास (अमरेली)
पटेल, श्री धर्म सिंह भाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
परमार, श्री नटवरलाल (ढंढुका)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परस्ते, श्री दलपतसिंह (शहडोल)
परूलेकर, श्री बापूसाहिब (रत्नागिरी)
पई, श्री टी० ए० (उदीपी)
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद (बांदा)
पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मन्दसौर)

पजनौर, श्री ए॰ बाला (पांडिचेरी)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री चन्द्रकांत (हिंगोली)
पाटिल, श्री डी॰ बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री, यू. एस. (लातूर)
पाटिल, श्री विजय कुमार एन. (धूलिया)
पाटिल, श्री एस. डी. (इरन्दोल)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री पी. (राजमपेट)
पार्वती देवी, श्रीमती (लद्दाख)
पिपिल, श्री मोहन लाल (खुर्जा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुल्लय्या, श्री दारूर (अनन्तपुर)
परटिन, श्री बकिन (अरूणाचल पूर्व)
पेरियासामी, डा. पी. वी. कृष्णगिरि)
प्रधान, श्री अमर राय (कूचबिहार)
प्रधान, श्री गणनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री पवित्र मोहन (देवगढ़)
प्रधान, श्री क. (नौरंगपुर)

फ

फजलूर रहमान, श्री (बेतिया)
फैलीरो एडग्रार्जो, श्री (मारमोगोग्रा)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फिरंगी, प्रसाद, श्री (बासगाव)

ब

बटेश्वर हेमराज, श्री (दुमका)
बद्रीनारायण, श्री ए. आर. (शिमोगा)
बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुकादेवी (गोहाटी)
बरनाला, श्री सुरजीत सिंह (संगरूर)
बरव, श्री जे. सी. (रामटेक)
बर्मन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बरूग्रा, श्री देवकान्त (नवगांव)
बरूग्रा, श्री देवव्रत (कलियाबोर)
बलदेव प्रकाश डा. (अमृतसर)
बलबीर सिंह, चौधरी (होशियारपुर)
बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन (लखनऊ)
बहुगुणा, श्रीमती कमला (फुलपुर)
बासप्पा, श्री कोडाजी (दावनगेरे)
बसु, श्री चित (बारासाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ (कटवा)
बागड़ी, श्री मनीराम (मथुरा)
बागुम, सम्बरूई, श्री (सिंहभूम)
बल, श्री प्रद्यूमन किशोर (जगतसिंहपुर)
बालकराम, श्री (शिमला)
बालकृष्णाय्या, श्री टी. (तिरूपति)
वीरेन्द्र प्रसाद, श्री (नालन्दा)
बरांडे, श्री गंगाधर अप्पा (भिर)
बरांगी, श्री जेना (भद्रक)
बैरी, श्री ए. ई. टी, (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
बेरवा, श्री रामकंवर (टोंक)
बोंडे, श्री नानासाहिब (अमरावती)
बोड्डपल्ली, श्री राजगोपालराव (श्रीकाकुलम)
बोरोल, श्री यशवन्त (जलगांव)
बृजराज सिंह, श्री (आंवला)
ब्रह्म प्रकाश चौधरी (बाह्य दिल्ली)

भ

भंवर, श्री भागीरथ (झाबुआ)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगतराम, श्री (फिल्लोर)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपूर)

भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न (उलूबेरिया)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भारत भूषण, श्री (नैनीताल)
भीष्मदेव, श्री एम. (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी. (कुड्डुलूर)

म

मंगलदेव, श्री (अकबरपुर)
मंडल, श्री धनिक लाल (झंझारपुर)
मंडल, श्री मुकुन्द (मथुरापुर)
मंडल, डा. विजय (बांकुरा)
मंडल, श्री बी. पी० (मधेपुर)
मछण्ड, श्री रघुबीर सिंह (भिण्ड)
मनोहरलाल, श्री (कानपुर)
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (सोनीपत)
मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
महाटा, श्री सी. आर. (पुरूलिया)
महाला, श्री के. एल. (झुन्झुनु)
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महिषि, डा. सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीलाल, श्री (बिजनौर)
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद (सीकर)
मानकर, श्री लक्ष्मणराव (भंडारा)
माने, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरंजी)
मायातेवर, श्री के. (डिंडीगल)
मालना, श्री के. (चित्रदुर्ग)
मावलंकर, प्रो, पी. जी. (गांधीनगर)
मिर्जा, श्री सैयद कासिम अली (मर्शिदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथुराम (नागौर)
मिरी, श्री गोविन्द राम (सारगढ)
मृत्युंजय प्रसाद (सीवान)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र' श्री. जी. एस. (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मुण्डा, श्री गोविन्द (क्योझर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खुंटी)
मुरमू, फादर एन्थनी (राजमहल)
मुरुगयन, श्री के. (नागापटनिमढ़)
मुराहरी, श्री गोडे (विजयवाड़ा)
मूरूगेसन, श्री ए. (चिदम्बरम)
मुलतान सिंह, चौधरी (चलेसर)
मूर्ति, श्री कुसुमा कृष्ण (आमलापुरम)
मूर्ति, श्री एम, वी. चन्द्रशेखर (कनकपुर)
महालगी, श्री आर. के. (थाना)
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव (तेनाली)
मेहता, श्री अजीत कुमार (समस्तीपुर)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मैथ्यु, श्री जार्ज (मुवुतुपुन्जा)
मोहनरंगम, श्री आर. (चिंगलपट्टू)
मोहन भैया, श्री (दुर्ग)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोहम्मद हयात अली, श्री (रायगंज)
मोहसिन, श्री एफ. एच. (धारवाड़ दक्षिण)
मोहिन्द्र सिंह, श्री (करनाल)
माइति, आभा श्रीमती (पंसकुरा)

य

मल्लैया, श्री नन्दी (सिद्धिपेट)
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (खगागरिया)
यादव, श्री नरसिंह (चन्दौली)
यादव, श्री रामजी लाल (अलवर)
यादव, श्री रूपनाथ सिंह (प्रतापगढ़)
यादव, श्री विनायक प्रसाद (सहरसा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री हुक्म देव नारायण (मधुबनी)
यदवेन्द्रदत्त, श्री (जौनपुर)

यल्लैया, श्री नंदी (सिद्धिपेट)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रघुवीर सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)
रणजीत सिंह, श्री (हमीरपुर)
रविनन्दन, सिंह, श्री (सिद्धि)
रवि, श्री वयालार (वैरायिनकिल)
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री (अमेठी)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी० (बम्बई उत्तर-मध्य)
राकेश, श्री आर० एन० (तायल)
राघव, श्री जी० (विदिशा)
राघवेन्द्र सिंह, श्री (उन्नाव)
रचैया, श्री बी० (चामराजनगर)
राज केशर सिंह, श्री (मछली शहर)
राजदा, श्री रतन सिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के० ए० (त्रिचूर)
राजनारायण, श्री (रायबरेली)
राजू, श्री के० ए० (पोलाची)
राजू, श्री पी० वी० जी० (बोब्बिला)
राठवा, श्री अमर सिंह भाई (छोटा उदयपुर)
राठौर, डा० भगवान दास (हरिद्वार)
राम अवधेश सिंह, श्री (विक्रमगंज)
राम, श्री रामदेनी (पालामू)
राम किंकर, श्री (बाराबंकी)
रामकिशन, श्री (भरतपुर)
राम गोपाल सिंह, चौधरी (बिल्लौर)
रामचन्द्रन श्री पी० (मद्रास मध्य)
रामचरण, श्री (जालौन)
रामजी सिंह, डा० (भागलपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामजीवन सिंह, श्री (बलिया)
रामदास सिंह, श्री (गिरीडीह)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
रमापति सिंह, श्री (मोतिहारी)
राम मूर्ति, श्री (बरेली)
राम मूर्ति, श्री के० (धर्मपुरी)
रामलिंगम, श्री एन० कुदनतई (मयूरम)
रामलिंगम, श्री पी० एस० (नीलगिरी)
राम सागर, श्री (हैदपुर)
रामास्वामी, श्री के० एस० (गोबिचेट्टिपालयम)
रामास्वामी, श्री एस० (पेरियाकुलम)
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (फरीदकोट)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री गौरी शंकर (गाजीपुर)
राय, श्री नर्मदा प्रसाद (सागर)
राय, श्री शिवराम (घोसी)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्री सौगत (बैरकपुर)
राव, श्री एस० एम० संजीवी (काकीनाडा)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री जलगाम कोंडला (खम्मम)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री जी० मल्लिकार्जुन (वारंगल)
राव, श्री पट्टाभी राम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी. वी. नरसिंह (हनमकोण्डा)
राव, श्रीमती बी. राधाबाई आनंद (भद्राचलम)
राव, श्रीराजे विश्वेश्वर (चन्द्रपुर)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री एस. आर. (गुलबर्गा)
रेड्डी, श्री के. ओबुल (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी श्री जी. एस. (निरायलगुडा)
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री पी. बायप्पा (हिन्दपुर)
राड्रिक्स, श्री रूडोल्फ (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
रोथुआम, डा० आर० (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के. (तुमकुर)
लक्ष्मीनारायण, श्री एम. आर. (तिंडिवनम)
लहानु सिडवा कोम, श्री (डहानु)
लालू प्रसाद, श्री (छपरा)
लाल, श्री श्याम सुन्दर (बयाना)
लालजी, भाई श्री (सलूम्बर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लियाकत हुसैन, श्री सैयद (फतहपुर)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लिंगडोह, श्री होपिंस्टोन (शिलांग)
वाघेला, श्री शंकर सिंह जी (कपड़गंज)
वकील, श्री अब्दुल अहाद (बारामुला)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (चतरा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आरा)
वर्मा, श्री फूल चन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बृजलाल (माहासमुन्द्र)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (रांची)
वर्मा, श्री हरगोविंद (सीतापुर)
वशिष्ट, श्री धर्मवीर (फरीदाबाद)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
विश्वनाथन, श्री सी. एन. (तिरूपत्तूर)
वीरभद्रप्पा, श्री के. एस. (बेल्लारी)
वेंकटारमन, श्री आर. (मद्रास दक्षिण)
बेंकटासुब्बया, श्री पी. (नन्दयाल)
वेंकटारेड्डी, श्री पी. (ओंगोल)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी. (चिक्कोडी)
शर्मा, श्री जगन्नाथ (गढ़वाल)
शर्मा, श्री यज्ञदत्त (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शांतिदेवी, श्रीमती (सम्भल)
शाक्य, श्री दया राम (फर्रूखाबाद)
शाक्य, डा० महीपक सिंह (एटा)
शारदा श्री एस. के. (अजमेर)
शास्त्री, श्री भानुकुमार (उदयपुर)
शास्त्री, श्री रामधारी (पदरौना)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री डी. पी. (वस्तर)
शाह, श्री सुरथ बहादुर (खेरी)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी. (अहमदनगर)
शिवनारायण, श्री (बस्ती)
शिव सम्मति राम, श्री (राबर्टगंज)
शिवशंकर, श्री पी. (सिकन्द्राबाद)
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच० (राजकोट)
शुक्ल, श्री मदन लाल (जजगीर)
शेजवलकर, श्री एन० के० (ग्वालियर)
शेठ, श्री विनोदभाई बी० (जामनगर)
शेर सिंह, प्रो० (रोहतक)
शावजा, श्रीमती रानो एम० (नागालैंड)
शृंगारे, श्री टी० एस० (उस्मानाबाद)
श्रीकृष्ण सिंह, श्री (मुंगेर)
षांडगी, श्री रुद्र प्रताप (जमशेदपुर)

स

संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षदीप)
सैयद, मोहम्मद डा० वी० ए० (कालीकट)
सईद मर्तजा, श्री (मुजफ्फरनगर)
सक्सेना, प्रो० शिब्बनलाल (महाराजगंज)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढकानाल)
सत्यदेव सिंह, श्री (गोंडा)

सत्यनारायण, श्रीदरोनमराजू (विशाखापत्तनम)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सरदार, श्री महेन्द्रनारायण (अररिया)
सारण, श्री दौलतराम (चुरु)
सरसूनिया, श्री शिव नारायण (करोलबाग)
साठे, श्री बसंत (अकोला)
सान्याल, श्री शंशकसेखर (जंगीपुर)
साय, श्री लारंग (सरगुजा)
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव (रायगढ़)
सैयांवाला, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
सामन्त सिहेरा, श्री पदमचरण (पुरी)
साहू, श्री एंथू (बोलनगीर)
साहा, श्री ए० के० (विष्णुपुर)
साहा, श्री शदाधर (बीरभूम)
सिंगारावाडीवेल, श्री, एस० (थंजाबूर)
सिंह, डा० बी. एन. (हजारी बाग)
सिकन्दर बख्त, श्री (चांदनी चौक)
सिन्हा, श्री एच० एल० पी० (जहानाबाद)
सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद (पटना)
सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल (त्रिपुरा-पश्चिम)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिन्हा, पूर्ण नारायण (तेजपुर)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयरगंज)
सुखेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
सुधीरन, श्री वी० एम० (अलल्पी)
सुन्ना साहिब, श्री ए० (पायलट)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (पलानी)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुमन, श्री सुरेन्द्र झा (दरभंगा)
सुरेन्द्र विक्रम, श्री (शाहजहांपुर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर्यनारायण, श्री के० (एजुरू)
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (आरामबाग)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सैनी, श्री मनोहरलाल (महेन्द्रगढ़)
सोमानी, श्री रूपलाल (भीलवाड़ा)
सोमानी, श्री एम. एस. (चित्तौड़गढ़)
स्टीफन, श्री सी. एम. (इदक्की)
स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद (बगहा)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई-उत्तर पूर्व)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरे)
हजारी, श्री राम सेवक (रोसड़ा)
हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)
हरेन भूमिज, श्री (डिब्रूगढ़)
हांडे, श्री वी. जी. (नासिक)
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
हीराभाई, श्री (बांसवाड़ा)
हुकम राम, श्री (अजालोर)
हेगड़े, श्री के. एस. (बंगलोर-तक्षिण)

क्ष

क्षेत्री, श्री छत्र बहादुर (सिक्कम)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री के० एस० हेगड़े

उपाध्यक्ष

श्री गोडे मुराहरी

सभापति तालिका

श्री बी० पी० कदम

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद

श्री जगन्नाथ शर्मा

श्री एन० के० शेजवलकर

श्री एम० सत्यनारायण राव

सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री	श्री मोरारजी देसाई
उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री	श्री चरणसिंह
उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री . .	श्री जगजीवन राम
सूचना और प्रसारण मंत्री . . .	श्री लालकृष्ण आडवाणी
पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री . . .	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री .	श्री सिकन्दर बख्त
कृषि और सिंचाई मन्त्री . , . .	श्री सुरजीत सिंह बरनाला
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री . . .	श्री शान्ति भूषण
शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री . .	डा० प्रताप चंद्र 'चंद्र'
रेल मंत्री	प्रो० मधु दण्डवते
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री मोहन धारिया
उद्योग मंत्री	श्री जार्ज फर्नान्डीज
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री . .	श्री पुरुषोत्तम कौशिक
गृह मंत्री	श्री एच० एम० पटेल
इस्पात और खान मन्त्री . .	श्री बीजू पटनायक
ऊर्जा मन्त्री	श्री पी० रामचन्द्रन
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री . .	श्री पी० रामचन्द्रन
विदेश मंत्री	श्री अटल बिहारी बाजपेयी
संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री	श्री रवीन्द्र वर्मा
संचार मंत्री	श्री बृजलाल वर्मा

राज्य मन्त्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सतीश अग्रवाल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आरिफ बेग
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री	श्री चान्द राम
वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कृष्ण कुमार गोयल
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धन्ना सिंह गुलशन
निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री राम किंकर
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री समरेन्द्र कुण्डू
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती आभा माइती
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री धनिक लाल मण्डल

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जनेश्वर मिश्र
इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री कड़िया मुण्डा
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री नरसिंह यादव
गृह मंत्रालय और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० डी० पाटिल
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री फजलुर रहमान
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री .	श्री लारंग साय
संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री . , .	श्री नरहरि प्रसाद सुकदेव साय
रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री	श्री शिव नारायण
रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री	प्रो० शेर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री .	श्री भानु प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री . .	श्री जगवीर सिंह
श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री	डा० राम कृपाल सिंह
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री . . .	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री . .	श्री जुल्फीकार उल्लाह

लोक सभा

सोमवार, 9 जुलाई, 1979/18 आषाढ़, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राज नारायण (रायबरेली) : श्रीमद्, मैं नियम 388 के तहत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नए सदस्य शपथ लेंगे या प्रतिसान करेंगे ।

सदस्यों को शपथ दिलाई गई ।

श्री रविनन्दन सिंह (सीधी)
श्री एस० सिंगरावदीवेल (तंजाबूर)
श्री के० मुरुगायन (नागपट्टिनम)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, आज हम लगभग दो महीने बाद मिल रहे हैं । मैं बड़े दुःख के साथ अपने दो साथियों श्री के० रघु रामैया और श्री अण्णा साहेब नागर तथा तीन भूतपूर्व सदस्यों श्री बी० एस० मूर्ति, श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई और श्री जोकिम अलवा के निधन की सूचना देता हूं ।

श्री के० रघुरामैया का निधन 67 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने के कारण 5 जून, 1979 को नई दिल्ली में हुआ । एक सक्रिय संसदशास्त्री के रूप में श्री राघु रामैया आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से आये थे और वह काफी समय तक संसद में रहे । वह 1952 में पहली लोकसभा के एक सदस्य के रूप में संसद में आये और तब से वह सभी लोकसभाओं के सदस्य रहे ।

श्री राघु रामैया ने लोकसभा में शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली । वह 1955 से 1957 तक याचिका समिति के अध्यक्ष रहे । इसके अतिरिक्त अनेक संसदीय समितियों के वह सदस्य भी रहे ।

एक योग्य बैरिस्टर और प्रशासक होने के नाते श्री रघु रामैया को 1957 में केन्द्रीय सरकार में एक मन्त्री के रूप में शामिल किया गया। 1957-1967 में एक उप-मन्त्री/राज्य मन्त्री के रूप में उन्होंने रक्षा, रक्षा उत्पादन, श्रम और रोजगार, पूर्ति विधि, पेट्रोलियम और रसायन, योजना और समाज कल्याण, आदि विभिन्न विभाग संभाले। फरवरी, 1969 में उन्हें संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री बनाया गया और जून, 1970 में वह मन्त्रिमंडल स्तर के मन्त्री बनाये गये। इस हैसियत में उन्होंने मार्च, 1971 तक कार्य किया।

उन्हें फरवरी, 1973 में मन्त्रिमंडल स्तर के संसदीय-कार्य मंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई और पांचवीं लोकसभा के भंग होने तक निर्माण, आवास तथा पर्यटन और नगरविमानन विभागों सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला।

अनुसूचित जातियों, श्रमिक वर्गों, कर्मचारियों और समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण में गहरी रुचि रखते हुए श्री रघु रामैया ने 1942 से पहले हरिजन सेवक संघ, मद्रास के एक सचिव के रूप में कार्य किया। वह 1954 में डाक और तार कर्मचारी संघ (आंध्र मंडल), 1956 में आंध्र प्रदेश जीवन बीमा वेतनभोगी अधिकारी संघ और 1956 में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, आंध्र मंडल के अध्यक्ष रहे।

उन्होंने 1975 और 1976 में 21वें और 22वें राष्ट्र मंडल संसदीय सम्मेलनों के भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

उन्होंने 1957 और 1966 में आई० पी० यू० परिषद की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने 1970 में मांट्रियल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मेलन, 1975 में श्रीलंका में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन, 1976 में बैंकुवर में हुए प्राकृतिक वास सम्बन्धी राष्ट्र संघ सम्मेलन सहित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनेक सरकारी शिष्ट मंडलों का नेतृत्व किया।

उनके निधन से देश ने एक योग्य प्रशासक और सुविख्यात संसद शास्त्री खो दिया है।

श्री अण्णा साहिब नागर महाराष्ट्र के खंड निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले इस सभा के वर्तमान सदस्य थे। उनका 59 वर्ष की आयु में 25 जून, 1979 को पुणे में निधन हुआ था। 1977 में लोक सभा में आने से पहले वह 1952 से 1957 और फिर 1962 से 1977 तक महाराष्ट्र राज्य विधान सभा के सदस्य रहे। एक सक्रिय विधायक और संसद शास्त्री के रूप में श्री नागर की श्रम और कृषि तथा सहकारिता आन्दोलन में गहरी रुचि थी। वह पूना कृषि विपणन समिति के अध्यक्ष रहे। निष्ठापूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता और संसद शास्त्री के निधन पर हमें गहरा दुःख हुआ है।

श्री बी० एस० मूर्ति का निर्धन 73 वर्ष की आयु में 22 मई, 1979 को नई दिल्ली में हुआ।

एक अनुभवी संसद शास्त्री श्री मूर्ति सबसे पहले 1952 में लोकसभा में आये और इसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोकसभा में चुनकर आये। लोकसभा में आने से

पहले वह 1937 से 1952 तक तत्कालीन मद्रास विधान सभा के सदस्य और 1937 से 1939 और फिर 1946 से 1947 तक श्रम और उद्योग के संसदीय सचिव रहे। लोकसभा में श्री मूर्ति 1955 से 1957 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे और उन्होंने 1973 से 1977 तक रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। वह मार्च, 1959 से जनवरी, 1966 तक केन्द्र में सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उप-मन्त्री रहे। इसके बाद वह स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मन्त्री रहे। वह फरवरी 1969 में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास और शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। मई, 1970 में जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया।

युवक आन्दोलन और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में गहरी रुचि रखने के कारण श्री मूर्ति ने हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिये औद्योगिक स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने मजदूर संघ के कार्यकलापों और श्रम कल्याण में भी गहरी रुचि ली और वह 1949 में जेनेवा में हुए 3_वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जाने वाले शिष्टमंडल में परामर्शदाता थे। एक पत्रकार-लेखक के रूप में उनके अंग्रेजी और तेलगु में अनेक प्रकाशन थे। उन्होंने विश्व में दूर दूर तक भ्रमण किया।

श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई का निधन 69 वर्ष की आयु में 3 जून, 1979 को हुआ। वह 1957 से 1970 तक दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा की सदस्य रहीं। इससे पहले वह 1952 से 1957 तक आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की सदस्य थीं और फरवरी, 1954 से अक्तूबर, 1956 तक आन्ध्र प्रदेश सरकार में उप-शिक्षा मन्त्री के रूप में भी रहीं। श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थीं और उन्होंने अपने छात्र जीवन में साइमन आयोग का वहिष्कार करके राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय भाग लिया और एक वर्ष तक जेल में रहीं।

एक निष्ठावान सामाजिक और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई ने निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों के उत्थान में विशेष रुचि दिखलायी। उन्होंने भूदान, सम्पत्तिदान और श्रमदान आन्दोलनों जैसे सर्वोदय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री जोकिम अलवा 1950 से 1967 तक अस्थायी संसद और पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे। इसके बाद वह 1968 से 1974 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक अधिवक्ता और विख्यात पत्रकार के रूप में श्री अल्वा 1930 में सक्रिय राजनीति में कूद पड़े और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लिया। वह दो बार 1932 से 1933 और फिर 1941 में जेल गये। उन्होंने 1943 में 'फोरम' का प्रकाशन शुरू किया और वह अपने साहसपूर्ण सम्पादकीय लेखों के लिए विख्यात हुए। अपने आदर्शों के पक्के श्री अलवा ने विदेश मामलों, रक्षा, वित्त और परमाणु ऊर्जा जैसे अनेक विषयों पर सभा में चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान किया।

उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और 1948 तथा 1960 में वेटिकन में पोप से विशेष रूप से भेंट की।

वह एक अच्छे लेखक थे तथा उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वह 'मेन एण्ड सुपरमैन ग्राफ हिन्दुस्तान' नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे।

उनका 72 वर्ष की ग्रायु में 25 जून, 1979 को नई दिल्ली में निधन हुग्रा।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं ग्रौर मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक सत्रप्त परिवारों को ग्रपनी शोक संवेदना व्यक्त करेगी।

सभा शोक व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए मौन खड़ी हो।

इसके पश्चात सदस्यकुछ क्षण मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...प्रश्न काल स्थगित किया जाये ग्रौर बोकारो में केन्द्रीय ग्रौद्योगिक रक्षा बल पर गोली चलाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की जाये, क्योंकि इन प्रश्नों से बोकारो की घटना का कहीं ग्रधिक महत्व है। वहां समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है ग्रौर सरकार से केन्द्रीय ग्रौद्योगिक रक्षा बल के कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए ग्राग्रह किया जा रहा है। प्रश्न काल स्थगित करने के बाद नियम 388 के ग्रधीन स्थगन प्रस्ताव को शीघ्र लिया जाये। हम ऐसा करने के लिए सक्षम हैं। यह बड़ा गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति में लोकसभा खतरे में है। प्रश्न काल पर विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

ग्रध्यक्ष महोदय : शांत, शांत। ग्रब मैं खड़ा होता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव पर पहले ही ग्रपनी सहमति दे दी है। इस पर शीघ्र ही चर्चा की जाएगी। प्रश्न काल के पश्चात हम ग्राज शीघ्र ही समय निर्धारित करेंगे। हम इस पर उचित समय पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : ग्रापको बिगड़ती हुई स्थिति ग्रौर इस सरकार की देश का शासन चलाने की विफलता पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। सेना देश का शासन चला रही है। सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस ग्रौर केन्द्रीय ग्रौद्योगिक सुरक्षा बल में विद्रोह है ग्रौर समाज का ढांचा टूट रहा है। इस प्रश्न काल पर विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत होगी तो इसे 3 बजे लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : सभी नियमों को निलंबित करके इस पर चर्चा शुरू की जाये। केन्दीय रिजर्व पुलिस के विद्रोह के मुकाबले में ग्रौर कोई मामला ग्रधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने ग्रपनी सहमति पहले से दे दी है। (व्यवधान)। मैं नियमों को निलंबित नहीं करूंगा। इसके ठीक इसके बाद लिया जाएगा।

श्री सौगत राय : स्थिति की गंभीरता और कानून तथा व्यवस्था को लागू करने में सरकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप इसे शीघ्र ही लें।

अध्यक्ष महोदय : युवावस्था में अधीरता अच्छी होती है।

श्री सौगत राय : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अध्यक्ष महोदय यह प्रदर्शित करें कि उन्हें भी इस बात से चिन्ता है कि सरकार इस देश का शासन चलाने में असमर्थ है।

(व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है कि माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के लिए उस समय दबाव डाला हो जबकि प्रश्न काल होने को हो। और ऐसी भी परंपरा नहीं रही है कि अध्यक्ष ने इस समय स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हों।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं। सहमति लिखित रूप में दी गयी थी।... (व्यवधान)

नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री राज नारायण (रायबरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 388 की ओर आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? प्रश्नकाल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मैं किसी नियम का निलम्बन नहीं कर रहा हूं। किसी नियम का निलम्बन नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी :

प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : (आगरा) अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं इस बात का विरोध करता हूं कि मेरे प्रश्न के प्राथमिकता क्रम के स्थान पर एक अन्य प्रश्न रख दिया गया है···

अध्यक्ष महोदय : वह आपका ही प्रश्न है। यदि आपने कोई प्रश्न पूछना है और किसी बात की चर्चा करनी है तो करिये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। पिछली लोक सभा में, इन्दिरा गांधी के राज में, जो कुछ हुआ करता था, क्या वही सिलसिला आज भी लोकसभा में चलता है ? अगर यह बात ठीक है, तो यह बहुत गम्भीर मसला है। इन्दिरा गांधी वाला पुराना तरीका अब सदन में नहीं चलेगा। दिस इज ए वैरी सीरियस मैटर।

अध्यक्ष महोदय : श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी ने दो प्रश्नों की सूचना दी थी। एक प्रश्न को अनेक बार पूछा गया है। यह कोई तीसरी अथवा चौथी बार है जो वह इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। अतः हमने दूसरे प्रश्न को प्राथमिकता देना आवश्यक समझा है।

श्री के० गोपाल (करूर) : आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : उन्हें प्रश्न बदलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रश्न बदला है।

अध्यक्ष महोदय : आपको गलतफहमी हो रही है। प्रश्न में परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री सौगत राय : उन्होंने दो प्रश्नों की सूचना दी थी। जिस प्रश्न को उन्होंने प्राथमिकता दी थी, उसे लेने के स्थान पर दूसरा प्रश्न लिया जा रहा है। यह बात बड़ी ही आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को पहले तीन बार पूछा गया है।

श्री सौगत राय : यदि एक सदस्य चाहता है तो उसे एक प्रश्न सौ बार पूछने का अधिकार है। वह सदस्य का अधिकार है…(व्यवधान) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने सम्बन्धी अधिकार को दबाया नहीं जाना चाहिये।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) यह बड़ा गम्भीर मामला है। हम प्रश्नों पर एक, दो, तीन आदि प्राथमिकता देकर लोक सभा सचिवालय का प्रश्न देते हैं। यदि किसी सदस्य ने किसी प्रश्न विशेष को कोई एक प्राथमिकता दी है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी भी नियम से अन्तर्गत उस प्राथमिकता को लोक सभा सचिवालय द्वारा मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। यदि आप उसमें किसी कारण से कोई परिवर्तन करते हैं तो आपका सम्बद्ध सदस्य को सूचित करना होगा और आप केवल उसकी इच्छा से ही कोई परिवर्तन कर सकते हैं। इस मामले में सम्बद्ध सदस्य को सूचित नहीं किया गया है। उसकी अनुमति नहीं ली गई है। यह बड़ा गम्भीर मामला है और इससे सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने से उनके अधिकार के बारे में रवैये का पता चलता है। यह सदन की स्वतन्त्रता के लिये सही नहीं है…।

(व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में पूरी बात जानना चाहते हैं क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध सदस्यों द्वारा अपने प्रश्नों को प्राथमिकता देने के अधिकार से है। हम इसके बारे में उनकी पूरी बात सुनना चाहते हैं, हम स्थिति जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है।

श्री सौगत राय: मेरा सुझाव यह है कि आप इस प्रश्न को अगले दिन के लिये रख लें। उन्हें पहले अपना पहली प्राथमिकता वाला प्रश्न पूछ लेने दिया जाये। यदि वह सोचते हैं कि कोई प्रश्न अनेक बार पूछ सकते हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रश्न को वही प्राथमिकता दी जाये जैसा संसद सदस्य चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर विचार किया जायेगा। आप अपना अगला प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बया (नन्दयाल) : क्या लोक सभा सचिवालय माननीय सदस्य द्वारा की गई प्राथमिकता को बदल सकता है—हम इस सम्बन्ध में आपकी विनिर्णय चाहते है :

श्री सौगत राय : ऐसा नहीं हो सकता……

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें सचिवालय को मत लाइये।

चौधरी बलबीर सिंह :(होशियारपुर) स्पीकर साहब, आपने कहा था कि किसी भी सवाल में मेम्बर की मन्जूरी के बगैर तबदीली नहीं की जायगी, आपने इस बारे में खुद रूलिंग दी थी…

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर विचार करूंगा। यदि मैं समझता हूं कि इस प्रश्न की अनुमति दी जानी चाहिये तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा।

श्री बलबीर सिंह : यह आपका खुद का रूलिंग है कि इस तरह से तबदीली नहीं की जायगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि किसी प्रश्न को किसी गलत इरादे से अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न श्री चतुर्वेदी द्वारा पहले अनेक बार पूछा गया है··· (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। उनके अनुसार उन्हें कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इस प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार से सामग्री एकत्रित करनी होगी। मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यक सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी है··· (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। हमने उन्हें बार-बार स्मरण कराया। हम इस प्रश्न को दबाना नहीं चाहते। उस प्रश्न की अनुमति हम देंगे किन्तु फिलहाल उन्हें दोनों प्रश्नों से बंचित नहीं रखना चाहते। क्योंकि जब तक उनको उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर नहीं मिलता तब तक वे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।···

(व्यवधान)

श्री के० गोपाल : आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस प्रश्न को स्थगित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : संसद की स्वतन्त्रता सर्वोच्च है।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस प्रश्न को सूची से निकाल देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बसंत साठे (अकोला) : आप द्वारा प्रश्न की स्वीकृति देना अथवा न देना क्या राज्य सरकार की स्वैच्छा पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रश्न को भी मैं स्थगित कर दूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बसन्त साठे : नियम 37(2) के अधीन सदस्य के द्वारा प्राथमिकता का उल्लेख किया जाता है। इसे प्राथमिकता दी जाये अथवा नहीं, यह एक बड़ा छोटा-सा प्रश्न है। इस सम्बन्ध में हमें आपका विनिर्णय चाहिये। तदनुसार उनके प्रश्न को अस्वीकृत किया जाये। कृपया: आप विनिर्णय दीजिये। अन्यथा सचिवालय हमेशा ऐसा करेगा।

श्री वयालार रवि (चिरयंकील) वह पहले ही ऐसा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं उस प्रश्न को स्वीकृति दे दूंगा और इसे सूची से निकाल दिया जायेगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को लेंगे। प्रश्न संख्या 2····

(व्यवधान)

मैं उस प्रश्न को अगले सप्ताह प्राथमिकता दूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (इद्दकी) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दो प्रश्न हैं। एक यह है कि जिस प्रश्न को प्राथमिकता दी गई हो उसका क्या होगा। दूसरा यह है कि उस प्रश्न का क्या

होगा जो प्रश्नसूची में है। यदि एक प्रश्न प्रश्नसूची कार्यसूची में आ जाता है तो उसका उत्तर दिया जाना होता है। इस प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरा प्रश्न अलग प्रश्न है। इसे यहां प्राथमिकता दी गई है, इस आधार पर इस प्रश्न को नहीं छोड़ा जाना चाहिये। वह एक दूसरा प्रश्न है और ऐसा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य ने प्राथमिकता दी है। उसे बनाये रखना होगा। यदि उसका यहां उत्तर नहीं दिया जाता तो उसे बनाये रखना होगा और उत्तर भी दिया जाना होगा। आपने कहा है कि अवसर दिया जायेगा और उसे प्राथमिकता दी जावेगी, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जो प्रश्नसूची में दर्ज हैं उसका उत्तर नहीं दिया जायेगा। जिस प्रश्न का नोटिस दिया गया है—सदस्यों को इसके बारे में पता चला और हम उस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये तैयार हैं और मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं और इस प्रश्न का उत्तर दिया ही जाना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर देने से दूसर प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि प्राथमिकता सम्बन्धी नियम के अन्तर्गत सदस्यों का इसका मौलिक अधिकार है। प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये, परिस्थितियों के कारण आज न सही किन्तु इसे उदाहरण नहीं माना जा सकता। आपने यह विनिर्णय दिया है कि इसे स्वीकृति दी जायेगी और उसे स्वीकृति दी जानी चाहिये और इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ईंधन के लिए पेड़ लगाना

*1. **श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वानिकी विशेषज्ञों ने वर्तमान ऊर्जा संकट और समाप्त हो जाने वाले 'फासिल ईंधन' के बजाय आरक्षित संसाधनों पर निर्भरता की समस्या हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में ईंधन के लिए बहुत बड़े क्षेत्रफल में पड़ी अप्रयुक्त भूमि में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इसे किस प्रकार क्रियान्वित करना चाहती है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 16 से 18 मई, 1979 के दौरान इम्फाल में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा मणिपुर सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित कृषि-वानिकी पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी। इस गोष्ठी में सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी के तहत ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ लगाने के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, सरकार को इस गोष्ठी की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इन परिस्थितियों में प्रश्न ही नहीं होता।

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कृषि उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त पड़ी भूमि के उपयोग और अधिकतम प्रयोग के सम्बन्ध में उपर्युक्त गोष्ठी के अतिरिक्त

हिमालय की निचली पहाड़ियों और अन्य शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में ईंधन, चारा, लकड़ी और पेड़ों में वृद्धि करने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। ये अलग-अलग प्रश्न हैं। निचली पहाड़ियों, शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों आदि की भूमि के उपयोग के संबन्ध में एक योजना है। यदि वे इस संबंध में विस्तृत सूचना चाहते हैं तो मैं उन्हें वह अलग प्रश्न पूछने पर दे सकता हूं।

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : महोदय, यह बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्या सरकार के पास ऐसी शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि को, जिसका कृषि के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लकड़ी या ईंधन या अन्य उद्देश्यों के लिए पेड़ लगाने की कोई योजना है। यह साधारण प्रश्न है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक वानिकी योजना को राज्य सरकारों को स्थानाँतरित कर दिया गया है। ऐसी अप्रयुक्त पड़ी भूमि में बहुत से वन लगाए जाते हैं। जहां पर वन अपविकसित हैं और जो पंचायत की भूमि है। राज्य भी सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत ऐसी भूमि का लाभ उठाते रहे हैं। यह किया जा रहा है।

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : जब कोई योजना ही नहीं है तब सरकार कीमती भूमि के कटाव को और अप्रयुक्त तथा खाली पड़ी भूमि के लिए सुरंग की व्यवस्था किये बिना नदियों को गाद-युक्त होने से कैसे रोकने का विचार रखती है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसे कि पहले कहा गया है इनके लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं।

श्री दुर्गा चन्द : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी जो इम्फाल में नेशनल सेमिनार एग्रो फोरेस्ट्री पर हुआ हैं, उसमें क्या सारी स्टेट्स का रेप्रेजेन्टेशन था, उस सेमिनार में सब स्टेट्स के रेप्रेजेन्टेटिव्ज शामिल थे और क्या उसमें इन बातों पर विचार हुआ है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, उनमें कौन से दरख्त उगाए जाएं, जो फ्यूल इनर्जी का काम दे सकें ? मैं जानना चाहता हूं कि कौन से दरख्त प्लांट करने के लिए उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन्स दी हैं या सजेशचन्स दी हैं और क्या कोई स्कीम गवर्नमेंट आफ इण्डिया की है, जिसमें ड्राई एरियाज में दरख्त उगाए जाएं और वे जल्दी उग सकें और वे फ्यूल एनर्जी, टिम्बर और फोडर के काम आ सकें ? क्या कोई रिसर्च भी इस बारे में की गई है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला ; यह सेमिनार जो हुआ था, उसमें तीन दिन तक डिस्कशन चली और सब स्टेट्स ने उसमें पार्टीसिपेट किया। उसमें जो डिस्कशन हुई, वह इसी बात पर हुई कि फ्यूल के लिए और फोडर के लिए कौन से दरख्त लगाए जाने चाहिए, जिनसे लकड़ी जल्दी मिल सके, फोडर भी मिल सके और फ्रूट्स भी मिल सकें। इन्हीं बातों पर सारी बहस हुई थी।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार आने के पश्चात वनों को अन्धाधुन्ध नष्ट किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब की भांति वे भी सड़क के दोनों ओर वनों को लगा रहे हैं और क्या यह योजना देश भर में लागू की जा रही है। यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए मंत्री महोदय को कितना समय लगेगा।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने का कार्य सामाजिक वानिकी योजना के अधीन किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा ने इस सम्बन्ध में अच्छा कार्य किया है। गुजरात जैसे अन्य राज्य भी इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ राज्य पिछड़ गए हैं। हमने उन सबको पत्र लिखे हैं। वे गोष्ठी में आते हैं। वहां भी हम उनसे इस बारे में बात करते हैं। हमने उनके अधिकारियों को भी बुला भेजा है ताकि वानिकी का कार्य सभी राज्यों में किया जाए। इसकी आवश्यकता भी है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर वनों को काटा गया है। हम अधिक से अधिक वन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस वर्ष हम लगभग 30 करोड़ पेड़ लगाने का विचार कर रहे हैं।

श्री एन• टोम्बी सिंह : मैं भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद और मनिपुर की सरकार द्वारा प्रायोजित गोष्ठी की सराहना करता हूं। मणिपुर राज्य और निकटवर्ती क्षेत्रों में पेड़ों की बहुत कमी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वनों को अन्धा-धुन्ध नष्ट किया गया है और इन तमाम वर्षों के दौरान वन लगाने के पर्याप्त कार्यक्रम नहीं बनाए गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद इस सम्बंध में कार्रवाई करेगी और इसे राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ेगी क्योंकि उनके पास कोई वित्तीय साधन नहीं हैं। तथा जितनी जल्दी संभव हो उन्हें साधनों का सुझाव देगी और इस सम्बन्ध में सिफारिशों की प्रतीक्षा नहीं करेगी क्योंकि वे देर से भी आ सकती हैं और इस संबंध में प्राप्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराएगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक अनुसंधान निकाय है। उनका कार्य पेड़ लगाने का नहीं है। यह राज्य सरकारों का काम है। उन्हें तो केवल उस क्षेत्र विशेष के संबंध में जो सिफारिशें करनी हैं, करेंगे क्योंकि यह गोष्ठी तो केवल उस क्षेत्र के लिए थी।

(दिल्ली में पेय जल की कमी)

*2. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म ऋतु के दौरान, विशेष रूप से जून, 1979 के महीने में राजधानी में पेय जल की भारी कमी रही है और लगातार कई दिनों तक नलों में एक बूंद भी पानी उपलब्ध नहीं था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके समाधान के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : (क) तथा (ख) राजधानी में इस वर्ष गर्मियों के दौरान विशेषकर जून, 1979 में पीने के पानी की कमी हुई, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इन दिनों नलों में पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं थी।

इस अवधि के दौरान पानी की मांग में अस्थायी वृद्धि होने और बिजली की सप्लाई में रुकावट आने से यह कमी हुई थी।

(ग) दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए जो कुछ दीर्घावधि और अल्पावधि उपाय किए जा रहे हैं उनके मुख्य ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं जो सभा पटल पर रखा है।

विवरण

दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने के उपायों के मुख्य ब्यौरे

दीर्घावधि उपाय (जो किये जा रहे हैं)

1. शेष 50 एम० जी० डी० वाले जल शोधन संयंत्र को हैदरपुर में शीघ्र चालू करना।
2. 6 अतिरिक्त आर० सी० सी० कुओं का निर्माण।
3. उत्तरी शाहदरा में एक 100 एम० जी० डी० वाले नये जल शोधन संयन्त्र का निर्माण।
4. राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी अनुसन्धान संस्थान, नागपुर द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका की वितरण प्रणाली का अध्ययन एवं विश्लेषण करना ताकि इसे अधिक साम्यिक बनाया जा सके। दिल्ली नगर निगम द्वारा भी ऐसा अध्ययन करवाने का प्रस्ताव है।

अल्पावधि उपाय

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कुछ सरकारी कालोनियों में 5 नलकूप लगा दिये हैं तथा 26 और नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।
2. पानी के टपकने की शिकायतों को तुरन्त ठीक करने के लिए दिल्ली नगर निगम में एक लीकेज रिपेयर सैल बनाया गया है।
3. जलपूर्ति लाइनों में रुकावट का पता लगाने तथा रुकावटों को दूर करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्र में प्रेशर-सर्वेक्षण आरम्भ कर दिए गए हैं।
4. मोती बाग, लक्ष्मीबाई नगर, नौरोजी नगर, काका नगर जैसी सरकारी कालोनियों में भूमिगत टैंकों का निर्माण करना और बूस्टिंग का प्रबंध करना। सरोजिनी नगर और नेताजी नगर के लिए भी इसी प्रकार के प्रस्ताव आरम्भ कर दिए गए हैं।
5. 2 एम० जी० डी० सप्लाई को पूरा करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका ने 22 नलकूप लगा दिये हैं तथा 5 और नलकूप बनाए जा रहे हैं।
6. कुछ क्षेत्रों में सप्लाई / प्रेशर में सुधार करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका ने 18 बूस्टर पम्प लगाये हैं।

7. नई दिल्ली नगरपालिका ने साफ पानी की बर्बादी/दुरुपयोग को रोकने के लिये कदम उठाए हैं।

8. आपात स्थिति में सप्लाई करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका के पास 6 टैंक और 3 ट्रालियां हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : स्पीकर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली जो कि केपिटल सिटी आफ इण्डिया है, तक में पानी की कमी है। वैसे तो देश के अन्दर हरेक चीज की कमी होती जा रही है, यहां तक कि अक्ल की भी कमी होती जा रही है और इसका मुजाहरा यहां पर लोक सभा में भी देखने को मिलता है। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मुझे मिनिस्टर साहब के इस जवाब को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने जवाब में कहा है—

"किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इन दिनों नलों में पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं थी।"

दिल्ली के मोहल्लों में जो हालत थी उसे तो क्या, मैं अपने साउथ एवेन्यू के फ्लेट्स की बात उन्हें बताना चाहता हूं। मेरे फ्लेट में दो रोज तक पानी नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं प्रश्न पर भी आता हूं। मैं, जो कुछ उन्होंने कहा है उसे उद्धृत कर रहा हूं और मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। उनका यह कहना गलत है कि "किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इन दिनों नलों में पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं थी।"

मैं यह कहता हूं कि यह जो उनका जवाब है, यह बिल्कुल गलत है। वाकयात के बिल्कुल वरबस है। साउस एवेन्यू के अन्दर दो रोज तक नलों में एक बूंद पानी नहीं था। उस समय इन्सान के जिस्मों से तो पसीने की बूंदें टपक रही थीं लेकिन टेप में एक बूंद पानी नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप केवल भाषण दे रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं परन्तु आप व्यवधान डाल देते हैं। मन्त्री महोदय सही ब्रीफिंग लेकर नहीं आए हैं। मिनिस्टर साहब को सही ब्रीफिंग लेकर यहां हाउस में आना चाहिये था।

उन्होंने दो रीजंज दिए हैं। एक यह दिया है कि टेम्पोरेरी इनक्रीज इन दी डिमांड आफ़ वाटर हुई है और इसकी वजह से यह हुआ है और दूसरे यह कहा है कि पावर सप्लाई में इंटरप्शन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पहली बार यह टेम्पोरेरी डिमांड एराइज हुई है या पहले भी हुई थी दिल्ली में और अगर पहले भी इस प्रकार की डिमांड हुई है तो उस वक्त क्या कदम उठाए गए थे जो अब नहीं उठाए गए हैं ? क्यों अब की बार इस टेम्पोरेरी डिमांड की वजह से यह पानी की सख्त कमी हुई है और आप एक बूंद भी पानी नहीं दे सके हैं ?

पावर सप्लाई जो फेल हो गई थी तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली के इन्सानों

को पीने के लिए पानी भी न मिले ? पानी की सप्लाई को जारी रखने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन से स्टैंड बाई अरेंजमेंट आपने किये हैं और कोई किये हैं या नहीं किये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : आनरेबल मेम्बर की परेशानी का मुझे पूरा एहसास है। उनके कनसर्न को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ शेयर करता हूं। बुनियादी बात यह है कि दिल्ली में इस वक्त जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट से बन रहा है वह 253 एम. जी. टी. बन रहा है और अगर पानी बगैर जाया हुए कंज्यूमर तक पहुंचे तो पचास गैलन पानी पर कैपिटा मिलना चाहिये। पिछले दो साल में कोशिश करने के बाद खराबी यह मालूम हुई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वह डिफेक्टिव है। दूसरी यह है कि बहुत से लीकेजिज और ब्लाकेजिज हैं। चुनाचे तफसील में यह बता दिया गया है कि कौन-कौन से कदम फौरी तौर पर उठाये गये हैं, शार्टटर्म मैशर्ज कौन-कौन से उठाये गये हैं और कौन-कौन से लांग टर्म मैशर्ज हैं। उम्मीद की जाती है कि उनको उठाने के बाद दिसम्बर 1979 तक यानी इस साल के खत्म होने तक करीब पचास एम. जी. डी. पानी हैदरपुर से मिलने की उम्मीद है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह तैयार है और सिर्फ कंडूट और बाई पास का अरेजमेंट होना बाकी रह गया है। तब तक मुझे यकीन है कि वह पूरा हो जाएगा। उसके अलावा छः और प्लांट हैं जिनसे पन्द्रह एम. जी. डी. पानी मिलेगा। उसके अलावा जगह-जगह ट्यूबवैल खोले हैं और पूरी तफसील दी हुई है। जो गैर मामूली कदम हमने उठाया है और जो पहले नहीं उठा था वह यह है कि 1978-79 में सैंट्रल गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल कार्पोरेशन को 8.85 करोड़ रुपया दिया है ताकि वह अपने यहां पानी की सप्लाई को बेहतर कर सके और इसलिए दिया है कि एक्सपर्ट जून के आखिर तक मुकर्रर कर ले जो वाटर सप्लाई में डिफेक्ट्स है और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में...... (इंटरप्शंज) मैं जानता हूं जून खत्म हो गया है। उस परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जून तक वह मुकर्रर हो जानी चाहिये थी। उसके बारे में मेरे पास इत्तिला नहीं है। मुझे यकीन है कि वह बन चुकी होगी। लेकिन उनसे इसका कनफर्मेशन करके ही मैं कुछ कह सकता हूं। हम इस साल में 15.34 करोड़ रुपया, कुछ हिस्सा ग्रान्ट में और कुछ हिस्सा लोन के तौर पर सैंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन को दे रहे हैं। इसलिये अर्ज करूंगा कि तकलीफ पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसको हल करने के लिये कुछ नये कदम उठाये जा चुके हैं और कुछ उठाने बाकी हैं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मेरा आबजेक्शन है, मैंने यह पूछा था कि उन्होंने यह असबाब बताये थे कि इस वजह से टेम्पोरेरी इन्क्रीज इन दी डिमांड फार वाटर है। इसका मतलब क्या है, यह उन्हें बताना चाहिये था। उससे आपका क्या मतलब है, पहले हुई या नहीं। क्या यह अबकी बार पहली दफे हुई है ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने हाउस का वक्त बचाने के लिये पूरी तफसीलात दे दी है, आप जवाब देखें। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : आपने लांग टर्म जो बताया है, मैंने पहले भी अर्ज किया शि दिल्ली के अन्दर बहुत-सी कालोनीज और मुहल्ले ऐसे हैं जिनमें एक-एक और दो-दो घण्टे ही पानी

मिलता है और कई जगह तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। जो लांग टर्म मेजर्स आपने बताये हैं, कब तक आप उन्हें चालू करेंगे ? हैदरपुर प्लांट का तो आपने बता दिया कि दिसम्बर तक होगा लेकिन शाहदरा वगैरा के बारे में भी बतायें। क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली में लोगों को मुतवातिर वाटर सप्लाई मिल सकेगी ? अगर मिल सकेगी तो कब तक मिल सकेगी, क्या इसके बारे में आप हाउस को कोई यकीन दिला सकेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने शुरू में अर्ज किया कि दिल्ली को इस वक्त 253 एम. जी. डी. पानी मिल रहा है। अगर वह भी सहूलियत से पहुंच जाये तो 50 गैलन पर कैपिटा पानी हो जाये, लेकिन यह हो नहीं रहा है, यह मैं तसलीम करना चाहता हूं। बुनियादी तौर पर यह खराबियां मालूम हुई हैं कि पानी का लीकेज है। अगर आप मेरा जवाब पढ़ेंगे तो आपको अन्दाजा लग जायेगा कि एम. सी. डी. ने जो सैल बनाया है, उसमें सिर्फ लीकेज प्लग हुआ है और उसने ब्लोकेज को दूर किया है। इससे भी पानी की समस्या शहर में दूर हुई है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि इस 50 के अलावा 100 एम. जी. डी. का ट्रीटमेंट प्लांट मई में शुरू किया है उसका फाउन्डेशन स्टोन रखा गया है। हमारे पास करीब-करीब 425 एम. जी. डी. पानी सन् 82 तक मौजूद होगा। 81 तक शार्ट टर्म मेजर का मिल जायेगा। सन् 182 तक 100 एम. जी. डी. और आ जायेगा।

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें लांग टर्म प्लान में 4 आइटम दी हैं और शार्ट टर्म में 8 आइटम दिये हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि शार्ट टर्म की आइटम किस स्टेज पर हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : लांग टर्म प्लान की आइटम में 50 एम. जी. डी. जो हैदरपुर से आना है, इसमें प्रोजेक्ट 50 आ चुका है और 50 अभी आना है। उसका ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा हुआ है और कन्ड्यूट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन इस साल के खत्म होने तक यह 50 एम. जी. डी. भी मिल जाना चाहिये। दूसरे 6 एडीशनल आर. सी. सी. ट्यूबवैल बन रहे हैं जिनसे 15 एम. जी. डी. मिल सकता है वह 2 साल में मिल सकता है। तीसरे 100 एम. जी. डी. प्लांट की आधारशिला रखी जा चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि सन् 1982 तक यह 100 एम. जी. डी. और मिल जायेगा।

दूसरी बात यह है कि जो रुपया दिया गया है वह इस शर्त पर दिया गया है, जो साल गुजर चुका है उसमें 8.85 करोड़ रुपया दिया है, वह एक्सपर्ट्स मुकर्रर करें जो यह देखे कि सप्लाई सिस्टम में कहां-कहां खराबी है और डिस्ट्रिब्यूशन को कैसे यूनिफार्म बनाये और ईवन-कील पर लायें।

श्री चिमन भाई एच. शुक्ल : उन्होंने अल्प-अवधि योजना को स्पष्ट नहीं किया है। उन्हें उसका उत्तर भी देना चाहिए।

श्री सिकन्दर बख्त : शार्ट टर्म प्लान के काम हाथ में ले लिए हैं। आर. सी. सी. वैल बन रहे हैं जिनमें 4 की बोरिंग हो चुकी है, 2 के ट्रायल चल रहे हैं। उसके अलावा 31 ट्यूबवैल

सैंट्रल पी. डब्ल्यू. डी. को बनाने हैं जिसमें से 5 बन चुके हैं, बाकी बन रहे हैं। अगर आप जवाब देखेंगे तो सारी तफसील उसमें दी हुई है।

श्री चिमन भाई एच. शुक्ल : लीकेज रिपोर्ट पर एक्शन लिया है या नहीं ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने अर्ज किया कि लीकेज सैल अभी हाल ही में बनाया गया है जो कि सिर्फ पुरानी दिल्ली के जोन में ही काम कर रहा है और इससे पुरानी दिल्ली की वाटर सप्लाई में काफी इजाफा हुआ है। अब यह ख्याल है कि एक लीकेज सैल और दूसरी जगह के लिये भी बनाया जाये।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी की कमी की बहुत बड़ी वजह बिजली की इन्ट्रप्टेड सप्लाई है। यहां पर बदरपुर में जिसमें 500 मेगावाट की इन्स्टाल्ड कैपिसिटी है, वहां पर एक भी यूनिट पैदा नहीं हो रहा है और 200 से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं। इतना बड़ा नेशनल वेस्टेज है जिसकी वजह से दिल्ली में पानी और बिजली दोनों की कमी रहती है। न गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये पानी मिलता है और न झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिये मिलता है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : स्पीकर साहब, आपने मुझे तो रिस्ट्रिक्ट किया, और अब क्या यह सप्लीमेंटरी हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उन्होंने आपकी तरह कुल समय का दसवां भाग नहीं लिया है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली के लाखों लोगों को रोजाना पानी और बिजली की जो दिक्कत रहती है, उसके लिए केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैंने सिर्फ वजह बताई है कि इस बार पानी की जो तकलीफ हुई है, उसका एक सबब यह भी रहा है कि हमें पावर बाकायदा नहीं मिली। लेकिन बिजली के बारे में जवाब बिजली के मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : साउथ ऐवेन्यू में पानी की पूरी सप्लाई करने का मामला दो वर्षों से चल रहा है। इस बारे में कई मर्तबा एन. डी. एम. सी. और हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ हमारी हाउस कमेटी की बातें हुई। उन्होंने कहा कि हम सरटेन स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे पानी की कमी दूर हो जायेगी, और जब तक कमी दूर नहीं होगी, तब तक टैंकर्ज से पानी सप्लाई करते रहेंगे। मैं यह जानना चाहता हू कि क्या इस साल टैंकर्ज से पानी सप्लाई किया गया था और जो कुछ तय किया गया था, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

श्री सिकन्दर बख्त : आम सप्लाई के बारे में जो मुश्किलात हैं, उनका मैं जिक्र कर चुका हूं। टैंकर्ज के बारे में मेरे स्टेटमेंट में दिये गये शार्ट-टर्म मैजर्स के आइटम 8 में बताया गया है कि एन. डी. एम. सी. के पास 6 टैंकर्ज और 3 ट्रालीज हैं, जिनसे इमर्जेन्सी के वक्त सप्लाई की जाती है।

मानसून के देरी से आने के कारण सिंचाई के लिये बिजली की सप्लाई

*3. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उत्तर भारत में मानसून के देरी से आने को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सिंचाई हेतु नहरों तथा नलकूपों के लिये पर्याप्त बिजली की सप्लाई के प्रबन्ध किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में ऊर्जा मन्त्रालय के साथ कोई बातचीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे चालू खरीफ मौसम के दौरान सिंचाई के पम्प सेटों, नलकूपों, आदि के लिए बिजली की पर्याप्त सप्लाई करें। उन्हें कहा गया है कि यदि आवश्यक हो तो गैर-कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों में बिजली की कटौती करके कृषि कार्यों के लिए प्रतिदिन कम से कम 12 घण्टे निरन्तर बिजली की सप्लाई करने की व्यवस्था करें।

(ख) तथा (ग) इस मामले पर ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और उन्होंने इस मामले में उपयुक्त निर्देश जारी करना स्वीकार कर लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मानसून के लेट होने के परिणामस्वरूप वैसे तो सारे देश को फैमिन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तरी भारत में स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या इमर्जेंसी मेजर्ज एडाप्ट किये गये हैं, ताकि हम लोग खरीफ की फसल को बो सकें। मंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग 50 परसेंट बिजली देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि इससे भी बहुत कम मात्रा में बिजली दी जा रही है। नदी-नालों में पानी का अभाव होने के कारण सिंचाई प्रायः बंद है। विद्युत और डीजल के नलकूपों के द्वारा भी सिंचाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली की भी कमी है और डीजल का भी अभाव है। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैंने अर्ज किया है कि मानसून लेट हुआ है, लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत से हिस्सों में बारिश ठीक हो रही है, हालांकि कुछ हिस्सों में कम है। हमने स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरीटरीज को लिखा है कि कम से कम बारह घंटे के लिए बिजली एग्रीकल्चर परपजिज के लिए दी जाये। इस मौसम में पैडी की बुवाई होती है, और पैडी की नर्सरी और बुवाई के लिए इरिगेशन होना बहुत जरूरी है। हमें मालूम हुआ है कि कुछ स्टेट्स में इस पर अमल करके कुछ ज्यादा बिजली दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और निकट भविष्य में वह अपनी पालिसी को क्रियान्वित करेगा। मानसून प्रायः 25 दिन पहले ही लेट हो चुका है। आगामी कितने दिनों तक मानसून उत्तरी भारत में एक्टिव हो पायेगा, इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या मन्त्री महोदय इस बारे में शीघ्र कोई निर्णय लेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमने एनर्जी मिनिस्ट्री से बात की है। उन्होंने भी हमें यह

बताया है कि वे भी कृषि उद्देश्य के लिए 12 घंटे बिजली की सप्लाई करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

श्री हुकुम देव नारायण यादव : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह बिजली की 50 प्रतिशत आपूर्ति करेंगे। लेकिन बिहार में बिजली का उत्पादन कैपेसिटी की 25 प्रतिशत हो रहा है। अगर उसका 50 प्रतिशत दिया जायेगा तो इसका अर्थ यह है कि टोटल उत्पादन का साढ़े बारह प्रतिशत बिजली से क्या होने वाला है ? यह कह रहे हैं कि अब आगे इन्तजाम करेंगे, लेकिन किसानों की भदोई की जो फसल थी, वह तो सब मारी गई, धान का 'बिचरा' नहीं है, जिससे कि धान की खेती समय पर कर सके। मैं सरकार से जानना चाहता हूं जब आकाश में इन्द्र पानी बरसा जाय और खेती अच्छी हो जाय, तो सरकार अहंकारपूर्वक कहती है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। जब इन्द्र की कुकृपा हो जाय तो सरकार कहने लगती है कि आकाश से पानी नहीं बरसा, हम क्या करें। आकाश से पानी न बरसे और खेती अच्छी हो सके, इसके लिये सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जो इत्तिला हमारे पास है, वह मैंने आपके सामने पेश कर दी है। वहां एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिये कोई कट नहीं लगाया जा रहा है, उनको पूरी बिजली दी जा रही है। अच्छी बारिस हो जाय और उससे अनाज अच्छा पैदा हो, तो हम अहंकारपूर्वक कहते हैं —ऐसी बात नहीं है। अहंकार किसी को नहीं करनी चाहिये और न किसी ने किया है। यहां पर इत्तिला जरूर दी जाती है कि साल में इतनी पैदावार हुई है—इसलिये इसमें कोई अहंकार की बात नहीं आती है।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : उत्तरी राज्य फसलों की सिंचाई के विषय में सोच रहे हैं, और महाराष्ट्र जैसे दक्षिणी राज्यों में हम यह सोच रहे हैं कि पानी के बिना पशु कैसे जीवित रहेंगे। कोयना बांध में चूंकि बिल्कुल पानी नहीं है या बहुत कम है इसलिए बिजली की सप्लाई एकदम बन्द है। गांवों में कृषि पम्पों के लिए भी बिजली की सप्लाई नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और ग्रिड प्रणाली के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश से बिजली की कुछ सप्लाई करवाएंगे और इस संबंध में ऊर्जा मन्त्री से मिलेंगे और महाराष्ट्र की इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान देंगे जो कि वहां देर से मानसून आने के कारण उठ खड़ी हुई है ?

(व्यवधान)

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह प्रश्न ऊर्जा मन्त्री से संबंधित है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है।

वयस्क शिक्षा से होने वाले लाभ की समीक्षा

*4. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **शिक्षा, समाज संस्कृति और कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वयस्क शिक्षा पर खर्च की जा रही पर्याप्त राशि से होने वाले ठोस लाभों की समीक्षा करने के लिए सरकार की कोई कुशल देख-रेख योजना है;

(ख) यदि हां, तो पहले महीनों की तुलना में गत छः महीनों में वास्तविक उपलब्धियां क्या है; और

(ग) कार्यक्रम में क्या बाधाएँ आयी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मूल्यांकन तथा प्रचार करना राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श से अनेक प्रचार उपकरण तैयार किए हैं। कार्यक्रम के प्रभाव सहित सभी उपयुक्त सूचना एकत्र करने के लिए ये उपकरण तैयार किए गए हैं। आंकड़े एकत्र करने के लिए इन उपककरणों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए, इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के कई राज्यों में आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, समाज विज्ञान अनुसंधान अथवा उच्च शिक्षा संस्थाओं को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वे विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। सरदार पटेल आर्थिक तथा समाज अनुसंधान संस्थान ने गुजरात कार्यक्रम के सम्बन्ध में उसके द्वारा किए गए मूल्यांकन को पूरा तथा प्रकाशित किया है।

(ख) और (ग) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किए गए प्रचार उपकरणों से अभी सूचना प्राप्त होनी शुरू नहीं हुई है। सरदार पटेल आर्थिक तथा समाज अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के परिणामों पर मंत्रालय के अधिकारियों ने गुजरात सरकार तथा विभिन्न कार्यान्वियन ऐजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया था। गुजरात कार्यक्रम के प्रभावशाली मुद्दों को सुदृढ़ करने तथा कमियों को दूर करने के लिए उपाय किए गए हैं।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : वक्तव्य पढ़कर वास्तव में मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कितना महत्व दिया है और इसे कितनी गम्भीरता से लिया है। मन्त्री महोदय ने मेरे इस प्रश्न का, कि प्रौढ़ शिक्षा पर इतना अधिक धन खर्च करने से क्या लाभ हो रहे हैं, न तो कोई उत्तर दिया है और न ही पटल पर कोई विवरण रखा है। प्रश्न का उत्तर देने की बजाए उन्होंने कह दिया है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना एकत्र करने के लिए और कार्यक्रम के प्रभाव को जानने के लिए निरीक्षण उपकरणों को विकसित किया गया है। उन्होंने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है कि इससे क्या ठोस लाभ होंगे। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के ठोस परिणाम क्या निकले हैं और क्या लाभ हुए हैं ? (व्यवधान) निरीक्षण उपकरणों से प्राप्त लाभ क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र') : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने कोई गलती नहीं की है परन्तु उन्होंने इस विस्तृत कार्यक्रम का मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया है। जिसे इस देश में, बल्कि मुझे तो यह कहना चाहिए कि किसी भी लोकतान्त्रिक देश में पहली बार आरम्भ किया गया है। इस बृहत कार्यक्रम के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए

विभिन्न अभिकरणों या उपकरणों की स्थापना की गई है। सम्पूर्ण देश में इस समय एक लाख केन्द्र काम कर रहे हैं और इन केन्द्रों से सूचना प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने इन निरीक्षण अभिकरणों की स्थापना के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। योजना इस प्रकार है : इस योजना के सन्दर्भ में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र से सूचना परियोजना अधिकारी के पास आनी चाहिए और फिर परियोजना अधिकारी से राज्य प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पास और इसके पश्चात् भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के पास। स्वाभाविक है कि इस प्रकार सूचना आने में कुछ समय लगेगा और हमें आशा है कि अगस्त तक सूचना आ जायेगी और फिर हमारे लिए इस सूचना को संकलित करना सम्भव होगा।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्हें इस कार्यक्रम से गत 6 महीनों की अपेक्षा इन 6 महीनों में वास्तव में क्या सफलता मिली है।

डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र' : इस बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 को शुरू किया गया था। जब ये एजेन्सियां पूरी तरह से काम करना शुरू करेंगी तब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और तब ठोस परिणाम मिलना संभव होगा। अन्यथा यह एक अनुमान ही होगा।

श्री वसन्त साठे : माननीय मन्त्री ने अभी बताया था कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एक लाख केन्द्र हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इन केन्द्रों का प्रबन्ध करने वाले लोग और एजेन्सियां कौन हैं ? यह सर्वविदित है कि अनेक केन्द्रों का प्रबन्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है। क्या आप उन लोगों की सूची देंगे और उनकी पृष्ठ भूमि बतायेंगे जो इन केन्द्रों के प्रभारी हैं ? इन केन्द्रों के लिए इन लोगों को कितना पैसा दिया जाता है ?

डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र' : मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं कि इनका प्रबन्ध राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ करता है। यह प्रश्न सभा में कई बार उठाया गया था। मैंने अन्य स्वयं सेवी एजेन्सियों की एक सूची दी है जिन्हें इन केन्द्रों को चलाने की अनुमति दी गई है और जिस समय वह सूची सभा के समक्ष पेश की गई थी तो कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं बता सका कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कोई केन्द्र चला रहा था। इन एजेन्सियों का चयन राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है। अत: यह कहना सही नहीं है कि इन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चलाती है, क्योंकि सभा में प्रस्तुत करने के समय इस सूची पर किसी ने आपत्ति नहीं की थी।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने प्रश्न का पूरा उत्तर दे दिया है। सूची में सभी बात आ जाती है।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन केन्द्रों को कितनी धनराशि दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है। सूची में एक लाख केन्द्र दिए गए हैं। प्रो० दलीप चक्रवर्ती।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : उनकी निगरानी योजना के माध्यम से मैं उनसे आशा करता हूं कि वह इस सभा को अगस्त में स्वत: प्राप्त जानकारी दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रश्न के एक लाख उत्तर देना उनके लिए संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : कोई योजना तो थी।

(व्यवधान)

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहता हूं कि उन्होंने सभा पटल पर एक सूची रख दी है। मैं उन्हें इसका उत्तर देने के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बसन्त साठे : मुझे सूची नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक लाख केन्द्र हैं। मैं उन्हें इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री वसन्त साठे : कुल धनराशि कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कुल धनराशि के बारे नहीं पूछा है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : चूंकि यह बड़ा राष्ट्रीय महत्व का मामला है जिसे मैंने सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है इसलिए क्या मन्त्री महोदय जैसा वह कहते हैं कि उन्हें उनकी निगरानी योजना के माध्यम से परिणाम प्राप्त होगा - इस सभा को अगस्त में स्वत: प्राप्त जानकारी सप्लाई करेंगे ?

डा० प्रताप चन्द्र 'चन्द्र' : जैसे ही यह जानकारी मिल जाएगी वैसे ही मैं इसे माननीय सदस्य को सप्लाई करूंगा। श्री साठे, आप नाराज न हों। जब मैंने एजेन्सियों की एक सूची प्रस्तुत की थी तब उसमें सरकार द्वारा उन एजेन्सियों को मंजूर की गई धनराशि का विवरण भी दिया गया था। यह सभा पटल पर पहले रखी गयी थी और माननीय सदस्य श्री सौगत राय ने प्रश्न पूछा था। यदि वह यहां हैं तो उन्हें याद होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूखे के कारण पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

5. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि इस समय पूरे पश्चिम बगाल राज्य में चल रही सूखे की भयानक स्थिति से 11 लाख एकड़ औस धान तथा पटसन की फसलें लगभग नष्ट हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि मिदनापुर की स्थिति सबसे खराब है

जहां भाड़ग्राम में एक गिलास पानी प्राप्त करना यदि असंभव नहीं है तो अत्यन्त कठिन अवश्य है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य को वित्तीय सहायता देने में अपना सहयोग दिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्च से जून, 1979 के दौरान सूखे की स्थिति के कारण पश्चिम बंगाल में अंसधान और पटसन की फसलों को भारी क्षति हुई है। पटसन के अन्तर्गत बोए जाने वाले 5.38 लाख हैक्टार के सामान्य क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष केवल लगभग 2.2 लाख हैक्टार क्षेत्र में पटसन बोया गया है। इसके अतिरिक्त 1.75 लाख हैक्टार क्षेत्र से अधिक में बोई गई पटसन की फसल भी क्षतिग्रस्त हुई। असधान के अन्तर्गत बोए जाने वाले 8.00 लाख हैक्टार के सामान्य क्षेत्र की तुलना में केवल 3.00 लाख हैक्टार में असधान बोया गया और 3.00 लाख हैक्टार से अधिक क्षेत्र में फसल को भी आंशिक रूप से क्षति हुई।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजे गए वर्षों से सम्बन्धित जिलावार आंकड़ों से पता चला है कि अन्य जिलों के साथ मिदनापुर जिले में भी कम वर्षा हुई है। मिदनापुर की तुलना में कुछ जिलों में तो और भी कम वर्षा हुई है।

(ग) 15 से 17 जून के दौरान एक केन्द्रीय दल ने मिदनापुर जिले के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर 10.25 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम योजना सहायता के तौर पर आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 5.00 करोड़ रुपए की राशि अल्पावधि ऋण के तौर पर स्वीकृत की गई है।

धान के मूल्यों के बारे में दक्षिण के राज्यों से बातचीत

*6. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री वी० अरुणाचलम : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के लिए धान का एक खरीद मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्या अगली फसल के लिए धान के मूल्य निर्धारित करने के मामले पर दक्षिण के राज्यों से कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस समय भी धान की मोटी किस्म के लिए सभी राज्यों के लिए एक जैसा वसूली मूल्य निर्धारित किया जाता है और यह चालू खरीफ विपणन मौसम 1978-79 के लिए 85 रुपये प्रति क्विंटल है। राज्य सरकारें धान की मोटी किस्म के वसूली मूल्य के आधार पर और विभिन्न किस्मों के बीच मूल्यों

में परम्परागत अन्तर को ध्यान में रखकर धान की अन्य किस्मों के वसूली मूल्य निर्धारित करती हैं।

(ख) जी हां. दक्षिणी राज्यों समेत सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों/खाद्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 1979-80 के लिए वसूली मूल्य के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

ताजमहल के पत्थर में कैंसर

***7. श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि ताजमहल के पत्थर में कैंसर हो गया है, जो तेजी से बढ़ रहा है और जिससे पूरी इमारत को ही खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कैंसर के प्रभाव से ताजमहल को बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकतकी) (क) ताजमहल में संगमरमर के पत्थरों के धूमिल होने, पपड़ी झड़ने, उनमें छोटे-छोटे गड्ढे होने उनके टूटे हुए भागों पर कालिख चढ़ने आदि बातें देखने में आई हैं।

(ख) सर्वेक्षण ने वायुमंडलीय प्रदूषण निर्धारित करने तथा विभिन्न प्रस्तर परिरक्षियों का परीक्षण हानिकारक गैसों के विरुद्ध इन्हें प्रभावोत्पादक बनाने के उद्देश्य से आगरा में वायु प्रदूषण नियन्त्रण केन्द्र स्थापित किया है। कोयले से चालित रेलवे शंटिंग यार्ड, थरमल पावर स्टेशन तथा 200 से अधिक कारखानों से उत्पन्न होने वाले विद्यमान वायुमंडलीय प्रदूषण को दूर करने तथा कम करने हेतु सर्वेक्षण द्वारा पहले से ही इस मामले पर कार्रवाई की जा चुकी है।

मानसून में विलम्ब होने से संकट

***8. डा० बापू कालदाते :**

श्रीमती मृणाल गोरे : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में मानसून वर्षा देर से होने के कारण आने वाले संकट का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या स्थिति का सामना करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। सरकार को देश के अनेक भागों में मानसून के बिलम्ब से होने वाले खतरों की जानकारी है।

(ख) तथा (ग) जी हां। एक केन्द्रीय दल पश्चिम बंगाल, असम तथा मणिपुर का दौरा कर चुका है और उसकी सिफारिशों के आधार पर पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर को अग्रिम योजना सहायता आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त खरीफ की फसल उगाने के लिए पश्चिम बंगाल को 5 करोड़ रुपये तथा असम को एक करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की भी स्वीकृति दी गई है। सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक अन्य केन्द्रीय दल 4 से 11 जुलाई, 1979 तक त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड तथा मेघालय का दौरा कर रहा है। कृषि विभाग में एक फसल मौसम निगरानी दल गठित किया गया है, जिसकी कई बैठकें हो चुकी है तथा राज्यों को मानसून के ज्यादा बिलम्ब होने अथवा ज्यादा अनिश्चित होने की स्थिति में उचित उपाय करने का सुझाव दिया गया है। उन्हें परिस्थितिनुसार वैकल्पिक फसलें लगाने के लिए प्रबन्ध करने का भी सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों को इस आकस्मिक स्थिति का जायजा लेने तथा उपयुक्त उपाय करने के लिए इसी प्रकार के राज्य स्तरीय मौसम निगरानी दल गठित करने का भी सुझाव दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान में हुई हानि

***9. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों में आए समुद्री तूफान में खड़ी फसल को हुई हानि का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी हानि हुई है और पीड़ितों को कितनी सहायता दी गई ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार समुद्री तूफान से बुरी तरह से प्रभावित आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों, अर्थात प्रकाशम तथा नैल्लार में खड़ी फसलों को हुई हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	प्रकाशम जिला		नैल्लोर जिला	
	क्षेत्र (हैक्टार)	मूल्य (लाख रु०)	क्षेत्र (हैक्टार)	(मूल्य लाख रु०)
धान की दूसरी फसल	688	17.00	12.141	300.00
केला	221	5.46	607	75.00
पान की बैल	155	38.40	324	80.00
एसिड लाइम और निम्बु प्रजाति	158	7.80	2.428	600.00
आम तथा अन्य उद्यान फसलें	983	57.06	81	20.00
सब्जियां	339	4.19	—	—
दलहन	41	0.20	—	

	प्रकाशन जिला		नैल्लोर जिला	
	क्षेत्र (हेक्टार)	मूल्य (लाख रु०)	क्षेत्र (हेक्टार)	मूल्य (लाख रु०)
कपास	—	—	1,619	48.00
मिर्च	405	1.00	—	—
मूंगफली	486	6.00	3,237	48.00
अन्य	3245	40.17	—	—
कुल :	6,721	177.28	20,437	1,171.00

(ख) प्रकाशम जिले में कुल 6,721 हैक्टार क्षेत्र प्रभावित हुआ तथा 177.28 लाख रुपए की हानि हुयी, जबकि नैल्लोर जिले में 20,437 हैक्टार क्षेत्र प्रभावित हुआ और 1,171.00 लाख रुपए की हानि हुई।

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में राहत, पुनर्वास तथा सार्वजनिक निर्माणों की मरम्मत एवं उन्हें पुन: चालू करने के लिए विभिन्न मदों पर कुल 5071 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी है। इसमें कृषि आदान खरीदने, क्षारीयता तथा रेत फैलने से प्रभावित भूमि को सुधारने के लिए तथा तम्बाकू के भण्डागारों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए कोटे तथा सीमान्त कृषकों को राज सहायता के रूप में 211 लाख रुपए तक की कृषकों को सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

भारत सरकार "ने काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के तहत सामान्य कोटे के अतिरिक्त 11 करोड़ रुपए के मूल्य का 75000 मीटरी टन चावल भी नियुक्त किया है। इसका कुछ भाग सिंचाई तथा सड़कों की मरम्मत तथा पुन: निर्माण में भी लगाया जाएगा। भारत सरकार ने खरीफ फसल उगाने के लिए 10 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की भी स्वीकृति दी है।

पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूखा

***10. डा० मुरली मनोहर जोशी :**

श्री युवराज : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित होने वाले पूर्वी और उत्तर—पूर्वी राज्यों के जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सूखे की स्थिति से इन जिलों को हुई हानि का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों को राहत पहुंचाने के लिये कोई धनराशि नियत की है और यदि हां, तो इस उद्देश्य से किया गया जिलावार नियतन क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्टों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार भयंकर सूखे से प्रभावित पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के जिले निम्नलिखित हैं :—

राज्य	जिले	
1. असम	1. डिवरूगढ़	6. सिबसागर
	2. गोलपारा	7. लखीमपुर
	3. दारंग	8. कचर
	4. नवगांव	9. कर्वी अंगलोंग
	5. कामरूप	10. एन० सी० हिल्स
2. मणिपुर	1. केन्द्रीय जिला	4. पूर्व जिला
	2. उत्तरी जिला	5. पश्चिमी जिला
	3. दक्षिण जिला	6. तेंगनोपाल
3. पश्चिम बंगाल	1. पश्चिम दिनाजपुर	7. हुगली
	2. माल्दा	8. बर्धबान
	3. मुर्शिदाबाद	9. वीरभूम
	4. नादिया	10. बंकुरा
	5. 24 परगना	11. पुरूलिया
	6. हावड़ा	12. मिदनापुर
4. मेघालय	1. पूर्वी गारो हिल्स	4. पश्चिमी खासी हिल्स
	2. पश्चिमी गारो हिल्स	5. जयतिया हिल्स
	3. पूर्व खासी हिल्स	
5. नागालैंड	1. मोकोक चुग	4. तुमेसग
	2. वोर्खा	5. मौन
	3. जुनहीबोटे	6. कोहिमा
		7. फेक
6. त्रिपुरा	1. उत्तरी त्रिपुरा	
	2. दक्षिणी त्रिपुरा	
	3. पश्चिमी त्रिपुरा	
7. मिजोरम	1. ऐजल	
	2. किमुलीपुर	
	3. लुगगेली	
8. अरुणाचल प्रदेश	1. सिंएंग	
	2. सुबांसिरी	
	3. लोहिट	
	4. कमेग	

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल, असम तथा मणिपुर में एक केन्द्रीय दल भेजा था जिसमें इन राज्यों का 15 से 22 जून, 1979 के दौरान दौरा किया। भारत सरकार ने इस दल तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर पश्चिम बंगाल, असम तथा मणिपुर को सरकारों के लिए क्रमश: 1025 लाख रुपए 461.50 लाख रुपए तथा 261.99 लाख रुपए की अग्रिम योजना सहायता का आबंटन किया है। पश्चिम बंगाल को रोजगार देने वाली योजनाओं के लिए नकद अथवा वस्तु के रूप में अतिरिक्त सहायता देने पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल तथा असम को भी क्रमश: 65 करोड़ रुपए तथा एक करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण आबंटित किए गए हैं।

भारत सरकार केवल राज्य सरकारों को आबंटन करती है। जिलावार आवंटन संबंधित राज्यों द्वारा स्थानीय स्थिति की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अनुरोध पर एक अन्य केन्द्रीय दल 4-7-1979 से 11-7-1979 के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम का दौरा कर रहा है।

चक्रवात पर राष्ट्रीय नीति

*11. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने चक्रवात से निपटने के लिये कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) ऐसी राष्ट्रीय नीति का पूरा ब्यौरा प्राप्त होने के बाद ही भारत सरकार प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

राजस्थान नहर के दूसरे चरण के लिए धनराशि

*12. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **कृषि** और **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राजस्थान नहर के दूसरे चरण को पूरा करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता का अनुमान है और धनराशि जुटाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारें क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : राजस्थान नहर चरण-दो के इंजीनियरी कार्यों की अनुमानित लागत 215.46 करोड़ रुपये है। जिसमें से मार्च, 1979 तक 43

करोड़ रुपये पहले ही व्यय हो चुके हैं। 1979-80 के लिये प्रस्तावित परिव्यय 21.75 करोड़ रुपये है। कमान क्षेत्र विकास कार्यों सहित इंजीनियरी कार्यों के लिए बाहर से सहायता प्राप्त करने के लिये भी सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कोह-ए-नूर और तख्त-ए-ताऊस

*13. **श्री राम सागर** :

श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोह-ए-नूर और तख्त-ए-ताऊस प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित देशों से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सम्पर्क कब तक किए जाने की आशा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रेणुका देवी बरकतकी) : (क) जी नहीं।

(ख) मामला इतना सशक्त नहीं है कि इन वस्तुओं को प्राप्त किया जाए क्योंकि, कोह-ए-नूर एक उपहार था तथा मूल तख्त-ए-ताऊस की पहचान अभी निश्चित की जानी है।

गरीब ग्रामीणों के लिए पेंशन

*14. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **कृषि** और **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गरीब ग्रामीणों के लिए पेंशन के बारे में कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार ने गरीब ग्रामीणों के लिए पेंशन की कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गरीब व्यक्तियों, जिनमें गरीब ग्रामीण भी शामिल हैं, के लिए वृद्धावस्था पेंशन की मंजूरी कुछ राज्य सरकारों द्वारा कल्याणकारी उपाय के रूप में दी जा रही है। इसे राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा भी अन्त्योदय कार्यक्रम के भाग के रूप में सुलभ किया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को राज्य सरकारों द्वारा ही उत्तम ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है।

संसद सदस्यों को उनके निवास स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं

*15. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिनके स्थायी पतों पर उनके संसद सदस्य होने के नाते अभी तक टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से उनके स्थायी पतों पर शीघ्र टेलीफोन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार, राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) सूचना अनुबंध 'क' में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) दो कनैक्शनों के मामलों में जिनके प्राक्कलन लोक-सभा सचिवालय ने स्वीकार कर लिए हैं, अतिप्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अन्य मामलों को भी लोक-सभा सचिवालय से प्राक्कलनों की मंजूरी मिलने के बाद अतिप्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। (चालू)

विवरण

संसद सदस्यों के नाम जिन्हें उनके स्थायी निवासों पर टेलीफोन नहीं दिए गए हैं।

क्र० सं०	संसद सदस्य का नाम	जिस स्थान पर टेलीफोन चाहिए	देरी के कारण
1.	श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा संसद सदस्य, लोक-सभा	ग्राम व डाकघर भण्डारो, जिला गिरडीह (बिहार)	लोक-सभा सचिवालय की मंजूरी डी० ई० पी० गया का है। 7.6.79 को भेज दी गई है।
2.	श्री श्रीकृष्ण सिंह संसद सदस्य, लोक-सभा	बारी बाग (बिहार))	यह लम्बी दूरी का कनेक्शन है। इसके प्राक्कलन की मंजूरी अभी लोक-सभा सचिवालय द्वारा दी जानी है।
3.	श्री बटेश्वर हेम राम, संसद सदस्य, लोक-सभा	सरायघाट (बिहार))	
4.	श्री गुरचरण सिंह तोहरा संसद सदस्य, लोक-सभा	ग्राम तोहरा (पंजाब)	पटियाला एक्सचेंज से 30 कि० मी० की दूरी पर टेलीफोन लगाया जाना है। यह अभी तकनीकी रूप से सम्भव नहीं हो सकता है। तथापि मामले की फिर से जांच की जा रही है।
5.	श्री हीरा भाई संसद सदस्य, लोक-सभा	खुशालगढ़ (राजस्थान)	उदयपुर तार डिवीजन में खुशालगढ़ एक्सचेंज से 12 कि० मी० की दूरी पर टेफीफोन लगाया जाना है। प्राक्कलन की मंजूरी लोक-सभा सचिवालय से फरवरी, 1979 में प्राप्त हुई है। प्राथमिकता के आधार पर सामान उपलब्ध किया जा रहा है।

विश्व खेल-प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का घटिया खेल

*16. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**

श्री जी० एम० बनातवाला : शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि गत 2-3 वर्षों के दौरान विदेशों में आयोजित टूर्नामेंटों/प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के खेल, आदि बहुत घटिया रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या घटिया खेल के कारणों की जांच करने के लिए सरकार का विचार कोई समिति या आयोग नियुक्त करने का है; और

(ग) क्या खेलों में विदेशों में भारतीय प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कोई कार्यवाही भी की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) (क), (ख) और (ग) यद्यपि यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत घटिया रहा है। किन्तु यह ठीक है कि कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन आशाओं के अनुकूल नहीं रहा है। इस प्रकार के प्रदर्शन के कारण सर्वविदित हैं और इसलिए समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय खेल परिषद के माध्यम से सरकार सभी खेल निकायों पर यह दबाव डाल रही है कि वे प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों के चयन, प्रशिक्षण और प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त सरकार, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, चहुंमुखी स्तर बढ़ाने के लिए खेल निकायों और राज्य सरकारों को सहायता दे रही है।

एशियाई खेलों के लिए आवास व्यवस्था

*17. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए किए जाने वाली आवास व्यवस्था के बारे में कोई मतभेद है जिसके कारण काम रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) खेल सुविधाओं के परिष्करण/निर्माण के सम्बन्ध में प्राईवेट वास्तुकारों से सहयोग लेने के बारे में मतभेद था और अब यह दूर हो गया है।

परम्परागत मछुआरों के संरक्षण के लिए कानून

*18. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** परम्परागत मछुआरों के संरक्षण के

लिए कानून के बारे में 9 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस सम्बन्ध में एक विधान कब तक लाने का विचार रखती है; और

(ख) प्रस्तावित विधेयक की सामान्य रूप-रेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) ऐसा कानून संसद द्वारा बनाया जाए अथवा राज्य विधान सभाओं द्वारा इसके कानूनी पहलुओं की अभी जांच की जा रही है।

(ख) विधेयक की सामान्य रूपरेखा में विभिन्न प्रकार के मत्स्यन पोतों के कार्य-क्षेत्र को समाप्त करने, मत्स्यन उल्लंघनों, कार्यप्रणालियों तथा सम्बन्धित मामलों के विनियमन का प्रावधान होगा।

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा

*19. **श्री सुरेन्द्र झा "सुमन"** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का निकट भविष्य में कोई नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

गेहूं की निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री

*20. **श्री रामधारी शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सरकार द्वारा गेहूं का मूल्य 115 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के बावजूद गेहूं मण्डियों में 100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) किसानों को गेहूं का निर्धारित मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं की बिक्री के बारे में कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। बेचा गया कुछ स्टाक निर्धारित निर्दिष्टियों से नीचे के स्तर का था। शेष का कारण बोरियों की अस्थायी कमी थी।

(ख) जहां कहीं भी राज्य सरकारें और भारतीय खाद्य निगम किसानों द्वारा पेश किए गए और निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं के सभी स्टाक को निर्धारित मूल्यों पर खरीदने हेतु

कार्यरत हैं, वहां पर मूल्य समर्थन देने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में कार्यरत खरीद केन्द्रों की संख्या नीचे दी जाती है :

पंजाब	......	765
हरियाणा	......	163
उत्तर प्रदेश		2769
राजस्थान	......	215
मध्य प्रदेश	......	292
हिमाचल प्रदेश		31

अतिरिक्त भूमि के अनुमान का ब्यौरा

1. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री अतिरिक्त भूमि के अनुमान के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 867 के 26 फरवरी, 1979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस अतिरिक्त भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिसके उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) अधिकतम भूमि विधि लागू किये जाने से लेकर अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि बांटी गई और उसके राज्यवार तथा वर्षवार आँकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विवरण 1 संलग्न है।

(ख) विवरण 2 संलग्न है।

विवरण—1

उपलब्ध होने वाली अधिशेष भूमि का अनुमानित राज्यवार ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण

(एकड़ में)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	अनुमानित अधिशेष क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	13,09,903
2.	असम	5,74,990
3.	बिहार	3,00,000
4.	गुजरात	65,000
5.	हरियाणा	30,380
6.	हिमाचल प्रदेश	2,02,454
7.	जम्मू और काश्मीर	—
8.	कर्नाटक	4,00,000

(एकड़ में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	अनुमानित अधिशेष क्षेत्र
9.	केरल	1,50,000
10.	मध्य प्रदेश	2,50,539
11.	महाराष्ट्र	4,00,000
12.	मणिपुर	2,685
13.	उड़ीसा	2,00,000
14.	पंजाब	29,334
15.	राजस्थान	7,94,000
16.	तमिलनाडु	1,91,422
17.	त्रिपुरा	5,074
18.	उत्तर प्रदेश	2,82,728
19.	पश्चिम बंगाल	1,72,399
20.	दादरा तथा नगर हवेली	9,390
21.	दिल्ली	1,500
22.	पांडिचेरी	3,012
	योग :	53,74,810

(चालू)

विवरण-2

जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के लागू होने के समय से अतिरिक्त भूमि का राज्यवार, वर्षवार वितरण

(एकड़ों में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जोत की अधिकतम सीमा के कानूनों के संशोधन से पूर्व वितरित भूमि	संशोधित जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के अन्तर्गत बांटा गया क्षेत्र				जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानून के अन्तर्गत बांटा गया क्षेत्र	जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के संशोधन से पूर्व तथा संशोधन के अंतर्गत बांटा गया कुल क्षेत्र
		अगस्त 1975 से जुलाई 76	अगस्त 1976 से जुलाई 77	अगस्त 1977 से जुलाई 78	अगस्त 78 से अप्रैल 79		
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	875	20,873	1,24,738	55,972	32,799	2,34,382	2,35,257
असम	79,951	2,04,268	33,302	46,992	19,190	3,03,752	3,83,703
बिहार	1,173	74,072	39,148	12,560	5,617	1,31,397	1,32,570
गुजरात	43,899	—	—	—	शून्य	शून्य	43,899
हरियाणा	55,618	—	21,648	—	शून्य	21.648	77,266
हिमाचल प्रदेश	292	2,299	130	—	1,517	3,946	4,238
जम्मू और काश्मीर	4,50,000	—	—	—	—	—	4,50,000
कर्नाटक	—	8,686	23,696	3,923	828	37,133	37,133
केरल	—	12,384	19,086	5,206	9,696	46,372	46,372
मध्य प्रदेश	33,676	3,274	28,590	54,066	—	85,920	1,19,596
महाराष्ट्र	1,60,526	2,23,294	43,020	5,071	5.769	2,77,154	4,37,680
मणिपुर	—	—	—	—	शून्य	शून्य	—
उड़ीसा	—	47,011	43,210	3,534	1,586	95,341	95,341

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	74,200	2,871	1,310	155	529	4,855	79,055
राजस्थान	1,93,099	91,194	8,973	18,452	13,431	1,32,050	3,25,149
तमिलनाडु	49,923	4,779	414	73	27,138	31,990	81,913
त्रिपुरा	—	—	*414	38	—	452	452
उत्तर प्रदेश	1,73,548	76,917	43,267	53,935	28,331	2,02,450	3,75,998
पश्चिम बंगाल	5,66,417	9,483	9,639	454	16,520	36,096	6,02,513
दादरा और नगर हवेली	—	1,181	1,021	990	—	3,192	3,192
दिल्ली	101	—	—	—	शून्य	—	101
पांडिचेरी	—	523	137	73	70	803	803
योग :	18,83,298**	7,83,089	4,41,329	2,61,494	1,63,021	16,48,933	35,32,231

* जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के संशोधन से पूर्व वितरित किया गया क्षेत्र शामिल है।

** 1,30,110 मानक एकड़ शामिल हैं।

भारत के ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था

2. **श्री दुर्गाचन्द्र : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है:

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए समस्याग्रस्त गांवों के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) वर्षवार, राज्यवार लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

(ख), (ग) तथा (घ) जिन ग्रामों में जल की कमी है उन्हें समस्या-ग्रस्त ग्रामों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मापदण्ड यह है कि जिन ग्रामों के लोग पेय जल लाने के लिए 1.6 कि० मीटर (1 मील) फासला चलते हैं अथवा जहां पेय जल 50 फुट की गहराई तक उपलब्ध नहीं है (अर्थात जहां पानी 50 फुट से अधिक गहराई से खींचना पड़ता है) अथवा जहां स्थानीय तौर पर उपलब्ध जल हैजा अथवा नेहरुवा जैसी पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से ग्रस्त हैं अथवा उसमें रासायनिक पदार्थ इतनी मात्रा में हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये मापदण्ड हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों सहित सम्पूर्ण देश के ग्रामों पर लागू किए जाते हैं।

(ङ) तथा (च) जी, हां। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे कठिनाई वाले क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति के लिए कई योजनाएं भेजी हैं। अभी तक केन्द्र ने 1483.08 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 245 योजनाएं अनुमोदित की हैं जो केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की जानी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन अपने संसाधनों से बहुत सी योजनाएं आरम्भ की हैं।

1978-79 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार को 425.12 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी गई थी। 1979-80 के लिए राज्यवार नियतन अभी तय नहीं किए गए हैं। अन्तिम नियतन किए जाने तक तदर्थ आधार पर 1651 लाख रुपये दिये जाने का निर्णय किया गया है।

वेश्याओं को लाइसेंस देने और पंजीकृत करने का सुझाव

3. **श्री माधव सिंधिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में समाज स्वास्थ्य संगठन का एक प्रतिनिधि-मंडल हाल ही में उनसे मिला था और देश के कुछ भागों में विशेषरूप से आगरा में वेश्यावृत्ति के कारण उत्पन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधि-मंडल ने इस बुराई को रोकने के लिए वेश्याओं को लाइसेंस देने व उनके पंजीकरण का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) यह प्रस्ताव व्यक्तियों में व्यापार तथा अन्य लोगों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन के अनुसमर्थन दस्तावेज, जिस पर 9 मई, 1950 को न्यूयार्क में हस्ताक्षर किए गए थे और जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, के उल्लंघन में होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया था।

केन्द्रीय आवास तथा निर्माण मन्त्री द्वारा रामेश्वरम का दौरा

4. **श्री डी० अमात** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय मन्त्री के श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होने वाले लोगों के स्वागत के लिए किये जा रहे प्रबन्धों के निरीक्षण के लिए इस वर्ष मई के अन्तिम सप्ताह में तमिलनाडू में रामेश्वरम का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) : जी, हां।

(ख) सामान्यत: मन्त्री जी स्वागत प्रबन्धों से संतुष्ट थे। तथापि, उन्होंने प्रत्यावासन की गति में तीव्रता लाने सम्बन्धी उपायों की ओर जांच करने, अवतरण में तेजी लाने, कुछ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा मंडपम शिविर में जल प्रदूषण समस्याओं के बारे में सुझाव दिये थे।

गन्ने के रस से 'पावर अलकोहल' बनाने के लिए प्रतिनिधि मण्डल

5. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** गन्ने के रस से 'पावर अलकोहल बनाने की तकनीक के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने के बारे में 7 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है;

(ख) प्रतिनिधि मंडल यदि अभी तक नहीं गया है तो उसके कब तक जाने की संभावना है; और

(ग) प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं और सरकार के पास इसका प्रतिवेदन कब

तक प्रस्तुत हो जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) यह निश्चय किया गया है कि गन्ने के रस से ईथानल के उत्पादन का अध्ययन करने के लिए ब्राजील को दो विज्ञानियों का एक शिष्ट मंडल भेजा जाय।

(ख) इस शिष्टमंडल के सितम्बर में जाने की संभावना है।

(ग) इस शिष्टमंडल में दो व्यक्ति होंगे : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर से प्रत्येक से एक-एक। इस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट उनके दौरे से वापस आने के चार सप्ताह के दौरान अर्थात लगभग अक्तूबर के अन्त तक प्राप्त होगी।

ईस्ट आफ कैलाश में विपणन केन्द्र में स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन

6. **श्री रती लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन करके डी॰ डी॰ ए॰ के ईस्ट-आफ कैलाश सामुदायिक विपणन केन्द्र में प्लाट मालिकों द्वारा तहखानों का निर्माण करने और उसे रोक पाने में डी॰ डी॰ ए॰ कर्मचारियों की असफलता के बारे में 14 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन करने वाले इन भू-स्वामियों को इस अतिरिक्त भूमि से होने वाली लाखों रुपये की आय के अनुरूप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और डी॰ डी॰ ए॰ कर्मचारी प्रारम्भ में ही ऐसा अनधिकृत निर्माण-कार्य रोकने में किस प्रकार विफल रहे;

(ख) क्या निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भी इन इमारतों को किराये पर दिया जा सकता था, नक्शे को कब मंजूरी दी गई और सम्बन्धित भवन कब बन कर तैयार हुआ और उसे कब किराये पर दिया गया; और

(ग) उक्त मामले में कार्यवाही करने में और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने में इतने अधिक वर्ष लगने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने दोषियों के विरुद्ध पहिले ही कार्यवाही कर दी है और उनके समापन-प्रमाणपत्रों को अस्वीकर कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके विरुद्ध पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए भी कार्यवाही कर रहा है। सामान्यतया दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन भवनों की जांच का अवसर तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि मकान मालिक फार्म 'सी' तथा 'डी' अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तथा भवनों के समापन की सूचना नहीं भेज देते हैं। जिन 11 भवनों के समापन की सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई थी, उनका निरीक्षण प्राधिकरण के स्टाफ ने किया था तथा कुछ असंगतियां पाई गई थीं। ऐसे 8 भवनों के समापन प्रमाण-पत्र अस्वीकार किए गए हैं तथा आगे की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। शेष तीन भवनों के मामले में समापन-नक्शे अभी पेश नहीं किए गए हैं।

(ख) भवन-उप नियमों के अनुसार, समापन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने से पहले भवन का दखल नहीं लिया जा सकता है। फिर भी, अपेक्षित जुर्माने का भुगतान कर देने पर समापन प्रमाण-पत्र जारी हुए बगैर ही भवन के दखल को नियमित किया जा सकता है।

दखल की तारीखों तथा प्रत्येक भवन को किराए पर देने की तारीखों के ब्यौरे एकत्र किये जायेंगे।

मूंगफली की फसल

7. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में इस गर्मी के मौसम के दौरान कितने एकड़ भूमि में मूंगफली बोई गई थी;

(ख) गुजरात में इसके जिलावार, आंकड़े क्या हैं;

(ग) इससे कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान और इसमें से गुजरात में कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(घ) गर्मी के मौसम के दौरान मूंगफली की फसल को बढ़ाने के लिए उत्पादकों को किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ङ) गुजरात में किसानों को धन के रूप में और अन्यथा कितनी सहायता दी गई है अथवा देने का प्रस्ताव है और ऐसे किसानों की लगभग संख्या कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1977-78 के लिए मूंगफली के अखिल—भारतीय अन्तिम अनुमानों के अनुसार समूचे देश में रबी/ग्रीष्म मौसम के दौरान 5.44 लाख हैक्टार क्षेत्र में मूंगफली बोई गई। वर्ष 1978-79 के संबंध में ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1978-79 के दौरान रबी/ग्रीष्म कालीन मूंगफली की सफल के अन्तर्गत क्षेत्र में 1977-78 में 5.44 लाख हैक्टार क्षेत्र की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है।

(ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में वर्ष 1978-79 में ग्रीष्म मौसम के दौरान मूंगफली के अन्तर्गत बोया गया जिलावार क्षेत्र निम्नलिखत है :

जिला	ग्रीष्म कालीन मूंगफली का क्षेत्र 1978-79 (हैक्टार)
भावनगर	16122
कच्छ	3040
जूनागढ़	1770
अमरेली	762
जामनगर	200
राजकोट	254

जिला	ग्रीष्म कालीन मूंगफली का क्षेत्र 1978-79 (हैक्टार)
सुरेन्द्र नगर	38
पंच महल	302
सावरकंथा	442
केरा	469
सूरत	573
बड़ौदा	592
ग्रहमदाबाद	105
वनासकंथा	167
बल्सर	465
क बरोच	75
मेहसाना	19
गांधी नगर	1
कुल	25,396

(ग) वर्ष 1977-78 के लिए मूंगफली के अन्तिम अनुमानों के अनुसार देश में रबी/ग्रीष्म मौसम के दौरान 8.11 लाख मीटरी टन मूंगफली का उत्पादन हुआ। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 1978-79 के लिए ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है। तथापि, गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि ग्रीष्म 1979 के दौरान राज्य में 1500 किलोग्राम प्रति हैक्टार की दर से 38094 मीटरी टन मूंगफली का उत्पादन होने की संभावना है।

(घ) नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के तहत ग्रीष्म कालीन मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना चल रही है :—

राज्य	सिंचाई परियोजना
आन्द्र प्रदेश	नागार्जुन परियोजना तथा पोचमपद
कर्नाटक	तुंगभद्रा तथा भद्रा
उड़ीसा	हीराकुड तथा डेल्टा सिंचाई

उपर्युक्त योजना के तहत ग्रीष्म कालीन मूंगफली के उत्पादकों को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी जाती है :

(1) प्रदर्शन	200 रुपए प्रति हैक्टार।
(2) मिनीकिट	कृषकों को उन्नत किस्मों के बीजों वाले मिनीकिट तथा $\frac{1}{3}$ हैक्टार क्षेत्र के लिए बीज ड्रेसर एवं पैकेज की प्रणाली संबंधी साहित्य निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।

(3) वनस्पति रक्षण	(क) कृषकों को वनस्पति रक्षण के उपकरणों पर 25 प्रतिशत की राज-सहायता (जो प्रति उपकरण 200 रुपए तक सीमित है) दी जाती है।
	(ख) छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिए 25 रुपए प्रति हैक्टार तथा अन्य कृषकों के लिए 17.50 रुपए प्रति हैक्टार की दर से हवाई छिड़काव का शुल्क।
	(ग) 7.50 रु॰ प्रति हैक्टार की दर से भूमि पर छिड़काव शुल्क।
	(घ) मूंगफली पर आक्रमण करने वाली सफेद सूड़ियों की रोक-थाम के लिए समूचे कीटनाशियों सहित सभी प्रचालनों की लागत का 50 प्रतिशत।
बीज उत्पादन	मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक एजेंसियों को 150 रुपए क्विंटल तक की राजसहायता दी जाती है ताकि वे बढ़िया किस्म के बीज पैदा करके कृषकों को सप्लाई कर सकें। इनका मूल्य बाजार में प्रचलित वाणिज्यिक उत्पादों के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ङ) नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के बिस्तार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना गुजरात में नहीं चल रही है। अत: इसके लिए राज्य सरकार की कोई भी केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

कीटनाशी औषधियों के फुटकर मूल्यों में कमी

8. **श्री आर॰ के॰ महालगी : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कीटनाशी संघ द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं जिनमें उद्योग के कर-भार में कमी की मांग की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कीटनाशियों के फुटकर मूल्य भी कम होंगे;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कीटनाशी संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(क) कीटनाशी औषधियों पर 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी।

(ख) आयातित कीटनाशी औषधियों और देशी कीटनाशी औषधियों के उत्पादन के उपयोग में लाई जाने वाली उनकी अन्तर्वर्ती वस्तुओं पर 75 प्रतिशत की सीमा शुल्क की छूट।

(ख) से (घ) इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, क्योंकि विस्तृत जानकारी भारतीय कीटनाशी संघ से मांगी गई है, जो अभी प्राप्त होनी है।

अगरतल्ला में अनन्नास सत (केन्सेन्ट्रेट) का कारखाना

9. **श्री किरित विक्रमदेव बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतल्ला (त्रिपुरा) में अनान्नास के सत (कन्सेन्ट्रेट) का कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके लिए अगर किसी विदेशी सहायता की जरूरत है, तो कितनी है; और

(ग) अब तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) त्रिपुरा में स्थित अगरतल्ला में यूनिसेफ की सहायता से वर्तमान डिब्बाबन्दी संयंत्र के एक अंग के रूप में अनान्नास रस सत (कन्सेंट्रेशन) यूनिट स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी भी तैयार की जानी है।

उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनायें

10. **श्री गिरिधर गोमांगी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के पास उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के कितने परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति के लिए पड़े हैं तथा कितने प्रतिवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 7 बृहद और 11 मध्यम सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में मंजूरी के लिए प्राप्त हुई थीं। इस बीच इनमें से 3 बृहद परियोजनाओं नामशः पोत्तेरू, अपर कोलाब और अपर इन्द्रावती और 11 मध्यम परियोजनाएं नामशः कालो, खडकई, नेसा, पिल्लासाल्की, रमाल, तलसारा, सर्पगढ़, बन्दीपीघ्ली, सुनेज, कंभारी और हरभंगी मंजूर हो चुकी हैं। 4 बृहद परियोजनाएं नामशः भीमकुण्ड, वडानाला, स्वर्णरेखा और इब इस समय राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है।

सालवान कालेज में प्रवेश

11. **श्री शरद यादव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 जून, 1979 के दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जी० डी० सालवान कालेज में इस सत्र में कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सालवान कालेज की प्रबन्धक समिति ने विश्वविद्यालय से इस कालेज को नियन्त्रण में लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कालेज के प्रिंसिपल ने विश्वविद्यालय को यह सूचित किया है कि कालेज दाखिले कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) मामले पर संबंधित प्राधिकारी विचार कर रहे हैं।

ग्राम शेख सराय, नई दिल्ली में कस्टोडियन सम्पत्ति का अन्तरण

12. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री ग्राम शेख सराय, नई दिल्ली में कस्टोडियन सम्पत्ति के अन्तरण के बारे में 14 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रश्न गत कस्टोडियन सम्पत्ति के दखलदारों को नवम्बर, 1971 में बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे, और यदि हां, तो क्या बेदखली के वे नोटिस क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाने पर वापस ले लिए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्बन्धित दखलदारों को वह सम्पत्ति बेचे जाने के उद्देश्य से किया गया था, यदि हां, तो उसका कुल मूल्य क्या है; और

(ग) सम्बन्धित दखलदारों से सम्पत्ति के मूल्य की वसूली के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले उपाय क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) प्रश्नगत निष्क्रान्त सम्पत्ति अर्थात् खसरा संख्या 548/135 पर अनधिकृत कब्जे के बारे में नवम्बर, 1971 में बेदखली के लिए जारी किए गए नोटिस वापस नहीं लिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति बेची न जाए। सरकार ने दिल्ली/नई दिल्ली की शहरी सीमाओं के अंतर्गत पुनर्वास बस्तियों में या उनके आसपास प्रयोग में न लाई गई सभी भूमियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने का एक नीति निर्णय लिया है।

फरक्का बांध समूह के निर्माण क कारण जलमग्न भूमि

13. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फरक्का बांध समूह के निर्माण के परिणामस्वरूप फसल पदा करने वाली हजारों हैक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि जमीन को कृषि योग्य स्थिति पर लाने के उक्त पानी की निकासी के लिए सरकार वचनबद्ध है; और

(ग) उक्त वचनबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी में मिलने वाली सरिताओं के बेसिनों में कुल लगभग 50 वर्ग मीटर के निम्न स्तरीय क्षेत्रों के भाग, जो वर्षा ऋतु के दौरान जलमग्न हो जाया करते थे, फरक्का फीडर नहर में आए उच्च वहावों के कारण, जलमग्न होते रहे।

(ख) पगला और बंसलोई के इन क्षेत्रों से और देमोस बोल बेसिनों से पानी निकालने और उन्हें रबी की फसल बोने योग्य बनाने के लिए स्कीमें विचाराधीन हैं।

(ग) एक तदर्थ विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित 4.12 करोड़ रुपये की लागत की एक स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है और उसे फरक्का बराज परियोजना द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समय निर्माण-पूर्व के कार्यों की व्यवस्था की जा रही है। नियामकों के आयोजन और अभिकल्प का कार्य पूरा हो चुका है और इस कार्य और अन्य कार्यों के लिए टेण्डर मंगाए गए हैं। अपेक्षित भूमि को अधिग्रहण करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और ईस कार्य के आगामी कार्य मौसम में प्रारम्भ किए जाने की आशा है और इसको दो वर्षों में पूरा कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में वैज्ञानिकों की सेवा स्थिति सम्बन्धी समिति

14. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, (पूसा) नई दिल्ली के वैज्ञानिकों की सामान्य रूप से सेवा स्थिति और उनकी शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए पहिले से नियुक्त समिति का पुनर्गठन करने की मांग की गई है;

(ख) क्या वर्तमान समिति के खराब रवैये पर पिछले अनेक वर्षों से वैज्ञानिकों में असन्तोष है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के पुनर्गठन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है तथा इस समिति का पुनर्गठन कब नक किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जीव रसायन प्रभाग की कार्य प्रणाली की जांच तथा इसके काम में विज्ञानियों द्वारा दिये गये सहयोग तथा इस प्रभाव की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए सिफारिशें करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त समिति के पुनर्गठन के लिए सुझाव दिये गये हैं।

(ख) क्योंकि समिति की स्थापना केवल मार्च 1979 में हुई थी। इसलिए पिछले अनेक वर्षों से विज्ञानियों के बीच असन्तोष का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समिति में दो विशेष विज्ञानियों को, जिनके नाम का प्रतिवेदन में उल्लेख है और जिन्हें वर्तमान अध्यक्ष तथा सदस्यों में से एक सदस्य के बदले सुझाया गया है उन्हें शामिल करने का सुझाव या दो विज्ञानियों को समिति में अतिरिक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित करने का सुझाव स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। फिर भी यह सुझाव है कि समिति को अधिक विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए देश के कृषि विश्वविद्यालयों से एक विज्ञानी को शामिल किया जाये। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की आशा है।

ईंटों और ब्लाकों का उत्पादन

15. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में पाई जाने वाली लेटराईट मिट्टी से ईंटें और ब्लाक बनाने के लिए कोई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था तथा क्या यह परियोजना मार्च, 1979 में समाप्त हो जानी थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुड़की ने भारतीय लेटराईट मिट्टी तथा लेटराईट से ईंटों तथा ब्लाकों के उत्पादन के विषय में कुछ वैज्ञानिक अन्वेषण किए हैं। रिपोर्ट 30 मार्च, 1979 को राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन को पेश की गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण-चीनी मिल

16. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1979 को देश में राज्यवार कितने रुग्ण चीनी मिल थे;

(ख) इसके क्या कारण थे; और

(ग) चीनी के इन रुग्ण मिलो को राहत देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) अलाभकारी पेराई क्षमता, कम वसूली, पेराई की कम अवधि, पुरानी मशीनरी, दोषपूर्ण प्रबंध आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से लगातार हानि होने के कारण

मिलें रुग्ण होती हैं। राज्य सरकारों को व्यक्तिगत फैक्ट्रियों के बारे में स्थिति का मूल्यांकन करना और ऐसी कार्रवाई के लिए विचार करना होगा जिसकी चीनी मिलों को फिर स्वस्थ करने के लिए आवश्यकता हो। उपयुक्त मामलों, में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कार्रवाई करने पर भी विचार किया जाता है। अच्छी सम्भाव्यता वाली मिलों के मामले में, आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध किए जाते हैं।

उड़ीसा में उर्वरकों की कमी

17. **श्री गण नाथ प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में किसानों की आवश्यकता के समय उर्वरकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राज्य में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) खरीफ 1979 के चालू मौसम के दौरान राज्य सरकार से उड़ीसा में उर्वरक की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, उसने आयातित उर्वरकों में से 6000 मीटर टन यूरिया और 4760 मीटरी टन अमोनिया सल्फेट के लिए मांग की है और उसे राज्य सरकार को आवंटित किया गया है। राज्य में उर्वरकों का वितरण करना राज्य सरकार का कार्य है।

नारायण विहार निवासी कल्याण संघ, दिल्ली द्वारा अभ्यावेदन

18. **श्री महती लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री नारायण विहार निवासी कल्याण संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के बारे में 14 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10547 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारायण विहार निवासी कल्याण संघ फेडरेशन दिल्ली विकास प्राधिकरण की पंजीकृत एजेन्सियों तथा नारायण विहार के 'ए' तथा 'आई' ब्लाकों की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि आयुक्त को दिये गये अभ्यावेदनों में उठाये गये मुद्दों का विवरण क्या है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) संलग्न अनुलग्नक-I में दिए गए विवरण के अनुसार।

(ख) संलग्न अनुलग्नक-II में दिए गए अन्य विवरण के अनुसार।

अनुलग्नक-I

लोक सभा के दिनांक 9 जुलाई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

भूमि आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण को नारायण बिहार रेजीडेन्ट्स वैलफेयर संघ

तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकृत अभिकरणों और ए० तथा आई० ब्लाक, नारायण बिहार की ओर से दिए गए अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे :

1. 'ए' ब्लाक, आबंटित दो मंजिले फ्लैटो (एम० आई० जी०) के विद्युत सेवा कनेक्शन के बिलों का छुपाया जाना ।

2. त्रुटियों को सुधारने सम्बन्धी छः महीने पहले पास किए गए आदेशों का कार्यान्वयन न करना ।

3. 1969 के दूसरे लाट में आबंटित किए गए दो मंजिले फ्लेटों (एम० आई० जी०) के 'ए' ब्लाक के आबंटियों के लिए स्कूटर शेडों का निर्माण ।

4. सामूहिक आवास, नारायण विहार, नई दिल्ली के 'एच' तथा 'आई' ब्लाक की भीतरी सड़कों के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को त्रुटि प्रभारों के व्यय का भुगतान ।

5. 1969 के दूसरे लाट में आबंटित किए गए (एम० आई० जी०) दो मंजिले फ्लेटों के प्रथम तल के आबंटियों के लिए एक छज्जे की व्यवस्था ।

6. नारायणा में औद्योगिक प्लाटों के आबंटन में बृहत् योजना के घोर अतिक्रमण की पूर्ण जांच ।

7. मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नारायण विहार के 'ए' ब्लाक में स्थानीय विपणन केन्द्र का निर्माण ।

8. परिष्कृत गार्डर, भारी मोटे और लम्बी छड़ें जैसे लोहे का सामान रख कर पैदल चलने वालों के लिए सड़क का अतिक्रमण ।

9. पायल थियेटर के समीप 46 दुकानों के सम्बन्ध में ।

10. मोतिया खान के व्यापारियों को लोहा मण्डी, नारायणा में अव्यवस्थित रूप से बसाना ।

11. आबंटियों से पंजीकृत अभिकरणों के अनुरक्षण प्रभारों की वसूली ।

अनुलग्नक-11

लोक सभा के दिनांक 9 जुलाई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

भूमि आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण को नारायण विहार रेजीडेंट्स वेलफेयर संघ तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकृत अभिकरणों और 'ए' तथा 'आई' ब्लाक, नारायण विहार की ओर से दिए गए अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई :

1. यह मुद्दा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से सम्बन्धित है न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से। इस मामले में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है ।

2. फ्लेट नं० ए०-48/11 के छज्जे की त्रुटियों को सुधारने के लिये आवश्यक व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। फ्लेट नं० ए०-50/11 के छज्जे में और कोई कार्य करना अपेक्षित नहीं समझा गया है। फ्लेट नं० ए०-48-ए०/11 के छज्जे के मामले में आवश्यक निरीक्षण किया जा रहा हैं।

3. दिल्ली विकास प्राधिकरण में इसकी जांच की जा रही है।

4. दिल्ली नगर निगम ने नारायणा के 'एच' तथा 'आई' ब्लाक की सड़कों के त्रुटि-प्रभारों के लिए 2,92,500.00 रुपये की मांग की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बैंक लेन के विकास के लिए 14,527 रुपये की राशि स्वीकृत कर ली है तथा दिल्ली नगर निगम को अदा कर दी है। 18-7-78 को म्युनिसिपल इंजीनियर, दिल्ली नगर निगम के कमसे में हुई एक बैठक में सड़कों में कमियों के बारे में मार्गनिर्देशनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि नारायण बिहार के 'एच' तथा 'आई' ब्लाक की त्रुटियों की लागत के प्राक्कलनों की वे जांच कर रहे हैं। दिल्ली नगरे निगम से विस्तृत प्राक्कलन प्राप्त हो जाने के पश्चात ही दिल्ली विकास प्राधिकरण इस मामले में आगे कार्रवाई कर सकता है।

5. निचली मंजिल के आबंटियों की यह प्रार्थना कि सामने के आंगन में खम्बे लगाकर छज्जे का निर्माण किया जाए, उचित नहीं समझी गई। अतः इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

6. दिल्ली विकास प्राधिकरण इस मामले की जांच कर रहा है।

7. जिस स्थल पर स्थानीय विपणन केन्द्र का निर्माण किया जाना है वह किसी अनधिकृत व्यक्ति के दखल में है और उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

8. दिल्ली नगर निगम तथा पुलिस द्वारा अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जिन्होंने पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है।

9 तथा 10. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि यह मांग स्पष्ट नहीं है। तथापि, उन्हें (डी० डी० ए०) मामले की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

11. आवास शाखा, दिल्ली विकास प्राधिकरण से आबंटियों को पंजीकृत अभिकरणों के बकाया का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी कर देने को कहा गया है।

ग्रामीण भंडार केन्द्रों के लिये कार्यदल की सिफारिशें

19. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री निहार लास्कर :

श्री ए० आर० बद्री नारायण : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भंडार केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा गठित कार्य-दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक विस्तृत योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, और

(घ) यदि नहीं, उनमें से कितनी रद्द की गईं है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) योजना अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) कार्यकारी दल की शिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं।

(घ) गोदामों की क्षमता और संख्या, सहायता के प्रतिमान, निर्माण और प्रचालन एजेंसो से सम्बंधित सिफारिशों में कुछ संशोधन कर दिया गया है।

सरकारी आवास में रह रहे भूतपूर्व सदस्य/भूतपूर्व मन्त्री

20. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों/भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जो 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक सरकारी बंगलों, मकानों और फ्लेटों में रहे और वह अवधि तथा तारीख भी बताई जाए जिस अवधि तथा तारीख तक वे उस आवास में रहे अथवा अभी रह रहे हैं जिसमें वे संसद से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद रहने के हकदार नहीं थे और यदि वे तब तक भी सदस्य अथवा मन्त्री रहे तो उस आवास के लिए उनके द्वारा अदा किये जाने वाला किराया कितना था और उसके बाद उनसे वसूल की गई किराए की राशि कितनी थी और प्रत्येक मामले में उस आवास के लिए बाजार दर पर निर्धारित किराया क्या था;

(ख) दिल्ली में भूतपूर्व संसद सदस्यों/मन्त्रियों को रिहायशी आवास के आवंटन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सरकार की नीति का ब्योरा और लागू होने वाले नियम क्या हैं; और

(ग) भूतपूर्व संसद सदस्यों/मन्त्रियों के कब्जे के मकान में काम करने वाले मालिकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाला व्यय कौन वहन करता है।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ?

(ख) भूतपूर्व संसद सदस्यों/भूतपूर्व मंत्रियों को वास आबंटित करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है।

फिर भी सदस्य न रहने की स्थिति में सरकारी वास को रखने की अनुज्ञेय अवधि एक मास हैं तथा किसी सदस्य की मृत्यु होने के मामले में अनुमेय अवधि दो मास है जिसकी शर्तें वही होती हैं जो उपर्युक्त घटनाओं में से किसी भी घटना के होने के तुरन्त पहले लागू थीं।

मन्त्रियों के सम्बन्ध में किराया मुक्त आधार पर वास को रखने की अनुमेय अवधि एक

मास है जो उस तारीख से गिनी जाती है जिस तारीख को वह मन्त्री पद से हट जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है।

(ग) प्रारम्भ में व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और एफ० आर० 45-ए० के अन्तर्गत सामान्य किराए की अपेक्षा अन्य दर पर किराया देने वाले दखलकारों से वसूल किया जाता है।

निर्माण-सामग्री की कमी

21. **श्री छत्र बहादुर क्षेत्री** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कम राज्य में छोटे पैमाने के एककों के निर्माण के लिए निर्माण-सामग्री की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) चूंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सिक्कम राज्य में छोटे पैमाने के एककों के निर्माण से संबंध नहीं हैं, अतः निर्माण और आवास मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है। सिक्किम सरकार का अपना लोक निर्माण विभाग है।

गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था

22. **श्री के० टी० कोसलराम** :

डा० विजय मंडल :

श्री दुर्गा चन्द : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उन सभी कठिन स्थिति वाले 1.53 लाख (प्राबलम) गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है जहां डेढ़ किलो मीटर की दूरी के भीतर पीने योग्य पानी का कोई स्रोत नहीं है;

(ख) उक्त योजना कितने राज्यों में चल रही है और इस पर कितनी राशि खर्च हो रही है; और

(ग) उक्त योजना देश-भर में कब तक लागू कर दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1977-78 से प्रारम्भ किये गये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल-पूर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य कुल 1.53 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों में से 1.13 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों में शीघ्रता से पेय जल की व्यवस्था करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता दी जाती

है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना संसाधनों को पूरा करके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत प्रगति को बढ़ाया जा सके ।

वित्त सहायता वाली योजनाएं सामान्यत: हैण्ड पम्प कनेक्शनों वाले खुदे हुए कुओं और कुछ मामलों में बड़े ग्रामों तथा ग्रामों के समूह में नल द्वारा जल पूर्ति की योजनाओं की वित्त व्यवस्था की जाती है । निवेश के प्रति एकक को व्यापक रूप से शामिल करने पर जोर दिया जाता है तथा इसी कारण कम लागत वाली योजना का समर्थन किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) समस्त देश में फैले हुए 1.13 लाख समस्याग्रस्त ग्रामों को लेकर यह योजना सम्पूर्ण देश के लिए है ।

1977-78 से दी गयी अनुदान सहायता आर्थिक शब्दों में निम्न प्रकार है :

1977-78	38.20 करोड़ रुपये
1978-79	60 करोड़ रुपये
1979-80	80 करोड़ रुपये (की व्यवस्था की गई है लेकिन चालू वर्ष की अवधि के दौरान मुक्त की जायेगी)

मंजूरी के लिए विचाराधीन पड़ी राजस्थान की सिंचाई योजनायें

23. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की उन सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं और वे किन तारीखों से विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) इन योजनाओं के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन योजनाओं के प्राक्कलन निर्णय में विलम्ब के कारण बढ़ते जा रहे हैं और यदि हां, तो प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि दी गई है; और

(घ) प्रत्येक योजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और उन पर काम कब शुरू हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान की उन सिंचाई परियोजनाओं की सूची जिनकी इस समय केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है. आयोग में प्राप्त होने की तारीख सहित विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रोफार्मा रिपोर्ट के रूप में प्राप्त होती हैं और जल आयोजन और उनकी अन्तर्राज्यीय पहलुओं की दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग में और आर्थिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की वित्त शाखा में जांच की जाती है । बृहद सिंचाई परियोजनाओं को विस्तार में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और फिर इन बृहद परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त निदेशालयों, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग की वित्त शाखा और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग में जांच की जाती है । उनकी टिप्पणियां संबंधित राज्यों को अनुपालन/उत्तरों के लिए भेजी जाती हैं । उत्तरों को और आगे

जांच की जाती है और जहां भी आवश्यक हो राज्यों से पुनः स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है।

(ग) जी, नहीं। बल्कि देश में सिंचाई और बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं : परियोजनाओं को तैयार करते समय अपर्याप्त अन्वेषण और धन का अपर्याप्त प्रावधान। परियोजनाओं के अनुमोदन के समय विस्तृत संवीक्षा से इस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

(घ) परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि परियोजनाओं को कितनी सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और राज्य सरकार केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर कितनी शीघ्रता से भेजती है।

विवरण-1

केन्द्रीय जल आयोग में जांच के अधीन राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	जांच की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
नई परियोजनाएं :			
	बृहद		
1.	गोसुन्दा सिंचाई परियोजना	4-8-75	राज्य के इंजीनियरों से अन्तिम उत्तर मई, 1979 में प्राप्त हुए थे। योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की जून, 1979 में हुई बैठक में इस स्कीम पर विचार किया गया था और स्कीम को स्वीकार्य पाया।
2.	सिधमुख सिंचाई परियोजना चरण-एक	10-1-79 26-2-79*	जांच की जा रही है।
3.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम चम्बल परियोजना चरण-एक	3-2-79 20-6-79*	-वही-
4.	बूंदी शाखा विस्तार स्कीम परियोजना चरण-एक	26-2-79 20-6-70*	-वही-
5.	चप्पी सिंचाई स्कीम	20-4-79	जांच की जा रही है। राज्य से परियोजना की रिपोर्ट की अतिरिक्त प्रतियां अभी आनी हैं।
6.	साबी सिंचाई स्कीम	20-4-79	-वही-
7.	नोहर (श्री गंगा नगर) सिंचाई परियोजना	20-6-79	जांच की जा रही है।

डेरी एककों के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से सहायता

24. **डा० पी० वी० परियासामी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार जिला मुख्यालयों तथा पंचायत संघों के मुख्यालयों में डेरी एककों की स्थापना करने की इच्छुक सहकारी संस्थाओं को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम का अपने राज्यों/सामूहिक संघों के जरिए दुग्ध सहकारी समितियों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने का विचार है, जो ऐसी डेरी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की तकनीकी वार्थिक क्षमता तथा इन सहकारी संस्थाओं के लिए अपेक्षित परिसंस्करण एवं विपणन की सुविधाओं और कृत्रिम गर्भाधान, पशु-चिकित्सा सेवाओं, संतुलित पशु आहार की सप्लाई, आदि तकनीकी आदानों के आधार पर दी जायेगी। इन कार्यक्रमों की वित्तीय सहायता आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत की जायेगी।

ग्रामीण सहकारी संगठन को सहायता के लिए डेरी सहकारी संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता शत-प्रतिशत अनुदान के आधार पर होगी, जिसमें समितियों के लिए उपकरण, कृषकों को शामिल करने का कार्यक्रम, रसायन, ईंधन, प्रबंधकीय सहायता, आदि शामिल हैं।

डेरी संयंत्रों, पशु-आहार संयंत्रों, आदि की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी सहायता 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के आधार पर प्रदान की जायेगी।

कर्मिकों के प्रशिक्षण, संयंत्र की व्यवस्था, आदि के लिए भी सहायता दी जायेगी।

सूखा तथा ग्रीष्म लहर से प्रभावित पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए राहत के रूप में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

25. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरन्तर सूखे और ग्रीष्म लहर के कारण विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में धान, जूट और गन्ने की फसल बहुत कम होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा राज्य के कुछ इलाकों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है और हजारों खेतिहर मजदूर बेरोजगार हैं;

(ग) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा अन्य ग्राम विकास योजनाएं उन्हें इस अभूतपूर्व सूखे के प्रभाव से बचा सकती हैं लेकिन गेहूं के अभाव के कारण काम के बदले अनाज कार्यक्रम तो स्थगित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा किये गए उपायों का ब्यौरा दें ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यद्यपि 1979-80 के दौरान अस धान, पटसन और गन्ना के अंतर्गत क्षेत्रों के अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि अपर्याप्त मानसून-पूर्व वर्षा के कारण विशेषकर पश्चिम बंगाल और कुछ सीमा तक बिहार और उड़ीसा में भी खरीफ की अगेती फसलों जैसे कि अस धान और जूट की बुवाई और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि मई और जून में उड़ीसा के दस जिलों से पीने के जल के अभाव की सूचना मिली है।

(ग) काम के बदले में अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को अब तक 75,000 मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त किया जा चुका है। तथापि, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम अनिवार्यत: एक विकास कार्यक्रम हैं और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न संकट से राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक राहत कार्यों के कार्यक्षेत्र और विषय वस्तु से भिन्न है। लघु कृषक विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी ग्रामीण विकास की अन्य स्कीमें, सिंचाई क्षमता का सृजन, भूमि संरक्षण के उपायों को अपनाने, शुष्क भूमि की खेती के तरीकों आदि के जरिए सूखे की स्थिति का सामना करने में लघु और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करती हैं।

(घ) राज्य सरकारों के अनुरोध पर, एक केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम का दौरा किया है और इसकी रिपोर्ट और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर पश्चिम बंगाल को 1025 लाख रुपये, असम को 461.50 लाख रुपए और मणिपुर को 261.91 लाख रुपये अग्रिम योजना सहायता के रूप में आबंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और असम को क्रमश: 5 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का लघु अवधि ऋण भी स्वीकृत किया गया है।

बिहार और उड़ीसा राज्य सरकारों ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। उन्होंने राहत व्यय की मार्जिन धनराशि सहित अपने ही स्रोतों से स्थिति का सामना कर लिया है।

डी० डी० ए० द्वारा जमीन की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव

26. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत और अनधिकृत कालोनियों के लिए भविष्य में आबंटित किये जाने वाले प्लाटों के लिए डी० डी० ए० द्वारा जमीन की कीमतों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नव निर्मित फ्लैटों की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

• (ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों की बिक्री लागत की

गणना निर्माण की वास्तविक लागत और प्रत्याशित देयताओं तथा विभागीय प्रभारों, ब्याज प्रभारों, प्रशासनिक, प्रभारों और भूमि की लागत जैसे ऊपरी प्रभारों के व्यय के आधार पर की जाती है। अतः बिक्री लागत भवन निर्माण सामग्री, मजदूरी और अन्य देयताओं की लागत में उतार-चढ़ाव के आधार पर बिक्री लागत घटती-बढ़ती रहती है।

बिहार में सूखे के कारण मक्का, पटसन तथा मूंग को क्षति

27. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार के उत्तरी भागलपुर, उत्तरी मुंगेर तथा पुर्णिया जिले में अभूतपूर्व सूखे के परिणामस्वरूप मक्का, पटसन तथा मूंग की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सूखाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययम करने के लिए वहां कोई अध्ययन दल भेजने और बिहार सरकार को राहत कार्य के लिए विशेष अनुदान देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) न तो इस प्रकार की कोई जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध है और न ही ऐसी सूचना बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार को बताई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली और कलकत्ता में व्यस्तता के घंटों में टेलीफोन कालों की प्रतिशतता

28. **श्री रूडाल्फ रोड्रिगस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान कलकत्ता में मिलाये जाने वाले टेलीफोन नम्बरों में से 10 प्रतिशत से कम नम्बर मिलते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस संबंध में दिल्ली टेलीफोन विभाग में भी हाल ही के महीनों में कलकत्ता प्रवृत्ति दृष्टिगत हो रही है;

(ग) क्या इस प्रवृति को ठीक करने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तुरन्त कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण डायल योजना

29. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता करने के लिए ग्रामीण डायल योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) क्या उक्त योजना चिन्तूर जिले में आरम्भ को गई थी ?

सचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास निधियों का नियतन

30. **श्री भानु कुमार शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम देने के लिये धनराशियों के नियतन में चालू वर्ष में कटौती कर दी गई है जिनके कारण दिल्ली में काम कर रहे उन कर्मचारियों को पर्याप्त कठिनाई हो रही है जिनको अनेक वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निमित्त मध्य आय समूह के फ्लैट आबंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जानी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री) (श्री राम किंकर) : (क) तथा (ख) वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान में मूलतः 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । तथापि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की गृह निर्माण अग्रिम देने की भारी मांग को देखते हुए नियतन 31 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में नई समूह गृह निर्माण समितियों का पंजीकरण

31. **श्री एस० आर० दामाणी** :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में नई समूह गृह निर्माण समितियों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब निर्णय किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) पंजीकार, सहकारी समिति, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि नई सामूहिक आवास सहकारी समितियों के पंजीकरण पर से प्रतिबन्ध उठा लिये जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है ।

महाराष्ट्र में पेयजल की कमी

32. **श्री बी० जी० हाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के उन गांवों में, जिनमें पेयजल की कमी अनुभव की जा रही है, पेयजल योजनाओं में सहायता करने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र के जिला नासिक में पेयजल की भारी दिक्कत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां। केन्द्र प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र सहित) को अनुदान सहायता न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना संसाधनों को पूरा करने के लिए दी जाती है ताकि वे समस्या ग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयलल की व्यवस्था तीव्रता से कर सकें।

(ख) नासिक जिले में भी समस्याग्रस्त ग्राम हैं तथा केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक जिले के 51 ग्रामों को शामिल करने के लिए 72.28 लाख रुपये की लागत को योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(ग) 1977-78 में 312.80 लाख रुपये तथा 1978-79 में 403.93 लाख रुपये की निधियां महाराष्ट्र को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई थीं। चालू वर्ष के लिए राज्यों को नियतन करने का निर्णय अभी किया जाना है। फिलहाल, यह निर्णय किया गया है कि अन्तिम नियतन किए जाने तक महाराष्ट्र को आरम्भ में 155 लाख रुपये की राशि तदर्थ आधार पर मुक्त कर दी जाए।

सूखाग्रस्त मणिपुर के लिये केन्द्रीय सहायता

33. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के भीषण सूखे से प्रभावित लोगों के लिए राहत के रूप में मणिपुर राज्य को कितनी और किस तरह की केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सहायता के लिये केन्द्र से अनुरोध किया था, यदि हां, तो उसने किस तरह की और कितनी सहायता मांगी थीं;

(ग) क्या सरकार उक्त राज्य में भीषण सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये दीर्घकालीन उपायों पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने 538.31 लाख रुपए की कुल मांग की है जिसमें से उन्होंने 338.68 लाख रुपए 'काम के लिये अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत और 199.63 लाख रुपए का अग्रिम योजना सहायता के रूप में प्रस्ताव किया है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिये मणिपुर का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट और राहत से सम्बन्धित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य को कुल 261.99 लाख रुपये की अग्रिम योजना सहायता आबंटित की गई है।

(ग), (घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार, राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। 1978-79 के दौरान लघु सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को 45 लाख रुपए का एक विशेष आबंटन किया है। राज्य में लकटक में कमान क्षेत्र विकास परियोजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दण्डकारण्य से भागे हुए लोगों का पुनर्वास

34. **श्री सौगत राय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य से भागे हुए शेष लोगों को मारीचझपी, सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दण्डकारण्य में उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, अपने स्थान छोड़कर आए सभी विस्थापित व्यक्तियों को मरीचझपी आरक्षित वन भूमि को छोड़ने के लिए समझाया गया है।

मरीचझपी छोड़ने पर इन लगभग 10,000 व्यक्तियों को आवाजाही शिविरों में ले जाया गया जहां इन्हें आश्रय, चिकित्सा सुविधाएँ, सफाई प्रबन्ध और नकद और सूखा खाना दिया जाता है। लगभग 400 व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को विशेष गाड़ियों से, आवाजाही शिविरों से पुनर्वास क्षेत्रों में भेज दिया गया है।

(ग) वापस आने पर राहत पाने वाले परिवारों को पुन: कमी शिविरों में प्रवेश दिया जाता है और बसाए गए परिवारों को उनके अपने-अपने पुनर्वास स्थलों पर ले जाया जाता है और उन्हें वापस आने वाले परिवारों के लिए लागू मंजूरियों के अनुसार पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है।

दिल्ली में बहुमंजिली इमारतें बनाने वालों के प्रति सरकारी एजेंसियों द्वारा पक्षपात किया जाना

35. **श्री अनन्त दवे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करने वाले कुछ लोगों ने जनता से करोड़ों रुपये लेकर जमा कर लिये हैं;

(ख) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय के भूमि तथा विकास स्कंध द्वारा ऐसे लोगों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया देखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन तीन सरकारी एजेंन्सियों के अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों को निष्प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं आये हैं। तथापि, दिल्ली में बहुमंजिले भवनों के कुछ प्रवर्तकों द्वारा कर अपवंचन के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं तथा आय कर बिभाग द्वारा इन मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संग्रहालयों को समेकित करने की योजनाएं

36. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल तथा कालेज दोनों ही स्तरों पर समूची शिक्षा प्रणाली में संग्रहालयों को समेकित करने की योजनायें बनाई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार को व्यवहार में लाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) देश में कितने बाल-संग्रहालय हैं; और

(घ) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बच्चों के लिये नये संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) संग्रहालयों की स्थापना का कार्य संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्यों का है। वर्तमान सग्रहालयों का उपयोग शैक्षिक कार्यों के वास्ते करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में सात बाल संग्रहालय हैं।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की प्रवेश परीक्षा

37. **श्री बृज भूषण तिवारी :**

श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में अंक बढ़ाए जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : (क) से (ग) जी हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में 1979 की प्रवेश परीक्षा में एक उम्मीदवार के सम्बन्ध में अंकों की आरोपित वृद्धि से सम्बन्धित एक शिकायत प्राप्त हुई थी इस शिकायत के प्राप्त होने से पहले भी भा० प्रौ० सं० द्वारा स्वयं इस मामले का पता लगा लिया गया था और उस पर तुरन्त कार्यवाही की गई थी। विवरण इस प्रकार है :

लिखे उत्तरों की जांच के दौरान, एक उम्मीदवार के गणित और भौतिकी के लिखे उत्तरों में अंकों में, की गयी गड़बड़ी ध्यान में आई थी। उम्मीदवार का परिणाम रोक लिया गया था और प्रारम्भिक जांच के आधार पर एक संकाय सदस्य निलम्बित कर दिया गया था। तत्पश्चात, एक पांच सदस्यीय जांच समिति, जिसमें बाहर के लोग भी शामिल थे, सारे मामले को जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, एक और संकाय सदस्य को निलम्बित कर दिया गया है और 2 निलम्बित संकाय सदस्यों तथा 3 अन्यों को आरोप पत्र दे दिए गए हैं। आरोप पत्रों के उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

हालांकि, यह एक इक्का-दुक्का मामला है, फिर भी कमियों को, यदि कोई हो, दूर करने के ख्याल से समवत संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे० ई० ई०) पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है।

दूसरे बांध के सर्वेक्षण के कारण बाण सागर बांध के निर्माण कार्य का रुक जाना

38. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर बांध के वर्तमान स्थल के अतिरिक्त राज्य सरकार ने उसके ऊपरी भाग की ओर एक दूसरा बाँध बनाने के लिए सर्वेक्षण के आदेश दिये हैं अथवा इस बारे में दिल्ली में बाण सागर बोर्ड को अथवा इस बांध के लिए बनाई गई कार्यकारी समिति को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य तब तक बन्द पड़ा रहेगा जब तक कि दूसरे बांध के लिए सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता और यदि हां, तो क्या जैसाकि प्रधान मन्त्री ने बताया है, 6 वर्षों में बाँध कार्य पूरा करना सम्भव हो सकेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकार ने सोन की ऊपरी पहुंचों में दूसरे बांध के सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। किन्तु, इसके बारे में बाण सागर नियंत्रण बोर्ड अथवा इसकी कार्यकारी समिति को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) बाण सागर बांध के वर्तमान स्थल पर निर्माण कार्य जारी रहेगा और इस कारण यह बन्द नहीं होगा। इस कार्य को 6 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

बोरियों की कमी के कारण अनाज की कम वसूली

39. **श्री गंगा भक्त सिंह :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तर्क पर किसानों से अनाज की वसूली निर्धारित दरों पर नहीं की जा रही है कि सरकार के पास बोरियों की कमी है और किसानों को अनेक दिन खरीद केन्द्रों पर प्रतीक्षा करने के बाद भी उचित मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अपने उत्पादों को दलालों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने और बोरियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी; और

(ग) क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार और दलालों से सांठ-गांठ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार को रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि बोरियों की अस्थायी कमी के कारण वसूली करने में कुछ विलम्ब हुआ था।

पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में हड़ताल होने के परिणामस्वरूप और उस राज्य में बिजली की भारी कमी के कारण वसूली एजेंसियों को पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय के माध्यम से बोरियों की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों और उनकी वसूली एजेंसियों को खुले बाजार से बोरियों की 37,950 गांठें खरीदने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ-साथ बंगला देश मे बोरियों की 45,000 गांठें आयात की गई थीं जिनमें से 35,000 गांठें इन राज्यों को आबंटित की गई थीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दालों के विश्वव्यापी उत्पादन में वृद्धि

40. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "टाइम्स आफ इंडिया" दिनांक 13 जून, 1979 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1977 की तुलना में वर्ष 1978 में दालों के विश्वव्यापी उत्पादन में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है : और

(ख) यदि हां, तो भारत में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। खाद्य तथा कृषि

संगठन ने बताया है कि उनके प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 1978 में हुआ लगभग 510 लाख मीटरी टन दालों का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से 7 प्रतिशत अधिक है।

(ख) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, 1977-78 में दालों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक हुआ था। वर्ष 1978-79 के लिए अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। किन्तु प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में उत्पादन 1.8 प्रतिशत अधिक हो सकता है।

गेहूं के भण्डार के लिए गोदामों की कमी

41. **चौधरी बलबीर सिंह** :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं के भण्डार के लिए गोदामों की कमी महसूस की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अधिक गोदामों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास अपनी और किराये की भण्डारण सुविधाएं, कुल मिलाकर, निगम के पास जिस मात्रा में स्टाक रखा है, उसके लिए पर्याप्त हैं। तथापि कुछेक क्षेत्रों में वसूली, संचलन और भण्डारण से सम्बन्धित कुछेक कमियों का पता चला है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) : (i) भारतीय खाद्य निगम ने विश्व बैंक की सहायता से 35.75 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित कार्य शुरू किया है।

(ii) आशा है कि विश्व बैंक की एक अन्य परियोजना के अधीन पंजाब और उत्तर-प्रदेश के राज्यों में वर्तमान वर्ष के दौरान एक लाख मीटरी टन की क्षमता को पूरा कर लिया जाएगा।

(iii) भारतीय खाद्य निगम ने गैर-सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहित करने विषयक ए० आर० डी० सी० की सहायता प्राप्त योजना के अधीन गैर-सरकार पार्टियों से भी 42.9 लाख मीटरी टन की क्षमता प्राप्त की है। उक्त योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी पार्टियां अपनी भूमि पर भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप और भारतीय खाद्य निगम को गारंटीबद्ध अभिभोग के आधार पर 3-5 वर्षों के लिए किराये पर देने के लिए गोदामों का निर्माण करती हैं। इस कार्यक्रम के अधीन उन राज्यों में, जहां पर स्थान की कमी महसूस की जा रही है, वहां अतिरिक्त निर्माण कार्य चल रहा है।

(iv) स्टैकों की ऊंचाई को बढ़ाकर वर्तमान भण्डारण क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(v) वसूली के चरम काल के दौरान भण्डारण की कवर और प्लिथ किस्म का इस्तेमाल करना।

सूखाग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय सहायता

42. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों से व्याप्त सूखे की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जो सूखे से प्रभावित हैं और उन राज्यों को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भारत सरकार को पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय राज्य सरकारों और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र से वहां विद्यमान सूखे की परिस्थितियों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। एक केन्द्रीय दल पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर का पहले ही दौरा कर चुका है और उसकी सिफारिशों तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति के निर्णयों के आधार पर पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर राज्य सरकारों को क्रमश: 1025 लाख रुपए, 461.50 लाख रुपए और 261.99 लाख रुपए की अग्रिम योजना सहायता आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और असम को क्रमश: 5 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण भी निर्मुक्त किए गए हैं।

आई० आई० टी० दिल्ली पर व्यय

43. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या शिक्षा, समाज और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आई० आई० टी० दिल्ली पर कितना व्यय किया है और उसमें से विदेशी सहायता से कितना व्यय किया गया है;

(ख) वहां कुल कितने छात्रों को शिक्षा मिली और वहां कितने अध्यापक नियुक्त हैं;

(ग) क्या आई० आई० टी० दिल्ली में बहुत सी मशीनरी है जो गत दो-तीन वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार को पता है कि आई० आई० टी० द्वारा सप्लाई किया जाने वाला भोजन बहुत घटिया स्तर का है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को पोषक-आहार नहीं मिलता है। यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) क्या यह सच है कि छात्रावास में कमरे बहुत छोटे हैं और उनमें फर्नीचर आदि नहीं है, यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गिर शरण स्थल में पशुओं की संख्या

44. **श्री कौतूभाई गामित** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई सिंहों के एक मात्र स्थल में सिंहों की संख्या के बारे में कोई गणना की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय जंगली पशुओं के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वहां कुछ और पशुओं को रखने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। शेरों तथा अन्य वन्य-प्राणियों की गणना मई, 1979 के दौरान की गई थी।

(ख) मई, 1979 की गणना के पश्चात जंगली पशुओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

शेर	—	205
तेंदुए	—	148
लकड़बग्घा		67
चीतल	—	8431
(चितीदार हिरन)	—	8431
सांभर	—	664
ब्ल्यू बुल	—	1968
(नीलगाय) जंगली	—	2000
चौसिंगा	—	1042
चिंकारा	—	319
बन्दर	—	6895

(ग) जी नहीं। गिर आश्रम —स्थल में और पशुओं को रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी निर्देश दिया जाना

45. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम के संबंध में मार्गदर्शी रूप रेखाएँ जारी की हैं।

(ख) मार्गदर्शी रूप रेखाओं के ब्यौरे अनुबन्ध में देखे जा सकते हैं। विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। तेतालीस विश्वविद्यालयों और 131 कालेजों को प्रारंभिक राशि दे दी गई है ताकि वे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार

कर सकें। 26 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एककों को स्वीकृति दे दी गई है। देश भर के 456 कालेजों से लगभग 5600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आयोजित करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्य एल. टी. 4583/79)

इन्डिया गेट और विजय चौक के बीच पड़ी भूमि की बिक्री

46. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया गेट और विजय चौक के बीच पड़ी अधिकांश 500 एकड़ हरित भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक व्यक्तियों को बेचने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेलों पर व्यय

47. **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

एशियाई खेलों का आयोजन करने पर भारत सरकार को कुल कितनी धनराशि खर्च करनी होगी।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : वर्तमान काल के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारत में 1982 में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन पर 21.00 करोड़ रुपये व्यय करने की सम्भावना है।

नगरीय कला आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र

48. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरीय कला आयोग के अध्यक्ष श्री भगवान सहाय ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने अपना त्याग पत्र मन्त्री के साथ अपने कुछ मतभेदों के कारण दिया; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

49. **डा० विजय मण्डल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बाकुरा तथा पुरुलिया जिलों के गांवों में पेय जल की अत्यन्त कमी को दूर करने के लिये उस क्षेत्र को कोई प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) पेय-जल पूर्ति की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। केन्द्रीय सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य के संसाधनों को पूरा करने तथा समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने को प्रगति तीव्र करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं बनाते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं।

मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

50. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में मध्य प्रदेश में विभिन्न चीनी-कारखानों की ओर गन्ना-उत्पादकों की जो बकाया राशि थी, उसका कारखानेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गन्ना-उत्पादकों को भुगतान शीघ्र कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान मौसम 1978-79 के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गये गन्ने के न्यूनतम मूल्यों को मध्य प्रदेश की चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय लेने तक, वे गन्ना उत्पादकों को तदर्थ आधार पर मूल्यों का भुगतान कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के प्रति गन्ने के बकायों की निम्नलिखित राशि बताई जाती है :

फैक्ट्री	15-6-1979 को 1978-79 के लिए गन्ने के बकाया (लाख रुपये में)
डबरा	23.03
दलौदा	9.88
महीदपुर	14.49
सेहोर	2.30 (7-6-1979 को)
जावरा	36.25
मोरेना	66.12 (15-4-1979 को)

क्योंकि 1977-78 के दौरान खरीदे गये गन्ने के मूल्य के संदर्भ में दलौदा, महीदपुर, जावरा और मोरेना की फैक्ट्रियों के गन्ने की बकाया राशि 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बढ़ गयी है,

इसलिए उन्हें चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन नोटिस जारी कर दिए गए हैं ।

पेय जल के लिये विश्व बैंक से ऋण

51. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा पेय जल सुविधाओं के लिये कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) उक्त ऋण का राज्यों में वितरण किस प्रकार से किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक ग्रुप द्वारा सहायता प्राप्त जल पूर्ति परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) उत्तर प्रदेश जल पूर्ति तथा मल-जल परियोजना (585-आई. एन.) इसमें 400 लाख डालर का आई. डी. ए. ऋण है ।

(2) बम्बई जल पूर्ति तथा मल-जल परियोजना (चरण-1) (390-आई. एन.) इसमें 550 लाख डालर का ऋण है ।

(3) बम्बई जल पूर्ति तथा मल-जल परियोजना (चरण-2) (842-आई. एन.) इसमें 1960 लाख डालर का ऋण है ।

(4) पंजाब जल पूर्ति तथा मल-जल परियोजना (848-आई. एन.) इसमें 380 लाख डालर का ऋण है ।

(5) महाराष्ट्र जल पूर्ति तथा मल-जल परियोजना, इसमें 480 लाख डालर का ऋण है । हाल ही में इस पर समझौता हुआ है और हस्ताक्षर कर दिये गये हैं । (यह परियोजना अभी प्रारम्भ की जानी है) ।

प्रत्येक परियोजना के सामने उल्लिखित जो ऋण राशि है वह प्रत्येक के लिए कुल ऋण है । जैसे-जैसे परियोजनाओं में प्रगति होती जायेगी और उन पर खर्च होता जायेगा, राज्य आवधिक रूप से अदायगी प्राप्त करते जायेंगे ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों के लिये एयर कंडीशनरों की व्यवस्था करना

52. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने अधिकारी, विभागवार और पदवार, एयर कंडीशनरों के लिये पात्र हैं;

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के पास कितने एयर कंडीशनर हैं;

(ग) ऐसे कितने उप सचिव तथा और अन्य अधिकारी हैं जिनके नाम रिकार्ड में नहीं हैं लेकिन उन्हें एयर कंडीशनर प्रदान किए गये हैं;

(घ) क्या ऐसी अनियमितताओं को रोकने की दृष्टि से सरकार द्वारा आरक्षित एयर कंडीशनरों की संख्या में कमी की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना अभी मन्त्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कटरा करीम खां, पहाड़गंज, नई दिल्ली के निवासियों को अतिरिक्त मकानों का आबंटन

53. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कटरा करीम खां, पहाड़गंज के निवासियों के पुनर्वास के बारे में 21 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या, उनके फ्लेटों की क्रम संख्या तथा उनके परिवार के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी-कितनी है जिन्होंने 1977 में बड़े परिवार होने के आधार पर अतिरिक्त मकानों की माँग की थी, और क्या उन्हें अतिरिक्त मकान आबंटित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें सम्भवतः कब तक उक्त मकान आबंटित कर दिये जायेंगे;

(ग) कितने व्यक्तियों ने गन्दी बस्ती आयुक्त को सूचित किया है कि राशन कार्ड के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है और उन्हें केवल दो फ्लैट ही आबंटित किये गये हैं; और

(घ) क्या ऐसे व्यक्ति अतिरिक्त मकानों का आबंटन पाने के पात्र हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय मंत्रियों के सरकारी निवासों का रखरखाव

54. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से 1978 तक वर्षवार मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के सरकारी निवासों के रख-रखाव और साज-सज्जा पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) इस व्यय में मितव्ययिता करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रखरखाव तथा साज-सज्जा के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खर्च किया गया है। व्यय में किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्ताव की जांच की जाती है और केवल उन्हीं प्रस्तावों को मंजूर किया जाता है जो पर्याप्त रूप से न्यायसंगत होते हैं।

विवरण

प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषद के सदस्यों के सरकारी निवासों के रखरखाव और साज-सज्जा पर 1975-76 से 1978-79 तक किये गये खर्च का विवरण ।

वर्ष	रखरखाव	वार्षिक मरम्मत और विशेष मरम्मत		साजसज्जा	नवीकरण प्रतिस्थापन और रखरखाव				कुल खर्च
	सिविल	विद्युत और वातानुकूलित	बागबानी	कुल 2+3+4	सिविल	विद्युत और वातानुकूलित	बागबानी	कुल 6+7+8	5+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1975-76	4,24,802	3,74,033	7,48,874	15,47,709	2,50,053	73	—	2,50,126	17,97,835
1976-77	4,59,046	4,45,786	7,84,710	16,89,542	3,04,383	27,457	—	3,31,840	20,21,382
1977-78	4,42,538	5,37,114	5,28,580	15,08,232	3,15,169	56,545	—	3,71,714	18,79,946
1978-79	3,62,082	6,12,797	5,53,859	15,28,738	2,56,053	54,339	—	3,10,392	18,39,130

आसाम में कृषि और भूमिगत जल की संभावना का अनुमान लगाने के लिये विश्व बैंक के दल की यात्रा

55. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने 1975-76 में राज्य की सिंचाई और अन्य कृषि संभावना का अनुमान लगाने के लिये आसाम की यात्रा की थी;

(ख) क्या इस दल ने केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन में ब्रह्मपुत्र घाटी के व्यापक भूमि जल संसाधनों का बिल्कुल भी उपयोग न किये जाने पर आश्चर्य प्रकट किया गया है;

(घ) क्या राज्य में अप्रयुक्त भूमि जल का विकास करने के लिये सहायता देने हेतु विश्व बैंक से आग्रह किया गया है; और

(ङ) क्या भूमि जल का प्रयोग करने के उपरोक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक ने स्वयं ही कुछ योजनाओं का सुझाव दिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने अनुसंधान और विस्तार संबंधी ऋण और आदानों तथा कमान क्षेत्र विकास और भूमिगत जल विकास कार्यक्रमों सहित सिंचाई के संबंध में विश्व बैंक से सहायता के लिये एक प्रस्ताव भेजा था। इस भूमिगत जल विकास योजना में चुनोंदा क्षेत्रों में 15,000 उथले नलकूप लगाने की व्यवस्था है। जैसा कि राज्य सरकार ने हाल में सूचित किया है कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त असम कृषि विकास परियोजना के एक भाग के रूप में 1977-78 से शुरू होने वाले कार्य के मौसम (फील्ड मौसम) के दौरान 12,500 उथले नल-कूप लगाने के लिये भूमिगत जल विकास योजना पहले ही से क्रियान्वित की जा रही है।

प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समिति

56. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी देने के कार्य में तेजी लाने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या हैं और प्रतिवेदन कब तक उपलब्धध हो जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के लिए एक छोटी सी समिति नियुक्त की है।

(ख) इस समिति के लिए कोई औपचारिक शर्तें निश्चित नहीं की गई हैं। प्रस्तावों पर

विचार करने के अलावा, समिति विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के प्रधानों के साथ विचार-विमर्श करती है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामान्यतया उनकी सहायता करती है।

केरल से खाड़ी के देशों को बछड़ों और बैलों के निर्यात पर रोक

57. **श्री एस. एस. सोमानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पड़ोसी राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक से बध हेतु खाड़ी देशों को भेजे जाने के लिये केरल को हजारों युवा बछड़े और वृद्ध बैल भेजे जाते हैं :

(ख) क्या व्यापार के लिये केरल एक ऐसा केन्द्र है जो भारतीय कृषि और कृषक वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचा कर पनप रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पशुओं के इस निर्यात को रोकने का है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों को खपाने के बारे में

58. **श्री के. ए. राजन** :

प्रो. समर गुह : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ से केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड के फालतू कर्मचारी खपाने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में लगाने के लिए कई ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं। केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों को यथासम्भव सीमा तक इस मन्त्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों में खपाने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। रोजगार महा-निदेशक से भी अन्य मन्त्रालयों के तहत सार्वजनिक उपक्रमों में स्टाफ को खपाने के लिए अनुरोध किया गया है। अन्य स्थानों में होने वाले पदों के लिए कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को उचित सिफारिशों के साथ उदार रूप से अग्रेषित किया जाता है। तथापि सार्वजनिक उपक्रम स्वायत्तशासी निकाय होते हैं और भरती के लिए उनकी अपनी नीति और नियम होते हैं जिनमें विशेष अर्हताएं, अनुभव आदि की व्यवस्था होती है। अब तक 84 कर्मचारियों को दूसरी नौकरियां मिल चुकी हैं। तथापि कार्य के अभाव में अनिश्चित काल तक कर्मचारियों को रखना संभव नहीं है परन्तु छंटनी के मामलों में नियमों के तहत स्वीकृत उचित सेवान्त लाभ दिये जायेंगे।

बाढ़ नियंत्रण के उपायों में प्रगति

59. **श्री रागावलू मोहनरंगाम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ नियंत्रण के उपायों के मामले में क्या निश्चित प्रगति हुई है और बाढ़ की विभीषिका, जिससे देश को भारी नुकसान हो रहा है, का सामना करने के लिए क्या तैयारी की गई हैं; और

(ख) गत छ महीनों के दौरान क्या नए उपाय किए गए हैं जिनसे बाढ़ के खतरे का सामना करने के प्रयासों में पर्याप्त प्रगति का परिचय मिलता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) नियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1954 से देश भर में बाढ़ नियंत्रण उपाय प्रारम्भ किए गए थे। तब से 10834 किलो-मीटर तटबंधों और 19168 किलोमीटर निकास चेनलों का निर्माण हो चुका है। 261 शहरों को सुरक्षा प्रदान की गई है और 4696 गांवों को बाढ़ स्तर से ऊंचा उठाया गया है। इन उपायों से लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हो गई है।

बाढ़ों को पूर्व सूचना देने और बाढ़ों से होने वाली क्षति का मुकाबला करने की दृष्टि से विभिन्न बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ सूचना सेवा गठित की गई है। यह सेवा लोगों और चल सम्पत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने और बाढ़ सुरक्षा उपायों को पर्याप्त रूप से निगरानी करने का प्रबंध करने के लिए समय पर कारंवाई करने को सुनिश्चित करेगी।

(ख) पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में आई अभूतपूर्व बाढ़ों के समय से बाढ़ पूर्वसूचना सुविधा को सुदृढ़ किया गया है और इस सुविधा को उन क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए प्रबंध किए जा चुके हैं जो पहले इसके अन्तर्गत नहीं आते थे। बाढ़ नियंत्रण कार्यों के क्रियान्वयन की गति में, विशेषकर भारत-गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में, तेजी लाई गई है। बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए प्रस्तावित परिव्ययों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। 1977-78 के दौरान रखे गए 100 करोड़ रुपये और 1978-79 के लिए रखे गए 126 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 1979-80 का परिव्यय 146 करोड़ रुपये है।

केवल इंजीनियरी उपायों को ही नहीं बलिक भू-संरक्षण, वनरोपण कार्यों को करने के लिए तथा वाटरशेड प्रबंध करने के लिए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की दिशा में एक बहु-विषयक कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। यह कार्यक्रम इस उद्देश्य के लिए गठित एक बहु-विषयक कार्य-कारी दल की शिफारिशों पर आधारित है। आगामी बाढ़ मौसम के लिए पक्के उपायों को तैयार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दम बृहद बाढ़ प्रवण राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी। इस संबंध में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची राज्य सरकारों को परिपत्रित कर दी गई है।

मौसम विज्ञान संबंधी और जल-वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में स्नोप्टिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए रिमोट सेन्सिंग और उपग्रह प्रौद्योगिकी (सेटलाइट टेक्नोलाजी) को भी उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया है।

खरीफ के अनाजों के लिये ऊंचे वसूली मूल्यों की मांग

60. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि आगामी मौसम के लिये खरीफ के अनाजों के वसूली मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से ऊंचे स्तर पर रखे जायें; और

(ख) यदि हां, तो कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये तथा विभिन्न राज्यों द्वारा मांगे गये वसूली मूल्यों का ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1979-80 खरीफ मौसम के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित मूल्य

(रुपये प्रति क्विटल)

किस्म	धान	मोटे अनाज
साधारण	90/-	85/-

राज्य सरकारों द्वारा मांगा गया मूल्य :

(रुपये प्रति क्विटल)

राज्य का नाम	धान की किस्म	धान	मोटे अनाज
पंजाब	आई. आर.	94/-	
हरियाणा	पी. आर.	189/-	110/- मक्का के लिए
	आई. आर. बेगमी	96/-	121/- बाजरा के लिए
	परमल	105/- 121/-	140/- मक्का के लिए
उत्तर प्रदेश	बासमती धान	90/-	90/-
आन्ध्र प्रदेश	साधारण/मोटे	120/-	—
तमिलनाडू	वही	130/-	—
उड़ीसा	वही	100/-	85/-
मध्य प्रदेश	वही	125/-	125/-
गुजरात	वही	100/-	90/- बाजरा के लिए
राजस्थान	वही	90/-	90/-
महाराष्ट्र	वही	142.46	132.90 ज्वार 173.19 बाजरा

गत पांच वर्षों से क्रियान्वित की जा रही सिंचाई योजनायें

61. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में उन बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जो गत पांच वर्षों से क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ख) उनके निर्माण-कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पांचवीं योजना के पहले की 54 बृहद और 45 मध्यम सिंचाई स्कीमें पिछले पांच वर्षों से क्रियान्वयाधीन हैं। स्कीमों के अन्त तक के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

लघु सिंचाई स्कीमों में लघु भूतल जल संचय और लिफ्ट सिंचाई स्कीमें तथा भूगत जल स्कीमें जैसे डगवेल, नलकूप, पम्पसेट आदि शामिल हैं। 1973-74 के अन्त तक और 1978-79 के भूगत जल के आंकड़ों की संख्या निम्नलिखित है :

	भूगत जल स्कीमों की संख्या	
	1973-74 के अन्त में	1978-79 के अन्त में
1. डगवैल '000' संख्या	'6700	7635
2. निजी नलकूप '000' संख्या	1140	1900
3. सरकारी नलकूप	22000	32400
4. विद्युत पम्पसेट ('000' संख्या)	2426	3600

(ख) स्कीमों के निर्माण में देरी होने के मुख्य कारण ये हैं : आवश्यक धनराशि की अनुपलब्धता, भूमि-अधिग्रहण में देरी और महत्वपूर्ण सामग्री जैसे सीमेन्ट, स्टील, कोयला और विस्फोटकों की कमी।

पांचवी योजना से पहले की स्कीमें जो पिछले पांच वर्षों से निर्माणाधीन हैं

आन्ध्र प्रदेश :

बृहद

1. नागार्जुन सागर
2. पोचमपाद
3. गोदावरी बराज
4. वमसधारा चरण-एक
5. तुंगभद्रा परियोजना परियोजना एच. एल. सी. चरण-दो

मध्यम

1. कानुपुर चैनल
2. पुलिन्वेन्दुला नहर

असम :

बृहद

शून्य

मध्यम

3. सुकला
4. कालियाबोर
5. लोगां

बिहार :

बृहद	मध्यम
6. गण्डक	6. उदरस्थान
7. कोसी	7. मुसकखण्ड
8. बागमती	8. पेमर बराज
9. पश्चिमी कोसी	9. बेलहारना
10. राजपुर नहर	10. जोब
11. सोन उच्च स्तरीय नहर	11. अजान

गुजरात :

बृहद	मध्यम
12. कडाना	12. बगद
13. साबरमती	13. सिंहोडा
14. दमनगंगा	14. चप्पाइवाडी
15. पानाम	

हरियाणा :

बृहद	मध्यम
16. गुड़गांव नहर	15. रिवाड़ी लिफ्ट
17. लोहारू लिफ्ट	
18. सेवानी लिफ्ट	

जम्मू और कश्मीर :

बृहद	मध्यम
शून्य	16. मारवाल लिफ्ट
	17. लोथपोरा लि4ट
	18. युसमार्ग
	19. नीयू करेवा

कर्नाटक :

बृहद	मध्यम
19. भद्रा	20. जम्बादाहाल्ला
20, मालप्रभा	21. तराका
21. अपर कृष्णा चरण-एक	22. हरिनाला
	23. सागरडोडाकेरे
	24. मंचेनवेले
	25. वोटेहाले

केरल :

बृहद

22. पेरियार घाटी
23. पम्बा
24. काललाडा
25. कुट्टियाडी
26. चित्तुरपुझा
27. कन्हीरपुझा
28. पझासी

मध्य प्रदेश :

बृहद

29. चम्बल चरण-एक
30. चम्बल चरण-दो
31. महानदी जलाशय
32. तवा

मध्यम

26. चन्द्रकेश्वर
27. सिंध व्यपवर्तन
28. पेरी

महाराष्ट्र :

बृहद

33. अपर गोदावरी
34. अपर तापी चरण-एक
35. खडकवासला
36. वारना
37. कृष्णा
38. जयकवाडी चरण-एक
39. कुकाडी चरण-एक
40. भीमा
41. मुला

मध्यम

29. अम्बा घाटी
30. हरणबारी
31. कालाजार
32. अनेर
33. चरागांव
34. अमलनाला

मणिपुर :

बृहद

42. लोकतक लिफ्ट सिंचाई

उड़ीसा :

बृहद

43. महानदी डेल्टा
44. आनन्दपुर बरांज

मध्यम

35. ओग
36. सुन्दर
37. साईपाला
38. काली
39. दादरा घाटी

पंजाब :

बृहद

45. शाहनेहर नहर के वीयर का व्यपवर्तन

राजस्थान :

बृहद

46. माही बजाज सागर
47. राजस्थान नहर चरण-एक

मध्यम

40. मेजा फीडर
41. हरीशचन्द्र सागर
42. भीम सागर

तमिलनाडू

वृहद

48. परम्बोकुलम एलियार

उत्तर प्रदेश :

बृहद

49. रामगंगा
50. शारदा सहायक
51. टिहरी

मध्यम

43. अदवा बांध
44. देहरोघाट सहायक
55. सरजु

पश्चिम बंगाल :

बृहद

52. मयूराक्षी
53. दामोदर घाटी निगम सिंचाई
54. कंसबती

हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त गेहूं

62. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की एक विशेष किस्म के "हिल बन्ट" रोग से प्रभावित होने के कारण हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाखों क्विटल गेहूं मानव उपयोग के अनुपयुक्त हो गया है और यह गेहूं चारे और दाने के रूप में भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो गेहूं को किस कीमत पर खरीदा गया था;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ऐसी गेहूं की पंजाब और उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में खरीद कर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इस सम्बन्ध में कुछ किसान भूख हड़ताल पर हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं करनल बन्ट से प्रभावित हुआ था। इस बन्ट

से प्रभावित गेहूं मानव उपभोग के उपयुक्त है बशर्ते कि संदूषण सुरक्षित सीमा से अधिक नहीं होता है।

(ख) और (ग) वर्तमान रबी वसूली मौसम के दौरान गेहूं की वसूली के लिए संगत निर्दिष्टियों के अन्तर्गत करनल बन्ट से प्रभावित गेहूं की प्रतिशतता एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रेड-1 गेहूं को 115/- रुपये प्रति क्विटल पर खरीदना होगा और ग्रेड-2 गेहूं का मूल्य 113/- रुपये प्रति क्विटल है। उत्तर प्रदेश में भी निर्धारित निर्दिष्टियों के आधार पर गेहूं की खरीदारी की गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शाहजहांपुर जिले में किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। तथापि, जब उन्हें गेहूं की निर्दिष्टियों के बारे में जानकारी दी गई, तब उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त कर दी।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधाए

63. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं देने के मामले में क्या निश्चित प्रगति हुई है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कम सम्पन्न लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऐसी सेवाओं को कम खर्चीली बनाने की वांछनीयता सरकार के ध्यान में है; और

(ग) इस दिशा में किसी व्यापक योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी क्रियान्विति के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गई है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवायें शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा पहले ही सस्ती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

अनुबन्ध 'क'

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधायें

1. ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सचेंजों के सम्बन्ध में अग्रिम जमा की संशोधित दरें:

एक्सचेंज की किस्म	अग्रिम जमा की राशि	अग्रिम जमा की संशोधित दर
सामान्य दर के एक्सचेंज :		
(क) 100 लाइनों से कम	800 रुपये	100 रुपये
(ख) 10 लाइनों से अधिक का हस्तचलित एक्सचेंज जो प्रतिबंधित घंटों में सेवा प्रदान करता है,	600 रुपये	100 रुपये

(ग) 20 लाइनों या उससे कम का हस्त-चल एक्सचेंज जो प्रतिबंधित घंटों में सेवा प्रदान करता है ।	400 रुपये	100 रुपये

2. टेलीफोन की मंजूरी के समय जमा जमानत की राशि पहले एक वर्ष के किराये के बराबर निर्धारित थी । यह राशि 600/- रुपये से 800/- रुपये में परिवर्तित हो गई और अब 100 लाइनों से कम की क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्र के एक्सचेंजों के मामले में इसे घटा कर 100/- रुपये कर दिया गया है ।

3. उपरोक्त 100/- रुपये के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता को वास्तविक टेलीफोन मिलने के समय 125/- रुपये और अदा करने होंगे ।

टीकमगढ़ तथा छतरपुर में मुख्य डाकघर भवन

64. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ शहर के मुख्य डाकघर का भवन तथा जाटवा तथा निवाड़ी के उप-डाकघरों के भवन उचित ढंग से कार्य करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं और क्या सरकार शीघ्र ही नये भवनों के निर्माण के लिये कार्यवाही करेगी :

(ख) नये भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) छतरपुर जिले में छतरपुर नगर में मुख्य डाकघर तथा खुजराहों में उप-डाकघर के भवनों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इनके निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद भी इनका निर्माण न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन भवनों का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) इस समय टीकमगढ़ का मुख्य डाकघर और निवाड़ी का उप-डाकघर किराये की इमारतों में स्थित हैं । जिस इमारत में टीकमगढ़ मुख्य डाकघर स्थित है उसमें परिवर्धन, परिवर्तन और कुछ बड़ी मरम्मत करने की आवश्यकता है । टीकमगढ़ मुख्य डाकघर और निवाड़ी उप-डाकघर के लिए विभागीय इमारतों को बनाने के लिए उपयुक्त जमीनों के प्लाट खरीदे जा रहे हैं ।

जाटवा नामक कोई उप-डाकघर नहीं है । तथापि, जाटरा नामक उप-डाकघर है । यह उप-डाकघर लोक निर्माण विभाग की इमारत में स्थित है । इस इमारत की मरम्मत की आवश्यकता है ।

(ख) टीकमगढ़ मुख्य डाकघर और निवाड़ी उप-डाकघर के लिए विभागीय इमारतों के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले कार्य को वर्ष 1980-81 के दौरान आरम्भ किए जाने की सम्भावना है । जाटरा उप-डाकघर जिस इमारत में स्थित है उसे डाक-तार विभाग ने खरीद लिया है । इस इमारत की मरम्मत और विस्तार के सम्बन्ध में होने वाला कार्य तभी क्रियान्वित होगा

जबकि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा डाक-तार विभाग को भवन का स्वामित्व प्रदान कर दिया जाए।

(ग) चूंकि छतरपुर मुख्य डाकघर और खुजराहो उप-डाकघर के लिए विभागीय निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और खर्च की मंजूरी जारी कर दी गई हैं। कार्य सौंपने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और शीघ्र ही यह कार्य अन्तिम रूप से पूरे होंगे।

(घ) कार्य सौंपने के बाद 8 महीनों के अन्दर छतरपुर मुख्य डाकघर के लिए भवन के निर्माण हो जाने की सम्भावना है तथा कार्य सौंपने के बाद 12 महीनों के अन्दर खुजराहो उप-डाकघर के लिए भवन के निर्माण हो जाने की सम्भावना है।

गेहूं का छिदरा कंडुवा (लूज स्मट) रोग

65. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चेतावनी दी है कि गेहूं का छिदरा कंडुवा होना, जो धूमिल फफूंदी जीवाणुओं के कारण बालों के काला होने से होता है, विगत कुछ वर्षों से फिर फैल रहा है;

(ख) क्या हाल ही में रिलीज की गई फफूंद-रोधी बहुत सी किस्मों के इस रोग से ग्रस्त होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिये कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान। हाल ही में गेहूं की कुछ रतुवारोधी अधिक उपज देने वाली रिलीज की गई किस्में जैसे अर्जुन, डब्ल्यू. एच. 711, प्रताप, डब्ल्यू. जी. 357, डब्ल्यू. जी. 377, डब्ल्यू. एच. 157, डब्ल्यू. एच. 147 आदि छिदरा कंडुवा से ग्रस्त होने वाली किस्में हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना में कार्यरत इन विज्ञानियों ने अनुसंधान कार्य अपने हाथ में लिया है।

(1) गेहूं की छिदरा कंडुवा रोधी प्रजातियां उत्पन्न करना :

(2) रोग की रोकथाम के लिए रासायनिक दवाएं तथा वैकल्पिक प्रणाली की उपयुक्त खोज।

गत वर्षों के परिणामों से यह पता चला कि यदि तीन रसायन यानी विटाविक्स, बेनलेट तथा वेविस्टोन नामक दवाओं से एक किलो गेहूं के बीजों को 2.5 ग्राम की दर से उपचारित किया जाये तो रोग पर पूर्ण नियंत्रण हो सकता है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा ताप उपचार, गर्म पानी से उपचार भी इस रोग के नियंत्रण के लिए विकसित किये जा रहे हैं।

मदर डेयरी दिल्ली के दूध के मूल्य में वृद्धि

66. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मदर डेरी, दिल्ली द्वारा सप्लाई किये जा रहे दूध के मूल्य में वृद्धि करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार ने मदर डेरी द्वारा सप्लाई किए जा रहे दूध के मूल्य में वृद्धि करने का कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों की स्थिति में सुधार

67. **श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिनके सिर पर छत तक नहीं है;

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है ?

.**शिक्षा, समाज, कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी)** : (क) यद्यपि हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते कि ऐसे बच्चों की कितनी संख्या है, जिनके सिर पर छत नहीं है। तो भी 1971 की जनगणना के अनुसार इस देश में "बिनाघर" के लोगों की संख्या 19.86 लाख थी। जनगणना में वर्गीकृत "बेघर" लोगों में वे लोग शामिल हैं, जिनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है और जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, रात में कहीं पर भी सो जाते हैं अथवा पटरियों पर, पार्कों में या खुली जगहों में बिना कोई झोपड़ी या वैसी ही कोई चीज बनाए रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुल आबादी का 4% है, यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 8. 0 लाख बच्चे बेघर हैं।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि महानगरों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के बारे में एक पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तो भी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य और कुपोषण संबंधी स्थिति को आंकने के लिए शहरी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध मैडिकल कालेजों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू करते समय 1976 में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली महानगरों में एक नमूने का सर्वेक्षण किया गया था। कुपोषण सबंधी सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित की गई आधार सामग्री अनुबन्ध-1 पर दी गई है। इन नगरों में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में किए गए बाद के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कलकत्ता को छोड़ कर इन नगरों में बच्चों की पोषाहार स्थिति में सुधार हुआ है।

(ग) वर्ष 1977-78 के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में 436 लाख बच्चों में से 4-11 वर्ष के आयु वर्ग में 145.2 लाख तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग में 290.8 लाख बच्चे अशिक्षित थे। प्राथमिक स्कूलों में स्कूल जाने वाले बच्चों, विशेपकर लड़कियों

की अधिकतम भर्ती करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम किया जाए, जोरदार प्रयत्न किया जा रहा है।

विवरण

	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
1. **मूलाधार सर्वेक्षण :**		**		
(क) अध्ययन की अवधि	10/76	10/76	11/76	8/76
(ख) 6 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत	62.2	18.4	45.2	58.9
(1) सामान्य कुपोषाहार	36.4	14.8	31.6	33.8
(2) गम्भीर कुपोषाहार	25.8	3.6	13.6	25.1
2. **प्रथम पुनरावर्ती अध्ययन :**				
(क) अध्ययन की अवधि	6/77	8/77	10/77	8/77
(ख) 6 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत	59.0	46.3	31.6	44.0
(1) सामान्य कुपोषाहार	42.4	29.3	22.1	34.0
(2) गम्भीर कुपोषाहार	16.6	17.0	9.5	10.0
3. **द्वितीय पुनरावर्ती अध्ययन :**				
(क) अध्ययन की अवधि	5/78	—	4/78	6/78
(ख) 6 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत	24.1	उपलब्ध नहीं हैं	19.0	35.5
(1) सामान्य कुपोषाहार	19.0		14.4	26.6
(2) गम्भीर कुपोषाहार	5.1		4.5	8.9

विवरणात्मक टिप्पणी : सामान्य कुपोषित : 3% या अधिक परन्तु 4% से कम भारत में हारवर्ड स्केल के 50वें परसेंटाइल की अपेक्षा कमी।

गम्भीर कुपोषित : हारवर्ड स्केल के 50वें परसेंटाइल की अपेक्षा भार में 4% या अधिक कम।

** सर्वेक्षण के समय काफी जनसंख्या उपलब्ध नहीं थी। अत: 8/77 में किए गए पुनावर्त सर्वेक्षण से तुलना नहीं की जा सकती।

स्कूलों में बच्चों का दाखिला

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1979 तक आठ राज्यों में 74 प्रतिशत बच्चों का प्रारम्भिक शिक्षा के लिए दाखिला नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह कमी और कम करने के लिये कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित राज्यों से अनुरोध किया गया है;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में छात्रों को अधिक शिक्षा देने और उसमें सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पूरी सहायता-राशि और मदद देने का आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और छठी पंच वर्षीय योजना में भी इन राज्यों को किसी प्रकार की सहायता-राशि और मदद दी जा रही है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने से संबंधित कार्य दल के निष्कर्षों के अनुसार, देश में दाखिल न हुए कुल बच्चों में से 74 प्रतिशत बच्चे 8 राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं। इसके कारण मुख्यतः निम्नलिखित हैं :

(1) स्कूल सुविधाओं विशेष रूप से पिछले, दूर-दराज तथा कम आबादी वाले क्षेत्रों में, स्कूली सुविधाओं की कमी।

(2) सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन जिसके कारण बच्चों को घरेलू कार्यों और माता-पिता की आय बढ़ाने में मदद करनी होती है और लड़कियों को सह-शिक्षा वाले स्कूलों में भेजने के लिए अरुचि।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूजित जन-जातियों के लोगों में आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन की विशेष परिस्थितियों का होना जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते।

(4) अभिभावकों में अपने बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व से संबंधित जानकारी का न होना।

(7) शिक्षा की असंतोषजनक कोटि, विशेष रूप से स्कूल का वातावरण, स्कूली पाठ्य-चर्या की असंगतता तथा पुस्तकीय स्वरूप और शिक्षकों में रुचि की कमी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) एक निश्चित समयावधि में, जो 10 वर्ष से अधिक न हो, प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति के एक भाग के रूप में कार्यदल ने ऐसे राज्यों के लिए, योजना के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यवस्थाओं के अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता की एक विशेष योजना के कार्यान्वियन की सिफारिश की थी। तदनुसार, "प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक

बनाने के लिए 9-14 ग्रायु-वर्ग के बच्चों के लिए ग्रनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाएं" की योजना को इस वर्ष (1979-80) से कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है जिसमें उठी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये तथा 1979-80 के लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। संबंधित राज्य सरकारों को, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रपने बजट में से कम से कम केन्द्रीय ग्रनुदान के बराबर राशि जुटानी होगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्ति पदोन्नति के बारे में कथित ग्रनियमिततायें

69. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 1976, 1977 ग्रौर 1978 के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संकाय के सदस्यों की नियुक्ति ग्रौर/ग्रथवा पदोन्नति के मामले में ग्रनियमितता के एक ग्रथवा ग्रधिक उदाहरण सरकार की जानकारी में लाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में उक्त उदाहरण लाने वालों का ब्यौरा क्या है ग्रौर सरकार को यह जानकारी कैसे ग्रौर कब दी गयी;

(ग) उक्त उदाहरणों के पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्रौर/ग्रथवा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने उपर्युक्त ग्रवधि में उसे दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो कैसे ग्रौर इसके क्या परिणाम निकले; ग्रौर

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : (क) से (ग) 29-11-1977 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में ग्रापातकाल के दौरान, दाखिलों, शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की सेवा समाप्ति ग्रौर छात्रों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई ग्रनियमितताग्रों के बारे में ग्रारोप सहित प्रधान मंत्री को सम्बोधित 55 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनके ब्यौरे निम्न प्रकार है :

	शिकायत का स्रोत	शिकायतों की संख्या
(i)	छात्र संघ, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ ग्रौर समान हितों वाले दल।	8
(ii)	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षक।	17
(iii)	विश्वविद्यालय का प्रशासनिक स्टाफ	14
(iV)	पीड़ित छात्र तथा बाहरी व्यक्ति	10
(V)	संसद सदस्य	2
(Vi)	ग्रज्ञात स्रोत	4

(घ) और ङ) प्रधान मन्त्री ने उच्च शिकायतों की प्रारम्भिक जांच की और अपनी रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए शिक्षा मंत्री को भेज दी। प्रधान मंत्री को रिपोर्ट के सम्बन्धित उद्धरण उन पर विचार करने तथा जहां कहीं सम्भव हो उपचारात्मक कारंवाई के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिए गए हैं। इस मामले पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विचार कर रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नयी दिल्ली के अंडरग्राउण्ड पालिका बाजार में दुकानों का आबंटन

70. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित अन्डरग्राउन्ड 'पालिका बाजार' में, दुकानों की संख्या कितनी है और उन पर क्या खर्च आया है;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित दुकानों की संख्या कितनी है तथा उनके लिए कितना किराया नियत किया गया है;

(ग) आरक्षित दुकानों के आबंटन के लिए अपनाया गया मानदण्ड क्या है; और

(घ) क्या ये दुकामें अधिकारियों की साठगांठ के कारण अनुसूचित जाति के लोगों के बजाय अन्य व्यक्तियों को आबंटित की गई हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने 'पालिका बाजार' में 314 दुकानें बनाई हैं और अभी तक 177 लाख रुपये खर्च हुये हैं।

(ख) छः ग्रुपों में 28 दुकानें निम्नलिखित मासिक लाइसेन्स फीस की दर पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थीं : –

ग्रुप नं०	प्रति वर्ग फुट प्रति माह दर
i	11.30 तथा 12.70 रुपये
ii	16.70 रुपये
iii	14.40 तथा 16.30 रुपये
iv	12.40 रुपये
v	16.00 रुपये
vi	19.20 रुपये

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा नियुक्त की गई तदर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर नगर पालिका ने स्वयं आबंटन किए थे ;

(घ) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल में 'कार्य के लिए भोजन' 'ग्राम कार्य' 'और ग्राम पुनर्वास' कार्यक्रम

71. **श्रीमती अहिल्या पी. रांगनेकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल सरकार की 2 लाख 40 हजार मीटरी टन गेंहूं की आवश्यकता केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी न किये जाने के कारण पश्चिमी बंगाल सरकार के 'कार्य के लिए भोजन', 'ग्राम कार्य' तथा 'ग्राम पुनर्वास' जैसे सभी कार्यक्रमों में बाधा पड़ रही है;

(ख) क्या इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि जब से पश्चिमी बंगाल सरकार ने ये कार्यक्रम आरम्भ किए हैं कार्य के लिए लोग शहरों और नगरों को नहीं भाग रहे हैं यद्यपि पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष बाढ़ से भारी क्षति हुई और हाल ही में वहां सूखा की स्थिति व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की पूरी सफलता के लिये राज्य सरकार को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार का आबंटन 1.40 लाख मीटर टन है और इसमें से वर्ष के पहले छ: महीनों के लिए 70,000 मीटरी टन की मात्रा पहले ही वंटित की जा चुकी है। राज्य सरकार के पास पहले ही पिछले वर्ष के वंटनों में से 25,000 मीटरी टन की उपयोग में न लाई गई मात्रा है। अत:, सामान्य 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' में बाधा पड़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। तथापि ग्राम पुनर्वास कार्यों के अन्तर्गत व्यक्गित लाभ भोगी योजनाएं काम के बदले अनाज कार्यक्रम का अंग नहीं है।

(ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बेरोजगारों तथा अल्प रोजगारों को उनके प्रवास के स्थानों के पास ही कार्य सुलभ कराए जाएं। यह उद्देश्य पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी सीमा तक प्राप्त कर लिया प्रतीत होता है।

(ग) किसी भी प्रकार के तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता की मुद्रित पुस्तक-सूची

72. **श्री दिनेन भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की मुद्रित पुस्तक-सूचियां बहुत पुरानी हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में नई पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें प्रतिदिन पुस्तकालय में आ रही हैं; और

(ख) पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को पुस्तक-सूची को अद्यतन बनाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : (क) जी, हां।

(ख) सूचीपत्र मुद्रित कराने में कुछ कठिनाईयां हुई हैं। तथापि, राष्ट्रीय पुस्तकालय अब अपने निजी रेप्रोग्रैफी प्रभाग में सूचियां मुद्रित कराने की व्यवस्था कर रहा है और आशा है कि मुद्रण का काम बकाया यथोचित समय में पूरा हो जाएगा।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के प्रबन्धकों तथा यूनियन के बीच समझौता

73. **श्री सामर मुखर्जी** : क्या **संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धकों और एच० टी० एम्प्लाईज यूनियन मद्रास के बीच 30 मई, 1979 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उक्त प्रबन्धक अब समझौते के पृष्ठ 4 पर एक वाक्य जोड़ना चाहते हैं जिसके कारण अधिकांश श्रमिक मंहगाई भत्ते की ऊंची दर पर किश्त पाने के अपने अधिकार से बंचित हो जायेंगे तथा इसके कारण श्रमिकों में बहुत अशांति है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) मजदूरी की दरों में संशोधन के बारे में हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स कर्मचारी संघ के बीच मजदूरी संशोधन के बारे में करार जैसा कुछ नहीं हुआ है। केवल 30 मई, 1979 को एक व्यापक समझौता हुआ था। इस समझौते के आधार पर बनाए एक करार का मसौदा कर्मचारी संघ को उनकी सहमति के लिए दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

74. **प्रो० समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा योजना विभिन्न राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो (i) विभिन्न राज्यों को आबंटित;

(ii) पहले से क्रियान्वित और

(iii) उनके समक्ष अनिर्णीत आवेदन पत्रों के बारे में ऐसी योजनाओं की संख्या सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने के मामले में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है;

(घ) क्या अनेक संगठनों ने जिनमें से कुछ संगठनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, पश्चिमी बंगाल में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के लिये आवेदन किया है;

(ङ) क्या इन आवेदन पत्रों पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की; और

(च) पश्चिमी बंगाल में स्थापित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है और उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने उन्हें प्रायोजित किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जो 2 अक्तूबर 1978 को आरम्भ किया गया था, राज्यों और संघ शासित द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य केन्द्रीय योजनाएं निम्नलिखित है :

(I) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं,

(II) प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रशासनिक पद्धतियों को सुदृढ़ करना।

(III) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता और,

(Iv) विश्वविद्यालयों/कालेजों के जरिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे और उनकी वित्तीय पद्धतियों के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है और प्रस्तावों पर प्रत्येक वर्ष विचार किया जाता है। प्राप्त प्रस्तावों और हुई प्रगति के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। राज्य-संघ/शासित क्षेत्र केन्द्रीय योजना का विभिन्न मात्राओं में लाभ उठा रहे हैं।

(ग) से (च) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

ग्रामीण निर्धनों को मकान

75. **श्री एम० बी० चंद्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री ए० आर० बद्री नारायण : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण निर्धनों को मकान उपलब्ध कराने के लिये उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि में इस उद्देश्य से राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता देगी;

(ग) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की योजनाओं से अब तक नगरों में रहने वाले लोग ही लाभान्वित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कितने मकान बनाये गये है; और

(ङ) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में निर्धन लोगों के लिये मकान बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्य और केन्द्र के बीच संयुक्त प्रयासों को करने के लिये कहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) 'आवास' राज्य का विषय है। ग्रामीण आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों की सहायता से स्व-सहायता के आधार पर किया जाना होता है। तथापि, सरकार ने इस मामले में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल की योजना का निष्पादन करना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को भूमि अर्जन करने तथा मकान बनाने के लिए 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में पृथक रूप से 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए राज्यों की मनोनीत एजेन्सियों को हुडको के जरिए वित्तीय सहायता देना;

(iv) स्थानीय भवन निर्माण सामग्रियों का अधिक उपयोग करते हुए कम लागत पर अधिक टिकाऊ और वृत्तिमूलक मकान बनाने राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन और उसके 9 क्षेत्रीय आवास प्रभागों के माध्यम से तकनीकी मार्ग निर्देशन देना;

(v) अपने मकानों की स्थिति में सुधार करने में ग्रामीण लोगों को प्रेरित करने के लिए देश के अलग-अलग भागों में चुनींदा गांवों में राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के ग्रामीण प्रभागों के माध्यम से पर्यावरणीय सुधारों के साथ-साथ प्रदर्शन मकान समूह बनाना;

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उनके सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो उनके किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है। राज्य सरकारें अपनी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार, ग्रामीण आवास सहित, विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए समेकित सहायता का उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि, वर्ष 197‥-80 के लिए आवास के अन्तर्गत 134.52 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 31.72 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग) चौथी योजना के अन्त तक, आवास योजनाओं के अधिकांश लाभभोगी नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे। केवल पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को मकान देने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे।

(घ) 31-3-1 79 तक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर, विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 7,98,101 मकान पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें से 67,083 मकान ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत हैं जो पृथक रूप से गांवों के गरीब लोगों के लाभ के लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के 76,54.409 परिवारों को भी आवास-स्थल दे दिए गए हैं। आवास तथा नगर विकास निगम की वित्तीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत

लगभग 4, 52,650 रिहायशी मकानों की मंजूरी दी गई है जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 1,17,780 रिहायशी मकान हैं।

(ङ) 'आवास' राज्य का विषय है, किन्तु समस्या की जटिलता और व्यापकता के कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान किया जा रहा है।

छठी योजना में तमिलनाडु में मकानों का निर्माण

76. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु को छठी योजनावधि में मकान निर्माण के लिये आबंटित 1538 करोड़ रुपये की राशि में से धनराशि की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार को कितनी राशि दी जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार से छठी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित आवास योजना का ब्यौरा देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त ब्यौरा दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मकानों का निर्माण किए जाने पर बल देने का अनुरोध किया है; और

(छ) छठी योजना के प्रथम दो वर्षों में राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु के विषय में पंच वर्षीय योजना 1978-83 के लिए आवास के अधीन परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, पंच वर्षीय योजना 1978-83 के पहिले दो वर्षों अर्थात् 1978-79 और 1979-80 के लिए तमिलनाडु हेतु आवास पर परिव्यय क्रमशः नौ करोड़ रुपये (संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपयों को शामिल करके) तथा 10.50 करोड़ रु० (आर० एन० एम० पी० के अन्तर्गत 1.70 करोड़ रुपयों को शामिल करके) है।

(ग), (घ) तथा (ङ) ये विवरण राज्य की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप तथा वार्षिक योजना प्रलेखों में उल्लिखित हैं जिनके आधार पर योजना आयोग परिव्यय को अन्तिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श करता है।

(च) तथा (छ) चालू योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के लिये मकानों के निर्माण पर बल दिया गया है। तदनुसार पंच वर्षीय योजना 1978-83 के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण आवास के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि की विशेषरूप से व्यवस्था की गई है। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान तमिलनाडु में आवास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 9 करोड़ रुपए (आर० एन० एम० पी० के लिए 1 करोड़) रुपए सहित) तथा 10.50 करोड़ रुपए (आर० एन० एम० पी० के लिए 1 करोड़ रुपये सहित) तथा 10.50 करोड़ रुपये (आर० एन० एम० पी० के लिए 1.70 करोड़ रुपए सहित) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

बड़ौदा में लगाई गई टेलैक्स मशीन

77. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में बड़ौदा में कितनी टेलैक्स मशीनें लगाई गई हैं;

(ख) उपरोक्त में से कितनों ने टेलैक्स की सुविधा लेने से इन्कार कर दिया है और टेलैक्स मशीनों को विभाग को वापस लौटा दिया है; और

(ग) इस सुविधा का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 88 ।

(ख) 14 टैलेक्स मशीनों को वापस लौटा दिया गया है ।

(ग) पार्टियों को यह सुविधा नहीं चाहिए ।

बंगलौर में दक्षिण राज्यों के आवास बोर्ड के अध्यक्षों का सम्मेलन

78. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1979 के 'दक्कन हैरल्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगलौर में हुये दक्षिण राज्यों के आवास बोर्ड के अध्यक्षों के पहले सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि आवास को योजना के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए और आवास बोर्डों को इस्पात, सीमेंट, कोयला, बिजली के तारों की सप्लाई के मामले में महत्व दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो अन्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) 31 मई, 1979 के दक्कन हैरल्ड की समाचार रिपोर्ट में इस सिफारिश का उल्लेख नहीं है । इस सम्मेलन द्वारा की गई कोई सिफारिश इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है । सिफारिशों के प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाएगी ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में प्रचार-एजेंसी

79. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सभी सरकारी निगमों, स्वायत्तशासी निगमों और अन्य स्वायत्तशासी एककों और डी० डी० ए० का ब्योरा क्या है और वर्ष 1977 और 1978 के लिए उनका प्रचार बजट कितना है;

(ख) किस विज्ञापन एजेन्सी द्वारा प्रचार और विज्ञापन के कार्य की देखभाल की जाती है और इस संगठन का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार कार्य को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से न किये जाने के क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक निगम/स्वायत्त निगम तथा अन्य स्वायत्त उपक्रमों के नाम	वर्ष के लिये प्रचार बजट 1977-78	1978-79	विज्ञापन एजेन्सी का नाम जिसके साथ प्रचार और विज्ञापन का कार्य किया जाता है और उनकी विश्वसनीयता	डी. ए. वी. पी. के जरिये विज्ञापन न भेजने के कारण
1	2	3	4	5
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)	79,910.00 रु० (वास्तविक व्यय) (1976-77 का वास्तविक व्यय 13,021.00 रु०)	अभी समेकित नहीं किया गया है।	मैसर्स न्यूफील्डस एडवरटाइजिंग प्रा० लि० 3/4, आसफ अली रोड, नई दिल्ली। यह एक अनुमोदित एजेन्सी है और डी. ए. वी. पी. के पैनल में है।	चूंकि प्रचार के कार्य के लिए लगाई गई एजेंसी डी. ए. वी. पी. के पैनल में है इसलिए डी. ए. वी. पी. के जरिये विज्ञापन भेजने की जरूरत नहीं थी। तथापि, जब कभी संभव होता है डी. ए. वी. पी. के जरिये विज्ञापन दिये जाते हैं।
हिन्दुस्तान प्रीफेन लि० (भारत सरकार का उपक्रम)	10,200.00 रु० (वास्तविक व्यय)	11,427.00 रु० वास्तविक (व्यय)	मैसर्ज इन्टरेड्स एडवरटाईजिंग प्रा० लि०, 4/24 ए, आसफ अली रोड, नई दिल्ली। यह एक अनुमोदित एजेन्सी है और डी. ए. वी. पी. के पैनल में है।	चूंकि प्रचार के कार्य के लिये लगाई गई एजेन्सी डी. ए. वी. के पैनल में है इसलिए डी. ए. वी. पी. के जरिए विज्ञापन भेजने की जरूरत नहीं थी।
आवास तथा नगर विकास निगम लि० (स्वायत्त-निगम)	17,000.00 रु० (वास्तविक व्यय)	35,000.00 रु० वास्तविक व्यय)	मैसर्ज कोनसिलियम लि० को हुडको को वर्ष 1978-79 में लोक सम्पर्क, परामर्श, प्लानिंग, डिजाइनिंग और लोक सम्पर्क सामग्री तैयार करने के लिए एक एजेन्सी के रूप में लगाया गया था।	विज्ञापन कार्य डी. ए. वी. पी. के जरिये करवाने के संबंध में सरकारी हिदायतें अगस्त, 1978 में प्राप्त हुई थीं।

1	2	3	4	5
दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्वायत्त निकाय) —	50,240.83 रु० (स्थापना की लागत पर वास्तविक व्यय)	64,763.61 रु० (स्थापना की लागत पर वास्तविक व्यय)	प्रचार कार्यों के लिए कोई विज्ञापन एजेन्सी नियुक्त नहीं की गई।	चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विज्ञापन अभिप्रेरणा संबंधी तथा निश्चित तारीख संबंधी होते हैं इसलिए इन्हें अल्प सूचना पर प्रकाशित किया जाना होता है जिससे कोई विलम्ब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इन्हें विज्ञापन एजेंसी के जरिये भेजना सुविधाजनक नहीं पाया गया।
जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड (स्वायत्त निकाय)	85,000.00 रु० (इश्तहार छपाने तथा एग्री-एक्सपो 1977 में पैवेलियन आयोजित करने पर हुआ वास्तविक व्यय)	228638.00 रु० (वास्तविक व्यय)	कोई प्रचार एजेन्सी नहीं रखी गई है।	सभी विज्ञापन डी. ए. वी. पी. के जरिये भेजे जाते हैं।
दिल्ली नगर कला आयोग (स्वायत्त निगम)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—वही—	इस आयोग द्वारा कोई विज्ञापन आदि नहीं दिया जाता है।

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

80. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों से भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इनके मूल्यों को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ताकि निम्न आय समूह के लोग अपने मकान बना सकें।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के पास उपलब्ध सूचना से ज्ञात होता है कि विगत दो वर्षों में बहुधा सभी भवन निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 और अप्रैल, 79 से लेकर जून 979 तक भवन निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्यो के सूचकांकों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्माण और आवास मंत्रालय भवन निर्माण सामग्रियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने अथवा उनके वितरण का कार्य नहीं करता है। तथापि, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन आवास के लिए इमारती लकड़ी की गौण किस्मों, विकृत छड़ों, बुझा चूना, पोजोलाना मिट्टी और एसफाल्ट नालीदार छत की चादरों जैसी एवजी सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों के प्रयोग के बारे में प्रचार करता रहा है।

विवरण

भवन निर्माण सामग्रियों के थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार 1970-71 = 100)

क्रम सं०	सामग्री	1976-77	1977-78	1978-79 (पी)	अप्रैल, 1979	मई, 1979	जून, 1979*
1.	ईंटें	344.4	299.6	314.2	343.9	328.5	343.7
2.	सीमेंट	173.6	176.	212.6	213.4	206.7	226.7
3.	लागूज और इमारती लकड़ी	155.3	220.3	303.7	366.7	362.0	365.2
4.	छड़ें और सलाखें (लोहा और इस्पात)	208.1	208.3	241.6	315.1	315.1	315.1
5.	शीट गलास	212.0	234.0	339.5	359.2	359.2	359.2
6.	सेनिटरी वेयर	199.1	203.2	231.9	244.2	244.2	244.2
7.	रंग और वारनिश	204.9	204.8	204.2	214.6	216.1	220.6

* जून, 1979 के चौथे सप्ताह के संबंध में हैं।

(पी) = अनन्तिम

स्रोत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।

विदेशी खेलकूद प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करना

8. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा. समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री सोवियत संघ तथा जर्मन जनवादी गणराज्य में चोटी के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के बारे में 19 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3726 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिये गत पांच वर्षों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी खेलकूद शिक्षकों की सेवाओं का किस सीमा तक उपयोग किया;

(ख) ये खेलकूद प्रशिक्षक किन-किन देशों से प्राप्त किये गये और किन-किन राज्यों/राष्ट्रीय संस्थानों ने उनकी सेवाओं का उपयोग किया राज्यवार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में भावी योजनायें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :
(क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में बच्चों को वर्दियों तथा किताबों की निःशुल्क सप्लाई

82. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों को वर्दियों तथा किताबों की निःशुल्क सप्लाई करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :
(क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अध्ययन करने वाले कमजोर वर्गों के छात्रों को कुछ शर्तों के अन्तर्गत वर्दियां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस समय निःशुल्क पुस्तकें सप्लाई करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, पात्र छात्रों को केवल उसी सत्र के लिए पुस्तक बैंक से पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

निशुल्क वर्दी प्रदान करने की योजना का उद्देश्य समाज के कम आय वाले वर्ग की सहायता करना है। इस समय वर्दियां उन छात्रों को दी जाती हैं जिनके माता-पिता की आय 500/- रु० प्रति माह से अधिक नहीं होती हैं। 1978-79 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लगभग 14,000 छात्रों को लाभ पहुंचा था।

राजस्थान नहर के निर्माण का लक्ष्य तथा उस पर खर्च

83. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के निर्माण को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या लक्ष्य रखे हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ख) इस नहर के निर्माण के लिए मूलतः खर्च के क्या अनुमान लगाये गये थे और अब वे कितने बढ़ चुके हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राजस्थान सरकार ने पहले राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी कार्यों के 1983-84 तक पूरा करने की परिकल्पना की थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के अब 1985-86 तक पूरा होने की आशा है।

(ख) 1957 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार परियोजना की लागत 66.40 करोड़ रुपये थी। चालू दरों पर अद्यतन मूल्यांकन लागत 400 करोड़ रुपये है जिसमें आयोजित सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के लिए अतिरिक्त कार्य, मुख्य नहर का संरेखन, सहायक और छोटी नदियां शामिल हैं।

लकड़ी और पत्ते जलाकर सौर-ऊर्जा का उत्पादन

84. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात कृषि विश्वविद्यालय इस समय लकड़ी और पत्ते जलाकर सौर-ऊर्जा उत्पादन करने के लिये अनुसंधान करने में लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार को गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के सौर-ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के अनुसंधान प्रयत्नों के बारे में जानकारी है। गुजरात सरकार ने एनर्जी प्लान्टेशन पर प्रायोजना के लिए विचार किया है तथा इस प्रायोजना को गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर ईंधन वृक्षों को लगाकर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तावित क्षेत्र के 200 एकड़ क्षेत्र को उर्जा प्लान्टेशन के अन्तर्गत लाया जायेगा।

इस ऊर्जा वृक्षों की बढ़वार तथा तापीय क्षमता के मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय का 5 विभिन्न किस्मों के पेड़ लगाने का सुझाव है। इस प्रायोजना के द्वारा प्राप्त किये गये आंकड़ों के विवेचनात्मक मूल्य निर्धारण के बाद, विश्वविद्यालय राज्य में कुछ विकेन्द्रित 4-5 मेगावाट पावर केन्द्रों (बिजली घरों) का निर्माण चालू करेगा। जहां कोयले के स्थान पर ऊर्जा स्रोत के रूप में ईंधन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जायेगा।

(ग) एनर्जी प्लान्टेशन पर प्रायोजना केवल एक सप्ताह पूर्व शुरू की गई हैं।

भंडार और परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण गेहूं की कम मूल्य पर बिक्री

85. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम के पास भंडार और परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण गत फसल के कटाई के मौसम में समस्त देश

में किसानों को गेहूं की बहुत कम मूल्य पर बिक्री करने पर मजबूर होना पड़ा था । इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में गेहूं की कम वसूली हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य की वसूली-एजेंसियों के पास भण्डारण की सुविधाओं की किसी कमी के कारण अथवा परिवहन की व्यवस्था न होने से चालू रबी विपणन मौसम 1978-79 में किसानों को गेहूं को बहुत कम मूल्यों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था । वास्तव में इस मौसम में देश में गेहूं की कुल वसूली एक नये ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है । 5 जुलाई तक, गेहूं की कुल वसूली लगभग 77.58 लाख मीटरी टन हुई है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 53.95 लाख मीटरी टन की वसूली हुई थी ।

रावी-व्यास पंचाट को कार्यान्वित करना

86. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा और पंजाब में रावी-व्यास जल निपटारे के बारे में केन्द्रीय सरकार का 1976 का पंचाट कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार का विचार मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन भारत सरकार द्वारा उसको आबंटित हिस्से के जल का समुपयोजन करने के लिए सतलुज-यमुना-लिंक परियोजना को तैयार किया है । इस परियोजना में पंजाब की सीमा से होकर जाने वाली एक लिंक नहर भी शामिल है । पंजाब ने इस आबंटन का विरोध किया है जबकि दूसरी तरफ, हरियाणा ने अनुरोध किया है कि मामले को फिर से न उठाया जाए और अनुरोध किया है कि पंजाब की सीमा में स्कीम को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए । भारत सरकार ने समझौता करवाने के प्रयत्न किए थे । हाल में, हरियाणा सरकार ने इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है ।

भारत-मैक्सिको सांस्कृतिक समझौता

87. **बी० डी० अमात :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1979 को भारत-मैक्सिको सांस्कृतिक समझौता सम्पन्न हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बात क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) : (क) और (ख) जुलाई, 1975 में भारत और मैक्सिको के बीच हुए सांस्कृतिक सहयोग

संबंधी करार के आधार पर दूसरे भारत-मैक्सिको सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर मई, 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे।

इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) शिक्षाविदों के आदान-प्रदान लेटिन अमेरिकी और भारतीय अध्ययनों, स्पेनिश और भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, पारस्परिक रुचि के विषयों पर संयुक्त सेमिनारों का आयोजन, क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों का विकास करने में सहयोग करना और एक दूसरे देश के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करके विश्व-विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग।

(2) प्रौढ़ शिक्षा और पूर्व-स्कूल बच्चों के लिए शैक्षिक तथा पोषक कार्यक्रमों के क्षेत्रों में सहयोग।

(3) नृत्य तथा संगीत मंडलियों और साथ ही साथ शिक्षा, कापी-राईट, पुरातत्व-विज्ञान, मानव-विज्ञान आदि के सम्बन्ध में सूचना और प्रकाशनों का आदान-प्रदान।

(3) सिनेमा, रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्रों में सहयोग, जिसमें रेडियो कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, एक दूसरे देश के राष्ट्रीय दिवसों पर विशेष रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण, वृत्त-चित्रों का आदान-प्रदान और एक दूसरे के देश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना शामिल है।

चीनी के नये कारखाने लगाने के लिये लाइसेंस दिया जाना

88. **श्री बाबा साहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री चीनी के नये कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी नीति के बारे में 7 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के नये कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) चीनी उद्योग कार्यकारी ग्रुप की अन्तिम रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है। सरकार 1978-83 की अवधि के लिए योजना को अन्तिम रूप देने के कार्य के एक अंग के रूप में उद्योग में नई क्षमता हेतु भावी लाइसेंस देने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेगी।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के स्थान पर अन्यों की नियुक्ति करना

89. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार मन्त्री इण्डियन** टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के स्थान पर अन्यों की नियुक्ति के बारे में 14 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10569 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के एककों में उन विभिन्न अधिकारियों के नाम एवं पद

क्या हैं जिनके सेवा काल में आगे वृद्धि की गई है अथवा जिनको पुनः नियुक्ति दी गई है, प्रत्येक मामले में सेवा काल में वृद्धि अथवा पुनः नियुक्ति कितने समय के लिये है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ख) इन अधिकारियों को क्या विशेष कार्य सौंपे गये हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी किस विशेषता के कारण इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा अधिवर्षता के पश्चात् उनको सेवा में रखा गया है;

(ग) इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज उनकी सेवा निवृत्ति के बारे में जानते हुए भी उनके स्थान पर अन्यों को अग्रिम रूप से प्रशिक्षित करने में किस कारण से असफल रहा है; और

(घ) उनका इस प्रकार के कदाचारों को रोकने तथा वित्त मंत्रालय-सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा इस बारे में जारी किये गये स्थायी आदेशों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के उन अधिकारियों का विवरण जिन्हें 14 मई, 1979 के बाद सेवा अवधि को वृद्धि दी गई है :

श्री एच० आर. के. राव प्रभागीय बित्त नियंत्रक का सेवाकाल 30 जून, 1980 तक बढ़ाया गया है। बंगलौर कम्पलेक्स के केन्द्रीय प्रभागीलेखा से सम्बन्धित अपने सामान्य काम के अलावा श्री राव नियमित कार्यालय का काम भी देखते हैं। पुनर्गठित व्यवस्था में इस पद के लिए कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं था। इसीलिए श्री राव के सेवाकाल को बढ़ाना आवश्यक हुआ।

श्री बेबी जान सहायक इंजीनियर का सेवाकाल 31 जुलाई, 1980 तक बढ़ाया गया। श्री जान प्रतिस्थापना कार्य के विशेषज्ञ हैं। इस समय श्री जान अम्मान और जोर्डन में आई० टी० आई० को मिले ठेके का काम पूरा कर रहे हैं। इस पद के लिए भी कोई उपयुक्त कार्यकर्त्ता नहीं था।

(ग) और (घ) आई० टी० आई० ने सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के साथ प्रशिक्षुओं को तैनात करने की व्यवस्था की है जिससे प्रशिक्षु कार्यविशेष को महारत मिल जाए और वे सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों का काम सम्भाल सकें। सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा तय निर्देशों के अनुसार सेवाकाल की वृद्धि तभी की जाती है जब इससे बचना संभव न हो सके।

राणा कंडोरणा, जूनागढ़ में टेलीफोन एक्सचेंज

90. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मन्त्री 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5294 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1979 में राणा कंडोरणा, झडवाला, थोपाणा, वालोत्रा, खीरसरा गांवों के लोगों ने डी० ई० टी० जूनागढ़ को एक आवेदन पत्र देकर कुतियाणा से लाइन लेकर राणा कंडोरणा में एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिये माँग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है और कब और कैसे ?

संचार राज्यमन्त्री श्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) राणा कंडोरणा में एक छोटा स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है । इसके लाभकारी पाए जाने पर इसे स्वीकृति दे दी जाएगी । छोटे स्वचल एक्सचेंज खोलने की योजनाओं को स्वीकृति तथा स्थापना में सामान्यत: 12 से 18 महीनों तक का समय लग जाता है ।

थाणे डाक मंडल का विभाजन

91. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान थाणे डाक मंडल का थाणे (पश्चिम) और थाणे (अवशिष्ट) महाराष्ट्र डाक मंडल में बंटवारा करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और नये मंडलों को कौन-कौन से क्षेत्र आबंटित किये गये है तथा दो नये मंडल कब से स्थापित होंगे;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : जी हां । थाणे डाक मंडल का बंटवारा कर नया डाक मंडल थाणे पश्चिम डाक मंडल के नाम से बनाने के लिए तारीख 2/7/1979 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं । नव निर्मित थाणे पश्चिम डाक मंडल के अन्तर्गत पश्चिम रेलवे मार्ग के सभी डाकघर जो पहले थाणे डाक मंडल के साथ-साथ संयुक्त भिवांडी और दांदेकरवाली डाकघर के हिस्से थे, आएंगे । शेष सभी डाकघर जो पहले थाणे डाक मंडल के हिस्सा थे अब शेष थाणे डाक मंडल के साथ जोड़ दिए जाएंगे जिसका थाणे केन्द्रीय डाक मंडल के नाम से पुनर्निर्मित किया गया है ।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए सस्ते मकान

92. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए वाटरप्रूफ मिट्टी की दीवार और फायरप्रूफ छप्पर वाले एक सादे मकान, जिसकी लागत 1500 रुपये से कम आयेगी, के नक्शे का ब्लाकों में ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सेवकों के द्वारा प्रचार किया है; और

(ख) ऐसे मकानों की राज्यवार संख्या क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत के कुछ मकानों का प्रचार किया है

जिनकी लागत प्रयोग की गई भवन निर्माण सामग्री की किस्म और अन्य घटकों के आधार पर 1500.00 रुपये से लेकर 3000.00 रुपए तक अलग अलग है। यह प्रचार कार्य राज्य सरकारों के अभिकरणों, आवास बोर्डों, जिलाधीशों/उपायुक्तों आदि के माध्यम से किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के क्षेत्रीय ग्रामीण आवास प्रभागों द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्मित तथा निर्माणाधीन प्रदर्शन मकानों की संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के क्षेत्रीय ग्रामीण आवास प्रभागों द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्मित तथा निर्माणाधीन प्रदर्शन मकानों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मित मकानों की संख्या	निर्माणाधीन मकानों की संख्या
1.	पश्चिम बंगाल	20	—
2.	गुजरात	58	60
3.	कर्नाटक	10	—
4.	जम्मू व कश्मीर	40	—
5.	मध्यप्रदेश	16	—
6.	तमिलनाडु	20	—
7.	असम	20	—
8.	राजस्थान	20	60
9.	उत्तर प्रदेश	—	10
10.	हरियाणा	—	20
11.	उड़ीसा	—	20
12.	त्रिपुरा	—	20
13.	दिल्ली	10	—
14.	पंजाब	21	18
15.	पांडिचेरी	10	—
16.	गोआ	10	—

काम के लिये अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक द्वारा मांगा गया खाद्यान्न

93. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'काम के लिए अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा 1978-79 और 1979-80 वर्षों के लिए केन्द्र सरकार से कितना खाद्यान्न मांगा गया है; और

(ख) 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) कर्नाटक सर-

कार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के लिये अपनी खाद्यानों की मांग 50,000 मीटरी टन तथा वर्ष 1979-80 के लिए 70,000 मीटरी टन सूचित की थी।

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य सरकार को 15,000 मीटरी टन खाद्यान्न (7,000 मीटरी टन गेहूं तथा 8,000 मीटरी टन चावल) बंटित किए गए थे और चालू वर्ष अर्थात 1979-80 के दौरान अब तक 23,000 मीटरी टन खाद्यान्न (13,000 मीटरी टन चावल तथा 10,000 मीटरी टन मोटा अनाज) बंटित किए गए हैं।

मनीपुर में पेयजल की कमी

94. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर, त्रिपुरा तथा पूर्वोत्तर के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की इतनी अधिक कमी है कि कुछ क्षेत्रों में पानी की एक बाल्टी एक रुपये में बिक रही है; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पेयजल के स्रोत बढ़ाने के लिए क्या योजनायें तैयार की गई हैं/केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) पेयजल पूर्ति की व्यवस्था करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व होने के कारण यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का काम है कि जहां समस्या अधिक जटिल हो उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर पेय जल की व्यवस्था करने के लिए योजनाएँ बनाएँ तथा उन्हें कार्यान्वित करें। केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को पूरा करने तथा समस्याग्रस्त ग्रामों में जलपूर्ति की व्यवस्था करने की प्रगति को बढ़ाने के लिए सहायता अनुदान देती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों को फिलहाल सूखा परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कुछ क्षेत्रों में जल की कमी अधिक जटिल बन गई है। कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय दल स्थिति का जायजा लेने और उसके उपचारात्मक उपाय निकालने के लिए इन राज्यों का दौरा कर रहा है और जहां तक पेयजल पूर्ति का संबंध है निर्माण और आवास मंत्रालय के एक सदस्य को इस दल में शामिल किया गया है।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सिंचाई योजना के बारे में राज्यों का मार्गदर्शी सिद्धान्त

95. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सिंचाई योजना के बारे में उनके मंत्रालय ने राज्यों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं;

(ख) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में राज्यवार अब तक कितने सर्वेक्षण कराये गये और कितनी-कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गईं; और

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों और उनके मन्त्रालय द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई योजना के बारे में मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

(1) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए मास्टर योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तत्काल ध्यान देना अपेक्षित है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि अगले 5 वर्षों में लघु सिंचाई कार्यों से उत्पन्न क्षमता को और अगले 10 से 15 वर्षों में बृहद और मध्यम परियोजनाओं से प्राप्त पूर्ण क्षमता को काम में लाया जा सके।

(2) कार्यक्रम के आयोजन तथा कार्यान्वियन के लिए भविष्य में मार्गदर्शन के रूप में लघु सिंचाई के बारे में विशिष्ट समस्याओं के संदर्भ में डिजाइन मैन्युअल तैयार किये जाएं।

(3) सिंचाई कार्यक्रमों को वाह्य-क्षेत्रों में भू-संरक्षण, वनरोपण, चरागाहों आदि के विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

(4) अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में विद्यमान टैंकों पर काफी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पुराने टैंकों की मरम्मत और पुराने निर्माण कार्यों जैसे हिमाचल प्रदेश में 'कुलहस' और मध्यप्रदेश आदि में जमींदारी टैंकों के पुनरूपण पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

(5) जबकि आदिवासी योजना क्षेत्र-आधारित योजना है, लाभों का केन्द्र बिन्दु आदिवासी लाभ भोगियों पर होना चाहिए। केवल एक ऐसे सिंचाई कार्यों को, जिनका आदिवासी भूमि में कमान क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक भाग हो, आदिवासी उप-योजना में शामिल करने के योग्य समझा जाना चाहिए।

(6) विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में आदिवासी भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिए परियोजनाएं तैयार करते समय विशेष कार्यक्रम भी बनाने होंगे। आदिवासियों के इस्तेमाल के लिए ऊपरी पहुंचों में भूमि के आरक्षण के विशेष मानदण्ड भी निर्धारित करने होंगे।

(7) बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की कमान में विस्थापित आदिवासियों तथा गैर-आदिवासी परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात, भूमिहीन आदिवासी परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) अन्वेषणाधीन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा और उन परियोजनाओं का जिन्हें आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है, ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) 1979-80 के लिए उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई के लिए धन के आबंटन को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में हाथ में ली गई तथा अन्वेषणाधीन परियोजनाओं की संख्या दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अन्वेषणाधीन परियोजनाओं की संख्या		निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या		अभ्युक्ति
		बृहद	मध्यम	बृहद	मध्यम	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	कुछ नहीं	10	कुछ नहीं	10	
2.	असम	कुछ नहीं	3	6	6	
3.	बिहार	3	7	3	13	
4.	गुजरात	4	1	4	4	
5.	मध्य प्रदेश	3	—	1	21	
6.	महाराष्ट्र	2	—	3	13	
7.	मणिपुर	—	—	1	2	
8.	उड़ीसा	4	—	7	8	
9.	राजस्थान	—	1	2	5	
10.	त्रिपुरा	—	2	—	—	
11.	केरल	—	—	—	1	

ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्री कालेजों के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया जाना

96. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री कालेजों के पाठ्यक्रमों को वातावरण के अनुरूप बनाने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन किन नए विषयों को प्रारम्भ किया जाएगा और इस प्रयोजना के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जायेंगी; और

(ग) नये पाठ्यक्रमों को अपनाने के इच्छुक कालेजों का चयन करने के लिए क्या पद्धति अपनाई जायेगी ?

शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्री कालेजों के पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार करने की एक योजना चला रहा है जिसके निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण पहलू हैं :

(1) प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को ग्रामीण वातावरण तथा समुदाय की विकासात्मक जरूरतों के और अधिक संगत बनना।

(2) शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव तथा उत्पादनात्मकता के साथ जोड़ना। पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम स्तर पर विद्यमान परम्परागत तीन विषय पाठ्यक्रमों को फिर से तैयार किया जाता है जिसमें तीसरा विषय, क्षेत्रीय/अभ्यास कार्य उन्मुख हो अथवा जिसका क्षेत्रीय/स्थानीय आवश्यकताओं और मांगों के साथ सुविधा संबंध हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया है, अर्थात् बागबानी, मत्स्य पालन, प्रयुक्त पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, मृदा विज्ञान, उर्वरक, डेरी विज्ञान, पादग संरक्षण, कृषि विपणन, फार्म प्रबन्ध, सामुदायिक विकास, ग्रामीण बैंकिंग ग्रामीण औद्योगीकरण आदि जैसे विषयों को प्रथम डिग्री स्तर पर अन्य परम्परागत विषयों के साथ छात्रों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

प्रारम्भ में कालेज, समाजविज्ञानों तथा अन्य विज्ञानों में एक-एक पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पत्रिकाओं और पुस्तकों की खरीद तथा अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च के वास्ते अधिकतम एक लाख रुपये का अनुदान देगा।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चुने गए अधिकांश कालेज सामान्यत: वे कालेज हैं जो कृषि विश्वविद्यालयों अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं जिससे कि इन विश्वविद्यालयों/केन्द्रों की अधिकतम सहायता, चुने हुए कालेजों को, ग्रामीण/अभ्यास उन्मुख नए विषयों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए उपलब्ध हो सके। कालेजों का चयन, इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विस्तृत रूप रेखा के अनुसार किया जाता है।

सरकारी आवासों का निर्माण

98. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आवास समस्या को देखते हुए छठी योजना के दौरान श्रेणी-iii तथा श्रेणी iv के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उपरोक्त योजना के अन्त तक कितने कर्मचारियों को आवास सुविधाएं प्राप्त हो जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सामान्य पूल में मकानों का निर्माण आबंटन हेतु वर्गीकृत मकानों के टाइपों के अनुसार किया जाता है। कर्मचारियों के वेतन के अनुसार आबंटन किया जाता है। श्रेणी iii और iv के कर्मचारी टाइप "ए", "बी" तथा "सी" क्वार्टरों के लिये पात्र होते हैं जिनका मापदण्ड निम्नलिखित हैं :

टाइप	वेतन पाने वाले कर्मचारी
ए	259.00 रुपये तक।

बी	260.00 रुपये से 499.00 रुपये तक।
सी	500.00 रुपये से 999.00 रुपये तक।

छठी योजना के दौरान सामान्य पूल के इन टाइपों के मकानों के निर्माण की संभावित संख्या लगभग 31,400 है।

(ख) छठी योजना के अन्त तक सामान्य पूल में सभी टाइप के मकानों की कुल संख्या लगभग 84,000 होगी। इसके अतिरिक्त, रेलवे, डाक-तार, रक्षा तथा अन्यों जैसे कुछ केन्द्रीय सरकारी विभागों ने अपने अपने पूलों के लिए मकानों का निर्माण किया है।

संचार मंत्रालय के कर्मचारियों को बोनस

99. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह रेलवे कर्मचारियों की बोनस की मांग संबंधी अद्यतन स्थिति पर जिस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है, निगाह रखे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अपने विभाग के कर्मचारियों को बोनस दिलवाने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) यह पूरा मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

महानगरों में टेलीफोन सेवा

100. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** :

श्री के० माया तेवर :

श्री अरविन्द बाला पजनौर :

श्री पी० एस० रामलिंगम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषकर महानगरों में टेलीफोन सेवाओं की बुरी तरह बिगड़ती हुई स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उन्नत देश होने के बावजूद इस शोचनीय स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) कुछ न्यूनतम कार्यक्षमता लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) देश में टेलीफोन सेवाओं की स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है। तथापि मुख्य शहरों में जनोपयोगी कार्यकलापों के विकास में हुई बढ़ोतरी के कारण भूमिगत केबुल जाल के कार्य में होने वाले नुकसान में बढ़ोतरी हो रही है। मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण केबुलों की टूट-फूट बढ़ जाती है।

(ग) इन समस्याओं के निराकरण हेतु और दूर संचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग निम्न कार्रवाई कर रहा है;

(1) टेलीफोन जिलों और दूरसंचार सर्किलों की बड़ी प्रणालियों में जंकशन और प्रारम्भिक केबुलों का दावीकरण।

(2) विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्राय: सड़क खोदने के कारण जहां केबुलों में टूट-फूट होती रहती है वहां नलियों के अन्दर केबुल बिछाना।

(3) वितरण जाल कार्य में जेली भरे केबुलों का प्रयोग।

(4) उपभोक्ताओं की लाइनों के लिए अवरोधित उर्ध्वस्थ तांबें की तारों का प्रयोग।

(5) ऐसे नये टेलीफोन यन्त्र विकसित करना जिसमें दोषों की गुंजाइश कम हो।

(6) एक्सचेंजों के बीच जंकशन कालों के लिए सूक्ष्म तरंग रेजिखे प्रणालियों का प्रयोग।

धान और मोटे अनाजों की अधिक वसूली मूल्य निर्धारित करने की मांग

101. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धान और मोटे अनाज के लिए बिक्री मौसम 1979-80 के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों से अधिक वसूली मूल्य के लिये अधिकांश राज्य सरकारों ने मांग की है;

(ख) यदि हां, तो धान और मोटे अनाजों के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और राज्यों ने क्या मांग की है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

1979-80 **खरीफ मौसम के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा अधिस्तावित मूल्य**

(रुपए प्रति क्विंटल)

किस्म	धान	मोटे अनाज
साधारण	...	85/-

राज्य सरकारों द्वारा मांगा गया मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य का नाम	धान की किस्म	धान	मोटे अनाज
पंजाब	आई. आर.-8	94/-	
	पी. आर.-106	109/-	110/- मक्का के लिए
	आई. आर.-8 बेगमी	99/-	121/- मक्का के लिए
	परमल	105/-	140/- मक्का के लिए
	बासमती	121/-	

राज्य का नाम	धान की किस्म	धान	मोटे अनाज
उत्तर प्रदेश	धान	90/-	90/-
आंध्र प्रदेश	साधारण/	120/-	—
तमिलनाडु	मोटे	130/-	—
उड़ीसा	,,	100/-	85/-
मध्य प्रदेश	,,	125/-	125/-
गुजरात	,,	100/-	90/-
राजस्थान	,,	90/-	90/- मक्का के लिए

आपरेशन फ्लट-2 के अधीन बटर आयल, वनस्पति तेल तथा खाद्य पदार्थ

102. **श्रोम प्रकाश त्यागी :**

डा० रामजी सिंह :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारत को विदेशों से कितने मूल्य का बटर आयल, वनस्पति तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होने की आशा है;

(ख) क्या इन पदार्थों के अधिकाधिक उपयोग के लिये अथवा अधिक डेरियां स्थापित करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) उक्त योजना से राज्य-वार कितने ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेशन फ्लड-2 के लिये उपहार स्वरूप केवल 1,86,000 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण तथा 76,200 मीटरी टन बटर आयल दान देने के लिये सहमत हुआ है। विदेशों से आपरेशन फ्लड-2 के तहत अन्य कोई खाद्य सामग्री प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिन्सों के पुनर्मिश्रण द्वारा 206 करोड़ रुपये की धनराशि सृजित होने की आशा है।

(ख) जी हां। राष्ट्रीय डेरी परियोजना का आपरेशन फ्लड-2 तैयार किया गया है और इस परियोजना को उपर्युक्त जिन्सों से पुन: तैयार किए गए दूध की बिक्री से आंशिक रूप से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

(ग) कृषक परिवारों की संख्या के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आपरेशन फ्लड-2 के तहत लाभ प्राप्त करने वाली राज्यवार ग्रामीण जनता के बारे में विवरण।

राज्य का नाम	कृषक परिवारों की संख्या
1. जम्मू तथा कश्मीर	1,50,000
2. पंजाब	8,50,000

राज्य का नाम	कृषक परिवारों की संख्या
3. हिमाचल प्रदेश	1,35,000
4. हरियाणा	5,50,000
5. राजस्थान	14.30,000
6. उत्तर प्रदेश	14,45,000
7. महाराष्ट्र	4,45,000
8. गुजरात	11,80,000
9. मध्य प्रदेश	2,90,000
10. कर्नाटक	8,25,000
11. तमिलनाडु	2,65,000
12. आन्ध्र प्रदेश	9,30,000
13. बिहार	8.20,000
14. पश्चिम बंगाल	5,75,000
15. असम तथा मेघालय	2,25,000

सौराष्ट्र के कोलकी टेलीफोन एक्सचेंज में अनिर्णीत टेलीफोन कनेक्शन

103. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट जिले के उपलेटा ताल्लुके में नागवदर गाँव के दो टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कोलकी टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कोलकी टेलीफोन एक्सचेंज में अनिर्णीत पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ये कब से अनिर्णीत हैं और इसके लिये कहां और कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ग) नागवदर के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे जिनक आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने में किन कारणों से विलम्ब किया जा रहा है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) दो कनेक्शन क्रमशः तारीख 21-3-78 और 18-12-78 से अनिर्णीत पड़े हैं। उपरोक्त तारीखों को दोनों व्यक्तियों ने 800/- रु० उपलेटा डाकघर में जमा कराए थे।

(ग) और (घ) ये लम्बी दूरी के कनेक्शन हैं जिसके लिए भारी मात्रा में लाइन स्टोर की आवश्यकता है जो उपमण्डल धोरजी में आवश्यक लाइन स्टोर उपलब्ध होने पर ही लम्बी दूरी के कनेक्शनों के लिए अनिर्णीत पड़ी हुई प्रतीक्षा सूची में उसकी बारी आने पर ही उपलब्ध हो सकेगा।

बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों और स्कूलों में दाखिले

104. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों और स्कूलों में दाखिले की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रेणुका देवी बरकटकी):

(क) और (ख) बड़े शहरों के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में दाखिला की समस्या केवल अंकों की ही नहीं बल्कि विशिष्ट संस्थाओं और पाठ्यक्रमों के लिए पसन्द की अधिक है जबकि छात्र आवश्यक तौर पर अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धियां भी नहीं रखते हैं।

विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों और कालेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विश्वविद्यालय न्यूनतम शर्तें निर्धारित करता है और प्रत्येक संस्था के विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानाभाव की शर्त पर न्यूनतम शर्तें पूरी करने वाले छात्र, सामान्यत: दाखिल कर लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त काफी विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है और छात्रों को परीक्षाओं में प्राइवेट तौर पर बैठने की भी अनुमति दी जाती है।

अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में स्कूल तथा कालेज शिक्षा की सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है और इससे सम्बन्धित किसी भी समस्या का समाधान उनके ही द्वारा किया जाता है। तथापि, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि उपलब्ध संसाधनों को देख कर की जाती है। इसलिए शत प्रतिशत आधार पर दाखिला सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षण नीति के प्रारूप पर विचार गोष्ठी

105. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

श्री नरेन्द्र सिंह : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान उस विचार गोष्ठी के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए इंडिया इन्टर नेशनल सेन्टर में आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) जी हां।

(ख) सेमिनार की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है।

डाक व तार विभाग में अनुशासन में कमी

106. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार विभाग के डाक और संचार उपविभागों में अनुशासन में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय : (क) जी नहीं। लेकिन डाक-तार विभाग में अनुशासन के कुछ बिरले मामले हैं।

(ख) स्थिति की मांग के अनुसार हर मौके पर निपटने के लिए सरकार के वर्तमान निदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान को सड़े-गले अनाज की सप्लाई

107. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुछ भागों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां 'काम' के बदले 'अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत, मई तथा जून के महीनों म भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सड़ा-गला अनाज सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि बेहतर किस्म का गेहूं सरकारी मूल्यों से भी कम मूल्य पर बाजार में उपलब्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी गेहूं मनुष्यों के खाने लायक नहीं है; और

(घ) क्या सरकार इस गेहूं को वापस लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना की लोकप्रियता समाप्त न होने पाए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह सम्भव है कि बाजार में अच्छी किस्म का गेहूं उपलब्ध था। तथापि, यह कहना ठीक नहीं है कि यह कम से कम मार्च, 1979 के अन्त तक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात और राजस्थान में बसाये गये पाकिस्तान से आए शरणार्थी

108. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1971 के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान से भारत आये लोगों में से कितनों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है;

(ख) राजस्थान तथा गुजरात में स्थायी रूप से बसा दिये गये ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उनकी संख्या कितनी है जो अभी तक शिविरों में रहते हैं;

(ग) इन सभी लोगों को कब तक स्थायी रूप से बसा दिया जाएगा; और

(घ) अब तक कितना व्यय किया गया है और आगे कितना व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गुजरात और राजस्थान में 48,994 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है।

(ख) गुजरात और राजस्थान के राहत शिविरों से लगभग 15,000 विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया गया है और शेष लगभग 38,700 व्यक्ति शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) इन्हें यथाशीघ्र बसा दिया जाएगा।

(घ) इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपए (अस्थायी) की लागत की योजनाएं मंजूर की गई हैं और इसमें से अब तक 1.9 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के लिए मानदंड

109. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने के लिए सरकार ने क्या मानदंड अपनाया है; और

(ख) सरकार के पास कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं तथा उन स्थानों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) विस्तृत सूचना अनुबंध में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने हेतु नीति

स्थानों की श्रेणियां :

(1) जिला मुख्यालय,

(2) उप मंडलीय मुख्यालय,

(3) तहसील मुख्यालय,

(4) उप तहसील मुख्यालय,

(5) ब्लाक मुख्यालय,

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने हेतु शर्त :

घाटे का ध्यान न देकर के भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(8) **ग्राम रास्ते से दूर के स्थान :**

(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (करीब दूरी) होनी चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(9) **पर्यबनार्थ केन्द्र/कृषि सिचाई/परियोजना/स्थल/नगर**

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित, राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(10) **सभी अन्य स्थान :**

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दिशा में गारंटी के आधार पर

नोट—1. जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। केवल आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय गांव से 10 कि० मी० अर्द्ध व्यास के वृत्त में आए हुए सभी गांव समूहों पर विचार किया जा सकता है।

पुरातत्व विभाग के अधीन धार्मिक स्थानों का सार्वजनिक प्रयोग

110. **श्री राम सागर**

श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुरातत्व विभाग के अधीन धार्मिक स्थानों के सार्वजनिक प्रयोग के लिए अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण और आधार हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोक मेहता समिति की सिफारिश को अस्वीकार करना

111. **श्री सी० आर० महाटा :**

श्री भागीरथ भंवर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायत राज संस्थानों संबंधी बैठक में मुख्य मंत्रियों द्वारा अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मुख्य मंत्रियों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर जनमत तैयार करने के लिए मई, 1979 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई मुख्य मन्त्रियों की बैठक में इसकी मुख्य सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया था जब कि इन पर सामान्य सहमति थी—(1) पंचायतों को होने की आवश्यकता जिन्हें सामान्यत: अधिक्रांत नहीं किया जाना चाहिए, (2) पंचायतों के शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा वित्त का प्रत्यायोजन और (3)कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु उपबन्ध। कुछ अन्य मुख्य सिफारिशों के बारे में जनमत उनको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। बाद वाली सिफारिशें तथा मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में तैयार हुआ जनमत नीचे विवरण में दर्शाया गया है :

सिफारिशें	जनमत
1. पंचायती राज संस्थानों का ढांचा :	
द्वि-स्तरीय पंचायती राज ढांचा होना चाहिए अर्थात जिलास्तरीय जिला परिषद और 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाली मण्डल पंचायत। विद्यमान पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को क्रमश: जिला परिषदों और मण्डल पंचायतों की गैर-सांविधिक कार्यकारी समितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।	मण्डल पंचायतों की संरचना को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, सहमति यह हुई कि हालांकि बड़े राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अर्थात् पचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो सकती है, परन्तु छोटे राज्यों में द्वि-स्तरीय पद्धति अर्थात् ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होनी चाहिए।
2. चुनाव और राजनीतिक दलों का भाग लेना :	
(1) विभिन्न निकायों की अवधि 4 वर्ष होनी चाहिए। (2) सभी निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव साथ-साथ होने चाहिए। (3) पंचायती राज चुनावों में साजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए।	प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकते हैं तथा उसके बाद के स्तरों को अप्रत्यक्ष चुनावों से पूरा किया जा सकता है। जैसी कि कुछ राज्यों में प्रथा है, सरपंचों और ग्राम पंचायतों के सर्वसम्मत चुनावों के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। समिति और जिला परिषद स्तरों पर राज्य विधान सभाओं के सदस्य और संसद सदस्यों को पंचायतीराज संस्थाओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। तथापि, राजनीतिक दलों को ग्राम पंचायतों के चनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। पचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए।
3. सांविधिक संशोधन :	
पंचायती राज संस्था समिति ने कुछ सत्रों में दिए गए सुझाव पर विचार-विमर्श किया है कि	राज्यों को संविधान के अन्तर्गत विशेष रूप से सौंपे कार्यों में केन्द्र का हस्तक्षेप करना

पंचायती राज संस्थाओं को अपेक्षित स्तर एवं निरन्तर कार्य करने का आश्वासन भी सुलभ करने के उद्देश्य से संविधान में उपयुक्त प्रावधान होना चाहिए। समिति कुछ इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता पर सहमत हो गई हैं तथा उसने इच्छा व्यक्त की है कि भारत सरकार को इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। आवश्यक नहीं है। अतः पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में आवश्यक प्रावधान राज्य के कानूनों में उपलब्ध किये जाने चाहिए। केन्द्र आदर्श कानून बनाने में सहायता कर सकता है जिसे राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपना सकती हैं।

4. **न्याय पंचायतें** :

न्याय पंचायतों को विकासात्मक पंचायतों से पृथक रखा जाना चाहिए। योग्यता प्राप्त न्यायाधीश को उनकी अध्यक्षता करनी चाहिए तथा निर्वाचित पंचों को न्याय पंचायतों की न्यायपीठ के सदस्यों के रूप में कार्य करना चाहिए किन्तु उन क्षेत्रों के मामले में जिनसे वे निर्वाचित हुए हैं ऐसा नहीं होगा।

न्याय पंचायतों से छोटे झगड़ों, साधारण चोटों के छोटे मामलों, छोटे विवादों आदि पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों पर स्वयं ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रयोजन के लिए गठित समिति निर्णय दे सकती है। न्याय पंचायत का उद्देश्य समझौते करवाना और मध्यस्थता से मामलों को सुलझाना होना चाहिए।

अनधिकृत कालोनियों के लिये आउट प्लान

112. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कुछ अनधिकृत कालोनियों के ले आउट प्लानों को हाल में दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान सरकार का कितनी अन्य अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली बगर निगम द्वारा अनुमोदित 48 कालोनियों के नाम विवरण-1 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विवरण-II के अनुसार 17 कालोनियों को दिल्ली नगर निगम में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिनके नियमितीकरण के नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिए हैं। दिल्ली नगर निगम ने 47 अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण नक्शे पहले ही तैयार कर दिए हैं और अपने क्षेत्र के दिल्ली के शहरी क्षेत्रों की शेष 93 कालोनियों के विषय में चालू वर्ष में योजना तैयार करने की आशा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण चालू वर्ष में 50 और अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की आशा करता है।

विवरण-1

1. सरस्वती गार्डन एक्सटेंशन भाग I तथा II
2. रामेश्वर नगर एक्सटेंशन
3. मोहन पार्क के-ब्लाक
4. सूरज नगर
5. सराय रोहिल्ला के निकट शास्त्री नगर
6. शास्त्री नगर 'सी' ब्लाक
7. शास्त्री नगर 'एम' ब्लाक
8. शास्त्री नगर 'डी' ब्लाक
9. शास्त्री नगर 'एफ' ब्लाक
10. शास्त्री नगर 'ई' ब्लाक
11. हरिनगर क्लाक टावर समीपवर्ती कालोनी
12. कन्हैया नगर
13. नारंग कालोनी त्रिनगर के पास
14. रामपुरा एक्सटेंशन कालोनी
15. त्रिनगर के निकट शांतिनगर
16. हरि नगर एम एस ब्लाक
17. हरि नगर ए बी तथा सी ब्लाक
18. मानक पुरा
19. जनक पार्क एण्ड एक्सटेंशन
20. त्रिनगर के समीप शांति नगर
21. ओंकार नगर ए एण्ड बी
22. गणेशपुरा ए एण्ड बी
23. सेवा राम पार्क
24. लखू नगर
25. शम्भु पुरा
26. शांति नगर
27. शाम नगर
28. शाम नगर एक्सटेंशन
29. विष्णु गार्डन
30. विष्णु गार्डन एक्सटेंशन
31. विष्णु पार्क
32. चांदनगर
33. रवि नगर
34. नवयुग ब्लाक
35. एच० ब्लाक विष्णु गार्डन
36. एफ० ब्लाक विष्णु गार्डन
37. शाम नगर के-ब्लाक
38. शाम नगर एन-ब्लाक
39. विष्णु गार्डन जे तथा एम ब्लाक
40. रवि नगर छोड़ा गया भाग
41. पंजाबी गार्डन
42. भगवान दास नगर एक्सटेंशन
43. शारदा पुरी
44. एफ ए ब्लाक मानसरोवर गार्डन
45. प्रताप नगर
46. आनन्द विहार
47. मानक विहार
48. उग्रसेन मार्कीट तथा बिन्दरा मार्कीट

विवरण-2

1. लाजवन्ती गार्डन
2. लाजवन्ती गार्डन एक्सटेंशन
3. वीरेन्द्र नगर
4. वीरेन्द्र नगर एक्सटेंशन
5. ऋषि नगर
6. रानी बाग
7. महेन्द्र पार्क
8. राजा पार्क
9. रूप नगर
10. श्रीनगर
11. हरि नगर जी-ब्लाक
12. शिव नगर
13. शिव नगर एक्सटेंशन
14. गोविन्द पुरी
15. गोबिन्द पुरी एक्सटेंशन
16. गोबिन्द पुरी छोड़ा गया भाग
17. फतेह नगर एक्सटेंशन

चीनी के मूल्यों में वृद्धि

113. **श्री ईश्वर चौधरी :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या कृषि **और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग चीनी के, जिसका गत वर्ष पूर्णतया विनियंत्रण कर दिया गया था, मूल्यों में आश्चर्यजनक वृद्धि से चिन्तित है;

(ख) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उद्योग द्वारा इस प्रकार नियंत्रित बिक्री के लिये दी गई चीनी का मूल्य 3.50 रुपये अथवा 3.90 रुपए प्रति किलो होने से एक अथवा दूसरे क्षेत्र में इसकी बनावटी कमी हो गई है; और

(ग) क्या योजना आयोग ने स्थिति का अध्ययन किया है और यह विचार किया है कि बिक्री के लिये चीनी उद्योग द्वारा न देकर केन्द्र द्वारा दी जानी चाहिए ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) 16 अगस्त, 1978 से चीनी के विनियंत्रण की नीति लागू करने से, चीनी के मूल्यों में गिरावट आई और मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति फरवरी, 1979 तक चलती रही। चीनी उद्योग के सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने पहली मार्च, 1979 से मासिक निर्मुक्ति की प्रणाली को शुरू किया और उसके बाद चीनी के मूल्यों में स्थिरता की प्रवृत्ति दिखाई देनी शुरू हो गई। तथापि, खुदरा मूल्य किसी भी प्रमुख मंडी में 3.30 रुपये अथवा 3.60 रुपये प्रति किलों के स्तर पर कभी नहीं पहुंचे। इस समय प्रमुख मंडियों में चीनी के खुदरा मूल्य 2-60 रुपये से 3.00 रुपये प्रति किलो के रैंज में चल रहे हैं और 22 जून, 1979 को समाप्त सप्ताह को देश में चीनी के औसत खुदरा मूल्य 2.80 रुपये प्रति किलो के आस-पास चल रहे थे।

2. अक्तूबर, 1978 से मई, 1979 तक के वर्तमान चीनी मौसम के प्रथम 8 महीनों में आन्तरिक खपत के लिए लगभग 39.87 लाख मीटरी टन चीनी की निकासी की गई थी, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 29.23 लाख मीटरी टन की निकासी की गई थी; अर्थात इस वर्ष खपत में 36.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को देखते हुए, सरकार ने जून, 1979 से मासिक निर्मुक्तियों के माध्यम से फैक्ट्री स्तर पर चीनी की सुपुर्दगियों को विनियमित करने से संबंधित कार्य अपने हाथ में ले लिया है। सरकार ने यह निर्णय योजना आयोग सहित विभिन्न विभागों की राय को ध्यान में रखकर किया है।

भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग

114. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या नदी जल विवाद के बारे में दोनों देशों के बीच कोई सहमति हुई है;

(ग) क्या उन वातों का पता लगाया जा सका है जिन पर सहमति और असहमति है; और

(घ) मतभेद दूर करने के लिए भारत की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान आयोग की अब तक एक बैठक हुई है।

आयोग के सामने विभिन्न मामले हैं, जैसे गंगा प्रवाह में वृद्धि की दीर्घावधि स्कीम और तोस्ता जल तथा खोवाई जल से संबंधित मामले और सीमा तथा सामान्य नदियों पर बाढ़-नियंत्रण/भू-कटाव की समस्यायें। कई बाढ़ नियंत्रण/भू-कटाव समस्याओं पर पहले ही समझौता हो चुका है जिसमें कुशियारा नदी पर करीमगंज/जाकीगंज पहुंच भी शामिल है। अन्य मामलों के कुछ पहलुओं पर सहमति हो चुकी है और शेष पहलुओं पर मतभेदों को कम करने और आपसी सहमति वाले प्रस्तावों को तैयार करने के प्रयत्न लगातार किए जा रहे हैं।

कंठहार नहर योजना के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा व्यक्त विचार

115. **श्री चित्त बसु :**

श्री बसंत साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा व्यक्त विचारों के बारे में 2 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5661 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा स्थापित चार विशेषज्ञ समितियों संवन्धी पूर्ण तथ्य क्या है;

(ख) क्या विशेषज्ञ समितियों ने अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें यया हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित चार विशेषज्ञ समितियों के संबन्ध में पूरी जानकारी उपाबन्ध एक से चार में दी गई है।

(ख) इन समितियों की रिपोर्टों की अभी प्रीतक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4584/79)

"महिलायें और विकास" के बारे में सम्मेलन

116. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "महिलायें और विकास" विषय के बारे में गत मई में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकर द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सम्मेलन की सिफारिशों पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संबन्धित एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वयन के लिए विचार किया जा रहा है।

राज्यों में आंशिक केन्द्रीय वित्त प्रदान करके महिला विकास निगम स्थापित करने तथा पूर्ण केन्द्रीय वित्त प्रदान करके संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में साधारण प्रकार के बाल देखभाल प्रबंधों की व्यवस्था करने के बारे में सिफारिशों पर क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग के साथ विचार किया जा रहा है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4585/79)

6-14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों का कक्षाओं में प्रवेश

117. **श्री चित्त बसु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 तक पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक 6-14 वर्षों तक के आयु समूह में नब्बे प्रतिशत बच्चों का कक्षाओं से दाखिला करने का सरकार का लक्ष्य है; और

(ख) यदि हाँ, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस बीच क्या निश्चित कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां। प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने से सम्बन्धित कार्यदल की अन्तरिम रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार, 1982-83 तक 6-14 आयु-वर्ग में 90 प्रतिशत दाखिले के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

(ख) विशिष्ट कदम, मुख्यत: निम्नलिखित हैं :

(1) सम्पूर्ण 'प्रारम्भिक शिक्षा' को संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना में शामिल किया गया है।

(2) शिक्षा के क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

(3) शिक्षा के लिए छठी योजना में कुल बजट का 46 प्रतिशत अथवा 900 करोड़ रुपये प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आबंटित किये गये हैं, जिसमें 850 करोड़ राज्य सेक्टर में तथा 50 करोड़ रु० केन्द्रीय सेक्टर में शामिल हैं।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने से सम्बन्धित कार्यदल की अन्तरिम रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों तथा शिक्षा मंत्रालय तथा योजना आयोग

द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के आधार पर, तथा अगस्त, 1977 और जुलाई, 1978 में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अपनाए गए प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से सम्बन्धित संकल्पों में दर्शाई गई नीति-प्रारूप के अनुसार, राज्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए अपनी मास्टर योजनाएं तथा छठी योजना के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा की वास्तविक योजनाएँ तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए अपेक्षित अद्यमन आंकड़े एकत्र करने के लिए 30 सितम्बर 1978 को एक सन्दर्भ तारीख मानकर चौथा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है।

(6) शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में, 1979-80 से कार्यान्वयन के लिये, 'प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए 9-14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोगात्मक परियोजनाओं की एक विशेष योजना आरम्भ की गई है, जिसके लिए छठी योजना के केन्द्रीय बजट में 50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(7) प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यचर्या का विकेन्द्रीयकरण करने और इसे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों की विविध आवश्यकताओं तथा जीवन परिस्थितियों से सम्बद्ध करने के लिए यूनिसेफ की सहायता से तीन नई परियोजनाएं, अर्थात्, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण, समाज शिक्षा में विकासशील कार्यकलाप तथा प्राथमिक में भाग लेना तथा विस्तृत पहुंच शुरू की गई है।

(8) सर्वव्यापीकरण कार्यक्रम के एक अनिवार्य उपाय के रूप सितम्बर, 1978 से प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में उपस्थिति के त्रैमासिक अनुश्रवण की एक पद्धति आरम्भ की गई है।

सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि

118. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है;

(ख) इसमें से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है और सिंचाई के कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं;

(ग) शेष असिंचित भूमि में किस प्रकार सिंचाई व्यवस्था करने का विचार है और इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) देश में परती भूमि कितने एकड़ है और इसे उपजाऊ बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1975-76 की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार देश में उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 185 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) मार्च, 1979 के अन्त तक देश में बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों से लगभग 55 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया हैं।

(ग) सरकार की नीति सिंचाई विकास को उच्चतम प्राथमिकता देनी रही है। देश में इस समय अन्ततः सिंचाई क्षमता 113.30 मिलियन हैक्टेयर मूल्यांकित की गई है। आयोजित विकास के आरम्भ होने पर 22.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत था। पांचवीं योजना (1977-78) के अन्त तक यह बढ़ कर लगभग 52.2 मिलियन हैक्टेयर हो गया। पंचवर्षीय योजना मसौदे (1978-83) में 17 मिलियन हैक्टेयर को अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन परिकल्पित है। हमारा प्रयास अगले 15 से 20 वर्षों में पूर्ण क्षमता का विकास करना होगा।

(घ) देश में कुल परती भूमि के लगभग 22 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें चालू भूमि के अतिरिक्त 7.48 मिलियन हैक्टेयर परती भूमि और 12.52 मिलियन हैक्टेयर चालू परती भूमि शामिल है। बेकार भूमि के साथ-साथ चालू परती भूमि के अलावा परती भूमि को उत्पादक उपयोगों के लिये समझा जा रहा है।

केन्द्रीय प्राथमिकता शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा में विलम्ब

119. **श्री के० ठी० कोसलराम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में विशेष रूप से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये 10+2 के अन्तर्गत बारहवीं कक्षा की परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब से बहुत से छात्र कालेजों में प्रवेश लेने से वंचित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन राज्यों में कालेजों में प्रवेश की तारीख से काफी समय पहले राज्यों की राजधानियों में इन परिणामों को घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का परिणाम सामान्य समयानुसार, 5 जून 1979 को घोषित कर दिया था। न तो बोर्ड को ही और न ही सरकार को ऐसे किसी मामले का पता है कि उस तिथि को परिणाम घोषित करने से विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश से वंचित रहना पड़ा हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से वापिस लौटने वाले व्यक्ति

120. **श्री के० डी० कोसलराम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमाम्रो-शास्त्री समझौते के अन्तर्गत श्रीलंका से बड़ी संख्या में वापिस लौटने वाले व्यक्तियों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या एक पृथक श्रीलंका देश प्रत्यावर्तन वित्तीय निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे इन दुर्भाग्यहीन व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं को बिना विलम्ब पूरा किया जा सके;

(ग) क्या श्रीलंका से वापिस लौटने वाले इन भारतीय मूलक लोगों के लिए स्थान और सेवाओं हेतु योजनाएं तैयार की जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) श्रीलंका से वापस आने वाले व्यक्तियों को बागानों, कृषि तथा सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों तथा साथ ही ऋण देकर लघु व्यवसाय में बसाया जाता है। समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, नए बागान चालू करने तथा कुटीर उद्योग, डेरी, रेशम उत्पादन, सिंचाई परियोजनाओं आदि में अन्य उप-व्यवसायों का पता लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) प्रत्यावासियों के पुनर्वास से सम्बन्धित योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने हेतु मद्रास में पहले ही प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

डी० डी० ए० द्वारा प्लाटों का जब्त किया जाना

121. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 300 से अधिक प्लाट इस आधार पर जब्त कर लिए हैं कि वे अभी तक प्लाटधारियों के नाम में पंजीकृत नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डी. डी. ए. ने प्लाटधारियों को स्वामित्व बहाल करने के लिए प्लाट के लागत मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक राशि की मांग की है;

(ग) क्या इसी प्रकार की प्रक्रिया फ्लेटों पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों के मामलों में भी अपनाई जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डाक लेखन-सामग्री के सरलीकृत फार्म

122. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान डाक लेखन सामग्री पुरानी पड़ चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डाक लेखन सामग्री के बेहतर और सरलीकृत फार्म लागू करने का विचार है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) एवं (ख) डाक लेखन सामग्री तथा

अन्तर्देशीय पत्र, कार्डों, उभरे अक्षरों वाले लिफाफों तथा पोस्ट-कार्डों की समय-समय पर पुनर्जांच की जाती है तथा इनका डिजाइन बदल दिया जाता है। डाक लेखन सामग्री का वर्तमान रूप पुराना नहीं पड़ा है।

तार के सांकेतिक शब्दों वाले वर्तमान फार्मों में परिवर्तन

123. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप तार के सांकेतिक शब्दों के वर्तमान फार्म में विविधता लाने तथा उनमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : तार परियात और इंजीनियरिंग का जहां तक सर्विस तारों में इस्तेमाल किये जाने की बाबत सांकेतिक शब्दों के मौजूदा फार्मों में विविधता लाने और परिवर्तन करने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्ष 1978 में प्रकाशित स्मारक डाक-टिकटों और फोल्डरों में कथित त्रुटियां

124. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1978 में प्रकाशित निम्नलिखित स्मारक डाक टिकटों और फोल्डरों में त्रुटियों के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में शिकायतें प्रकाशित हुई हैं; (1) मोहम्मद अली जौहर (10-2-78), (2) प्रथम शक्ति चालित उड़ान का पचहत्तरवां वर्ष, (3) रवनशा कालेज, कटक (24-12-78) और (4) फ्रान्ज पीटर शूबर्ट (25-12-78); और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) डाक टिकटों में कोई गलतियां नहीं हैं। जहां तक फोल्डरों का संबंध है वे प्रचार सामग्री है। फोल्डरों में कोई त्रुटि न रहे इसे देखने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

तमिलनाडु में डाक लेखन-सामग्री का उपलब्ध न होना

125. **डा० पी. वी. परियासामी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 में सामान्य बजट पेश किये जाने के तुरंत बाद सम्पूर्ण तमिलनाडु में अन्तर्देशीय पत्र, पोस्ट-कार्ड तथा लिफाफे उपलब्ध न होने के क्या कारण थे;

(ख) तमिलनाडु में विभिन्न डाकघरों में इनके उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सम्पूर्ण तमिलनाडु में अब मनीआर्डर फार्म, रजिस्ट्रेशन फार्म आदि सभी प्रकार की डाक लेखन सामग्री उपलब्ध करा दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पिछले दिनों तमिलनाडु में डाक लेखन सामग्री तथा अन्र्देशीय पत्र, पोस्ट-कार्ड और लिफाफों की कमी अनुभव की गई थी।

(ख) इन मदों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में वित्त मंत्रालय से बातचीत की गई है। छपाई की एक नई मशीन लगा कर अन्तर्देशीय पत्रों का उत्पादन बढ़ाया गया है। डाक सर्किलों के अध्यक्षों को अनुमति दी गई है कि वे स्थानीय तौर पर बिना टिकट लगे पत्र तथा लिफाफे तैयार कराएं तथा उन पर डाक टिकट चिपका कर जनता को बेचने की व्यवस्था करें। ऐसे रेल वैगनों के साथ जिनमें कि डाक-टिकट तथा लेखन सामग्री रहती है, नासिक रोड से गंतव्य स्थान तक डाक कर्मचारियों को भेजने की व्यवस्था करके इन वैगनों का संचलन तीव्रतर बनाया गया है। डाक-टिकटों तथा लेखन सामग्री के संभरण तथा वितरण में सुधार लाने के लिए डाक-तार विभाग ने प्रत्येक डाक सर्किल में डाक-टिकट डिपो स्थापित करने का निश्चय किया है। तमिलनाडु के लिए एक डिपो स्वीकृत किया गया है तथा शीघ्र ही इसके खुलने की आशा है।

(ग) तमिलनाडु के सभी डाकघरों में तीन भाषाओं अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी तथा तमिल में हमें मनीआर्डर फार्म, रजिस्ट्री पावती फार्म आदि सभी डाकघरों में उपलब्ध कराना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है परन्तु ये फार्म राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध करा दिये गये हैं।

(घ) अप्रैल, 1979 में पोस्ट मास्टर जनरल, तमिलनाडु, मद्रास को जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को तीन भाषाओं में छापने के निश्चय से अवगत करा दिया गया था और इस प्रकार राज्य के सभी डाकघरों में उपलब्ध कराने के लिए इतने थोड़े समय में ये फार्म पर्याप्त मात्रा में छापने सम्भव नहीं थे। तमिलनाडु के पोस्ट मास्टर जनरल राज्य के सभी डाकघरों में ये फार्म यथासम्भव शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में समिति

126. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की सभी दृष्टियों से अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने हाल में एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नामों और उनके कृत्यों का ब्यौरा क्या है और उसके प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने श्री आर. आर. मोरारका, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। यह समिति भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का सभी पहलुओं से अध्ययन करेगी और ऐसी सिफारिशें करेगी जिससे देश में खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारण तथा वितरण संबंधी कार्य में अत्यधिक कार्य-कुशलता तथा मितव्ययिता लाई जा सके। समिति के गठन को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा। जितने समय में समिति से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जा सकती है उसके बारे में कुछेक कार्यविधि संबंधी औपचारिकताओं को अन्तिम रूप देने तक समिति द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ करने के बाद ही निर्णय किया जाएगा।

हरियाणा और पंजाब में गेहूं की वसूली

127. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब में किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाये गये गेहूं की खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिक्री के लिए लाये गए गेहूं की किस्म को घटिया बता कर खरीदने से इन्कार करने की सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) मार्च से जून, 1979 तक की अवधि के दौरान गेहूं की कितनी वसूली की गई;

(ग) क्या अब तक खरीदा गया गेहूं सुरक्षित रूप से भंडागारों में रख दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितना गेहूं स्वीकृत गोदाम के बाहर रहता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) ऐसी कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) 54.93 लाख मीटरी टन की पंजाब और हरियाणा में वसूली की गई थी ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के अलावा, पंजाब तथा हरियाणा की राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी गेहूं की वसूली का कार्य किया है । हरियाणा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग पांच मीटरी टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ है । पंजाब में भी, अधिकांश गेहूं कैम्प स्टोरेज में रखा जा रहा है । तथापि, सभी स्टाक की उचित ढंग से सुरक्षा की जाती है ।

विदेशी छात्रों का एम. बी. ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश

128. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

चौधरी बलबीर सिंह :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी छात्रों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने विदेश मन्त्रालय के मार्फत एम. बी. ए. पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए इस वर्ष आवेदन किया और उन केन्द्रों के नाम जिनके लिए ये आवेदन भेजे गए;

(ख) वे एम. बी. ए. केन्द्र कहां-कहां हैं जहां उन्होंने प्रवेश मांगा था; और वे केन्द्र कौन-कौन से हैं जहां उन्हें वास्तव में प्रवेश दिया गया; और

(ग) उन्हें उनकी पसन्द के स्थान पर प्रवेश न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) 11 देशों से अपना खर्च स्वयं उठाने वाले पचपन विदेशी छात्रों ने विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित हमारे मिशनों की मार्फत और नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों से एम. बी. ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजे ।

केवल उन छात्रों के नामों के बारे में जिन्हें प्रवेश दिया गया था तथा जिन संस्थानों में उन्हें भेजा गया, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

यह स्पष्ट है कि बहुत से मामलों में छात्रों ने उन केन्द्रों में प्रवेश पाना चाहा तो मन्त्रालय

के अनुरोध पर स्थान देने में असमर्थ रहे। अत: विदेशी छात्रों को एम. बी. ए. पाठ्यक्रम में अपनी पसन्द के स्थानों में प्रवेश पाना सदा सम्भव नहीं होता।

विदेशी छात्रों के नामों तथा संख्या और उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम जिनमें उन्हें एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया दर्शाने वाला विवरण।

देश का नाम	छात्रों के नाम जिन्हें एम. बी. ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया	आबंटित संस्थान/विश्वविद्यालय	अपेक्षित संस्थान/विश्वविद्यालय	कैफियत
1	2	3	4	5
नेपाल	1. नारायण रोडी	कुरुक्षेत्र	दिल्ली	कोई आरक्षित एम. बी. ए. स्थान का प्रस्ताव नहीं किया गया।
	2. विश्वविजया पाराजुली	-वही-	अहमदाबाद	
	3. नीरन बी. जोशी	-वही-	दिल्ली/बम्बई	
	4. शम्भू प्रसाद आचार्य	-वही-	दिल्ली/इलाहबाद	
	5. शंकर मान सिह	मद्रास	बम्बई/अहमदाबाद	
	6. सुरेश कुमार अग्रवाल	मद्रास	अहमदाबाद	
	7. तापस कुमार गुप्त	-वही	लखनऊ	
	8. पूर्ण बहादुर खड़क	-वही-	बनारस/दिल्ली लखनऊ	
	9. ध्रुब श्रेष्ठ	कुरुक्षेत्र···	···कोई प्राथमिकता नहीं दी गई	
	10. विजय भक्त श्रेष्ठ	मद्रास ···	···पूना/बम्बई/बंगलौर	
	11. ललित कुमार चैनवाला	बंगलौर...	···बंगलौर	
मलेशिया	12. दर्शन सिंह	मुजफ्फरपुर	अहमदाबाद	कोई आरक्षित एम. बी. ए. स्थान का प्रस्ताव नहीं किया गया।
	13. रविन्द्रन	पूना	अहमदाबाद कलकत्ता	
	14. के० कन्हैया	मुजफ्फरपुर	मद्रास	
ईराक	15. रईद ए० मालिक ए० अल्ला	इन्दौर	कोई प्राथमिकता नहीं दी गई	दिल्ली में आरक्षित एम. बी. ए. स्थान का प्रस्ताव नहीं किया गया।
	16. वेसिय अब्दुल के० अलसफकार	-वही-	-वही-	
	17. नाजेह रमोदी अल बक्श	-वही-	दिल्ली/पूना	

1	2	3	4	5
ईरान	18. बूस्ताकी खयात उल्लाह बहाई	कोयम्बटूर	मद्रास	कोई आरक्षित एम. बी. ए. का प्रस्ताव नहीं किया गया।
	19. सवेती दिधाबदी सैयद	-वही-	आंध्र/हिमाचल	
	20. हुसैन पुस्ती गोनावदी	कोयम्बटूर	बम्बई/जमशेदपुर	
श्रीलंका	21. अब्दुल उल्लाह अशरफ	मुजफ्फरपुर	मद्रास या एम. बी. ए. पाठ्क्रम प्रदान करने वाला कोई भी कालेज।	
थाइलैंड	22. कुमारी पी० रेनी	बंगलौर	बंगलौर	मालूम नहीं क्योंकि आवेदन के साथ ही सेट किय। हुआ था उसे संस्था/विश्वविद्यालय को भेज दिया गया था।
स्वीटजरलेंड	23. बी. वी. महीगो	कोयम्बटूर		
फिलिस्तिन	24. इदरास यूसफ अबू अजामिया	इन्दौर		

हरियाणा में गेहूं के बोरों की कमी

129. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

चौधरी बलबीर सिंह :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं के बोरों की कमी के कारण हरियाणा में मंडियों और खेतों में लाखों रुपयों का गेहूं पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा में बोरों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की जा रही है जिससे भविष्य में इनकी कमी को रोका जा सके ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में हड़ताल होने के फलस्वरूप और उक्त राज्य में बिजली की भारी कमी होने के कारण इस वर्ष अप्रैल के दौरान तथा कुछ हद तक मई में बोरियों की सप्लाई पर कुप्रभाव पड़ा था। इससे स्वभावतया इन महीनी के दौरान गेहूं की वसूली में कुछेक कठि-नाइयां पैदा हुई। पूर्ति और निपटान महा निदेशालय के माध्यम से बोरियों की सप्लाई में बाधा पड़ने से पैदाशुदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार को प्रधिकृत किया गया था कि प्रारम्भ में वे खुले बाजार से बोरियों की 3000 गांठों तक खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि

मण्डी में गेहूं की आमद अभूतपूर्व थी और बोरियों की कमी बराबर बनी हुई थी, इसलिए राज्य सरकार खुले बाजार से बोरियों की बराबर खरीदारी करती रही थी और वास्तव में 18,950 गांठें खरीदी थीं। वसूली एजेन्सियों द्वारा पुरानी बोरियों का भी इस्तेमाल किया गया था। बंगला देश से आयात की गई बोरियों में से, 8,000 गांठें हरियाणा को आबंटित की गई थीं।

ऊपर उल्लिखित उठाए गए विभिन्न पगों के परिणामस्वरूप, हरियाणा में गेहूं की वसूली में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार 29 जून तक विभिन्न मंडियों में गेहूं की कुल 14.2 लाख मीटरी टन की आमद में से, 13.81 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी, जो कि कुल आमद का 97 प्रतिशत बैठती है, जबकि गत विपणन मौसम की उसी अवधि के दौरान 9.29 लाख मीटरी टन की वसूली की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

130. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द आरम्भ हो गए हैं;

(ख) उनमें से कितने चितूर जिला में आरम्भ किए गए हैं; और

(ग) इन आरम्भ किये गए केन्द्रों में कितने केन्द्रों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जारही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शांति निकेतन कालोनी, नई दिल्ली में भूमि के प्लाट का दुरुपयोग

131. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड की शांति निकेतन कालोनी में स्कूल के भवन के लिये आरक्षित पहाड़ीवाला एक प्लाट को गत लगभग 10 वर्षों से सभी के लिए जनसुविधाओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिसके कारण कालोनी और उसके आसपास के निवासियों के लिए न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण बन गला है अपितु यह असामाजिक तत्वों के मिलने का स्थान भी बन गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस प्लाट को किसी सोसायटी विशेषतया होली चाइल्ड आग्जीलियम और कारमेल कान्वेंट को आबंटित करने से इन्कार कर दिया है जिसने इसके लिए आवेदन किया था और इसके बजाए कारमेल कान्वेंट को इसके निकट ही आनन्द निकेतन में प्लाट आबंटित किया हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने भी स्कूल भवन के लिए इस प्लाट को नहीं लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से इस प्लाट को पार्क में बदलने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) क्योंकि प्लाट का दुरुपयोग किया जा रहा है था इसलिये कांटेदार तार की बाड़ लगा दी गई है। प्लाट की समय समय पर सफाई की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग को प्लाट का कब्जा 14-9-1976 को दिया गया था।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि प्लाट को नक्शे के अनुसार उचित प्रयोग में लाए जाने तक आगामी वर्षाकाल के दौरान उसमें कुछ पौधे तथा झाड़ियां लगाने का उनका प्रस्ताव है ताकि निवासियों द्वारा इसे पार्क के रूप में प्रयोग किया जा सके।

राजस्थान में कृषि परियोजनाएं

132. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य में कृषि और सिंचाई से सम्बन्धित कोई परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या फसल की किस्म और किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु निकट भविष्य में कोई ऐसी योजना क्रियान्वित की जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

1977 के पश्चात स्थापित की गईं टेलीफोन परियोजनाएं/उद्योग

133. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1977 के पश्चात उनके मन्त्रालय के अधीन विभिन्न राज्यों में स्थापित अथवा अधिष्ठापित टेलीफोन उद्योग/परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनका पूरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : अप्रैल, 1977 से किसी भी टेलीफोन उद्योग/परियोजना की स्थापना अथवा व्यवस्था नहीं की गई है।

राष्ट्रीय शहरीकरण नीति का बनाया जाना

134. **श्री एस. आर. दामाणी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राष्ट्रीय शहरीकरण नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मुख्य नगरों की जनसंख्या में वृद्धि पर कोई रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव निर्माण और आवास मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र में लघु किसान विकास एजेंसियां

135. **श्री बी. जी. हांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में प्रवर्तित लघु किसान विकास एजेंसियों का भविष्य सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इन परियोजनाओं को वर्ष 1979-80 के दौरान चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितना धन दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) भारत सरकार ने लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम को वर्ष 1979-80 के दौरान देश में सभी परियोजना क्षेत्रों, जिनमें महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है, में जारी रखने का निर्णय लिया है तथा इस बारे में राज्य सरकारों/एजेंसियों को सूचना दे दी गई है।

(ग) लघु किसान विकास एजेंसियों को सामान्य कार्यक्रमों के लिए प्रति खंड 2.50 लाख रुपये की धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है जिसे केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर आधार पर सुलभ किया जायेगा।

फसलों की उत्पादन लागत सम्बन्धी समिति द्वारा की गई प्रगति

136. **श्री बी. जी. हांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री फसलों की उत्पादन लागत सम्बन्धी समिति के बारे में 12 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : समिति ने उत्पादन की लागत के अध्ययन से सम्बन्धित वृहत योजना के प्रभारी अधिकारियों के जिनमें से अधिकांश व्यक्ति कृषि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, विचार प्राप्त कर लिए हैं। उनके तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ विचारार्थ विषयों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

समिति का कार्य जारी है।

मनीपुर में कृषि कालेज

137. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर में एक कृषि कालेज की स्थापना के लिए मनीपुर की राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों से मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिये मनीपुर में एक कृषि कालेज की स्थापना पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान !

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को सन 1978 में एक प्राईवेट महाविद्यालय से वित्तीय सहायता के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। बाद में मनीपुर सरकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को सूचित किया कि वे सरकारी कृषि बागवानी महाविद्यालय स्थापित करना चाहेंगे। इस प्रस्ताव पर मई 1979 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के महानिदेशक ने मनीपुर सरकार से विचार विमर्श किया था। भारत सरकार के विचार हेतु मनीपुर सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

118. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे इम्फाल शहर के लिए स्वचालित टेलीफोन केन्द्र आरम्भ करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस मामले में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में शीघ्रता करने और योजना पूरी करने के लिये एक निश्चित तारीख निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके किस तारीख तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) इम्फाल में स्वचालित एक्सचेंज की संस्थापना आरम्भ करने का अनुमोदन सिद्धान्ततः मिल गया है। एक इमारत के निर्माण के लिए अग्रिम रूप से कार्रवाई की जा रही है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) स्वचालित एक्सचेंज उपस्कर का देशी उत्पादन कम है। यहां तक कि मौजूदा स्वचालित एक्सचेंजों के प्रसार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। तकनीकी आर्थिक कारणों से इम्फाल जैसे स्थानों के लिये उपस्कर आयात करना संभव नहीं है। देश के अन्दर ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयत्न किये जा रहे है। संभावना है कि 1983-84 में संस्थापना कार्य सम्भव हो सकेगा।

इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केन्द्र को अनिश्चित काल के लिए बन्द किया जाना

139. **श्री एन. टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंफाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय केन्द्र को हाल ही में किन परिस्थितियों में अनिश्चित काल के लिये बन्द कर देना पड़ा और इस संकट को हल करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार सारे मामले का अध्ययन करने के लिए कोई निकाय नियुक्त करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका विकल्प क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, छात्र संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों के एक वर्ग ने केन्द्र के निदेशक को कोई पूर्व सूचना दिये बिना 12 अप्रैल, 1979 को अचानक हड़ताल कर दी। 16 अप्रैल, 1979 को छात्रों ने 30 मांगों का एक वक्तव्य परिचालित किया तथा यह घोषणा की कि वे अपनी मांगों के पूरा न होने तक कक्षाओं का वहिष्कार करेंगे। उनकी एक मांग यह थी कि केन्द्र के निदेशक को तुरन्त बर्खास्त किया जाय। क्योंकि छात्रों ने हड़ताल जारी रखी और संकाय सदस्यों और स्टाफ द्वारा बातचीत के प्रयासों के बावजूद छात्रों ने स्टाफ तथा पुस्तकालय को कार्य नहीं करने दिया, ऐसी स्थिति में केन्द्र की प्रशासनिक समिति ने 17 अप्रैल, 1979 को हुई अपनी बैठक में केन्द्र को बन्द करने का निर्णय किया।

विश्वविद्यालय के कुलपति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रो. के. जे. महाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य केन्द्र की स्थापना से लेकर उसके कार्यकरण का पुनरीक्षण करना था। उक्त समिति ने इम्फाल का दौरा किया और छात्र-नेताओं, केन्द्र के निदेशक, संकाय सदस्यों और प्रशासनिक स्टाफ के साथ विचार-विमर्श किये। उन्होंने मणिपुर के मुख्य मन्त्री और शिक्षा आयुक्त, मणिपुर तथा स्थानीय कालेजों के कुछ प्रिंसिपलों के साथ भी विचार-विमर्श किये।

समिति के साथ अपनी चर्चा के दौरान छात्रों ने इस बात पर बल दिया कि केन्द्र के निदेशक को फौरन बर्खास्त किया जाए। तथापि पुनरीक्षण समिति ने तुरन्त इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कुछ हिंसा भड़क उठी। छात्रों ने 4 जुलाई, 1979 के बाद भी, जबकि केन्द्र पुनः खुलना था, आन्दोलन को जारी रखने की धमकी दी।

विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षा आयुक्त, मणिपुर को लिखा है कि पूर्ण और निष्पक्ष जांच के बाद जब तक निदेशक के खिलाफ आरोप सिद्ध न हो जाएं तब तक विश्वविद्यालय के

लिए उनको उनके पद से हटाना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा आयुक्त से यथाशीघ्र सामान्य स्थिति पुनः स्थापित कराने के लिए भी अपने पद का उपयोग करने की अपील की है।

क्योंकि इस मामले में निर्णय लेना विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

140. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने राजधानी इम्फाल तथा अन्य जिला एवं सब डिविजनल मुख्यालयों के विकास के लिए भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता मांगी है और क्या भारत सरकार ने इस संबंध में अपनी कोई प्रतिक्रिया प्रकट की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मनीपुर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के ऐसे ही छोटे-छोटे राज्यों को विशेष वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम (आई. यू. डी. पी.) के अन्तर्गत ग्रेटर इम्फाल के विकास के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) तथा (ग) इम्फाल की आई. यू. डी. पी. योजना के लिए 120 लाख रुपये के एक मूल परिव्यय की मांग की गई थी। आई. यू. डी. पी. की योजना अब समाप्त कर दी गई है। इसके बदले छोटे और मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की एक अन्य योजना तैयार की जा रही है। नई योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसके मार्ग निर्देशन सभी राज्य सरकारों को परिचालित किए जाएंगे। नई योजना के मार्ग निर्देशनों के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मणिपुर तथा छोटे राज्यों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने पर विचार किया जाएगा।

राज्यों/संघ क्षेत्रों में सिंचित कृषि भूमि की प्रतिशतता

141. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में सिंचित कृषि भूमि की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसमें कितना अन्तर है; और

(ग) उन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 1975-76 की भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिंचित कृषि भूमि की प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत से कम है :

असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप और मिजोरम। ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है।

(ग) सरकार की नीति सिंचाई विकास को उच्चतम प्राथमिकता देना रही है। आयोजित विकास के आरम्भ में 22.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत था। 1978-79 के अन्त तक देश की कुल सिंचाई शक्यता बढ़ कर 55 मिलियन हैक्टेयर हो गई। 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के मसौदे में 17 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के लक्ष्य के सृजन की परिकल्पना की गई हैं। हमारा उद्देश्य अगले 15 से 20 वर्षों में पूर्ण शक्यता का विकास करना होगा।

विवरण

कुल फसली क्षेत्र, सकल फसली क्षेत्र और उनकी प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा

(1975-76 सांख्यिकी)

हजार हैक्टेयर

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल फसली क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	कुल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता	औसत में अन्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक	राण्ट्रीय औसत से कम
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	12948	24528	34.9	9.3	—
2.	असम	3177	572	18.0	—	7.1
3.	बिहार	11287	3363	29.8	4.7	—
4.	गुजरात	10198	1535	15.0	—	10.1
5.	हरियाणा	5451	2742	50·3	25.2	—
6.	हिमाचल प्रदेश	924	153	16.6	—	8.5
7.	जम्मू और कश्मीर	923	371	40.2	15.1	—
8.	कर्नाटक	11159	1707	15·3	—	9.8
9.	केरल	2981	274	9.2	—	15.9
10.	मध्य प्रदेश	21356	1896	8.8	—	11.3
11.	महाराष्ट्र	19664	2171	11.0	—	14.1
12.	मणिपुर	210	75	35.7	10.6	—
13.	मेघालय	203	46	22·7	—	2.4
14.	नागालैंड	114	38	33.3	8.2	—
15.	उड़ीसा	7733	1482	19.2	—	5.9

1	2	3	4	5	6	7
16.	पंजाब	6255	4619	73.8	48.70	—
17.	राजस्थान	17164	2934	17.1	—	8.0
18.	सिक्किम	———	———	उपलब्ध नहीं	———	———
19.	तमिलनाडु	7235	3376	46.7	21.6	—
20.	त्रिपुरा	374	30	8.0	—	17.1
21.	उत्तर प्रदेश	23272	9351	40.2	15.1	—
22.	पश्चिम बंगाल	7958	1541	19.4	—	5.7
	कुल राज्य :	170596	42804	25.1	25.1 (राष्ट्रीय औसत)	
	संघ राज्य क्षेत्र :					
1.	अण्डमान निकोबार	33	नगण्य	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	130	24	18.5	—	6.6
3.	दादर और नगर हवेली	19	1	5.3	—	19.8
4.	चण्डीगढ़	———	———	उपलब्ध नहीं	———	———
5.	दिल्ली	120	59	49.2	24.1	—
6.	गोआ, दमन और दीव	139	8	5.8	—	19.3
7.	लक्ष्य-द्वीप	3	—	—	—	—
8.	मिजोरम	68	8	11.8	—	13.3
9.	पांडीचेरी	54	40	74.1	49.0	—
	संघ राज्य क्षेत्रों का उपयोग	566	140	24.7	—	0.4
	अखिल भारतीय योग	171162	42944	25.1	(राष्ट्रीय औसत)	

दिल्ली मास्टर प्लान के उल्लंघन में सड़क के बीच चार दीवारी का निर्माण

142. **श्री अनन्त दवे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री: मालवीय नगर सड़क, नई दिल्ली पर चार दीवारी के निर्माण के बारे में 7 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान और कालोनी के विकास के लिए निर्धारित नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नई दिल्ली क्षेत्र में किसी अन्य कालोनी में भी सड़क के मध्य इस तरह की चार दीवारी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के दबाव के कारण इस अनधिकृत चार-दीवारी को गिराने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है और विधि संबंधी उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र में गृह निर्माण योजनाएं

143. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समन्वय समिति (बम्बई) ने उन कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जो राज्य सरकार द्वारा अपनी योजनाओं को मंजूर कराने में सामने आती हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भूमि का आबंटन प्राप्त करने और गृह निर्माण ऋण का उपयोग करने में राज्य सरकार के साथ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की योजनाओं का समन्वय करने का है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो स्थायी हैं अथवा जिनकी नौकरी दस वर्ष हो गई है। अग्रिम की अधिकतम अनुमेय राशि 70,000 रुपये है अथवा आवेदन का 75 महीनों का वेतन अथवा निर्माण की लागत अथवा राशि की वापस अदायगी की क्षमता, इनमें से जो भी सबसे कम हो। बनाए/खरीदे जाने वाले मकान/फ्लैट की अधिकतम लागत निम्न आय वर्ग के लिए 50,000 रुपये है अर्थात जिनका 75 महीने का वेतन 50,000 रुपये से अधिक नहीं है अथवा अन्यों के लिए 75 महीनों का वेतन जो अधिक से अधिक 1.25 लाख रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भू-अर्जन या उसकी बिक्री राज्य का विषय है। इस बारे में कोई निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है।

हिन्दी पत्रिकाओं के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड

144. **श्री राम नरेश कुशवाहा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय द्वारा निकाली गई 'कुरुक्षेत्र', 'खेती', 'भागीरथ' आदि हिन्दी पत्रिकाओं के सम्पादकीय/सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नाम और अर्हताएं क्या हैं;

(ख) इस बोर्ड की गत किन-किन तारीखों को बैठक हुई;

(ग) क्या 'भागीरथ' सम्पादकीय बोर्ड की बैंठक गत वर्ष हुई बैठक के बाद नहीं हुई और क्या हिन्दी प्रेस से किसी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मन्त्रालय की सब हिन्दी पत्रिकाओं के सम्पादकीय सलाहकार बोर्डों की जिसमें 'भागीरथ' भी शामिल है, बैठक शीघ्र बुलाने और उसमें हिन्दी पत्रकारों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजभाषा (हिंदी) में काम करने के लिए स्वीकृति पद

145. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए श्रेणीवार कितने पद स्वीकृत किए गए हैं; और पिछले तीन वर्षों से ऐसे पदों पर कितनी तदर्थ नियुक्तियां चल रही है;

(ख) ऐसी तदर्थ नियुक्तियां किस प्रकार की गई थी और साक्षात्कार समिति के चैयरमैन सदस्यों तथा विशेषज्ञों के नाम और उनकी अर्हताएं क्या हैं;

(ग) क्या हिंदी पदों पर अधिकांश ऐसी नियुक्तियां नियमित नहीं थी और यह अनेक वर्षों से तदर्थ आधार पर अनियंत्रित रूप से की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों पर अनियमित रूप से और तदर्थ आधार पर की गईं नियुक्तियों के स्थान पर अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की नियमित रूप से नियुक्तियां करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और यह काम कब तक कर लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

146. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित की गई मूल पुस्तकों तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों के नाम क्या हैं तथा इन पुस्तकों के लेखकों तथा अनुवादकों के नाम क्या हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तकों के और उनके लेखकों एवम अनुवादकों के नाम क्या क्या हैं;

(ग) क्या इस न्यास ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा हिन्दी

और अन्य राष्ट्रीय मामलों की उपेक्षा तरजीह दी है, और कुछ विशिष्ट लेखकों तथा अनुवादकों को ही तरजीह दी है; और

(ख) इस भेदभाव को समाप्त करने तथा हिन्दी एवम् अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों तथा अनुवादकों की नई तालिका बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) अनुबन्ध I के रूप में विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित मूल तथा अनुदित पुस्तकों के नाम तथा उनके लेखकों और अनुवादकों के नाम भी दिए गए हैं;

(ख) दूसरा विवरण अनुबन्ध II के रूप में संलग्न है। जिसमें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों, उनके लेखकों और अनुवादकों के नाम दिए गए हैं,

(ग) जी, नहीं। न्यास ने मार्च, 1979 तक कुल 1883 पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें से केवल 300 पुस्तकें अंग्रेजी में है और बाकी 1583 हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में है। अनुबन्ध I तथा II से यह स्पष्ट है कि किसी भी लेखक और अनुवादक को संरक्षणता नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4586/79)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों के बारे में अध्ययन रिपोर्ट

149. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रो० एम० एन० कालिया ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तवों के बारे में एक अध्ययन किया है और एक रिपोर्ट पेश की है;

(ख) उक्त अध्ययन रिपोर्ट का ब्योरा क्या है; और

(ग) उनके द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) मंत्रालय को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाण सागर बांध का निर्माण-कार्य

150. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर बांध के निर्माण के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के एक टेंडर को बाण सागर बांध की कार्यकारी समिति में मई, 1979 में मंजूरी दी थी, और यदि हां, तो मुख्य बांध का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है;

(ख) 15 जून, 1979 तक इस बांध के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि नियंत्रण बोर्ड तथा कार्यकारी समिति ने जिन दो सर्कलों तथा पांच डिवीजनों की बाण सागर बांध के लिये नहरों के निर्माण हेतु मंजूरी दी थी उन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति ने दक्षिण नान-ओवरफलो चिनाई पारगमन बांध के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की निविदा पर विचार किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी स्वीकृति के लिए सिफारिश की है। इस कार्य के शीघ्र आरम्भ होने की संभावना है।

दक्षिण नान-ओवरफलो बांध और दक्षिण व्यपवर्तन बंध को नीवों की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया है। पहुंच सड़कों, रोशनी तथा निर्माण विद्युत, हाल सड़कों तथा बस्तियों के संबंध में कार्य चल रहा है।

(ग) बाण सागर परियोजना की कुशलता, मितव्ययिता तथा शीघ्रता से कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिए बाण सागर नियंत्रण बोर्ड तथा कार्यकारी समिति का गठन किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के सभी सम्बद्ध कार्य शामिल है। परन्तु इसमें नहर प्रणाली शामिल नहीं है जिसका संबंधित राज्यों नामशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा कार्यान्वियन किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति और ढाई एकड़ से कम जोत का ब्यौरा

151. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1964-65 से प्रति वर्ष 15 लाख की दर से बढ़ रही है और वर्ष 1964-65 में 3.10 करोड़ की तुलना में इस समय लगभग 5.30 करोड़ भूमिहीन व्यक्ति हैं; यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1964-65 के बाद ढाई एकड़ या 1 एकड़ जमीन वाले किसानों को ऋण-ग्रस्तता के कारण अपनी जमीन बेचनी पड़ी; यदि हां, तो सरकार यह देखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि सीमान्त किसान अपनी जमीन बेचने के लिये मजबूर न हों; और

(ग) सरकार भूमि सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि फालतू जमीन ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों में बांटी जा सके ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच के अनुसार 1974-75 में बिना भूमि के 105.3 लाख कृषि श्रमिक परिवार थे, जबकि 1964-65 में इनकी संख्या 86 लाख थी। इस प्रकार बिना भूमि के कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या में प्रति

वर्ष लगभग 2 लाख की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि होना भूमिहीन परिवारों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है।

(ख) जी नहीं। जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है, 1970-71 में एक एकड़ से कम और 2·5 एकड़ से कम की जोतों के स्वामित्व वाले परिवारों की संख्या 350 लाख तथा 504 लाख थी, जबकि 1960-61 में यह संख्या क्रमशः 224 लाख और 331 लाख थी। इसके अलावा, कृषि संगणना, 1976-77 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीमांत तथा छोटे समूहों में संक्रियागत जोतों की संख्या 1970-71 की तुलना में क्रमशः 12.6 तथा 3.4 प्रतिशत बढ़ गई। इसी प्रकार कर्नाटक में इस अवधि के दौरान सीमांत जोतों की सख्या में 17.9 प्रतिशत तथा छोटी जोतों की संख्या में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) भारत सरकार राज्यों में भूमि सुधार के प्रगति की निरन्तर रूप से समीक्षा कर रही है और राज्य सरकारों से क्रियान्वयन की गति तेज करने का अनुरोध कर रही है। विशेष रूप से भूमिहीन व्यक्तियों को अधिकतम सीमा से फालतू हुई भूमि वितरित करने सम्बंधी कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया है। 44.7 लाख एकड़ भूमि पहले ही फालतू घोषित की गई है जिसमें लगभग 15.76 लाख हैक्टयार भूमि भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तार सुविधाएं

152. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि देश के अधिकांश भागों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा घोषित उद्योग नीति के बावजूद डाक तार सुविधाओं की वहां व्यवस्था नहीं की जा रही है क्योंकि निचले स्तर के अधिकारी ऐसे क्षेत्रों को सही स्थिति की जानकारी सरकार को नहीं देते; और

(ख) क्या वर्ष 1979-80 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में डाकघर खोलने, तारघरों की सुविधाएं उपलब्ध करने, लेटर बक्स लगाने और डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सर्किल सहित देश के देहाती इलाकों में डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है। देहाती इलाकों से संबधित सूचना जनगणना तथा रिकार्डों के आधार पर प्राप्त की जाती है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1979-80 के दौरान दी जाने वाली और वर्ष 1978-79 में दी गई डाक और दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था दर्शाने वाला कार्यक्रम विवरण I, II और III में दिया गया है। अधीनस्थ घटकों से पर्याप्त पुनर्भरमण भी मिलता है जो कि डाक तार विभाग में विकास कार्य की योजना को आधार बनाता है।

विवरण-1

1978-79 में डाक विकास

	समूचा देश		उत्तर प्रदेश	
	लक्ष्य (योजना प्रपत्र के अनुसार)	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(1) देहाती इलाकों में खोले गए डाकघर	5,000	5,753	750	773
(2) देहाती इलाकों में लगाए गए लेटर बक्स	50000	64,038	6,500	8,484
(3) उन गांवों की संख्या जहां चल डाकघरों के जरिए डाक काउंटर सुविधा प्रदान की गई	10000	14,538	800	1,901
(4) नित्य वितरण और लेटर बक्सों से डाक निकासी के लिए विक्रय कार्य हेतु विशेष तौर पर नियुक्त विभागेतर एजेंटों की संख्या	10,000	10,814	1200	1,248

विवरण-2

देहाती इलाकों में 1979-80 में डाक विस्तार का लक्ष्य

	पूरे देश के लिए लक्ष्य	उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य
(1) नए खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या	5,000	750
(2) लगाए जाने वाले अतिरिक्त लेटर बाक्सों की संख्या	50,000	6,500
(3) उन गांवों की संख्या जहां चल डाकघरों के जरिए काउंटर सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी	10,000	1,100
(4) वितरण सेवा सुदृढ़ करने तथा पत्रों की लेटर बाक्सों से निकासी हेतु नियुक्त किए गए विभागेतर एजेंटों की संख्या	10,000	1,100

विवरण-3

उत्तर प्रदेश के देहाती इलकों में तार सुबिधा की प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	खोले गए संयुक्त डाकतार घरों की संख्या
1977-78	300	400 (देश में अधिकतम)
1978-79	320	714 (देश में द्वितीय अधिकतम)

1979-80 में तार सुविधाओं के विस्तार का लक्ष्य

वर्ष 1979-80 के दौरान देश में कुल 2,500 तारघर (संयुक्त) खोलने का लक्ष्य है जिसमें से उत्तर प्रदेश में 400 का लक्ष्य रखा गया है ।

हरदोई (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण

153. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के टेलीफोन उपभोक्ताओं की ओर से हरदोई टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यकरण के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं:

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त टेलीफोन एक्सचेंज में दोषों को दूर करने के लिये तुरंत क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हरदोई टेलीफोन एक्सचेंज की एक विशेष टीम भेजकर पूरी की पूरी मरम्मत कराई गई है । इस कार्रवाई से दोष-दर में कमी आई है । सेवा में सुधार की आशा हैं ।

दिल्ली में यमुनापार की बस्तियों का विनियमित किया जाना

154. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की यमुनापार वाली उन सभी बस्तियों को विनियमित करने का विचार रखती है जो दिल्ली नगर निगम को कर अदा कर रही हैं और यदि हां, तो किस समय तक;

(ख) क्या उपर्युक्त बस्तियों में जलपूर्ति, मल प्रवाह तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के प्रबंध किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ये प्रबंध कब तक किए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 30-6-1977 तक बनी रिहायशी संरचनाओं में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के सरकारी आदेशों के अनुसार, यमुनापार की 184 बस्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाएगा । यह कार्य प्रगति पर है किन्तु यह बताना संभव नहीं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि वे इन बस्तियों में कुछ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन जलपूर्ति अथवा मल जल की व्यवस्था का कार्य कालोनियों के नियमित होने के बाद आरम्भ किया जाएगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हो जाएं और लाभ भोगियों द्वारा विकास प्रभारों का भुगतान कर दिया जाए। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

डाक स्टेशनरी की कमी

155. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से भागों में अब भी डाक स्टेशनरी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में डाक स्टेशनरी अर्थात् अन्तर्देशीय पत्र, कार्डों और लिफाफों की कमी हुई है।

(ख) इन मदों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय के साथ बातचीत हुई है है जो भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक का नियंत्रण प्राधिकरण है। नए मुद्रण यन्त्रों के संस्थापन के कारण अन्तर्देशीम पत्रों का उत्पादन बन्द हो गया है। डाक सर्किलों के अध्यक्षों को यह अनुमति प्रदान कर दी गई है कि वे स्थानीय प्रेसों से तैयार किए गए बगैर टिकट छपे सादा अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफे अपने यहां रखें और उन पर डाक टिकट लगाकर डाकघरों के माध्यम से बेचें। डाक लेखन सामग्री ले जाने वाले रेल के माल डिब्बों की गति तीव्रतर कर दी गई है और नासिक रोड से गन्तव्य स्थानों तक ऐसे माल डिब्बों के सुरक्षा के लिए डाक कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है।

एशियाई खेलों के बारे में हुई प्रगति

156. **श्री कंवर लाल गुप्त** :

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में होने वाले एशियाई खेलों के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस बारे में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) मुख्य परियोजनाएं क्या हैं और भारत में एशियाई खेल आयोजित करने के लिये प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि खर्च की जायेगी;

(घ) सरकार द्वारा आवश्यक प्रवन्ध करने के लिये स्थापित की गई विभिन्न समितियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) दिल्ली से कितने संसद सदस्य इससे सम्बद्ध हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) से (घ) : 1982 में होने वाले एशियाई खेलों की व्यवस्था, भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा

स्थापित प्रबन्ध समिति द्वारा की जाएगी। सरकार इस सम्बन्ध में उसकी सहायता करेगी। स्टेडियम, आवास, संचार इत्यादि संबंधी संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार विशेष रूप से उनकी मदद करेगी। इस प्रयोजन से सरकार ने गृह मन्त्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है। संचालन समिति ने अनेक समितियां स्थापित की हैं जिनके नाम विवरण में दिए गए हैं। अनेक खेलों के लिए स्थानों के संबंध में निर्णय इस माह के अन्त तक ले लिये जाने की आशा है। इस निर्णय के आधार पर ही प्रत्येक परियोजना की लागत का अनुमान लगाया जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए 21.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। अब तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(ङ) यह रिपोर्ट की गई है कि दिल्ली के छ: संसद सदस्य प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध हैं। संचालन समिति में, दिल्ली के एक संसद सदस्य इसमें सम्मिलित हैं।

विवरण

1. वित्तीय तथा समन्वय समिति।
2. स्टाफ समिति।
3. निर्माण समिति।
4. सूचना तथा प्रसारण समिति।
5. स्वास्थ्य समिति।
6. कानून और व्यवस्था समिति।
7. परिवहन समिति।
8. संचार समिति।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

157. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितनी अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया गया है और ऐसी बस्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) शेष अनधिकृत बस्तियों के संबंध में क्या प्रगति है;

(ग) नियमित की गई बस्तियों में क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं अथवा इस वर्ष इन नियमित की गई बस्तियों में क्या सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन अनधिकृत बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन बस्तियों में कितनी धनराशि खर्च की गई है जिन्हें नियमित किया गया था;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ऐसे 611 संघटीकरणों में से दिल्ली की 98 अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया गया है जिनमें कालोनियों और गांवों के एक्सटेंशन भी शामिल हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 97 कालोनियों के विन्यास नकशे तैयार करने और उन्हें अन्तिम रूप देने संबंधी कार्य चल रहे हैं और अन्य कई कालोनियों में सर्वेक्षण कार्य तथा आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) दिल्ली नगर निगम नियमित कलोनियों में विकास प्रभारों का भुगतान करने पर खड़ंजे बिछाने, खुले सतह की नालियां, पक्की सड़कें, मलजल नालियां और पानी एवं बिजली की व्यवस्था करता रहा है। मलजल की व्यवस्था निधियां उपलब्ध होने के बाद ही की जा सकती हैं।

(घ) 1. सिरीनगर

2. संजय पार्क

3. सरदार नगर

4. नामधारी कालोनी

5. मानसरोवर गार्डन (डी ब्लाक)

नियमित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों की संख्या अधिक है और नियमन का कार्य क्रमिक रूप से हो रहा है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि ऐसा कोई समेकित रिकार्ड नहीं रखा गया है और इस सूचना को संकलित करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में पट्टेदारी समाप्त करना

158. **श्री कंवर लाल गुप्त** :

श्री दुर्गाचन्द : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पट्टेदारी समाप्त करने में और विलम्ब किया जाएगा;

(ख) दिल्ली में पट्टेदारी समाप्त करने के लिए सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) इससे कितने लोग प्रभावित होंगे और इसका वित्तीय असर क्या होगा; और

(घ) इस सबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और सरकार के सामने कौन-कौन से प्रस्ताव हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में पट्टेदारी प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण तथा दूरगामी उलझनें शामिल हैं जिनकी गम्भीरता से जांच की जा रही है।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे तथा वित्तीय प्रभाव क्या होगा क्योंकि ये भी कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त अभ्यास अभी भी जारी है तथा इसके पूर्ण हो जाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्न के आबंटन में वृद्धि

159. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से दबाव के कारण केन्द्र स्थित खाद्य विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न का आबंटन बढ़ाने हेतु वित्त मन्त्रालय से अनुमोदन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में इसके कार्य से सन्तुष्ट है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। कुल मिलाकर काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम है और यह ग्रामीण लोगों में काफी लोकप्रिय बन गया है।

धान के उत्पादन के आंकड़े

160. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रति क्विंटल धान के उत्पादन की लागत क्या है;

(ख) आदान (इनपुट) की लागत 4, बैल, मानवीय श्रम तथा अन्य खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानवीय श्रम की लागत का हिसाब लगाते समय संबंधित राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और प्रचलित मजदूरी जिसके आधार पर श्रम की लागत का हिसाब लगाया गया है, के बीच क्या अन्तर है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जैसा कि प्रमुख फसलों की खेती/उत्पादन की लागत की बृहत योजना से प्राप्त हुआ है, योजना के अन्तर्गत लिए गए विभिन्न राज्यों में नवीनतम वर्ष के लिए प्रति क्विंटल धान के उत्पादन की लागत के अनुमान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) चार शीर्षों अर्थात (1) आदानों की लागत (2) बैल श्रम, (3) मानव श्रम और (4) नकद तथा वस्तु दोनों के रूप में अन्य खर्च, के अन्तर्गत प्रति हैक्टयार खेती की लागत का ब्यौरा भी इसी विवरण में दिया गया है।

(ग) बृहत योजना के अन्तर्गत लागत के अध्ययनों में वास्तविक व्यय तथा विभिन्न आदानों और कृषि संबंधी कार्यों पर लगाई गई लागत के संबंध में कृषकों से, जो यादृच्छिक नमूना तकनीकों के अनुसार चुने जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार मानव श्रम के बारे में लागत संबंधी आंकड़ों का संबंध भाड़े पर लिए गए श्रमिकों के बारे में वास्तविक रूप से अदा की गई लागत और उसी दर पर पारिवारिक श्रम के लिए लगाई गई लागत से है।

(घ) लागत संबंधी अध्ययन जुताई, निराई, गहाई, कटाई आदि विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न दरें बताती है। सामान्य रूप से कटाई तथा गहाई की दरें ऊंची हैं, जबकि जुताई तथा

निराई की दरें कम हैं। राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी भी कार्य की श्रेणी, भूमि की किस्म, कार्य के स्वरूप आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न है। बृहत योजना के अन्तर्गत ली गई जोतों के बारे में मजदूरी की वास्तविक दरों की तुलना में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

विवरण

(क) प्रति क्विटल धान के उत्पादन की लागत,

(ख) विभिन्न वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बैल श्रम, मानव श्रम की लागत का ब्यौरा तथा नकद एवं वस्तु के रूप में अन्य व्यय के अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

राज्य	वर्ष	अनुमानित लागत (रुपयों ड) प्रति हैक्टयार				
		प्रति क्विटल उत्पादन	भौतिक आदान की लागत	बैल श्रम	मानव श्रम	अन्य व्यय (नकद तथा वस्तु के रूप में)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1976-77 पी.	85.97	714.58	201.68	645.21	1651.88
असम	1976-77 पी.	54.60	67.29	165.37	376.29	494.29
बिहार	1974-75	69.17	162.00	268,55	311.35	782.67
कर्नाटक	1975-76	69.36	659.48	318.57	598,39	1683.86
मध्य प्रदेश	1976-77 पी.	68.83	227.01	139.19	286.59	67[illegible].17
उड़ीसा	1976-77 पी.	67,58	273.00	200,11	421.13	752.28
तमिलनाडु	1976-77 पी.	90.79	636.70	317.29	614.81	1399.47
उत्तर प्रदेश	1976-77 पी.	88.41	282.50	279.38	623.37	966.17
पश्चिम बंगाल	1976-77 पी.	85.31	280.62	406.77	556.23	1074.73

पी—अनंतिम

टिप्पणी : भौतिक आदानों की लागत में बीज, उर्वरक तथा खाद, कीटनाशी औषधियों की लागत तथा सिंचाई का शुल्क शामिल है।

इण्डिया गेट नई दिल्ली में गांधी जी की प्रतिमा

161. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली के सामने खुले मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिम स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) इस काम के लिए चुने गए मूर्तिकार द्वारा निर्धारित शर्तों की जांच की जा रही है। ज्योंही शर्तें तय हो जाएंगी,

औपचारिक करार तैयार कर दिया जाएगा। इसी बीच समस्त क्षत्र का भू-दृश्य संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जहां यह प्रतिमा स्थापित की जानी है।

इन्डिया गेट, नई दिल्ली के निकट पांच स्टार वाले होटलों का निर्माण

162. **श्री पी० के० कोडियन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया गेट क्षेत्र के निकट कुछ पांच स्टार वाले होटल और बनाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक प्रकोपों के लिए राष्ट्रीय राहत कोष

163. **श्री डी० अमात** :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखा, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के समय तदर्थ सहायता देने की बजाय नियमित रूप से सहायता देने के लिये राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) एक राष्ट्रीय राहत निधि का सृजन करने का प्रस्ताव किया गया है और लोक सभा में इस बारे में एक गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया है। इस बिल में, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के अंशदान द्वारा एक सांविधिक निधि का सृजन करने की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

क्रिकेट मेचों के लिए सहायता

164, **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या क्रिकेट टैस्ट मैचों के लिए सरकार सहायता देती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्रिकेट मैचों पर सरकार द्वारा कितना आवर्ती और अनावर्ती व्यय किया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्नासिंह गुलशन) :

सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, क्रिकेट टैस्ट मैचों पर आवर्ती अथवा अनावर्ती कोई खर्च नहीं किया है।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए मंजूर की गई धनराशि

165. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में बाढ़ नियंत्रण हेतु राज्य के लिये वर्ष 1979-80 के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि नालन्दा (बिहार) जिले के अनेक खंड हर वर्ष बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन स्थापित किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार राज्य में नालन्दा जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिये अठारह करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वार्षिक योजना विचार-विमर्शों के अनुसार 1979-80 म बिहार के बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए प्रस्तावित परिव्यय 18 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक आबंटन का पता नहीं है।

(ख) नालंदा जिला विहार में कम बुरी तरह प्रभावित बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में से एक है। जिले में बाढ़ नियंत्रण प्रभागों के गठन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) नवम्बर, 1978 में बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निकास कार्यों की कार्य-योजना में जिसके 5 से 7 वर्षों की अवधि में प्रभावी सिद्ध होने की संभावना है, लगभग 24.5 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 95,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लाभ के लिए तटबंधों के निर्माण, जल-निकास चेनलों की खुदाई और ग्राम सुरक्षा कार्यों की स्कीमें नालंदा जिले के लिए शामिल की गई हैं।

दिल्ली और अन्य नगरों को बाढ़ों से बचाने की रक्षात्मक कार्यवाही

166. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : दिल्ली और अन्य नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बाढ़ों से बचाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : दिल्ली नगर को यमुना नदी की बाढ़ों से बचाने के लिए, उत्तर दिशा में दिल्ली-हरियाणा सीमा से वजीराबाद बराज तक के यमुना नदी के दक्षिण तट के पार्श्व तटबंधों का पुनर्निर्माण किया गया है तथा पिछले वर्ष की बाढ़ों के दौरान जहां कहीं वे क्षतिग्रस्त हो गए थे उन्हें सुदृढ़ किया गया है और नदी के वर्तमान मार्ग से लगभग 160 मीटर पीछे पल्ला और सुंगरपुर के निकट एक बांध बनाया गया है। यमुना के बाएं किनारे पर उत्तर दिशा में दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा से लेकर दक्षिण में ओखला वियर तक के तटबंधों की मरम्मत की गई है और उनमें सुधार किए गए हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त, नदी के कटाव से तटबन्धों को सुरक्षित करने के लिए तटबंधों में ठोकरों, स्टडों, स्टोन पिचिंग और एप्रन के रूप में कटाव-रोधी उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। एक नई स्कीम, जिसमें वर्तमान बवाना एस्केप को

ग्रान्ड ट्रंक रोड के साथ-साथ और तब रोड नं० 50 की उत्तरी तरफ मे साथ-साथ व्यपवर्तित करने की परिकल्पना की गई है जो बजीराबाद बराज के अनुप्रवाह में यमुना में गिरेगा, क्रियान्वयन की प्रौढ़ावस्था में है। यमुना नदी के लिए, दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही बाढ़ नियंत्रण की मास्टर योजना को बनाने में शीघ्रता की जा रही है।

साहिबी, नजफगढ़ और अन्य संबंधित निकास प्रणालियों से दिल्ली के शहरी और ग्रामीण इकालों को बचाने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर ढासा बांध का निर्माण किया गया है और निकास व्यवस्था के प्रभावकारी ढंग से काम करने के लिए नजफगढ़ नाले में सुधार किया गया है। इन कार्यों के अतिरिक्त, दिल्ली को साहिबी नदी की बाढ़ों से बचाने के लिए जल संचय जलाशयों का निर्माण तथा वाटर शेडों में सुधार करने जैसे विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है। जैतपुर निकास स्कीम और शाहदरा निकास स्कीम जैसी कई अन्य स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं।

1954 में देशव्यापी आधार पर प्रारम्भ किए गए बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,834 किलोमीटर तटबंधों और 19,168 किलोमीटर निकास चैनलों का निर्माण हो चुका है। मार्च, 1978 के अन्त तक कुल लगभग 646 करोड़ रुपये व्यय करके 261 नगरों को सुरक्षित करने और 4,696 गाँवों को बाढ़ स्तर से ऊँचा उठाने का काम किया जा चुका है। लगभग सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ पूर्वसूचना सेवा स्थापित की गई है ताकि पर्याप्त सीमा तक जन और सम्पत्ति की हानियों से बचने के उद्देश्य से समय पर की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके। इस सेवा को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है और आधुनिक बनाया जा रहा है। इन कार्यों से लगभग 10 मिलियन हैक्टेयर बाढ़-प्रवण क्षेत्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। इन क्षेत्रों में लखनऊ, पटना, दरभंगा, डिब्रूगढ़, सूरत, होसंगाबाद, भरतपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर तथा आबादी वाले कई ग्रामीण क्षेत्र शामिल है।

लिंक रोड, नई दिल्ली स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत वर्कशापें/दुकानें

167. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शांति वन के सामने लिंक रोड पर बड़ी सख्या में वर्कशापें तथा मोटर पार्टस की अन्य दुकानें खुल गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये वर्कशापें तथा अन्य दुकानें आपात काल के दौरान गिरा दी गई थीं क्योंकि इन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था;

(ग) यदि हाँ, तो इन अनधिकृत वर्कशापों आदि को किन कारणों से बनने दिया गया और उन्हें वहां से हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या इस संबंध में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि खाली भूमि पर अनधिकृत वर्कशाप बनाए गए थे जब न्यायालय के स्थगन आदेश इस क्षेत्र पर लागू हो गए थे। चूंकि यह स्थगन आदेश अभी भी लागू हैं, इसलिए स्थगन आदेशों की समाप्ति से पहले उन्हें हटाना संभव नहीं है। किसी को उत्तरदायी ठहराने और किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

'लेब टू लैंड' कार्यक्रम के अधीन चुने गये गांव

168. **श्री दुर्गा चंद** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में 'लेब टु लैंड' कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांव चुने गये हैं और इस प्रयोजनार्थ उनके राज्यवार, आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधायें क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्यक्रम के साथ राज्य सरकारों और स्वैच्छिक ऐजेंसियों को किस तरीके से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गांवों में प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयन्ती के अन्तर्गत प्रयोगशाला से खेत तक शीर्षक प्रयोगात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत समूचे देश के गांवों में कमजोर, सामाजिक व आर्थिक स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 परिवारों को अपनाने का निश्चय किया गया है जिनमें छोटे और सीमान्त किसान, साझेदारी में खेती करने वाले, खेतीहर मजदूर तथा अन्य सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/सम्बद्ध कृषि गृह विज्ञान महाविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के नामजद केन्द्रों द्वारा किया जाना है। विभिन्न राज्यों में स्थित अनेक संस्थाओं को कृषक परिवारों के अन्तरिम आबटन को दर्शाने वाली एक सूची साथ संलग्न है।

(ख) (i) इस कार्यक्रम में भागीदार प्रत्येक परिवार के लिए एक कृषि योजना तैयार की जा रही है;

(ii) भाग लेने वाले युवकों तथा कृषक महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है;

(iii) इस परीक्षणात्मक कार्यक्रम का संक्षेप में उद्देश्य है भागीदार कृषक परिवारों का आर्थिक उत्थान जिसमें विपणन की मौजूदा सुविधाओं को भी समाविष्ट किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम का प्रतिपादन, कार्यान्वयन, संचालन और मूल्यांकन 8 क्षेत्रीय समन्वय एककों द्वारा किया जाता है जिनकी स्थापना देश भर के 8 कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं की, जिनमें ऋण संस्थाएं भी शामिल हैं, सक्रिय सहायता और भागीदारी रहेगी। इस प्रयोगात्मक कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव का उपयोग इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किया जायेगा।

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अलावा, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों और स्वैच्छिक एजेंसियों का भी शामिल किया जायेगा।

विवरण

क्र०सं०	भा० कृ० अ० प० के संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों/स्वैच्छिक अभिकरणों का नाम	कृषक परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500030 (आ० प्र०)	5000
2.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुन्दरी-533101 (आ० प्र०)	200
3.	उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हेतु भा० कृ० अ० प० अनुसंधान कम्पलैक्स, एन्डरलाज, जावर रोड, शिलांग-793003) (मेघालय)	500
4.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट-785013 (असम)	1000
5.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पशु-चिकित्सा महाविद्यालय परिसर पटना-800014 (बिहार)	2000
6.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, पो० नामकुम, रांची-634018	200
7.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर, पो० दन्तीवाड़ा जि० बनारकांठा	4000
8.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार-123001 (हरियाणा)	800
9.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001 (हरि०)	400
10.	केन्द्रीय मुद्रा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल-132001 (हरि०)	300
11.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला-171001 (हि०प्र०)	750

1	2	3
12.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (कृषि कम्पलैक्स) पालमपुर-171005, जि० कांगड़ा (हि० प्र०)	500
13.	कृषि महाविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर)	100
14.	कृषि विज्ञान महाविद्यालय, हेब्बाल, बंगलौर-560024 (कर्नाटक)	2000
15.	भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान, 255, अपर पैलेस आर्चाड्स, बंगलौर-560006	600
16.	केरल कृषि बिश्वविद्यालय, मनुती-680651, जि० त्रिचूर (केरल)	500-750
17.	केन्द्रीय मत्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान, पो० मतेस्यापुरी, कोचिन-682029 (केरल)	300
18.	केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, पो० बा० नम्बर 1912, विनसेंट रोड, कोचिन-682018 (केरल)	500
19.	केन्द्रीय कन्दवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान, श्रीकारियम, त्रिवेन्दुरम 695017 (केरल)	200
20.	केन्द्रीय बागानीफसल अनुसंधान संस्थान पो० कुडलु, कसारगाड-670124 (केरल)	400
21.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)	3-4000
22.	मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी-431401 (महा०)	500
23.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, कृषिनगर, अकोला-44001 (महा०)	500-1000
24.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, उपोली-415712 जि० रत्नागिरि (महा०)	300
25.	केन्द्रीय मत्स्यकी शिक्षा संस्थान, जयप्रकाश रोड, बम्बई	200
26.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, 25, पुष्प कुंज, केनल रोड, न्यू रामदास पेठ, नागपुर-440001	200
27.	केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान ए-ब्लाक, न्यू मार्किट, गुरु तेग बहादुर कम्पलैक्स, टी. टी. नगर, भोपाल-462203	200
28.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि नियोजन ब्यूरो, नागपुर	100

1	2	3
29.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751001 (उड़ीसा)	500-1000
30.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक-753006	200
31.	केन्द्रीय अन्तस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, मत्स्यकी उत्पादन ताजा जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, धौली, 424, शहीद नगर, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	100
32.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, (पंजाब)	1500-2000
33.	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०)	1250
34.	केन्द्रीय मरुक्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जोधपुर-342001	300
35,	सेवा मन्दिर उदयपुर (राजस्थान)	150
36.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर-641003 (तमिलनाडु)	2500
37.	वर्किंग वोमैन फोरम आफ तमिलनाडु, 162 आर. एच. 162 आर. एच. रोड, मद्रास-600004	250-750
38.	गन्ना प्रजनन संस्थान, लाली रोड, कोयम्बटूर-641007 (तमिलनाडु)	250
39.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर-263145, जि० नैनीताल (उ० प्र०)	1000-1500
40.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अलमोड़ा-263601 (उ०प्र०)	250
41.	भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर, झांसी रोड, झांसी-284001	500
42.	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243122 (उ०प्र०)	500-1000
43.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208002	750
44.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस (उ० प्र०)	500
45.	बलवन्त राजपूत कालिज-बिचपुरी (आगरा) (उ०प्र०)	250
46.	इलाहाबाद कृषि अनुसंधान संस्थान, नैनी, इलाहाबाद (उ०प्र०)	250

1	2	3
47.	उदय प्रताप महाविद्यालय, बनारस (उ० प्र०)	100
48.	जनता वैदिक महाविद्यालय, बड़ौत, जि० मेरठ (उ० प्र०)	100
49.	अमर सिंह जाट महाविद्यालय, लखावटी, बुलन्दशहर (उ. प्र.)	100
50.	बी. एन. बी. डिग्री कालिज, राठ, हमीरपुर (उ०प्र०)	50
51.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, हरिनघाटा, पो० मोहनपुर, जि० नाडिया-741246 (प. बं०)	500-1000
52.	जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, 24 परगना, पो० बैरकपुर-743101 (पं.बं.)	200
53.	जूट प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, 12, रीजेंट पार्क, कलकत्ता-700040 (प. बं)	100
54.	केन्द्रीय अन्तस्थलीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर-743101 (पं. बं.)	200
55.	सी. एस. एस. आर. आई, क्षेत्रीय केन्द्र, केनिंग टाऊन, 24 परगना, (प. बं.)	100
56.	कृषि महाविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	200
57.	पाली शिक्षा सदन, विश्व भारती, सिनी निकेतन जि. बीरभूमि (प. यं.)	250
58.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली-110012.	500
59.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह हेतु केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर	50
60.	केन्द्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण क्षेत्रीय केन्द्र, चण्डीगढ़	50
61.	केन्द्रीय मुद्रा व जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, 218, कोलागढ़ रोड, देहरादून-248195 (उ० प्र०)	50
62.	(के. वी. के. तथा राष्ट्रीय प्रदर्शन एककों हेतु) पांडिचेरी (तमिलनाडु)	200-250
63.	आई. जी. एफ. आर. आई. उप केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र, बनसाबल, निकट श्रीनगर (जम्मू कश्मीर)	100

असम में सूखा

169. **वेदब्रत बरुआ** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष असम में असाधारण सूखे के कारण असम सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या असम में सूखे के कारण हुई क्षति का जायजा लेने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है;

(ग) केन्द्रीय अथवा राज्य की एजेन्सियों के अनुसार सूखे के कारण वहां कितना नुकसान हुआ है;

(घ) सूखे की भीषणता को न्यूनतम करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए तात्कालिक उपाय क्या हैं; और

(ङ) भविष्य में इस तरह के नुकसान की रोकथाम के लिये सुझाए गए दीर्घकालीन उपाय क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सूखे से पटसन और आहू धान की फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि बोए जाने वाले क्षेत्र में कमी आने और कम पैदावार होने के कारण पटसन के उत्पादन में 2.79 लाख गांठों का नुकसान हुआ है जिसका मूल्य 10 करोड़ रु० हो सकता है। इसी प्रकार आहू धान की फसलों के उत्पादन में 25 करोड़ रु० के मूल्य के 1.40 लाख मीटरी टन धान का नुकसान होने का अनुमान है। पर्याप्त वर्षा के अभाव में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेय जल की कमी हो गई है। इससे भूमिहीन कृषि श्रमिक तथा सीमांत कृषक बेरोजगार हो गए हैं।

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 18 और 19 जून को राज्य का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार को 461.50 लाख रु० की अग्रिम योजना सहायता का नियतन किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार को 1 करोड़ रु० का अल्पावधि ऋण भी दिया गया है।

(ङ) राज्य सरकार लघु सिंचाई के विकास के लिये योजना स्कीमें चला रही है। सिंचाई स्रोतों के निर्माण के लिये लघु तथा सीमांत कृषकों को केन्द्रीय क्षेत्र, लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा आई. आर. डी. कार्यक्रमों के तहत राज सहायता के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि भी उपलब्ध की जाती है। सिंचाई क्षमता में इस प्रकार वृद्धि करने से भविष्य में कुछ सीमा तक अभाव की स्थिति से निपटने की आशा की जाती है।

एक केन्द्रीय दल द्वारा सूखाग्रस्त पश्चिम बंगाल का दौरा

170. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :

श्री के० बी० चेतरी :

श्री डी० अमात : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जून, 1979 में इस राज्य का दौरा किया था;

(ख) क्या उक्त दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, पश्चिम बंगाल सरकार को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन 1025 लाख रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई है :

		(लाख रुपए)
(1)	पटसन के लिए यूरिया का पर्णय छिड़काव	35
(2)	मिनिकिट विवरण	15
(3)	लघु सिंचाई	50
(4)	जलाशयों का सुधार	51
(5)	लघु सिंचाई	50
(6)	पहुंच मार्ग	100
(7)	लघु सिंचाई कार्यों की पुनर्व्यवस्था	164
(8)	ग्रामीण जल सप्लाई का सुधार (शहरी जल सप्लाई का सुधार)	200
(9)	रोजगार सृजन की योजनाएं	360
	योग :	1025

इसके अलावा, खरीफ फसलों के लिए 5 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण नियुक्त किया गया है।

राजस्थान में अकाल प्रभावी गांवों के लिए केन्द्रीय सहायता

171. **श्री एस. एस. सोमानी :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन गावों की संख्या कितनी है जिन्हें अकाल प्रत्याशी घोषित किया गया है,

(ख) क्या जैसलमेर में विद्यमान सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बारे में सर्वेक्षण कर कुछ और गांवों को सूखा प्रभावित गांव घोषित करने के प्रयास कर रही है; और

(ग) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी सहायता दी।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला में कर्मचारी

172. **श्री के० ए० राजन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी की स्थापना अक्तूबर, 1965 में हुई थी, और यह संस्थान राष्ट्रपति निवास, शिमला में चल रहा है;

(ख) क्या इन सभी वर्षों में संस्थान का कार्यकरण संतोषजनक और उपयोगी पाया गया है;

(ग) इस समय वहां, कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने 1 सितम्बर 1979 से संस्थान बन्द करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सरकार की नीति के अनुसार कोई कर्मचारी बेरोजगार न हो ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। जिस ढंग से संस्थान कार्य कर रहा था और जिस ढंग से शैक्षिक कर्मचारीगण के चयन को पद्धति अपनाई गई थी तथा उसके सम्पूर्ण प्रशासन के विरुद्ध आलोचना की गई थी। संस्थान में शैक्षिक कार्य की कोटि और शैक्षिक समुदाय पर उसके प्रभाव के बारे में संदेह भी व्यक्त किए गए थे।

(ग) 140 जिसमें 4 प्रतिनियुक्ति व्यक्ति तथा एक पुनः नियुक्त पेंशनभोगी शामिल हैं।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) सितम्बर 1977 में भारत सरकार ने संस्थान के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए समिति नियुक्त की थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया था कि जिस ढंग से संस्थान इस कार्य को कर रहा है उसको देखते हुए उसका जारी रहना उचित नहीं है और यदि संस्थान को जारी रखना है तो उसके रूप में परिवर्तन और उसके उद्देश्यों में संशोधन करना चाहिए। समिति ने शिमला में स्थित उच्च अध्ययन संस्थान के सम्बन्ध में आरम्भ से ही कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया। संस्थान को किसी ऐसे अन्य स्थान में, जिसकी परम्परा बौद्धिक

रही हो, और जिसकी शिमला में कमी है वहां ले जाने पर होने वाले खर्च के विषय में भी विचार किया था किन्तु ऐसा करने में बड़ी मात्रा में खर्च होने को ध्यान में रखकर सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि संस्थान को बन्द करने मे ही अधिक लाभ है।

(च) और (छ) संस्थान एक सोसायटी द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए उसके स्टाफ को सरकारी संगठनों में खपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि कुछ अन्य स्वायत्त संगठनों में वैकल्पिक रोजगार देने की सम्भावनाओं की खोज की जाएगी।

वेस्टर्न कोर्ट भवन को भारतीय पर्यटन विकास निगम के सुपुर्द करना

173. **श्री के० के० राजन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वेस्टर्न कोर्ट भवन को भारतीय पर्यटन विकास निगम के हवाले करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण बताएं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, चूंकि होस्टल में भोजन सम्बन्धी सेवाओं के विषय में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, इसलिए संसद के दोनों सदनों के अध्ययनों की आवास समिति की संयुक्त समिति की बैठकों में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था और यह निर्णय किया गया है कि इस होस्टल में भोजन सम्बन्धी प्रबन्ध व्यवस्था को 1-6-79 (अपराह्न) से निम्नलिखित दरों पर भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंप दी जाएं :

संसद सदस्यों के लिये दरें :		संसद सदस्यों के अतिथि गैर सदस्यों के लिए दरें/जिन्हें होस्टल में पृथक वास आबटित किए गए हैं :
(i) मांसाहारी 16.00 रुपये प्रति दिन प्रति व्यक्ति		25.00 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
(ii) शाकाहारी 15.00 रुपये	वही	
(iii) मांसाहारी दोपहर के खाने के बिना 13.00 रुपये	वही	
(iv) शाकाहारी दोपहर के खाने के बिना 12.00 रुपये	वही	

बिहार में नालन्दा जिले में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम

174. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा जिले में, 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये 25 लाख रुपये का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसकी क्रियान्विति किस प्रकार की गई है;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों, इंजीनियरों आदि को इसकी दोषपूर्ण क्रियान्विति और झूठी रिपोर्टों के लिये निलम्बित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बड़ौदा में मदर डेरी के दूध के मूल्य में वृद्धि

175. **श्री के० ए० राजन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी ने बड़ौदा में सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्य में वृद्धि की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि के विरोध से व्यापक आन्दोलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामलों में कोई निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बड़ौदा शहर में बड़ौदा डेरी न कि मदर डेरी दूध का वितरण कर रही है। बड़ौदा डेरी ने 1-6-1979 से दूध के मूल्य में 30 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि की थी।

(ख) दूध के उत्पादन की लागत में समग्र रूप से वृद्धि होने तथा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने के कारण दूध के मूल्य में वृद्धि की गई थी।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) डेरी के प्राधिकारियों और आन्दोलनकारियों ने यह मामला भारतीय डेरी निगम राष्ट्रीय/डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष, डा० कुरियन को उनकी सलाह के लिए सौंपा था। डा० कुरियन के सुझाव पर 11-6-79 से उनके द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिए जाने तक मूल्य में 10 पैसे प्रति लिटर की कमी की गई थी।

चीनी का उत्पादन

176. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की पेराई के मौसम के अंत में चीनी का उत्पादन 1978-79 में उससे पहले वर्ष के कीर्तिमान स्तर से कम हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष 60 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा न हो पायेगा, जैसा कि चीनी उद्योग का अनुमान था; और

(ग) यदि हां, तो इस समय कारखानों के पास जमा भंडार का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) और (ख) चालू मौसम 1978-79 के दौरान 22 जून तक चीनी का उत्पादन 58.29 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है जबकि 1977-78 मौसम की उसी तारीख तक 62.58 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था। यह अनुमान है कि 1978-79 मौसम के दौरान चीनी का कुल उत्पादन लगभग 59.25 लाख मीटरी टन होगा।

(ग) 22, जून 1979 को फैक्ट्रियों के पास चीनी का कुल इतिशेष स्टाक 41.60 लाख मीटरी टन था।

डाक तथा तार विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए रियायतें

177. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने डाक तथा तार विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए अनेक रियायतों की घोषणा की है, जिनमें ठोस पदोन्नति नीति और अपेक्षाकृत अच्छी सेवा की शर्तें सम्मिलित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने डाक तथा तार विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए किसी रियायत, जिसमें पदोन्नति नीति शामिल है, की कोई घोषणा नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

धान की कीमतों के बारे में तमिलनाडु में आन्दोलन

178. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1979 के तीसरे सप्ताह में तमिलनाडु में कृषकों द्वारा आन्दोलन उनके धान में अलाभकर मूल्य दिये जाने के कारण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो धान उत्पादकों को लाभकरी मूल्य दिये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : तमिलनाडु सरकार से सूचना मांगी गई है।

(ख) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि मूल्य आयोग उत्पादन लागत के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों और धान उत्पादकों के लिए उपयुक्त लाभ को ध्यान में रखता है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति

179. **श्री अरविन्द बाला पंजनौर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में स्पष्टतः कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने पुराने तथा परम्परागत उपायों, जिनके कारण बड़े पैमाने पर प्रगति निष्प्रभाव हो जाती है, का ही उद्बोधन करने की बजाये उस विकास को वैज्ञानिक उपायों द्वारा तीव्र प्रगति की सम्भावना से भी जोड़ने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, कार्यक्रम को वर्ष 1979-80 तक 2500 खण्डों में कार्यान्वित करने का लक्ष्य था। कार्यक्रम के 2,300 खण्डों में शुरू किया गया है तथा शीघ्र ही इसे अन्य 300 खण्डों में शुरू कर दिया जाएगा। वर्ष 1978-79 में कार्यक्रम के लिए 103.68 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। इस धन राशि में से, 70.45 करोड़ रुपये बंटित किए गए थे। वर्ष 1979-80 के लिए, उन राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों जो बराबर की धनराशि सुलभ कर रहे हैं को कार्यक्रम के लिए 154.35 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में 1000 समन्वित ग्राम विकास खण्डों के लिए प्रति खण्ड आवंटन (केन्द्रीय तथा राज्य दोनों के अंशों सहित) 5 लाख रुपये है तथा विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में अन्य 1000 समन्वित ग्राम विकास खण्डों में प्रति खंड 10 लाख रुपये है। वर्ष 1978-79 में चुने 300 खण्डों के लिए 3.3 लाख रुपये का आबंटन है जबकि वर्ष 1979-80 में चुने 300 खण्डों को 2.6 लाख रुपये प्राप्त होंगे। वर्ष 1978-79 के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए 18,34,349 भागीदारों का पता लगाया गया था। उनमें से 7,94,545, भागीदारों को वर्ष के दौरान सहायता दी गई थी।

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा की गई विस्तृत खण्ड योजनाओं से भौतिक लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

(ख) जी हां। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को समन्वित ग्राम विकास खण्डों में शुरू किए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा रहा है जैसे कि प्रत्येक केन्द्र में 100 फार्म परिवारों वाले 500 केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया लैब टू लैण्ड कार्यक्रम है।

टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में भंडार की सुविधाएं

180. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में किसी भी मंडी में किसानों को 'सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन' और 'स्टेट वेयर हाउसिंग' के गोदामों जैसी भंडारण की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) टीकमगढ़ जिले में इन विभागों द्वारा निवाड़ी, जतारा, खरगापुर, पलेरा, प्राथीपुर में उपर्युक्त सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि टीकमगढ़ सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोदामों की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी गेहूं की बिक्री बहुत कम कीमत पर करनी पड़ती है और हानि उठानी पड़ती है और उन्हें बैंकों से आसानी से ऋण भी नहीं मिल पाता है, सरकार टीकमगढ़ जिले में गोदामों के शीघ्र निर्माण की कार्यवाही करेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) (ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम टीकमगढ़ जिले के टीकमगढ़ और निवाड़ी में एक-एक भण्डागार चला रहा है जिनकी क्षमता क्रमश: 1549 मीटरी टन और 3081 मीटर टन है। केन्द्रीय भण्डागार निगम टीकमगढ़ जिले में कोई भी भण्डागार नहीं चला रहा है। भारतीय खाद्य निगम के पास टीकमगढ़ में 5000 मीटरी टन (निजी) और 2348 मीटरी टन (कवर और प्लिंथ) और निवाड़ी में 17500 मीटरी टन की क्षमता है।

क्षेत्रों की क्षमता तथा उनकी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने के बाद भण्डारण केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। राज्य । भाण्डागार निगम के पास उपर्युक्त स्थानों पर भण्डारण सुविधाएं हैं लेकिन अन्य स्थानों पर केन्द्रीय भण्डागार चलाने के लिए पर्याप्त क्षमता सुलभ नहीं है ।

बाण सागर योजना से जल मग्न होने वाले गांव

181, **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाण सागर योजना से कितने गांव जलमग्न हो जायेंगे और सरकार की प्रभावित लोगों के पुनर्वास की क्या योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि इन विस्थापित लोगों के पुर्नबास के लिये 15 करोड़ रुपये की लागत से दस आदर्श गांवों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) इस समय बाण सागर बांध निर्माण के किस चरण में है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) अनुमान है कि बाण सागर स्कीम के अन्तर्गत जलमग्न होने से 257 गांव प्रभावित होंगे।

भूमि अधिग्रहण और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित मानदण्डों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) बांध पर कार्य आरम्भ हो चुका है। दाहिने नान-ओवरफलो बांध और दाहिने व्यपवर्तन बंध की नीवों की खुदाई का कार्य आरम्भ हो चुका है। पहुंच मार्गों, रोशनी और निर्माण विद्युत, हाल रोड और कालोनी पर हो रहा कार्य प्रगति पर है ।

राजघाट बांध योजना से जलमग्न होने वाले गांव

182. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजघाट बांध योजना से कितने गांव जलमग्न हो जायेंगे;

(ख) इस समय राजघाट बांध निर्माण के किस चरण पर है; और

(ग) राजघाट बांध से कितने मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस बात की संभावना है कि राजघाट जलाशय द्वारा 36 गांव जलमग्न हो जायेंगे। राज्य सरकार के पास प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :

1. 10 माडल गांवों की व्यवस्था।
2. कृषि के लिए विकसित भूमि की व्यवस्था।
3. क्षतिग्रस्त घरों से मिलने वाली सामग्री के लिए मुफ्त वाहन सुविधाओं की व्यवस्था। (विस्थापित व्यक्तियों को भी स्टील संरचनाओं, गरडर्स, जी० सी० शीट आदि के अलावा बची हुई सामग्री ले जाने की अनुमति दी जानी है बेशक उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है)।
4. पंचायत भवन, स्कूल, औषधालय, बाजार आदि सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था।
5. पीने के पानी के कूओं, गांव की सड़कों, सफाई, बिजली, गांव के तालाबों आदि की व्यवस्था।
6. 750/- रुपये प्रति परिवार के हिसाब से पुनर्वास अनुदान।

(ख) इस समय निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैं :

1. जलमग्न क्षेत्र का सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक और परिस्थिति को (इकालाजिकल) सर्वेक्षण।
2. निर्माण सामग्री की जांच।
3. अभिकल्प और ड्राइंग तैयार करना।
4. कुछ मदों के लिए निविदाएं मंगाना।
5. कालोनी का निर्माण।
6. बांध की नींव का स्ट्रिपिंग।

(ग) परियोजना के विद्युत हिस्से की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रारम्भिक मूल्यांकन से इस परियोजना से 30 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की संभावना का पता चलता है।

आपात स्थिति की ज्यादतियों से पीड़ित व्यक्ति

183. **श्री दिलीप चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान उनके मंत्रालय के अन्तर्गत इससे पीड़ित होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने व्यक्तियों को अब तक बहाल किया जा सका है;

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार को आपात स्थिति की ज्यादतियों के संबंध में निरन्तर मिलने वाली शिकायतों की जानकारी है जिससे तकनीकी प्राध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के प्राध्यापक और कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) परेशान किए जा रहे कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास योजनाएं

184. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भूमिहीन मजदूरों के लिए एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत आगामी चार वर्षों में चार लाख मकान बनाने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजन के लिए धनराशि का आबंटन करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन करने को सहमत हुई है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने आवास समस्या को अनेक प्रकार से कदम उठाकर हल करने का निश्चय किया था परन्तु धनराशियों की कमियों के कारण राज्य सरकार उसे कार्यान्वित करने में असमर्थ है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार को क्या सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि राज्य सरकार गुजरात राज्य में निर्धनों की मकान संबंधी आशाओं को पूरा करने में सफल हो सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गुजरात राज्य की पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (1978-83) में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए चालू योजनावधि में 3.25 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त योजना के लिए निधियों की मांग को योजना परिव्यय में दर्शाया गया है।

(ग) योजना आयोग जो आवास सहित राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्र योजना के अन्तर्गत निधियों का नियतन करता है, उन्होंने गुजरात राज्य के लिए 1979-80 हेतु 10.32 करोड़ रुपये (आर. एम. एन. बी. के अन्तर्गत 3.00 करोड़ रुपयों सहित) के परिव्यय अनुमोदित किये हैं।

(घ) तथा (ङ) 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में आवास क्षेत्र के अन्तर्गत 1538 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। विभिन्न राज्यों के लिए निधियों की मांग की व्यवस्था इसी

सीमा में करनी होगी । इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग वार्षिक परिव्यय की स्वीकृति के लिए हर वर्ष विचार विमर्श करता है । वित्तीय प्रतिबन्धों को देखते हुए योजना आयोग राज्य सरकारों की यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक सहायता करने की हर कोशिश करता है ।

नर्मदा जल विवाद

185. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद के समाधान में विलम्ब होने के कारण संबंधित राज्यों, विशेषकर गुजरात राज्य को भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम रूप से समाधान करने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने नर्मदा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो वे परियोजाएं क्या हैं और क्या इन नर्मदा परियोजनाओं के निष्पादन से नर्मदा विवाद और उलझ जाएगा; और

(ङ) सरकार को किस समय तक शीघ्र समझौता हो जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यह वास्तविकता है कि विवाद के कारण सम्बद्ध राज्यों के लिए नर्मदा बेसिन के जल संसाधनों का विकास करना सम्भव नहीं हुआ है ।

(ख) जानकारी उत्तर के भाग (ङ) के अन्तर्गत दी गई है ।

(ग) और (घ) नर्मदा जल के अपने पूरे भाग का उपयोग करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार का 29 बृहद सिंचाई बहुद्देशीय परियोजनाओं, 450 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 3000 से अधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है । गुजरात सरकार ने नर्मदा जल के अपने भाग का उपयोग करने के लिए नवगाम में सरदार सरोवर बांध और नहर परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया है । राज्य सरकारों ने छठी तथा इसके बाद की योजनाओं में उनको उपलब्ध होने वाले सम्भावित वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों को ध्यान में रख कर पहले से ही इस बारे में एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है । यह नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के ढांचे के भीतर होगा और इसलिए ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न होगी ।

(ङ) क्योंकि इस विवाद को बातचीत करके नहीं सुलझाया जा सका इसलिए इसे अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पास न्याय निर्णय के लिए भेज दिया गया था । न्यायाधिकरण के अगस्त, 1978 में इसके द्वारा मालूम किए गए तथ्यों को निर्धारित करके और इसे निर्दिष्ट मामलों के बारे में अपने निर्णय देकर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी । उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा सभी भागीदार चारों राज्यों ने न्यायाधिकरण से कुछ विषयों के बारे में कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण अथवा मार्ग-दर्शन मांगा गया है । ये विषय अब न्यायाधिकरण के विचारा-

धीन हैं। न्यायाधिकरण अपने कार्य को यथा सम्भव शीघ्र पूरा करने का अधिक से अधिक प्रयास कर रहा है और शीघ्र ही एक और रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा जिसमें ऐसे स्पष्टीकरण अथवा मार्ग-दर्शन दिए होंगे जिन्हें न्यायाधिकरण ठीक समझता है और ऐसे मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वित के लिये बैठक

186. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिये प्रभावशाली उपाय करने हेतु 1 मई, 1978 से विभिन्न राज्य सरकारों की शृंखला में बैठकें बुलाई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में हुई चर्चाओं के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इनकी क्रियान्विति के लिये कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। कृषि और सिंचाई मंत्रालय का देश के विभिन्न कृषि-परिस्थिति की क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव है ताकि वर्ष 1979-80 के दौरान कृषि और ग्राम विकास कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श किया जा सके।

(ख) तीन क्षेत्रीय बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए पहली क्षेत्रीय बैठक कोचीन में । और 2 मई, 1979 को हुई। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दूसरी क्षेत्रीय बैठक 14 और 15 मई, 1979 को गोहाटी में हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए तीसरी बैठक 22 और 23 जून, 1979 को अहमदाबाद में हुई। ग्राम बैठकों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में कृषक दलों में गहराई से हुए विचार-विमर्श के आधार पर कारगर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किये गये ताकि 1979-80 की वार्षिक योजना में निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(1) अधिक कृषि उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिये समेकित पैकेज सेवाओं और नीतियों के जरिये उन्नत टैक्नोलोजी को हस्तान्तरित करने के प्रयासों में तेजी लाई जाय;

(2) ब्लाक-वार तथा जिला-वार उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का पता लगाया जाय और उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए कदम उठाये जायं;

(3) दालों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए, जिसमें सिंचित परिस्थितियों में उनकी खेती तथा अन्तर्वर्ती फसल लेना शामिल है, सम्मिलित प्रयास किये जायें। अच्छी किस्म के 'राइजोबियल कल्चर' के उत्पादन और वितरण के लिए व्यवस्था की जाय;

(4) दालों की उपयुक्त किस्मों की पहचान और विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय तथा राज्यों के अनुसंधान केन्द्रों द्वारा सम्मिलित प्रयास किये जायें;

(5) प्रत्येक राज्य में बीज संबंधी कार्यक्रमों की पुनरीक्षा की जाय और अच्छी किस्म के बीजों को सयय पर सप्लाई करने के लिए व्यवस्था की जाय और उसको क्रियान्वित किया जाय;

(6) उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाय और फसल के लिए विशिष्ट उर्वरक मिश्रणों को तैयार करके उनको लोकप्रिय बनाया जाय;

(7) अल्पावधि वाली किस्मों की पहचान एवं उनको लोकप्रिय बनाने, वनस्पति रक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा अच्छी किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न उपायों के जरिये तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि लाई जाय;

(8) फसल में होने वाले नुकसानों को कम से कम करने तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए वनस्पति रक्षण उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाय;

(9) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती को नियंत्रित करने पर विशेष बल दिया गया और वैकल्पिक उत्पादन कार्यों, चावल की सुनिश्चित सप्लाई, भूमि-उपयोग के वैकल्पिक पैटर्नों आदि के जरिये झूम खेती करने वालों की आय को सुरक्षित करने के लिए कई उपाय करने की सिफारिश की गयी;

(10) उर्वरक जैसे आदानों की सप्लाई और वितरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का पता लगाया गया और इन बाधाओं को दूर करने, सप्लाई डिपुओं का जाल बिछाने और आदानों की सप्लाई में सहायक वित्तीय एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिये गये;

(11) उत्पादन की सहायतार्थ कार्बनिक व्यर्थ पदार्थों के बार-बार उपयोग पर बल दिया गया था। उदाहरणार्थ उत्तर-पूर्व अंचल के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में जल हायलिन्थ का उपयोग;

(12) सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और खेत की नालियों के निर्माण को शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए;

(13) तूफान, सूखे और बाढ़ों जैसी मौसम की असामान्यताएं उत्पादन में अस्थिरता लाती है और जीवन तथा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाती है, अतः इस बात पर बल दिया गया कि आपदा संबंधी तैयारी को योजना का एक अनिवार्य अंग बनाया जाए। इस सन्दर्भ में, किसानों को समय पर परामर्श और सहायता देने और फसलों को बचाने की तकनीकों को शुरू करने, प्रमुख फसल मौसम को जोखिम रहित बनाने हेतु वैकल्पिक फसल कार्यशैली तैयार करने, सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में गहन प्रयासों द्वारा किसी एक मौसम के दौरान हुई हानि को दूर करने के लिए

क्षतिपूरक कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से "फसल के मौसम के बारे में निगरानी दलों" का गठन करने के लिए कहा गया था;

(14) उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि आंकड़ों के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए, जो कि इस समय अत्यन्त कमजोर है;

(15) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए विस्तृत आधार पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अपनाएं;

(16) समस्त लाभानुभोगी-पूरक कार्यक्रम समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आते हैं, अतः इन कार्यक्रमों के निरीक्षण और उनकी संवीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक ही निर्दिष्ट विभाग होना चाहिए। इसी प्रकार, जिला स्तर पर भी, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक ही एजेन्सी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए;

(17) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड के लिए योजना तैयार करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाली स्कीमें संबंधित क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास में वृद्धि के साथ-साथ अंत्योदय को भी पूरा करती है। इसको समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू की गई स्कीमों के सावधानीपूर्वक समन्वय से प्राप्त करना है।

(ग) अब तक हुई तीन आंचलिक बैठकों के विचार-विमर्श का सारांश (जिसमें सिफारिशें शामिल हैं) प्रभावी और द्रुत अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और कृषि व सिंचाई मन्त्रालय में प्रभागीय मुख्य अधिकारियों को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित विभागों से सिफारिशों की जांच करवाएं और उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अनुवर्ती कार्यवाही की प्रगति से मन्त्रालय को सूचित रखे। मन्त्रालय के प्रभागीय मुख्य अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने से संबंधित सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही शुरू करें। उनसे यह भी कहा गया है कि समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए वे राज्य सरकारों के अपने समकक्ष अधिकारी से घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखे।

राज्यों द्वारा शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति

187. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की क्रियान्विति के संबंध में कुछ राज्यों द्वारा अत्यधिक कम रुचि दिखाई गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय पांच राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 252 (1) द्वारा अपेक्षित कोई संकल्प स्वीकार नहीं किया और इस अधिनियम के लागू करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशनों के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय अधिनियम जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, सिक्किम तथा तमिलनाडु राज्यों में लागू नहीं है।

जम्मू और कश्मीर तथा केरल नगर सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर अभी विचार कर रहे हैं।

नागालैण्ड ने सूचित किया है कि उस राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में रिक्त अथवा बंजर भूमि नहीं है, अत: उस राज्य में नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 संगत नहीं है।

सिक्किम ने अक्तूबर, 1970 में सिक्किम नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक, 1976 पास कर दिया था। सिक्किम की जनसंख्या केवल 2 लाख थी जिसमें से लगभग 15,000 जनसंख्या गन्तोक के राजधानी नगर में रहती है। अत: यह निर्णय किया गया था कि विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने की कोई तुरन्त आवश्यकता नहीं थी तथा सिक्किम सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे इस मामले पर पुन: विचार करें।

तमिलनाडु में तमिलनाडु नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1978 लागू है।

केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से केन्द्रीय अधिनियम को अपनाने का अनुरोध किया था। "भूमि" एक राज्य विषय होने के कारण प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय अधिनियम अपनाने की वांछनीयता पर विचार करना है तथा संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्ताव पारित करना है।

सरकारी आवास पर कब्जा किए हुए भूतपूर्व सदस्य

188. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व संसद सदस्य अभी तक सरकारी आवासों पर कब्जा किये हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी पूरी पूरी सूची क्या है;

(ग) क्या ये भूतपूर्व संसद सदस्य रियायती किराया अथवा बाजार किराया अदा कर रहे हैं तथा कब से;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अनियमितता के भी कुछ मामले हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो वे सदस्य कौन हैं और उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है;

(च) क्या सरकार ने उक्त राशि को वसूल करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई है तो कानूनी कार्यवाही करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) प्रत्येक भूतपूर्व संसद सदस्य के सम्बन्ध में अपेक्षित ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(च) और (छ) संलग्न विवरण में उल्लिखित भूतपूर्व संसद सदस्यों में से किसी के भी विरुद्ध अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

विवरण

क्रम सं०	भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम	दखल में वास	लाइसेंस फीस की किस्म	किराया दर	1-6-79 को देय राशि	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री महावीर त्यागी	16, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	45-बी विभागीय प्रभारों	590.51 रुपये	611.39 रुपये (5/79 के लिए)	विभागीय प्रभारों सहित एफ आर 45 बी. के अधीन किराये का भुगतान करने पर बंगले को 2.11.77 से अगला आदेश होने तक रखे रखने की अनुमति दे दी गई है।
2.	श्री चन्द्रमणी लाल चौधरी	75-बी नार्थ एवेन्यू तथा गैराज नं० एन-11	मार्कीट किराया	895.29 रु०	2,048.58 रु०	8-2-79 को मृत्यु हो गई है। 22-6-79 को हुई राज्यसभा आवास समिति की बैठक में निर्णययह किया गया था कि स्वर्गीय श्री चौधरी के परिवार को मार्कीट किराया का भुगतान करने पर 6 महीने के लिए बंगले को रखे रहने की अनुमति दे दी गई है।
3.	श्री पी. के. कुन्हावेन	गैराज सं० 69 फिरोजशाह रोड	मार्कीट किराया	29.60 रु०	333.57 रु०	21-4-79 को रिटायर हो गए। बिल भेज दिया गया है।

विदेशी टेलीफोन उपकरण का आयात

189. **प्रो० पी. जी. मावलंकर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लम्बित आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने और एक या अधिक स्थानों पर वर्तमान उपकरण बदलने हेतु टेलीफोन आदि के विदेशी उपकरण के लिए वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान कोई क्रयादेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं तथा ऐसे उपकरणों की खरीद किन कम्पनियों और देशों से की गई और उनकी कुल लागत क्या है; और

(ग) ऐसे क्रयादेश किस प्रकार दिये गए और किन उपकरणों का चयन किया गया तथा किन कारणों से किया गया ?

संचार मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

टेलीफोन स्विचिंग और टेलीफोन सेटों से संबंधित ब्यौरे वाला विवरण पत्र

मद	कम्पनी का नाम	लगभग लागत	आदेश देने का वर्ष और तरीका	चयन का आधार
1. क्रासबार टेलीफोन स्वीचिंग उपस्कर 30,000 लाइनें	मैसर्स निप्पन इलैक्ट्रिकल कम्पनी लि०, जापान	6 करोड़ रु०	1977 1974 में जारी हुई ग्लोबल निविदा पर आधारित दोहराया गया आदेश	तकनीकी रूप से स्वीकार्य न्यूनतम राशि का प्रस्ताव
2. क्रासबार टेलीफोन स्वीचिंग उपस्कर 30,000 लाइनें	मैसर्स हिटैची लि. जापान	6 करोड़	वही	वही
3. 50,000 टेलीफोन डायल	मैसर्स तम्यारा और कंपनी लि० जापान	12.5 लाख रु०	1978 ग्लोबल निविदा	वही
4. 20,000 टेलीफोन डायल	वही	5.2 लाख रु०	1979 ग्लावेल निविदा	वही
5. 7,000 हैडगियर सैट	मैसर्स एस.टी.सी यू. के.	10 लाख रु०	1979 ग्लोबल निविदा	वही

खाद्यान्नों के भण्डारण की व्यवस्था

190. **प्रो० पी. जी. मावलंकर :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में खाद्यानों के भण्डारण के लिए पर्याप्त तथा सन्तोषजनक भण्डारण व्यवस्था कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भण्डारण क्षमता में सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि बाद में लोगों को खाद्यान्न खरीदने और उसका उपयोग करने में सुविधा रहे;

(घ) क्या खाद्यान्नों का एक भाग चूहों के कारण तथा अन्य कई कारणों से नष्ट हो जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(च) उक्त स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास अपनी और किराये की भण्डारण सुविधाएं, निगम के पास जितनी मात्रा में स्टाक है, उसके लिए कुल मिलाकर पर्याप्त हैं। चरम वसूली मौसम के दौरान जितनी भण्डारण क्षमता की आवश्यकता महसूस की जाती है, उस पर दबाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय भी किए जा रहे हैं। विभिन्न ऋाश कार्यक्रमों और विश्व बैंक की सहायता से शुरू किये गए बफर भण्डारण कार्यक्रम अधीन गोदामों का निर्माण कर अपनी ढकी हुई क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित योजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं। भारतीय खाद्य निगम की निर्दिष्टियों के अनुरूप अपनी भूमि में गोदामों का निर्माण करने के लिए गैर सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहित करने विषयक ए. आर. डी. सी. की सहायता प्राप्त योजना के अधीन भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों से भण्डारण क्षमता प्राप्त की गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण करने से जो क्षति होती है वह विभिन्न कारणों से होती है, लेकिन इस प्रकार की क्षति कुल मात्रा की प्रतिशतता के रूप में कोई अधिक नहीं है।

(च) खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :

(1) तैयार किए गए गोदाम मूषक, दीमक और नमी-प्रूफ होते हैं और उनमें पर्याप्त वायु-संचालन तथा अनाज के वातन की व्यवस्था होती है ताकि कीड़ों के उत्पीड़न को कम किया जा सके।

(2) गोदामों का मानसून पूर्व निरीक्षण किया जाता है और उनकी मरम्मत की जाती है ताकि वर्षा का पानी न चूने पाए।

(3) कीड़ों, चूहों और पक्षियों को रोकने के लिए आधुनिक कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(4) खाद्यान्नों का समय-समय पर निरीक्षण करने और उनके रख-रखाव के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को लगाया जाता है।

कैंप में रखे गए स्टाक की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग भी उठाए गए हैं :

(1) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उनकी वर्षा से सुरक्षा करने के लिए उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है।

(2) पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिये नायलोन की रस्सियां सुलभ की जाती हैं ताकि तीव्र हवाओं के चलने, तूफान आदि के कारण चादरें उड़ने न पाएं।

(3) खराब मौसम से अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए प्रमुख-कैम्प काम्पलैक्सों में मोनो-फिलामेंट के नैट और कवर टाप्स भी सुलभ किए जाते हैं।

(4) खाद्यान्नों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर पोलीथीन की चादरों को बदला जाता है।

(5) चादरों को हटाकर स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि घनीकरण के कारण क्षति न होने पाए।

(6) कैंप में रखे गए स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण तथा परिरक्षण करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाता है।

दूरसंचार तकनीशियनों की मांगें

191. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

डा० बापू कालदाते : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या डाक-तार विभाग में दूर-संचार तकनीशियनों में कोई असन्तोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य/प्रमुख मांगें क्या हैं; और

(ग) असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) हालांकि यह कहना गलत भी हो सकता है कि दूर-संचार प्रभागों के तकनीशियनों में असन्तोषजन व्याप्त है, फिर भी यह तो सत्य है कि भारतीय दूरसंचार तकनीशियन संघ के माध्यम द्वारा उनकी ओर से मांग-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) उक्त मांग-पत्र में निहित मांगें और उन पर की गई कार्रवाई विवरण में की गई है।

विवरण

तारीख 9-7-79 के लिये लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 9

क्रम सं०	मांग	स्थिति
1.	तकनीशियनों का वेतनमान 260-480 से संशोधित करके रु. 380-560 किया जाये	डाक-तार विभाग के तकनीशियनों के लिये संशोधन पूर्व के वेतनमान रु. 110-240 के स्थान पर तीसरे वेतन आयोग ने मौजूदा वेतनमान रु० 260-480

क्रम सं०	मांग	स्थिति
	क्योंकि दूसरे सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्रों के तकनीशियनों की तुलना में मौजूदा वेतनमान बहुत कम है।	की सिफारिश की थी। संशोधन पूर्व के वेतनमान रु० 130-205, 125-205 और 130-212 जो कि दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र (डाक-तार) नागर विमानन, आकाशवाणी और रेलवे के घनिष्ठ मैकेनिकों पर लागू थे, उनके बदले एक सामान्य संशोधित वेतनमान रु० 330-480 कर दिया गया है? तकनीशियनों के वेतनमान को और अधिक आगे संशोधित करने के प्रश्न पर कई बार विभिन्न संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठकों में चर्चा की गई है और अब यह प्रस्तावित किया गया है कि तकनीशियनों को दो अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर रु० 299-500 के वेतनमान में रख दिया जाय, बशर्ते कि वे तकनीकी पदों के स्तर के लिए न्यूनतम अर्हता की कुछ शर्तें पूरी करते हों। इस प्रस्ताव पर वित्त के परामर्श से विचार किया जा रहा है।
2.	उच्चतर ग्रेड तकनीशियनों का वेतनमान रु० 425-640 से संशोधित करके रु० 500-800 करना और उन्हें पर्यवेक्षकीय ड्यूटी देना। साथ ही साथ उच्चतर ग्रेड तकनीशियनों का पदनाम बदलकर तकनीकी पर्यवेक्षक करना।	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तकनीशियनों के सामान्य ग्रेड के लिए रु० 175-280 के संशोधन-पूर्व के चयन ग्रेड के बदले संशोधित वेतनमान रु० 380-530 कर दिया गया हैं। इसके अलावा रु० 380-530 के चयन ग्रेड के स्थान पर 1-6-74 से रु० 425-640 के वेतनमान में उच्चतर ग्रेड तकनीशियन पदनाम देकर उच्चतर ग्रेड लागू करके 20% पदोन्नति अवसर योजना के अन्तर्गत उनके पदोन्नति के अवसरों में भी सुधार किया गया था। उस समय यह भी शर्त रखी गयी थी कि इन उच्चतर ग्रेड तकनीशियनों का उपयोग विशिष्ट श्रम साध्य कार्य से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए और उच्चतर ड्यूटी करने के लिए किया जायेगा। 20 प्रतिशत पदोन्नति अवसर-योजना में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि पर्यवेक्षकीय कार्य तकनीशियनों (उच्चतर ग्रेड) द्वारा किये जायेंगे। अतः इन कर्मचारियों को तकनीकी पर्यवेक्षक-पदनाम देना सम्भव नहीं है।

क्रम सं०	मांग	स्थिति
3.	कनिष्ठ अभियन्ता काडर में पदोन्नति के लिए व्यवसाय अर्हता परीक्षा पुनः शुरू।	कनिष्ठ अभियंता काडर में भर्ती 65 प्रतिशत बाहरी कोटे से तथा 35 प्रतिशत विभागीय कोटे से की जाती है। विभागीय कोटे में पी. आई./आर. एस. ए. / डब्ल्यू. ओ. ए./ई. ए. ग्रुपों को छोड़कर निचले काडरों से प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भर्ती किया जाने वाला 15 प्रतिशत कोटा शामिल है। रिक्तियों के इस 15 प्रतिशत प्रतियोगी कोटे के अन्तर्गत तकनीशियन जिनके लिए कि न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है, परीक्षा में बैठ सकते हैं जबकि सीधी भर्ती के लिए उच्च योग्यता तथा बी. ई./ बी. एस. सी./इंजीनियरी में डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। पद के लिए योग्यता के आधार पर प्रतिभाशाली उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम उम्मीदवार का चयन ही इस परीक्षा का उद्देश्य है। कनिष्ठ अभियंता के काडर में से ही अधिकारी ग्रुप बी. और तथा टी. ई. एस. के ग्रुप ए. के 50 प्रतिशत में पदोन्नत किए जाते हैं। टेक्नोलाजी और जटिलता के विकास के साथ-साथ इस आधारभूत पर्यवेक्षकीय तकनीकी संवर्ग की कोटि को न केवल बरकरार रखना है वरन इसके साथ ही इस संवर्ग के लिए आकांक्षी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों, जो वास्तव में योग्यता प्राप्त तथा सक्षम हैं, को अब बेकर उसमें बढ़ोतरी भी करनी है। अतः कनिष्ठ इन्जीनियरों के संवर्ग में तकनीशियनों की पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के स्थान पर अर्हता व्यवसाय परीक्षा करके कनिष्ठ इन्जीनियरों के संवर्ग की कोटि कम करना सम्भव नहीं है क्योंकि इससे तकनीकी रख-रखाव पर ही असर नहीं पड़ेगा वरन क्षमता में कमी आने के कारण उपभोक्ताओं का असन्तोष भी बढ़ेगा।
4.	सभी संवर्गों के लिए द्वि-सरणि पदोन्नति।	सेवा काल के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को दो पदोन्नतियां देने की मांग पर एक विभाग समिति जिसमें डाक-तार बोर्ड के तीन उप महानिदेशक

क्रम सं०	मांग	स्थिति
		शामिल हैं, ने काफी हद तक विचार किया है। इस समिति की सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
5.	डाक-तार विभाग में कुछ अन्य संवर्गों की तरह श्रेणी-iii के सभी संवर्गों के लिए राजपत्रित पद।	डाक-तार विभाग की दूरसंचार शाखा के इंजीनियरी विंग में बी ग्रुप के अधिकारियों अर्थात् सहायक इन्जीनियरों के शतप्रतिशत राजपत्रित पद कनिष्ठ इन्जीनियरों, जो कि तृतीय श्रेणी संवर्ग है, में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विभाग के सभी तकनीकी कर्मचारी भी समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम मे कनिष्ठ इन्जीनियर बनने के हकदार हैं और उनके बाद सहायक इन्जीनियर बन सकते हैं। किसी अन्य तृतीय श्रेणी तकनीकी संवर्ग के लिये आगे राजपत्रित पद आरक्षित करने की जरूरत नहीं है। अन्य राजपत्रित पद जो लिपिक वर्गीय स्टाफ या तार विंग के प्रचालन स्टाफ में से पदोन्नति के लिए आरक्षित है उनमें तकनीकी संवर्ग के स्टाफ में से पदोन्नति नहीं की जा सकती।
6.	सभी डाक-तार कर्मचारियों को बोनस।	डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के विभिन्न सगठनों द्वारा और संसद में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस की मंजूरी का प्रश्न उठाया गया है। मंत्रियों का एक दल का गठन वेतन और अन्य नीति संबंधी मामलों के अध्ययन के लिये किया गया है और यह दल जिन प्रश्नों का अध्ययन कर रहा है उनमें डाक-तार कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों आदि को बोनस देने की मांग भी है। इस प्रश्न पर शीघ्र ही सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की संभावना है।
7.	डाक-तार कर्मचारियों के लिए अलग वेतन बोर्ड: पिछले तीन वेतन आयोगों ने डाक-तार कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया है।	वेतन आयोग या वेतन बोर्ड की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। ये वेतन आयोग सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के स्वरूप और दूसरी सेवा शर्तों की जांच करता है और सरकार से सिफारिशें करता है। इस प्रकार केवल डाक-

क्रम सं.	मांग	स्थिति
	हर बार उनके वेतनमान, सामाजिक सुरक्षा और सेवा शर्तें बिगड़ती गई हैं। तीनों वेतन आयोगों ने विशिष्ट परिश्रमसाध्य दिन-रात किए जाने वाले कार्य का मूल्यांकन नहीं किया है बल्कि ये कहें कि पूर्णत: उपेक्षा की है।	तार कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से अलग वेतन-बोर्ड नहीं हो सकता है।

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रो मैकेनिकल कामन कंट्रोल टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए स्थल

192. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

डा० बापू कालदाते : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कामन कंट्रोल टेलीफोन उपकरण बनाने के लिये परियोजना स्थल हेतु उपयुक्त स्थल की सिफारिश करने के लिए नियुक्त समिति ने सिफारिश कर दी है कि इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र में की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना कब आरम्भ की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) जी हां। इस उद्देश्य से समिति ने कई स्थानों की सिफारिश की है, जिनमें महाराष्ट्र का एक स्थान भी है। जिन स्थानों की सिफारिश की गई है उनकी तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता का अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा हो रहा हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को शामिल करना

193. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अधिक वास्तविक तथा आकर्षक बनाने के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ परस्पर जोड़ा तथा समन्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस तरह, और क्या पंचायतों एवम् अन्य स्थानीय निकायों को इसमें शामिल करके अथवा उनको शामिल किये बिना ही किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अनुदेशात्मक कार्यक्रम को विकास

कार्यकलाप के साथ प्रभावी रूप में जोड़ने की आवश्यकता पर बल देता है। जहां तक सम्भव है क्षेत्रीय कार्यक्रमों को संघटित ग्रामीण विकास जैसे केन्द्रित विकास कार्यकलाप के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य और जिला तथा व्यापक प्रतिनिधितत्व सहित स्थानीय समितियों को भी सभी विभागों के सहयोग से सहायता देने के लिए गठित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के काडर विभिन्न विकास विभागों के कार्मिकों का आकर्षित करने के लिए है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्चा में कार्यात्मक विकास पर बल दिया जाता है। एन० ए० ई० पी० में पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के शामिल होने को राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों पर छोड़ दिया गया है।

निराश्रय महिलाओं को सहायता

194. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण क्षेत्रों में भूखी, निर्धन और निराश्रय विधवाओं को कुछ सहायता देने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन महिलायें केवल एक समय के भोजन पर गुजारा कर रही हैं और क्या इस बारे में कोई औपचारिक सर्वेक्षण किया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं। तो भी दु:खी महिलाओं के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए सरकार की एक केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत ऐसी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के वास्ते वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

बिड़ला के स्वामित्व वाली रेयन फैक्ट्री में प्रदूषण

195. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बिड़ला के स्वामित्व वाली मवूर रेयन्स फैक्ट्री ने, जिसको समाचार पत्रों, जनता तथा संसद ने प्रदूषित जल को दूर ले जाने के लिए भूमिगत पाइप लाइन बिछाने पर मजबूर किया था, वास्तव में सरकार और जनता को धोखा दिया है क्योंकि उन्होंने पाइप लाइन में सैकड़ों जोड़ों को उचित ढंग से बन्द किये बिना भूमिगत पाइप लाइन बिछायी है जिससे प्रदूषण का खतरा बना हुआ है क्योंकि प्रदूषित जल समूची पाइप लाइन में से रिसता रहेगा और यहां तक कि भूमिगत जल संसाधनों को भी विषैला बना देगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और बिड़ला बन्धुओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का आदेश देने का है जो इस प्रकार प्रदूषण द्वारा जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बिरला के ग्वालियर रेयन फैक्टरी से गन्दे पानी को बाहर निकालने वाली 6.4 के० एम० पाइप लाइन में रिसाव के बारे में सूचना दी गई है।

(ख) राज्य सरकार ने इस मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करने का कोई निर्णय नहीं किया है। फिर भी जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के राज्य बोर्ड, जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न उपबन्धों के अधीन फैक्टरी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। राज्य बोर्ड ने फैक्ट्री प्रबंधकों को रिसाव ठीक करने तथा निसावों का समुचित रूप से शोधन करने के लिए आवश्यक निदेश दे दिये हैं। राज्य बोर्ड तथा जिला प्राधिकारियों को स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखने के निदेश दे दिए गए हैं।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए कथित जाली संगठन

196. **श्री एस० एन० गोविन्दन नायर** :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री समर मुखर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में वामपंथी समिति द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन की ओर दिलाया गया है कि 1700 स्वयंसेवी एजेंसियों और संगठनों में से, जिनको प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए केन्द्र से सहायता प्राप्त होती है, लगभग 1500 संगठन जाली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) 13-6-1979 को प्रकाशित कुछ अखबारों में एक रिपोर्ट छपी थी कि पश्चिम बंगाल वामपंथी समिति की राय यह है कि जिन 1700 स्वैच्छिक एजेंसियों को राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी, उनमें से लगभग 1500 'जाली निकाय' हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक केवल 10 स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रस्तावों की सिफारिश निर्धारित पद्धति के अनुसार की है और उनमें से 7 को, 380 केन्द्र चलाने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। स्पष्ट है कि वामपंथी समिति द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य पूर्णतः गलत सूचना पर आधारित है।

"हिन्दूज आफ दी हिमालयाज" नामक पुस्तक

197. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केलीफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीराल्ड डी० बेरेयन द्वारा लिखित 'हिन्दूज आफ दी हिमालयज' नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिन्हें गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उनकी पुस्तक के लिये मानार्थ डिग्री दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका ध्यान इस बारे में 3 जून, 1979 के 'न्यू एज' में 'डाक्टरेट फार सी० आई० ए० मैन फार स्लेंडरिंग गढ़वालीज' शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस पुस्तक का वितरण बन्द करने और लेखक को दी गई डाक्टरेट रद्द करवाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) केलीफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, डा० जीराल्ड डी० बेर्रेमन को उनकी 'हिन्दूज आफ दी हिमालयाज' नामक पुस्तक के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मानार्थ डिग्री देने के सम्बन्ध में 3 जून, 1979 के 'न्यू एज' में प्रकाशित रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रोफेसर बेर्रेमन को होनोरिस कोसा डी० लिट डिग्री पूर्णत: शैक्षिक आधार पर तथा दसवीं अन्तर्राष्ट्रीय मानवशास्त्रीय तथा जातीय विज्ञान कांग्रेस के प्रतिनिधियों, जिनमें से अनेक स्वयं गढ़वाली थे, के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार दी गई थी। तथापि, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

क्योंकि डा० बेर्रेमन को डिग्री एक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है, अत: डिग्री के वापस लेने के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा निर्णय लेना राज्य सरकार अथवा गढ़वाल विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। क्योंकि यह पुस्तक सामान्य पाठक के लिए नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार यह महसूस करती है कि पुस्तक को प्रचलन से वापस लेने के सुझाव के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का उल्टा ही परिणाम निकलेगा।

उर्वरक का गबन काण्ड मामला

198. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1979 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दो उच्च स्तर के राजनैतिक नेता और चार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी उन व्यक्तियों के साथ मिले हुए हैं जिनका 1974 और 1976 के बीच लगभग 1.67 करोड़ रुपये के गबन काण्ड में कथित हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। निगम के उर्वरकों के स्टाक के संबंध में पंजाब कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष द्वारा कथित वक्तव्य दिया गया है।

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां मांगी गई हैं और उनके प्राप्त होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

भूमि का वितरण

199. **श्री युवराज** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन के 27 महीनों के दौरान भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित की गई भूमि का राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि वितरण का कार्य राज्यों द्वारा अपनी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) क्या अधिकारियों ने संपन्न किसानों से सांठ गांठ करके (बेनामी) भूमि को भी स्वीकृति दी हुई है।

(घ) क्या भूमि वितरण का काम ग्राम पंचायतों को देकर व्याप्त भ्रष्ट तरीकों पर रोक लगाई जा सकती है; और

(ङ) क्या भूमि अधिकतम सीमा कानून के अन्तर्गत हुई फालतू जमीन अथवा राज्यों की फालतू जमीन का वितरण करने का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपने का है यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। तथापि, कुछ राज्यों में भूमि का वितरण सांविधिक न्यायाधिकरणों के जरिए किया जाता है, जिनमें सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं।

(ग) जी नहीं। अधिकतम सीमा से फालतू हुई भूमि का निर्धारण करते समय बेनामी हस्तांतरणों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

(घ) तथा (ङ) कानूनों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बेईमानी के खिलाफ पहले ही पर्याप्त सुरक्षा विद्यमान है। भूमि आवंटन की मौजूदा प्रक्रियायें संतोषजनक ढंग से काम करती प्रतीत होती हैं और इनमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	जनता सरकार के 27 महीनों के दौरान वितरित क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	1,47,292
2.	असम	58,725
3.	बिहार	23,279
4.	गुजरात	शून्य
5.	हरियाणा	4,470
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	9,920
9.	केरल	15,116
10.	मध्य प्रदेश	32,549

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनता सरकार के 27 महीनों के दौरान वितरण क्षेत्र
11.	महाराष्ट्र	29,270
12.	मणिपुर	शून्य
13.	उड़ीसा	31,783
14.	पंजाब	658
15.	राजस्थान	27,247
16.	तमिलनाडु	शून्य
17.	त्रिपुरा	417
18.	उत्तर प्रदेश	87,352
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य
20.	दादरा तथा नगर हवेली	2,013
21.	दिल्ली	शून्य
22.	पाण्डिचेरी	219
	योग :	4,70,310

श्री अमरेली कोआपरेटिव अग्रीकल्चरल शूगर इण्डस्ट्रीयल सोसायटी लिमिटेड अमरेली की ओर बकाया राशि

200. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के लिए किसानों को देय गन्ने की राशि के कारण सौराष्ट्र गुजरात स्थित श्री अमरेली कोआपरेटिव अग्रीकल्चरल शूगर इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि० अमरेली की ओर लगभग 90 लाख रुपये की राशि बकाया है और क्या 14 अप्रैल, 1979 को लगभग 328 गन्ना उत्पादकों ने अमरेली कोआपरेटिव अग्रीकल्चरल शूगर इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि०. अमरेली, केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार को इस बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए अभ्यावेदन भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन गन्ना उत्पादकों को उक्त बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) अमरेली कोआपरेटिव अग्रीकल्चरल शूगर इंडस्ट्रीयल लि. अमरेली द्वारा गन्ना उत्पादकों को पिछले दो तीन वर्षों के गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने में संकोच किये जाने के क्या कारण हैं और इस 90 लाख रुपये की बकाया राशि भुगतान किसानों को कब तक और किस प्रकार किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) (ख), और

(ग) राज्य सरकार को अप्रैल, 1979 में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साथ 328 किसानों की सूची भी प्राप्त हुई है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसानों का अमरेली फैक्ट्री के प्रति 1976-77, 1977-78 और 1978-79 वर्षों के 1151-रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से गन्ने के लगभग 90 लाख रुपये बकाया है। उनमें से केवल 195 किसानों ने गन्ना सप्लाई किया था और 1976-77 मौसम के लिए केवल पांच किसानों को 6398.65 रुपये का भुगतान करना बकाया था। इन किसानों से भी कहा गया है कि वे अपनी राशि प्राप्त कर लें। जहां तक 1977-78 मौसम का संबंध है, शेयर जमा के रूप में काटी गई 3568.40 रुपये की धनराशि को छोड़कर, भुगतान 851-रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से किया गया था। राज्य सरकार की मंजूरी के आधार पर 129 किसानों को देय क्रमशः 3.91 लाख और 1.99 लाख रुपये वापस करने योग्य जमा और अनिवार्य जमा के रूप में रख लिए गए हैं। 1978-79 मौसम के लिए सोसाइटी 681-रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से गन्ने का मूल्य दे रही है जब कि अधिसूचित मूल्य 105.90 रुपये प्रति मीटरी टन है। गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य के संदर्भ में अनुमेय सीमा से अधिक बकाया होने के कारण इस सोसाइटी के विरुद्ध चीनी उपक्रम (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम 1978 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अंतरिक्ष प्रयोगशाला (स्काई लैब) के गिरने के बारे में

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : महोदय, मैं एक या दो मिनट लेना चाहता हूं। लोगों में विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में मेरे जिले में अन्तरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आतंक है। इण्डियन एक्सप्रैस में तथा अन्य समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आई हैं कि अन्तरिक्ष प्रयोगशाला या तो मेरे जिले करीमनगर या आन्ध्र प्रदेश में गिरने वाली है। हाल ही में जब प्रधान मन्त्री ने एक प्रैस सम्मेलन को सम्बोधित किया तो उन्हें इसके बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा, लोग वास्तविक मृत्यु होने से पहले ही मर रहे हैं। मुझे खेद है कि इस प्रकार का वक्तव्य बहुत ही गैर-जिम्मेदारी का है और मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझ से यहां आने पर प्रधान मन्त्री के वक्तव्य पर उनका विरोध प्रकट करने के लिए कहा है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि वह अन्तरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में क्या करना चाहते हैं। इसका इतना आतंक है। मैं उनसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने नियम 377 **के अधीन सूचना दी है।**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा। आपको आज सूचना देनी चाहिये थी।

श्री समर गुह : यह घटना परसों होगी।

श्री एम० सत्यनारायण राव : यह मन्त्री का और सरकार का कर्त्तव्य है। उन्हें कुछ कहना चाहिए।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं नहीं जानता कि अन्तरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में क्या कहूं। यह कहीं भी गिर सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे पहले ही लोग डर से मरें। जब यह गिरेगी हम इसका सामना करेंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मैंने

अमेरिका के लोगों से जब वे मिले थे कहा है कि यदि कोई क्षति होगी तो वे क्षतिपूर्ति करेंगे और वे सहमत हो गये हैं। इससे अधिक मैं और क्या कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला कार्य आरम्भ करेंगे। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव

पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने में सरकार की असफलता

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि पुलिस कर्मचारियों, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों में व्याप्त असंतोष जिसके कारण उन्होंने हिंसात्मक आन्दोलन और प्रदर्शन किये हैं, के बारे में स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सदस्यों से अनेक सूचनाएं मिली हैं :

(1) श्री एडुआर्डो फैलीरो :

(2) श्री समर मुखर्जी

(3) श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
श्री के० ए० राजन
श्रीमती पार्वती कृष्णन

(4) श्री दीनेन भट्टाचार्य
श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर
श्री सोमनाथ चटर्जी

(5) श्री वयालार रवि

(6) श्री राज नारायण

(7) श्री जी० एम० बनातवाला

मुझे बताया गया है कि इनके अतिरिक्त श्री पी० एम० सईद, श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री सौगतराय, श्री सी० के० चन्द्रप्पन और श्री जनार्दन पुजारी से भी सूचनाएं आई हैं। श्री एडुआर्डो फैलीरो की सूचना को बैलट में पहला स्थान मिला है। मैं नहीं जानता कि वह यहां हैं अन्यथा मैं अगले व्यक्ति को अनुमति दूंगा। इसमें यह कहा गया है :

"पुलिस कर्मचारियों, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों में व्याप्त असंतोष, जिसके कारण उन्होंने हिंसात्मक आन्दोलन और प्रदर्शन किये तथा जिससे हाल के दिनों में कई राज्यों में शान्ति और सुरक्षा को एक खतरा पैदा हुआ है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पूलिन के एककों की ड्यूटियां करने के लिए कई स्टेशनों पर सेना का तैनात किया जाना।"

मैं नियम 56 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाने की अनुमति देता हूं। श्री एडुआर्डो फैलीरो उपस्थित नहीं हैं। अगला नाम श्री समर मुखर्जी का है। उनका प्रस्ताव इस प्रकार है :

"केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर समय पर और प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने में असफलता।"

वह अब प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति ले सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्ताव पेश किये जाने का विरोध है नहीं। इसका विरोध नहीं है। अनुमति दी जाती है। स्थगन प्रस्ताव मध्यान्ह पश्चात् 4 बजे लिया जायेगा और इस पर चर्चा के लिए ढाई घंटे का समय दिया जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह बहुत ही कम है। ढाई घंटे में वह नहीं हो सकता है। कृपया कुछ अधिक समय दीजिए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमें सभा के नेता—प्रधान मंत्री—के बारे में तो मालूम है किन्तु दुर्भाग्यवश बड़ी गड़बड़ी है। हमें नहीं मालूम कि विपक्ष का नेता कौन है। हम जानना चाहते हैं कि सभा में विपक्ष का नेता कौन है। प्रेस में और वक्तव्यों में काफी अफवाहें हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : विपक्ष के नेता के बारे में आपने क्या निर्णय किया है? क्या श्री स्टीफन विपक्ष के नेता हैं। यदि स्टीफन विपक्ष के नेता नहीं रहे तो उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।······

अध्यक्ष महोदय : कृपया। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

विशेषाधिकार के प्रश्न

(एक) एयर इंडिया के भूषपूर्व चेयरमैन श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में दी गई टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री मोहम्मद शफी कुरेशी, बयालार रवि, ज्योतिर्मय वसु, अर्जुन सिंह भदोरिया और अन्य सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है······

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने अन्य ?

अध्यक्ष महोदय : 25 से अधिक हैं।

श्री जे० आर० डी० टाटा, भूतपूर्व चेयरमैन, एअर इण्डिया द्वारा पी. टी. आई. को लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के कार्यकरण के बारे में दी गई एक भेंट वार्ता में उनके कतिपय टिप्पणियों के विरुद्ध जो 29.5.1979 के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, विशेषाधिकार के प्रश्न का उठाया जाना।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : मैंने भी इसके बारे में नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि पच्चीस से भी ज्यादा सदस्यों ने दिये हैं।

मैंने कार्यवाही को अच्छी तरह से पढ़ा है। इस सभा के माननीय सदस्य, अर्थात् सर्वश्री मोहम्मद शफी कुरेशी, बयालार रवि और ज्योतिर्मय बसु ने सूचनाएं दी हैं और श्री जे० आर०

डी० टाटा द्वारा किये गये वक्तव्य को भी पेश किया है। इनमें विचारार्थ महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते हैं। अपने वक्तव्य में श्री जे० आर० डी० टाटा ने, यद्यपि अपने वक्तव्य के उन कुछ अंशों के बारे में खेद व्यक्त करते हुए जो इस कार्यवाही की विषयवस्तु है, अपने वक्तव्य में उल्लिखित विभिन्न अन्य पहलुओं को उचित ठहराया है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनके वक्तव्य के वे आपत्तिजनक अंश, सिवाय उनको छोड़कर जिनके बारे में उन्होंने खेद व्यक्त किया है, लोकहित में दिये गये अतः उनसे संसद के किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने 1 सितम्बर, 1967 को ब्रिटिश संसद की विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचार का उल्लेख किया है। श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा जो तर्क दिया गया है वह सत्य है या नहीं, यह देखना मेरा कर्त्तव्य नहीं है। यदि सभा की अनुमति होती यह विशेषाधिकार समिति को देखना है। मेरे विचार से लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 222 के अधीन सहमति देने का यह उचित मामला है। तदनुसार मैं प्रस्तावों पर अपनी अनुमति देता हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा लिखे गये पत्र को उपलब्ध करायेंगे ? क्या यह अजीब बात है कि श्री जे० आर० डी० टाटा इस मामले के बारे इसे सभा में उठाये जाने से पूर्व लिखें ? उन्हें कैसे यह सूझा कि वह आपको पत्र लिखें ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैंने उनका स्पष्टीकरण मांगा था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आपके आदेश में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए था ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं एक या दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अपने पत्र में दो बातें उठाई हैं। एक श्री जे० आर० डी० टाटा का वक्तव्य है लिसमें उन्होंने कहा है—

"मुझे संसद के तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग के दुरुपयोग होते देख खेद हुआ क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में व्यक्तिगत विचार एवं विश्वास का हित साधन किया गया है।"

इससे विशेषाधिकार समिति के काम करने पर संदेह किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी अनुमति दे दी है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : अपने पत्र में मैंने एक और बात जो उठाई है वह यह है कि उन्होंने कहा है कि;

"इससे यह दुखद बात भी दिखाई देती है कि कहां तक अथवा किस निम्न स्तर तक जनता के निर्वाचित सदस्य राजनीतिक अथवा विचारधारा सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार हैं।"

"......इससे न केवल उनके सम्मान को क्षति या हानि पहुंची है जिन पर अनुचित रूप से आक्षेप किया गया है किन्तु इससे समस्त सरकारी क्षेत्र के सम्मान को क्षति पहुंचाई गई है।"

अपने वक्तव्य में उन्होंने जो दूसरी बात उठाई है वह यह है कि जब सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति ने साक्षियों को बुलाया तो उन्होंने उन्हें धमकाया यह एक गम्भीर आरोप हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कई विशेषाधिकार के प्रस्ताव हैं। मैं इन सबको समिति को भेज रहा हूं।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : उन्होंने यह भी कहा है कि बैठकें बिना गणपूर्ति के हुई हैं। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति के विरुद्ध यह गम्भीर आरोप है। मैं चाहता हूं कि इन सब आरोपों की जाँच की जाये। एअर इण्डिया के भूतपूर्व चेयरमैन श्री जे० आर० डी० टाटा के विरुद्ध मामला उठाने की मुझे अनुमति दी जाये। मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

(कई माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हुए)

(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में इंडिया टुडे में प्रकाशित बदनाम करने वाली टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है श्री वयालार रवि ने "इण्डिया टुडे" के सम्पादक, और प्रकाशक के विरुद्ध इसके 16 मई 1979 के अंक में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति और संसद पर आरोप लगाने के एक तथा कथित प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। मैंने 'इण्डिया टुडे' से एक स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से अनुमति दिये जाने का उचित मामला है और मैंने अपनी अनुमति दे दी है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) मैं 'इण्डिया टुडे' के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार के इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : पत्रों को सभा-पटल पर रखने से पूर्व मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जमात-इ-उलिमा हिन्द के सदस्य भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जनरल, श्री शाह नवाज खां के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में नादिया में हुई घटनाओं के विरोध में पटेल चौक पर तथा देश के अन्य भागों में गिरफ्तारी दे रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्यसंगठनों पर प्रतिबन्ध की मांग कर रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के प्रमाणित लेखे।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : निम्नलिखित

पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक लेखे (हिन्दी संस्करण*) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 4569/79)

(2) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के जनवरी, 1977 से जून, 1978 की अवधि के वार्षिक प्रतिबेदन (हिन्दी संस्करण**) की एक प्रति ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के जनवरी, 1977 से जून, 1978 की अवधि के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा** (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 4569/79)

(3) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1977-78 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण***) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 4562/79)

भारतीय रिजर्व बैंक (सेवाओं का अनुरक्षण) अध्यादेश, 1979 **तथा अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश**, 1971 ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति द्वारा 4 जुलाई, 1979 को प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (सेवाओं का अनुरक्षण) अध्यादेश, 1979 (1979 का सख्या 4) ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 4263/79)

(2) राष्ट्रपति द्वारा 4 जुलाई, 1979 को प्रख्यापित अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 5) ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 4264/79)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है । मैं उन्हें एक-एक करके बुलाता हूं—श्रीमती पार्वती कृष्णन ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि जबकि संसद का अधिवेशन होने वाला था उस समय यह दोनों अध्यादेश जारी करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया

* लेखाओं का अंग्रेजी संस्करण 17 मई, 1979 को सभा-पटल पर रखा गया ।

** वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा का अंग्रेजी संस्करण 26 मार्च, 1979 को सभा-पटल पर रखा गया ।

*** लेखाओं का अंग्रेजी संस्करण 1 मई, 1979 को सभा-पटल पर रखा गया ।

अथवा संसदीय कार्य-प्रणाली की अवमानना की गई है। विशेषकर पहले अध्यादेश से यह पता चलता है कि जनता दल की सरकार श्रमिक वर्ग के प्रति बड़ा ही कड़ा रवैया अपना रहे हैं ; यह रवैया दिनोंदिन अधिक कड़ा होता जा रहा है --जब मैं श्रमिक वर्ग की बात कहती हूं तो मैं मेहनतकश और श्रमिकों को भी शामिल करती हूं इनमें पुलिस, सी. आर. पी. तथा अन्य भी आ जाते हैं—इन्हें संघर्ष के लिये उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि दूसरे अध्यादेश से भी यह पता चलता है कि सरकार ने क्या किया है। युगों पुराना सिद्धान्त कि यदि श्रमिक को तथा मेहनतकश लोगों को अपना हक मिल गया तो उससे मुद्रास्फीति होगी, सरकार द्वारा पुनः अपनाया जा रहा है

अनिवार्य निक्षेप योजना का हमने विरोध किया था जब सदन में उसे एक विधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हमने उस समय तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहा था कि इस प्रकार का विधान लाने का अर्थ है श्रमिक वर्ग पर प्रहार करना तथा इससे किसी प्रकार भी मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होगी। मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण तो तभी पाया जा सकता है जब सरकार व्यापारियों और काला-बजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस करे और खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले। यह राशि 6 जुलाई को कर्मचारियों को देय हो गई थी। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय, जब अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता करके जेनेवा से लौटे तो उन्होंने कर्मचारियों को देय राशि नहीं दी। श्रमिक वर्ग ने पूछा ··· (व्यवधान)।

दिल्ली मे टैक्सटाइल श्रमिकों की हड़ताल है, किसलिये ? उन्होंने अपनी देय राशि के लिये यह हड़ताल की थी। उसी प्रकार से तमिलनाडु में टैक्सटाइल श्रमिकों ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं इन शर्मनाक अध्यादेशों के सभा-पटल पर रखे जाने का विरोध करती हूं। लोकतन्त्र के नाम पर बातें करते-करते आप ऐसा अध्यादेश ले आये हैं जिसके माध्यम से आपने श्रमिकों को उनकी देय राशि से वंचित किया है। आपकी योजना है और बजट है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों और श्रमिकों को अपने बजट की कोई आवश्यकता नहीं है ··· (व्यवधान)

यह बिल्कुल शर्मनाक अध्यादेश है ··· (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हमें भी बोलने का अवसर दिया जाये। श्रीमती पार्वती कृष्णन को पक्षपातपूर्ण उद्देश्य के लिये सदन का समय खराब करने का अवसर दिया गया है। ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : एक नियम के अन्तर्गत उन्हें अवसर दिया गया है। आप भी मुझे इसके लिये लिख सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हर्बरट) : सदस्यों की निर्देशिका पुस्तक में यह स्पष्ट उपबंध है कि कोई भी सदस्य उस समय सूचना मांग सकता है जब कोई उससे सम्बद्ध पत्र सभा-पटल पर

रखा जा रहा हो। हम इन दोनों अध्यादेशों का कड़ा विरोध करते हैं, हमने इसके लिये सांविधिक प्रस्तावों का नोटिस दिया है अतः हम मन्त्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि इन अध्यादेशों को जारी करने की क्या आवश्यकता थी जब कि शीघ्र ही सदन की बैठक होने वाली थी। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मतदाताओं को स्पष्ट शब्दों में वचन दिया था, फिर भी उन्होंने उनके भौतिक अधिकारों की जड़ पर प्रहार करने का यह घृणास्पद तरीका क्यों अपनाया है ? अनिवार्य जमा योजना के सम्बन्ध में यदि सरकार अपनी साख खोती है तो वह काबिल नहीं है··· (व्यवधान)

सरकार ने वचन दिया था कि धनराशि वापस की जायेगी और अब वह अपने वचन से मुकर रही है। उसकी साख का क्या होगा ? मैं संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसी जानकारी अभी, इसी समय यहां दें जिसके कारण इन दो अध्यादेशों को जारी करना आवश्यक हो गया था जैसा कि निर्देशिका में उपबन्ध है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे पूर्व सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने सरकारों की तब-तब भर्त्सना की जब-जब वह संसद के अधिवेशन के अवसर पर अध्यादेश जारी करती थीं। इससे सचमुच मुझे बड़ा धक्का लगा है और आश्चर्य हुआ है कि आप उस उदाहरण पर नहीं चले।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन अध्यादेशों को संसद अधिवेशन के अवसर पर जारी नहीं किया गया।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : यह चार तारीख को जारी किया गया, अब यह समय लगभग संसद अधिवेशन का समय है यह बड़ा गम्भीर मामला है ··· (व्यवधान) मेरा विचार था कि इस मामले को आप लोग स्वयं उठायेंगे। रिजर्व बैंक में विवाद पिछले दो अथवा तीन वर्षों से चल रहा है और बातचीत भी चल रही है। सरकार उसके साथ बातचीत कर रही है ऐसे समय में अध्यादेश लाना कहां तक उचित था यह अध्यादेश पिछले दो वर्षों में श्रमिक वर्ग के साथ किये गये वचनों तथा चुनाव के दौरान दिये गये वचनों के विरुद्ध है। इसे लाकर एक घृणास्पद कार्य किया गया है। इस अध्यादेश के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी हड़ताली व्यक्ति की वित्तीय सहायता करता है तो वह अपराध का भागी होगा।

महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि यह उपबन्ध हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस अध्यादेश को कानून का रूप दिया गया तो हम इसके विरुद्ध एक बड़ा आन्दोलन छेड़ देंगे। इस प्रकार का उपबन्ध पहले कभी नहीं लाया गया है। अतः महोदय वास्तव में वहां पर नियमानुसार कार्य हो रहा था और इस अवसर पर मैं अपनी व्यक्तिगत स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कभी भी इस प्रकार के आन्दोलनों का समर्थन नहीं किया और न ही मैं उसका समर्थन करता हूं।

दूसरे अध्यादेश अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन अध्यादेश उनके द्वारा दिये गये सभी वचनों के विरुद्ध है, यह ···

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यह उनकी धनराशि का गबन है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : हां, यह गबन ही है। एक ओर तो वह लाभ को 'फ्रीज' नहीं करना चाहते हैं, वह इस प्रकार के उपाय नहीं करना चाहते हैं, जिससे एकाधिकार पर नियन्त्रण पाया जा सके किन्तु वह देय राशि को वापस लेने के हक में हैं। इन आधारों पर मैं इन अध्यादेशों का विरोध करता हूं और मैं अपनी बात दोहराता हूं कि आप इसके लिये सरकार के कान खींचें।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं आपका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हू क्योंकि अधिवेशन के अवसर पर सरकार ने इन अध्यादेशों को जारी किया है। यह लोकतन्त्र पर प्रहार है, उसकी अवमानना है। सदन की संरक्षक होने के नाते आपका यह उत्तर-दायित्व है कि आप इस मामले पर सरकार के कान खींचे और आप सरकार को इस तकनीकी आधार पर अनुमति न दें कि सरकार ने अध्यादेश जारी किये हैं और वह उन्हें सभा-पटल पर रख सकती हैं अपितु आपको सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिये कि सरकार ने सदन की अवमानना की है और इस प्रकार श्रीमती गांधी के दिनों का स्मरण करा दिया है। यह भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। पहली बात यह है और दूसरी बात यह है कि यह दो अध्यादेश विशेषकर पहला वाला अध्यादेश प्रतिबन्ध के बारे में है। यह व्यवहारिक तौर पर हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाता है, श्रमिक वर्ग के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है हालांकि समूचे विश्व में यह अधिकार उपलब्ध हैं और उसी मन्त्री महोदय ने इन्हें जारी किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में गये हुए थे और जिनकी अध्यक्षता में वहां सम्मेलन सम्पन्न हुआ उन्होंने ही वापस आकर पहला काम यह किया कि यह अध्यादेश जारी कर दिये और श्रमिक वर्ग को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया।

महोदय, यह एक काला दिवस है, संसद के लिये यह काला दिवस है कि इन्हें *सभा-पटल* पर रखा जा रहा है। मैं आपको और आपके माध्यम से सरकार को स्मरण कराना चाहता हूं कि इसका श्रमिक वर्ग एकजुट होकर विरोध करेगा, इसका सदन में और सदन से बाहर विरोध किया जायेगा। समूचे लोकतन्त्र आन्दोलन के प्रतिनिधि एकजुट होकर इनका विरोध करेंगे। मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश बड़े कठोर हैं। न केवल इसलिये कि इन्हें संसद के अधिवेशन के समीप जारी किया गया बल्कि इसलिये भी कि यह मौलिक अधिकार पर प्रहार करते हैं। इससे संसद के प्रति उनकी उपेक्षा का परिचय मिलता है। वह भी पुराने हथकंडे अपना रहे हैं और इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि यदि वह कर्मचारियों और श्रमिकों की न्यायपूर्ण और उचित मांगों को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। प्रधान मन्त्री ने यह भी घोषणा की है कि वह 'मीसा' अथवा निरोधक कानून पुनः ला रहे हैं और एक अन्य समाचार प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के आन्दोलनों को क्रूरता से दबा दिया जायेगा। यह कार्मिक वर्ग से सीधा टकराव है। यह उसी प्रकार की स्थिति है जो 1975 की आपात स्थिति से पूर्व विद्यमान थी : इस अध्यादेश में व्यवस्था की गई है कि समयोपरि काम करने के लिए इन्कार करना भी जुर्म है। रिजर्व बैंक कर्मचारी हड़ताल पर नहीं हैं। वह आन्दोलन कर रहे हैं और

नियमावली में दिए गए नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये कर्मचारी नियमावली के नियमों के अनुसार काम करने के पूरे-पूरे हकदार हैं। इसके बावजूद भी यह अध्यादेश जारी किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पूर्व अधिकार प्रदान किए गए हैं। हम इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम इसका पूर्णरूप से विरोध करते हैं।

यही कुछ नहीं हुआ है। यह आगे की जाने वाली कार्यवाहियों का अग्रिम रूप है। अब स्थिति पलटा खाने वाली है। अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो अधिनायकवादी ताकतें फिर उभरेंगी। यह उसी का परिचायक है और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

दूसरा अध्यादेश कार्मिक वर्ग के साथ धोखा है। इस सरकार ने अनिवार्य जमा योजना की रकम को वापस करने का वादा किया था। अब अध्यादेश का सहारा लेकर वह इसकी किश्त की अदायगी स्थगित करना चाहती है। कर्मचारी मंहगाई-भत्ता क्यों मांगते हैं। इसलिए कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जब उन्हें धन की जरूरत है अगर तब उन्हें धन नहीं दिया गया और यदि आप अध्यादेश जारी करके अदायगी स्थगित करना चाहते हैं तो मजदूरी और मंहगाई-भत्ता बढ़ाने की क्या उपयोगिता है। अब उनको जरूरत है और आप देने से इन्कार कर रहे हैं। कर्मचारी इसकी अपेक्षा नहीं रखते। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं जनता सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार की प्रक्रिया को त्याग दें। यह सरकार जो तरीका अपना रही है वह बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं इस अध्यादेश को पेश किए जाने का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सरकार ने जिस तरीके से ये दो अध्यादेश जारी किए हैं वह हमें आंसुका जैसे काले कानून की याद दिलाते हैं जब कार्यकारी निर्णयों द्वारा गुप्त रूप से कानूनों में सशोधन किए गए। तब लोगों को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जेलों में बन्द करने की कोशिश की गई। जो सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और कार्मिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात करती है वही इस प्रकार के अध्यादेश ला रही है और वह भी इस सभा की बैठक होने से कुछ ही दिन पूर्व। इसकी कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि रिजर्व बैंक में हड़ताल नहीं हो रही थी। इस काले अध्यादेश द्वारा गुलामी प्रथा लागू करने, कर्मचारियों को समयोपरि काम करने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया है। यह बात सुस्थापित है कि कर्मचारियों को समयोपरि कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वे वेतन वृद्धि के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उनका कहना कि उनसे केवल रिजर्व बैंक की नियमावली के अनुसार काम लिया जा सकता हैं।

सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए ताकि उसे कर्मचारियों के विरुद्ध रोकादेश मिल जाए। उसने उनके न्यूनतम मजदूर संघीय अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका। उच्च न्यायालय का कहना है कि कर्मचारियों से केवल रिजर्व बैंक की नियमावली के अनुसार ही काम लिया जा सकता है। पर सरकार कहती है कि इसका अनुसरण नहीं किया जाएगा। वह कर्मचारियों को पांच या छः घण्टे अधिक काम करने को कहेगी।

अध्यक्ष महोदय : नियम के अधीन, केवल संक्षिप्त भाषण दिया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज क्या हो रहा है ? जब कर्मचारी समयोपरि काम करने से

इन्कार करते हैं तो उसे हड़ताल माना जा रहा है। उन्हें बिना बारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है। केवल सन्देह मात्र के आधार पर देश में पुलिस को रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। इस तरीके से मद्रास में गिरफ्तारी हो चुकी है। चार कर्मचारियों को कार्यालय की बजाय उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। क्या यह सरकार रिजर्व बैंक के अन्दर पुलिस रख कर रिजर्व बैंक का काम चलाना चाहती है? क्या सरकार को इसी तरीके से काम करना चाहिए? यह बिल्कुल असंवैधानिक है। हम सरकार को इसकी चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार इस सभा का सत्र आरम्भ होने से दो-चार दिन पहले अध्यादेश जारी करके और कर्मचारियों तथा लोगों से परामर्श किए बिना ...(व्यवधान)। रिजर्व बैंक कर्मचारियों की मांगें क्या हैं? वह बातचीत से झगड़ा तै करना चाहते थे। सरकार ने निश्चित रूप से विश्वासघात किया है ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सब कुछ कह चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अध्यादेश को सभा-पटल पर रखने का प्रश्न है, संविधान में व्यवस्था है कि इसे सभा-पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सबकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)*

श्री समर मुखर्जी : हम विरोध में बहिरगमन कर रहे हैं। तत्पश्चात् श्री समर मुखर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1979

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 18 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 315 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 4565/79)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, बर्ष 1977-78 के लिये भारत से नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार सिबिल) राजस्व प्राप्तियां—खंड II, प्रत्यक्ष कर और संघ सरकार (रेलवे)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 293 (ङ) से 302 (ङ) जो दिनांक 10 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा सीमा शुल्क के सहायक शुल्कों से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा. सां. नि. 813 (ङ) जो दिनांक 16 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा पौण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सा. सां. नि. 351 (ङ) जो दिनांक 5 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा डेनिश क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को डेनिश क्रोनर में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सा. सां. नि. 377 (ङ) जो दिनांक 16 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 16 मई, 1979 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 313 (ङ) के अन्तर्गत निर्धारित दर का प्रतिस्थापन करते हुए पौण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सा. सां. नि. 393 (ङ) जो दिनांक 23 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 16 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 377 (ङ) के अन्तर्गत निर्धारित दर का प्रतिस्थापन करते हुए पौण्ड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौण्ड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4566/79)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 317 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 मई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा निःशुल्क वितरण किये जाने वाले कुछ शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4567/79)

(3) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां—खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4568/79)

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4569/79)

(4) विनियोग लेखे—रेल, 1977-78 भाग 1 समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4570/79)

(5) विनियोग लेखे—रेल, 1977-78, भाग 2—ब्यौरेवार विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4571/79)

(6) रेलवे के वर्ष 1977-78 के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजीगत विवरणों सहित) पुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4572/79)

(7) (एक) नियन्त्रणों और राज सहायता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा प्रतिवेदन के अनुबन्धों और परिशिष्टों सम्बन्धी खण्ड।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों के हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा-पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4573/79)

विशेषाधिकार समिति

पांचवाँ प्रतिवेदन

सचिव मैं विशेषाधिकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन जो विशेषाधिकार समिति के सभापति द्वारा 31 मई, 1979 को अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सभा-पटल पर रखता हूं।

(मुख्यालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4574/79)

सभापति तालिका के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की पीठिका में नामाँकित किया है :

1. श्री वी. पी. कदम
2. श्रीमती पार्वती कृष्णन
3. डा. वी. ए. सैयद मोहम्मद
4. श्री जगन्नाथ शर्मा
5. श्री एन. के. शेजवलकर
6. श्री एम. सत्यनारायण राव

श्री व्यालार रवि : उन्होंने यह अध्यादेश जारी किया है जब कि चार दिन बाद सदन की बैठक होने वाली है। क्या वह संसद के प्रति कोई आदर प्रदर्शित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय मुझे नहीं करना है। इसका सदन को निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे पढ़ें .....

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरजीत सिंह बरनाला।

हाल ही में आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में आये समुद्री तूफान तथा इस सम्बन्ध में किये गये बचाव उपायों के बारे में विवरण

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : सदन के माननीय सदस्य 12 मई, 1979 को आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों और तमिलनाडु के कुछ भागों में तूफानी हवाओं के साथ असाधारण रूप से भीषण समुद्री तूफान के रूप में आई विपत्ति से अवगत हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यद्यपि तमिलनाडु में समुद्री तूफान से कोई गम्भीर क्षति नहीं पहुंची तथापि आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में इससे भारी विनाश हुआ और कई व्यक्तियों तथा पशुओं की जानें गईं तथा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची। प्रकाशम और नैल्लोर जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए। समुद्री तूफान के बाद आयी भारी वर्षा के कारण गुन्टूर, कृष्णा, पश्चिम तथा पूर्वी गोदावरी, कर्नूल, कुड्डापेह और महबूबनगर जिलों में भी भारी नुकसान होने के समाचार मिले हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 705 व्यक्तियों के मरने की सूचना दी है जिसमें से प्रकाशम और नैल्लोर जिलों में जो कि सबसे अधिक प्रभावित थे क्रमशः 570 तथा 759 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त हुए कुल 7.35 लाख मकानों में से सर्वाधिक क्षति प्रकाशम (3.13 लाख) और नैल्लोर (3.67) लाख में ही हुई। पशुधन में हुई हानि इस प्रकार है : 77,000 गोपशु, 1.79 लाख भेड़ तथा बकरी, 1.77 लाख सुअर और 1.49 लाख कुक्कुट। लगभग 72,000 हैक्टयर क्षेत्र में फसल को क्षति पहुंची जिसका मूल्य 2,164 लाख रुपये के लगभग बैठता है। राज्य सरकार ने बताया है कि 15,600 तम्बाकू के खलिहानों को क्षति पहुंची है जिनमें आधे से अधिक पूरी तरह से नष्ट हो गये।

तमिलनाडु सरकार ने 21 व्यक्तियों और 772 पशुओं के मरने तथा 7,212 झोंपड़ियों के नष्ट होने की सूचना दी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि क्षति बहुत अधिक नहीं हुई है और राज्य सरकार स्वयं इसकी व्यवस्था कर सकती है। अतः वहां कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जैसे ही समुद्री तूफान के आने के बारे में चेतावनी प्राप्त हुई, केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 10 मई से इस विपत्ति का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी शुरू कर दी थी। निचले स्थानों पर रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। राज्य तथा जिला मुख्यालयों में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिये गये। रक्षा सेनाओं को सावधान कर दिया गया और मछुओं को आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी दे दी गयी थी।

समुद्री तूफान के तुरन्त बाद ही राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाये जिनमें मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों तथा जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उन परिवारों को नि:शुल्क राहत के रूप में धनराशि उपलब्ध कराना भी शामिल था। राहत-उपायों के रूप में समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों को नकद सहायता दी गई तथा खाद्यान्नों और वस्त्रों का नि:शुल्क वितरण किया गया। उन स्थानों पर चिकित्सा दल तुरन्त भेजा गया। राज्य सरकार ने छोटे तथा सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता दी तथा बुनकरों, मछुओं और कारीगरों को भी सहायता प्रदान की। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों से भू-राजस्व की वसूली भी स्थगित कर दी। समुद्री तूफान से क्षतिग्रत सिंचाई के निर्माण कार्यों, सड़कों और इमारतों की मरम्मत तथा पुनर्व्यवस्था के लिए 10,75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई।

मैंने 24 और 25 मई को समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। प्रधान मंत्री ने 3 और 4 जून को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस विनाश के परिमाण का जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति ने 9 जून को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

केन्द्र सरकार ने, क्षति के परिमाण का पता लगाने तथा तत्काल राज्य को सहायता की स्वीकृति देने के लिए एक केन्द्रीय दल को राज्य के दौरे पर भेजा था। इस दल ने 20 से 23 मई तक राज्य का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

केन्द्रीय दल द्वारा दी गई रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने वर्ष 1979-80 के दौरान राहत, पुनर्वास तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मरम्मत और पुनर्व्यवस्था के विभिन्न मदों पर किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृति हेतु निम्नांकित अधिकतम सीमा स्वीकार की है :

	लाख रुपयों में
1. राहत – जिसमें खाद्यान्न, वस्त्र तथा औषधि आदि की नि:शुल्क सप्लाई भी शामिल है।	575
2. पुनर्वास—जिसमें मकान बनाने के लिए राज-सहायता, कृषकों को राज-सहायता, तम्बाकू-उत्पादकों, मछुओं और पशु-कुक्कुट स्वामियों के लिए सहायता और कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए सहायता शामिल है।	1,090
3. सार्वजनिक निर्माण कार्यों की मरम्मत—जिसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को दी गई सहायता शामिल है।	3,406
योग	5,071

इसके अलावा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत सामान्य कोटे के अतिरिक्त 11 करोड़ रु० के मूल्य का 75,000 मीटरी टन चावल भी दिया गया है। 7.50 करोड़ रुपये के मूल्य का इसका एक भाग सिंचाई तथा सड़क निर्माण कार्यों की मरम्मत व पुनर्निर्माण को 50 प्रतिशत लागत पूरी करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। खरीफ की फसल उगाने के लिए 10 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण भी दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1-6-79 की स्थिति के अनुसार 10.66 लाख रुपये के मूल्य की आवश्यक दवाओं, रोगाणुनाशियों, पशु-चिकित्सा दवाओं के रूप में सहायता प्रदान की।

कृषि विभाग के अनुरोध पर विकास आयुक्त (हथकरघा) से स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों को एक विशेषज्ञ दल भेजने और दी जाने वाली सहायता की किस्म के बारे में सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के विचाराधीन है। समुद्री तूफान के फलस्वरूप जो बुनकर बेकार हो गए हैं उन्हें आवश्यक और उचित सहायता दी जाएगी।

कृषि वित्त निगम तथा भारतीय बैंक एसोसिएशन ने राज्य के तूफान से प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए कृषि वित्त निगम तथा बैंक के अधिकारियों के चार दल गठित किए थे। इन दलों में राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों तथा राज्य सहकारी बैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इन दलों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ, अल्पावधि ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलने, सावधिक ऋण की पुनर्व्यवस्था करने, 1979 के खरीफ ऋणों के लिए आवेदन पत्रों का निपटाने हेतु बैंकों द्वारा शिविर शाखायें खोलने आदि की सिफारिश की है। कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से उदार शर्तों पर ऋण देने का अनुरोध किया जा रहा है। इन उपायों से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के पुनर्वास में सहायता मिलेगी।

यदि राज्य सरकार ऐसी आपदाओं से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आती तो केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही अपर्याप्त होती। मैं यह जरूर कहूंगा कि राज्य सरकारों ने स्थिति का सामना करने के लिए तेजी से कार्यवाई की है। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं।

मैं तूफान पीड़ितों को राहत प्रदान करने में सशस्त्र सेना के जवानों द्वारा दी गई सहायता के लिए भी उनकी सराहना करता हूं। सेना तथा वायुसेना ने तबाह गांवों तक पहुंचने, वायुयान द्वारा खाद्य पदार्थ गिराने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में चिकित्सा सप्लाई और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के मामले में शानदार काम किया। वास्तव में हम उनके अत्यंत आभारी हैं।

जब तक जनता तथा राहत कार्य करने वाले अन्य स्वैच्छिक संगठनों से तुरन्त सहयोग नहीं मिलता, तब तक राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता है। इस आपदा का सामना करने में प्रभावित क्षेत्रों की जनता ने जो धैर्य और हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे शीघ्र अपने सामान्य काम काज में फिर से जुट जायेंगे और उन पर जो विपत्ति आई है, उसका सामना कर सकेंगे।

श्री आर० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : महोदय, इस समुद्री तूफान से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक विनास हुआ है तथा हजारों एकड़ भूमि कृषि के लिए बेकार हो गई है। आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार के समुद्री तूफान आते रहते हैं। राज्य सरकार एक दीवार का निर्माण करने की सोच रही है ताकि हर बार इन क्षेत्रों को समुद्री तूफान से हानि न पहुंचे। इस पर बहुत व्यय आयेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता की मांग की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा अनुरोध किया गया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) महोदय, तम्बाकू बोर्ड ने अनुरोध किया है······

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल आधा मिन्ट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा दूं।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आगरा जिले में डाक लेखन सामग्री और टिकटों की कमी तथा आगरा में बैंकों द्वारा छोटे करेंसी नोट स्वीकार करने से इन्कार किये जाने का मामला

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। आगरा जिले में तथा अन्य स्थानों पर डाक सामग्री का लगभग अकाल पड़ा हुआ है। जिसके कारण जनता को बड़ी परेशानी हो रही है और कार्य व्यापार ठप्प पड़ गया है। लिफाफे और अन्तर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं हैं—लगभग पिछले चार महीनों से वह उपलब्ध नहीं हैं। अब पोस्ट कार्ड भी उपलब्ध नहीं है और टिकटें भी नहीं हैं। केवल 2 रुपये अथवा उससे ऊपर के मूल्य के टिकट उपलब्ध हैं।

इससे जनता को कोई कम कष्ट नहीं हो रहा और व्यापार में भी बाधा पड़ रही है क्योंकि बैंक बाटर के चैक स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह रजिस्टर्ड पत्र के लिए 2-65 रुपये के स्थान पर 4 रुपये देने को तैयार नहीं है और कम-कीमत वाले टिकट उपलब्ध नहीं हैं।

आगरा में स्थिति और भी गम्भीर और जटिल है क्योंकि पिछले दो तीन महीनों में बैंकों ने 100 रुपये अथवा 50 रुपये मूल्य से कम के नोटों को स्वीकार करने से मना कर दिया हे। ऐसा करना अपराध है। फिर भी किसी को परवाह नहीं है। पिछले अधिवेशन में भी यह मामला उठाया गया था किन्तु फिर भी राहत नहीं दी गई है। केवल अस्पष्ट से आश्वासन दिये गये थे और उनका कार्यान्वियन अभी होना है।

संचार और व्यापार में बाधा आने से व्यापार और उद्योग दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है इसलिये मैं शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) मानसून के विलम्ब के कारण महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैं नियम 377 के द्वारा अत्यन्त महत्वपूर्ण

मामला आपकी अनुमति से यहां पेश कर रहा हूं। आज देश में और महाराष्ट्र में अनावृष्टि के संकट से देहाती क्षेत्र में अकाल (फेमिन) की परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है। लोगों और जानवरों को पीने के पानी की किल्लत की वजह से मौत का सामना करना पड़ रहा है। भुखमरी की नौबत आ गई है। बोया हुआ बीज मर चुका है। घास की कमी से जानवर मरने के रास्ते पर हैं। बेकारी और महगाई के संकट से गरीबों को इस अनावृष्टि के कारण जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। मानसून की देरी से देहाती किसान मजदूरों पर स्काइलेब की कयामत बरस रही हैं। इनकी फौरन मदद करना शासन की जिम्मेदारी है। मगर शासन और मौनीनाथ बनकर निष्क्रिय बना हुआ है। जनता में बहुत असन्तोष बना हुआ है। मैं शासन शान्त से गुजारिश करता हूं कि इस संकट से जनता को बचाने के लिए फौरन सहायता कार्य शुरू करें।

जयक्रांति।

लोकपाल विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। सभा अब संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोकपाल विधेयक 1977 पर आगे विचार करेगी।

सभा में इस विधेयक के लिये 12 घन्टे का समय नियत किया गया है जिसमें से 1 घन्टा 25 मिन्ट लि‍ए जा चुके हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम 7 घन्टे जिसमें 1 घन्टा 25 मिन्ट भी सम्मिलित हैं, सामान्य चर्चा के लिये चार घन्टे खण्ड-वार विचार के लिये तथा 1 घन्टा तीसरे वाचन के लिये रख लें। मेरा विचार है कि सभा को यह बात स्वीकार्य है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) महोदय, पिछले अधिवेशन में हमने फैसला किया था कि जातिवादी ब्रिटेन सरकार के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे ……

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु : क्या कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है। हम विधायी कार्य पर विचार कर रहे है। श्री दुर्गा चन्द बोल रहे थे, वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री कंवर लाल गुप्ता : (दिल्ली सदर), महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं किन्तु दुर्भाग्य से सभा में गणपूर्ति नहीं हैं। जब इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा चल रही है तो कम से कम संसदीय कार्यमन्त्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभा में गणपूर्ति हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है और बड़े समय से विलम्बित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : घन्टी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति हो गयी है। श्री दुर्गा चन्द अब अपने विचार व्यक्त करेंगे। माननीय सदस्यों को जाना नहीं चाहिये। वरना मुझे पुनः गणपूर्ति की घन्टी के लिये कहना पड़ेगा। श्री दुर्गा चन्द।

श्री दुर्गा चन्द (कांगड़ा) : इस बिल को ए० आर० सी० की सिफारिशों के आधार पर 1968 में लोक सभा में पेश किया गया था। अडाज 1979 में हम इसे पास करने जा रहे हैं। बीच में यह बिल लैप्स होता चला गया। फिर इंट्रोडूस हुआ। यह कांग्रेस रेणीम में तो पास नहीं हो सका लेकिन अब यह श्रेय जनता पार्टी को जाएगा कि वह इसको बड़े बहस मुबाहिसे के बाद पास करने जा रही है।

हायर पोलिटिकल लेवेल पर जो कुरप्शन है उसको हमको दूर करने की तरफ ध्यान देना होगा और यह बिल उसमें हमारी मदद कर सकता है। आज हमारे लोकतंत्र को सब से ज्यादा खतरा इस वास्ते पैदा होता है कि हायर पोलिटिकल लेवेल पर जब कुरप्शन के चार्जिज लगाए जाते हैं तो उनकी जांच ठीक प्रकार से नहीं होती है। इस देश के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे के चलते और तब उस सूरत में जनता का लोकतंत्र पर जो एतमाद है वह सारे का सारा हिल जाता है। इस बिल को पास करने के बाद हमारे देश में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिसमें हायर पोलिटिकल लेवेल पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे विधान सभाओं में और चाहे लोक सभा में उन पर एक चक्र सा लग जाएगा, एक रुकावट सी लग जाएगी और वे इस तरीके से फंकशन नहीं कर सकेंगे जिससे लोकतंत्र की बुनियाद हिल सी जाए। यह हमारे देश की जो परम्परायें, ट्रेडीशंज़ और हैरिटेज थी उनके एन मुताबिक है, और आथोरिटी पर चैक और बेलेंस जो रखा जाता है उसके मुताबिक है इस बिल में भी चैक और बैलेंस रखने की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी, इस बिल के सेक्शन 4 में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। मेरी राय में लोकपाल की नियुक्ति के मुताल्लिक जिस तरीके से ढांचा बनाया गया है वह दुरुस्त है और लोकपाल की नियुक्ति जिस तरीके से होनी चाहिये, वह होगी। सैक्शन 7 में लोकमाल को कैसे रिमूव किया जा सकता है इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 8 में स्पेशल लोकपाल मुकर्रर किये जा सकते हैं। अगर लोकपाल के पास इतना ज्यादा काम हो जाता है कि कम्प्लेन्ट्स को टाइम के अन्दर डिसपोज़ आफ़ नहीं कर सकता तो स्पेशल लोकपाल मुकर्रर करने का प्रोवीजन रखा गया है।

सैक्शन 17 (1) में कहा गया है कि जो कम्लेट्स करने वाले लोग हैं उनकी शिकायतें फ्रिवलस नहीं होनी चाहिये। अगर कोई आदमी ऐसे ही कम्पलेन्ट करता है जिसमें कोई सबस्टैंस नहीं होगा और वह झूठी पायी जायेगी जो शिकायत करने वाले को सजा भी दी जा सकती है और उसको एक साल की सजा और 3,000 रु० तक जुर्माना किया जा सकता है, या उसकी जो सेक्योरिटी डिपाजिट होगी उसको फोरफीट किया जा सकता है। मेरी राय में यह जरूरी था, वरना पोलिटिकल लेविल पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर वेग चार्जिज लग सकते हैं, उसको कंट्रोल करना जरूरी था। कम्पलैंट्स में कोई सबस्टेंस होना चाहिये, प्राइमाफैशी केस होना चाहिये ताकि लोकपाल आगे प्रोसीड कर सके। सेक्शन 22 (1) में झूठी शहादत देने वाले लोगों को भी सजा दी जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि करप्शन की इरेडीकेट करने में यह बिल सफल होगा और हमारे लोकतंत्रीय इतिहास में एक नई मिसाल कायम होगी कि बड़ी से बड़ी अथौरिटी पर बैठे हुए लोग भी गलत काम न कर सकें। चाहे प्रधान मंत्री हो, या स्टेट्स के चीफ़ मिनिस्टर हों, या मंत्रिमंडल के सदस्य हों, या विधान सभा या

सभा के सदस्य हों, उन सब के लिये प्रोसीजर रखा गया है। लोक सभा के सदस्य के बारे में अगर कोई शिकायत है तो सीधे तौर पर वह लोकपाल के पास नहीं जायेगी। पहले उसको अध्यक्ष महोदय देखेंगे और अगर उसमें कुछ सब्सटेंस है तो वह उसको आगे रेफर कर सकते हैं। आज तक हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा यह रहा है कि अथोरिटी पर बैठे हुए जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके खिलाफ बड़े-बड़े चार्जिज लगते हैं और हमारी कौम में जो कांफीडेंस होना चाहिये कि लोकतंत्र में लोगों को न्याय मिलता है वह धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन अब इससे जनता में विश्वास पैदा होगा कि चाहे प्रधान मंत्री हो या मंत्रिमंडल के सदस्य हों वह अपनी सीमा से बाहर जाकर अथोरिटेरियन तरीके से काम नहीं कर पायेंगे। अभी तक ऐसी आम शिकायतें आती रही हैं जिससे हमारे लोकतंत्र का खतरा हुआ है। आज 30 साल का अर्सा हो गया लेकिन लोगों में लोकतंत्र के मुताल्लिक विश्वास पैदा नहीं होता, उसका कारण था कि जो हमारे लोकतंत्र को चलाने वाले लोग होते थे, हमारी कार्यपालिका जो होती थी उस पर कोई चैक नहीं था आज तक, और वह आर्बिट्रेरी तरीके से चलना शुरू कर देते थे, जैसा कि पीछे हुआ है। इस देश में अगर लोकपाल की नियुक्ति हुई होती तो यहां एमर्जेन्सी लगाने का मौका नहीं आता। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पहले से ही चैक होता कि आप गलती पर चल रही हैं, आपका कंडक्ट लोकतंत्र के मुताबिक नहीं है, आप ऐसे हालात पैदा न होने दें। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को ठीक फंक्शन करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति और इस बिल का पास किया जाना निहायत जरूरी है ताकि हमारा लोकतंत्र फले और फूले। हमारी जनता पार्टी द्वारा, मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा विधायी कार्य होगा जिसकी वजह से लोकतंत्र में साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन देने का मौका मिलेगा।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार द्वारा पुरास्थापित लोकपाल विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। लोकपाल विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि यह देश के राजनीतिक जीवन से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए लाया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तथा उससे पूर्व भी राजनीतिज्ञों और नागरिकों के जीवन में भ्रष्टाचार की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। जनता इस बात के लिए चिन्तित रही है कि राजनीतिज्ञों तथा सरकारी कर्मचारियों के जीवन से भ्रष्टाचार को दूर करने तथा प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास पैदा करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये। कुछ समय पूर्व पुराने कांग्रेसी नेता तथा श्रेष्ठ प्रशासक श्री संतानम ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करे इस बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अनेक अन्य प्रतिवेदन भी थे जिन पर सरकार का ध्यान था।

अब वर्तमान जनता सरकार ने संयुक्त प्रवर समिति में चर्चा के बाद यह लोकपाल विधेयक रखा है। इस विधेयक के बारे में इरादे सराहनीय हैं। परन्तु इस विधेयक के उपबन्धों को इस प्रकार बदला गया है तथा विकृत किया गया है कि ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति वास्तव में समाज और सरकार के निचले स्तर पर उत्तरदायी हैं उन्हें छोड़ दिया गया है—सार्वजनिक व्यक्तियों, विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों—जो सरकार और जनता के मध्य किसी प्रकार का

सम्पर्क बनाकर वास्तविक सेवा करना चाहते हैं तथा जनता की शिकायतें सरकार तक पहुंचाते हैं, केवल इसीलिए दण्डित किये जा रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार को दूर कराना चाहते हैं। परन्तु कुछ गोलमाल किये जाने के कारण मुझे नहीं पता क्या हुआ है अधिकारी तंत्र ने अपने आपको इस विधेयक से बचा लिया है।

श्रीमान, संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन में विमति की टिप्पणियां भी हैं। सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारी तंत्र को विधेयक के कार्यक्षेत्र में लाए जाने के लिए बहुत से तर्क दिये गये हैं। परन्तु किसी प्रकार प्रवर समिति का बहुमत अर्थात जनता पार्टी के सदस्य सरकारी कर्मचारियों का इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से अलग रखने में सफल रहे हैं।

श्रीमान. किसी भी संसद सदस्य तथा विधायक, जिसके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है, को अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ती है तथा लोगों से शिकायतें प्राप्त करनी होती हैं। जनता की शिकायतों को दूर करने, सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जब तक सचिवालय को खुश नहीं किया जाता फाइल आगे नहीं चलती। इस प्रकार प्रशासन गलत नीति अपनाता है तथा शिकायतें दूर नहीं करने देता।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई। दो बजे म. प. तक के लिए।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

प्रधान मंत्री की हाल की सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने सोवियत संघ, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया के नेताओं के निमन्त्रण पर 10 जून से 21 जून तक इन देशों की यात्रा की। विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी इस यात्रा में मेरे साथ थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और महत्वपूर्ण सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर इन देशों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करना था। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि उन सभी राजधानियों में, जहां-जहां मैं गया, मैंने यह पाया कि बहुत से महत्वपूर्ण मामलों के विषय में हमारे विचारों में व्यापक रूप से समानता है। मैं सोवियत संघ की अपनी यात्रा की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति तथा पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया की अपनी यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रख रहा हूं।

2. सोवियत संघ में मैंने मास्को के अलावा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद तथा समरकंद और लेनिनग्राड के ऐतिहासिक नगर भी देखे। मास्को में राष्ट्रपति ब्रेझनेव तथा प्रधान

मंत्री कोसीगिन के साथ मेरी बातचीत बड़ी सौहार्द्र और सद्भावपूर्ण रही जिसमें भारत तथा सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ मैत्री का भाव परिलक्षित हुआ। हमारे बीच मुक्त और स्पष्ट रूप से विचारों का आदान-प्रदान हुआ तथा जिन निष्कर्षों पर हम पहुंचे, वे संयुक्त वक्तव्य में दिए गए हैं।

3. पोलैंड में मेरी बातचीत पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी के प्रथम सचिव, श्री गौरिक तथा पोलैंड के राष्ट्रपति, प्रोफेसर जाब्लोंस्की से भी हुई। मैंने पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जारोस्जेविक्ज से भी भेंट की जो गम्भीर बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनके साथ यद्यपि मेरी बातचीत संक्षिप्त हुई, परन्तु वह उपयोगी रही।

4. चैकोस्लोवाकिया में मैंने राष्ट्रपति हुसाक तथा प्रधान मंत्री स्ट्रोगल के साथ कई विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

5. यूगोस्लाविया में मैंने प्रधान मंत्री जूरानोविक के साथ द्विपक्षीय संबंधों और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बेलग्राद में विचार-विमर्श किया। मैंने राष्ट्रपति टीटो के साथ राजकीय वार्ता के लिए ब्रियोनी की यात्रा भी की जो बहुत ही सुखद रही। उनके साथ मैंने केवल द्विपक्षीय मामलों पर ही बातचीत नहीं की बल्कि सितम्बर, 1979 में हवाना में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के आगामी शिखर सम्मेलन से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया। मुझे राष्ट्रपति टीटो के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा प्रकट करने से बड़ी प्रसन्नता हुई।

6. प्रत्येक राजधानी, जिसकी मैंने यात्रा की, वहां मैंने जिन विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया उन्हें यहां दुहराने के बजाय मैं उन अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का, जहां तक हम सहमत हुए, सार-संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये मामले हैं तनाव-शैथिल्य, निश्शस्त्रीकरण और ऐसे विषय जिनका संबंध हाल ही में स्वतन्त्र हुए और विकासशील देशों के आर्थिक विकास से है।

7. हम यूरोप में तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं परन्तु इस प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए इसका विस्तार इस भूमंडल के अन्य भागों तक भी किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को पलटा नहीं जाना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि बिना निश्शस्त्रीकरण के तनाव शैथिल्य की यह प्रक्रिया सही तौर पर स्थायी नहीं हो सकती। विकास की तीव्र गति के लिए निश्शस्त्रीकरण भी अपरिहार्य है जिसकी कि इस संसार को आवश्यकता है, चाहे यह आवश्यकता राजनीतिक दृष्टि से हो अथवा आर्थिक दृष्टि से। इसलिए मानवता के समक्ष आज जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं वह है हथियारों की होड़ का खत्म किया जाना तथा इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का कारगर ढंग से क्रियान्वयन और इस प्रकार से मुक्त किये गए धन तथा संसाधनों को विकासशील देशों के विकास के लिए अधिकाधिक लगाना।

8. यद्यपि विगत तीन दशकों में बहुत से उपनिवेशों ने राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली है परन्तु वास्तविकता यह है कि आर्थिक रूप से और कई अन्य बातों में वे अभी भी अपने भूतपूर्व साम्राज्यवादी शासकों पर निर्भर हैं। उनमें से बहुत से उपनिवेशों को औपनिवेशिक युग से समस्यायें और झगड़े विरासत में मिले हैं। हमारा यह विश्वास है कि इन देशों की राजनैतिक

स्वाधीनता तब तक सुदृढ़ नहीं की जा सकती जब तक कि वे आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वाधीन न हो जाएं। इस आर्थिक स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमें न्यायोचित एवं प्रजातांत्रिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के पुनर्गठन की अत्यावश्यकता को स्वीकार करना चाहिए।

9. जिन देशों की मैंने यात्रा की, उन सभी देशों में मैंने अपने मेजबानों के साथ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की समीक्षा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर चलना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था चुनने का अधिकार है। किसी भी देश को अपने पड़ोसी या किसी दूरस्थ देश के साथ यदि कुछ समस्यायें हैं तो उनका समाधान शान्तिपूर्ण तरीकों से खोजा जाना चाहिए। राष्ट्रों को एक दूसरे की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करना सीखना चाहिए। उन्हें किसी भी आधार पर एकत्र करके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने शान्तिपूर्ण तथा द्विपक्षीय रूप से सुलझाने चाहिएं। हमने दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में निरन्तर बने हुए तनावों पर विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की।

10. मैंने जिन देशों की यात्रा की वे सभी देश द्विपक्षीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत के साथ अपने विद्यमान आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग को और सुदृढ़ करने को उत्सुक हैं और इस प्रकार के सहयोग को प्रशस्त बनाने के नए उपाय खोजना चाहते हैं। हम अपनी ओर से ऐसा करने को तैयार हैं।

11. स्वदेश लौटते समय मैं रास्ते में कुछ समय के लिए फ्रैंकफर्ट में रुका जिसके दौरान मैंने जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर हेर श्मीत से एक घंटे तक बातचीत की और जर्मन चैम्बर आफ कामर्स एवं इन्डस्ट्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी औपचारिक रूप से भेंट की जो भारत में अथवा विदेशों में संयुक्त उद्यमों में सहयोग संवर्धित करने को उत्सुक हैं। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस थोड़े से समय में जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर के साथ कुछेक महत्वपूर्ण मसलों पर मेरी जो बातचीत हो सकी उसमें एक व्यापक समझौते की भावना परिलक्षित हुई। व्यापारिक क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मेरी बातचीत के दौरान मुझे यह मालूम हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के प्रति उनका रवैया सार्थक है और वे इस उद्देश्य के लिए भारत की यात्रा करने को उत्सुक हैं।

12. अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज विश्व-शांति, तनाव-शैथिल्य और स्थिरता के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति को एक नीति के रूप में जितनी अच्छी तरह समझा जाता है और उसकी सराहना की जाती है उतनी पहले कभी नहीं थी। मेरी यात्रा से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं और आपसी हित के और अधिक सहयोग के नये मार्ग प्रशस्त हुए हैं।

13. मैं राष्ट्रपति ब्रेझनेव एवं प्रधान मंत्री कोसीगिन, प्रथम सचिव गैरिक तथा प्रधान मंत्री जारोजेविक, राष्ट्रपति हुसाक एवं प्रधान मंत्री स्ट्रोगल, राष्ट्रपति टीटो एव प्रधान मंत्री जुरानोविक को हमारे प्रवास के दौरान अपने-अपने देश में उन्होंने जो हमारा हार्दिक स्वागत-सत्कार किया

उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चांसलर श्मीत का भी आभारी हूं कि उन्होंने फ्रैंकफर्ट में मुझसे मिलने के लिए समय निकाला और उनके साथ उपयोगी विचार-विमर्श हुआ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैं इस सत्र में ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की मांग करता हूं। मुझे उम्मीद है आप इस वक्तव्य पर चर्चा के लिए समय निकालेंगे।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका मैंने सभा में वचन दे दिया है।

लोकपाल विधेयक-जारी

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : जैसा कि मैं मध्याह्न भोजन से पहले बता रहा था कि लोकपाल विधेयक सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार हटाने के लक्ष्य के विपरीत है। यह विधेयक जिस रूप में आज है उसमे कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : यह गड़बड़ वाला है।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : विधेयक को विकृत रूप में लाया गया है और इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता; वे इस प्रकार के विधेयक से सत्ता के उच्च केन्द्रों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकेंगे। इस विधेयक के 'निर्माण' में किया गया पूरा अभ्यास मैं जानबूझकर निर्माण शब्द का उपयोग कर रहा हूं —यह भूतलक्षी प्रभाव से बदला लेने के लिए किया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पिछले पांच वर्षों में किये गये अपराधों को अपनी परिधि में लेना है। इससे साफ प्रकट होता है कि जनता सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों से बदले की भावना से किस भद्दे ढंग से कार्य कर रही है। यह जनता पार्टी की बदले की भावना का चमकता हुआ उदाहरण है।

दूसरे, इस विधेयक में संसद सदस्यों को सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें कार्यकारी कार्यों के प्रभारी सार्वजनिक कर्मचारी माना गया है······

श्री हरि विष्णु कामत : सार्वजनिक व्यक्ति।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : और उनका कदाचार दण्ड का भागी है। मैं जानना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के पास कौनसी कार्यकारी शक्ति है। उनका एकमात्र कार्य यह है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्पर्क बनाये रखें तथा लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंचायें। यदि 'कदाचार' शब्द का अर्थ लगायें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि कोई संसद सदस्य किसी मित्र के लिए रेल में सीट के आरक्षण के लिए आरक्षण कार्यालय को पत्र लिखता है तो वह भी कदाचार में आ सकता है। इससे संसद सदस्यों के लिये अपना कार्य करना इतना असम्भव हो जाता है कि यह उपहासास्पद लगता है।

किसी भी सरकार में यदि वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो कठिनाई यही है कि यदि अधिकारी तंत्र तदानुरूप न हो तथा वह सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्ध न

हो तो जो कुछ भी कार्य सरकार क्रियान्वित करना चाहती है कर नहीं पाती अब वास्तव में प्रशासनिक कर्मचारी देश पर शासन कर रहे हैं। मंत्री कुछ नीतियां निर्धारित करते हैं। उन्हें अपनी पार्टी की नीतियां क्रियान्वित करनी पड़ती हैं। परन्तु मंत्रियों को अनुपयोगी बना दिया गया है और यदि कोई मंत्री नया है तो उसकी स्थिति उपहासास्पद और कठिन बना दी जाती है क्योंकि वह किसी भी मामले में कोई भी कार्य नहीं कर पायेगा क्योंकि सचिवालय ऐसी टिप्पणी तैयार करता है कि उसके लिए आदेश देना असम्भव बन जाता है। इस स्थिति में संसद सदस्यों को इस विधेयक की परिधि में लाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

दूसरी बात सक्षम अधिकारी के सम्बन्ध में है। उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को अधिकार दे दिया है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। इसे 'ओम्बुडस्मैन' व्यवस्था कहा जाता है। इस विधेयक में 'ओम्बुडस्मैन' प्रथा का कोई गुण नहीं है। यह विधेयक केवल नाम के लिए है।

श्री मोरारजी देसाई प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन रहे हैं। उन्होने बहुत अच्छे तथा वैध सुझाव दिये हैं। परन्तु यह सिफारिशें व्यवहार में नहीं लाई गई। यह गलत ढंग से लाया गया है। जैसा कि श्री कामत ने कहा है कि आयोग का प्रतिवेदन सर्वसम्मत है। वह उस आयोग के सदस्य थे। तब भी उसे क्रियान्वित नहीं किया गया।

इस विधेयक में बहुत सी असंगतियां हैं जैसा कि बहुत सी विमति टिप्पणियों से स्पष्ट होता है जोकि विख्यात संसद सदस्यों द्वारा की गई हैं। मेरा यह दृढ़ मत है कि अच्छा होगा यदि सरकार इस विधेयक को अभी भी वापिस ले ले तथा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट की विमति टिप्पणियों में दिए गए रचनात्मक सुझावों को उसमें सम्मिलित कर ले ताकि ऐसा न लगे कि यह विधेयक संसद सदस्यो को दण्डित करने के लिए तैयार किया गया है। ऐसा करने से संसद सदस्य निष्क्रिय बन जायेंगे। वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। संसदीय लोकतंत्र की संकल्पना को धक्का लगेगा।

मैं दुबारा कहना चाहता हूं कि इस विकृत विधेयक से हानि अधिक होगी तथा लाभ कम। मैं सरकार से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार के वास्तविक केन्द्रों की जहां प्रशासनिक मामलों में विलम्ब किया जाता है की—क्योंकि विलम्ब ही भ्रष्टाचार की जननी है पहचान की जाये। उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाये। यह धारणा बनी रहनी चाहिए कि वास्तव में यह विधेयक भ्रष्टाचार हटाने के लिए लाया जा रहा है तथा सार्वजनिक जीवन में कुछ नैतिक प्रतिमान स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री को भी इस विधेयक की परिधि में लाया गया है। एक समय यह विचार रखा गया था कि प्रधान मन्त्री को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा जाये, परन्तु अब स्थिति यह नहीं है। मुझे खुशी है कि इस देश का सबसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, भी अपने को सभी प्रकार की जांच के लिए प्रस्तुत करने को तैयार है। तथा जब उसके विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं तो उसे भी सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश होना पड़ेगा।

इन तर्कों के कारण मैं इस विधेयक को इस रूप में पारित करने का कोई कारण नहीं

समझता। निःसन्देह बहुत से देशों में ऐसे अधिकरण विद्यमान हैं। हमें उनकी प्रणाली से अधिकतम लाभ उठाते हुए सार्वजनिक जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए व्यापक विधेयक लाना चाहिए। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारे सार्वजनिक जीवन-स्तर के कारण बहुत से घोटाले सामने आयेंगे। इससे केवल चरित्र हनन होगा तथा ईमानदार लोग अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में कठिनाई पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाये तथा इसके स्थान पर एक व्यापक विधेयक लाया जाए।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह संयुक्त प्रवर समिति की ओर से आया है, परन्तु कुछ मामलों में मेरा बहुमत से मतभेद है और इसीलिए मैंने अपनी असहमति की टिप्पणी संलग्न कर दी है।

मैं विधेयक के कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध प्रथम मुद्दे पर अपने विचार रखता हूं। इस विधेयक की क्रियान्वित के बारे में संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ मूलभूत परिवर्तन किये हैं। संयुक्त प्रवर समिति ने मुख्य मन्त्री को लोक-सेवक की श्रेणी से निकाल दिया है। मैं अनुभव करता हूं कि ऐसा करना कोई न्यायपूर्ण नहीं है। संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ कारण गिनाए हैं। उनका कहना है कि ऐसा प्रावधान अधिनियमित करने का राज्य विधान-सभाओं को अधिकार है। उनका तो यह भी कहना है कि वे इस विधेयक से भी कुछ रास्ता लेंगे और इस आशय का एक कानून अधिनियमित करेंगे कि मुख्य मन्त्री को अपने दुर्व्यवहार का जिम्मेवार बनाया जाये। कुछ राज्यों में ऐसे कानून विद्यमान हैं जिनके अनुसार मंत्रीगण अपने गलत आचरण के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। कुछ अन्य राज्यों में ऐसे कानून हैं ही नहीं। अब यह सुझाव आया है कि जहाँ कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, वहाँ वे मुख्य मन्त्री को उन लोगों की श्रेणी में रखकर इसमें सुधार करेंगे या जहाँ कहीं भी इन्हें सम्मिलित किया जायेगा वहां उन्हें यह देखना होगा कि मन्त्री के अलावा मुख्य मन्त्री को भी सूची में सम्मिलित किया जाये। परन्तु इस प्रकार के तर्क का सहारा लेकर विधेयक में इसके रखने को रोकने के लिये मुझे कोई आवश्यकता अथवा स्पष्टीकरण दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रथमतः विवाद यह नहीं है कि इस प्रकार का प्रावधान करना इस सदन के अधिकार-क्षेत्र में है और मुख्य मन्त्रियों को सम्मिलित करना इस विधानांग के अधिकार में हैं। उस व्यवस्था पर किसी को विवाद नहीं है। यदि ऐसी ही बात है तो, इस उद्देश्य का हम एक कानून अधिनियमित क्यों नहीं कर सकते ? दूसरे, यह कहा जाता है कि इसका पहले ही प्रावधान है, अर्थात 1952 का जांच-आयोग अधिनियम है। जिसके आधीन केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी मुख्य मन्त्री पर लगाए गये आरोपों के लिए जांच के आदेश दे सकती है। परन्तु यह प्रावधान अपूर्ण है। यह बात अनेक बार उठाई गई है कि जांच-आयोगों सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत फैसला देने वाले अधिकारी को एक स्वतन्त्र तन्त्र का लाभ नहीं मिलता। यदि मैं इतना कहूं कि ग्रोवर-आयोग के प्रतिवेदन में इस मुद्दे को उठाया गया है और उन्होंने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है, यहां तक कि संवैधानिक संशोधनों का भी, जिससे कि प्राधिकारी अर्थात जांच आयोग तर्कसंगत और संतोषजनक ढंग से मुख्य-मन्त्रियों और राज्य के अन्य मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये आरोपों की भली भांति जांच कर सके। आज हम स्वयं इसी विषय पर विधान तैयार कर रहे हैं और इसे भविष्य में किसी ऐसी विधान

सम्बन्धी आधार भूमि पर छोड़ने के बजाय यही उचित होगा कि हम इस अधिनियम की कमी को यहां ही दूर कर दें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार मुख्य-मन्त्री को भी सार्वजनिक व्यक्तियों की श्रेणी में सम्मिलित करके एक संशोधन लेकर आई है।

समिति ने जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है वह मन्त्रियों के बीच भेद करने से सम्बद्ध है। अर्थात यदि मैं विधायकों के बदले लोक-सेवक शब्द का प्रयोग करूं तो, विधायकों और मुख्य रूप से मन्त्रियों को छोड़कर जो लोग इस श्रेणी में आते हैं लोक-सेवक कहलाते हैं। वस्तुतः अन्य वर्ग/श्रेणियां भी हैं परन्तु वे मिश्रित प्रकार की हैं। प्रश्न यह उठता है कि मन्त्रियों और संसद सदस्यों के बीच इस प्रकार का भिन्न व्यवहार क्या न्यायपूर्ण है? मेरे विचार से तो इसमें कुछ सुधार हुआ है। व्यक्तियों को इन दो अलग-अलग श्रेणियों के बारे में आचरण की भिन्न परिभाषा की गई है अर्थात विधायकों तथा सांसदों में भेद के अलावा लोक-सेवक। मेरे विचार से तो भेद उचित हैं। मन्त्रियों को तो प्रशासनिक अधिकार और सत्ता प्राप्त है, परन्तु संसद सदस्यों को शक्ति प्राप्त नहीं है। इन शंकाओं को दूर करने के लिये कि इसका प्रयोग जानबूझकर किया जा सकता हैं अथवा संसद सदस्यों को इस विधेयक के उपबन्धों के आधार पर अपने कर्त्तव्य का प्रभावशाली ढंग से पालन करने से रोका जा सकता है या रोका जा सकेगा, इसलिये यह भेद रखा गया है। यह स्वागत योग्य है और मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु मेरे विचार से इस प्रकार के भेद की आवश्यकता नहीं है या जैसा कि संसद सदस्यों के मामले में किया गया है दुराचार की इतने संकुचित रूप से परिभाषा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया खण्ड (3) देखें। मन्त्रियों के सम्बन्ध में इसका कहना है यदि वह अपने हित के लिये या अपने किसी सम्बन्धी या सहयोगी के हित में अपने पद का स्वयं दुरुपयोग करता हैं या करने देता.........तो उसका आचरण दुराचरण कहलायेगा। ये व्याख्याएं ध्यानपूर्वक देखनी चाहियें "सम्बन्धी और सहयोगी।" परन्तु जब हम संसद सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि यदि वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है—यहां उसके सम्बन्धियों और सहयोगियों का कोई उल्लेख नही किया गया है। ऐसा भेद क्यों किया जाना चाहिये? सांसदों के मामले में, यदि वह अपने लिए को मौद्रिक लाभ लेता है तो उसका आचरण दुराचरण कहा जायेगा और यह परिभाषा वहां लागू हो जायेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आगे ये शब्द जोड़े गये हैं, अर्थात "वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अपने लिए प्राप्त करता है।" वे ही शब्द यहां पर भी रखे गये हैं। यह सच है कि 'प्रत्यक्ष' अर्थ है स्वयंमेव। अप्रत्यक्ष तो बेकार का शब्द है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक संसद सदस्य का एक व्यस्क पुत्र है, जो कुछ व्यवसाय करना चाहता है। वह उसके लिए एक लाईसेन्स दिलाने का प्रयत्न करता है। क्या होगी उसकी स्थिति? क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिये लाभ प्राप्त करना नहीं माना जायेगा? शायद आपको बताया जाये या कोई वकील आपको बताए कि हां यह तो अपने लिये धन-लाभ प्राप्त करना ही कहा जायेगा बशर्ते कि पुत्र उसके साथ रहता हो। यदि कोई व्यस्क लड़का या लड़की अथवा कोई और संबंधी आपसे अलग रहता है तब वह इस खण्ड के अधीन नहीं आयेगा। अतः, मैं अपने व्यस्क बेटे से घर से चले जाने को कह सकता हूं। मैं उसकी ओर से आवेदन पत्र के बाद आवेदन-पत्र देकर और यत्न करके एक संसद सदस्य होने के

नाते यथा सम्भव लाभ प्राप्त कर सकता हूं और उसके बावजूद भी मेरा कार्य दुराचार की सीमा में नहीं आयेगा। क्या आप इस विधेयक में ऐसी ही कोई बात सम्मिलित करना चाहते हैं? इसीलिए मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम 'सम्बन्धी' शब्द तो इसमें अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिये, यदि हम सांसदों के मामले में 'सम्बन्धी और सहयोगी' शब्द नहीं रख सकते।

उन्होंने 'संबंधी' की परिभाषा 1956 के कम्पनी अधिनियम की अनुसूचि—1 (क) से ली है। यदि आप निधेयक में सूची को देखें तो पायेंगे कि 'भतीजा' शब्द उसमें से निकाला हुआ है। मेरे विचार से भाई-भतीजावाद शब्द भतीजा शब्द से ही निकला है। अतः इस नये खंड 3 के अधीन मैं अपनी निष्ठा को हानि के विना एक संसद सदस्य होने के नाते मैं अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर सकता हूं। यह एक महत्वपूर्ण भाग जिसकी ओर सदन के सदस्यों का ध्यान सावधानी से जाना चाहिए कि क्या हम इसमें सगे भतीजों को सम्मिलित करके इस सूची में वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी तक इनको सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि हम एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तो वे इसमें सम्मिलित हुए माने जायेंगे। यदि बंटवारा हुआ हैं तो यदि मैं संसद सदस्य होने के नाते अपने भतीजों के लिए कोई लाभ प्राप्त करता हूं तो मैं इस विधेयक के अधीन जिम्मेवार या उत्तरदायी नहीं हूंगा।

जिस अन्तिम बात की ओर मैं आपका ध्यान खेंचना चाहता हूं, वह सक्षम प्राधिकरण और विशेषरूप से प्रधान मन्त्री से सम्बद्ध है। मैं इस वात से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रधान मन्त्री के लिए किसी सक्षम प्राधिकरण का प्रावधान अत्यन्त ही कठिन कार्य है। आप किसी भी सूत्र को, किसी सुझाव और संशोधन को लें, कुछ न कुछ कठिनाई तो आपको अवश्य होगी। परन्तु मेरी राय में इस विधेयक में यह जो प्रावधान किया गया है कि प्रधान मन्त्री के मामले में, सक्षम अधिकारी लोक सभा का अध्यक्ष होगा तो यह तो वास्तव में इस विधेयक की कोई स्वागत योग्य बात नहीं है। इस उपलब्ध के कारण तो अध्यक्ष का पद, प्राधिकार और महत्व घटने की आशंका है। होगा क्या? जब लोकपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो वह उसे अध्यक्ष को भेजना पड़ेगी और अध्यक्ष को लोकपाल को यह बताना पड़ेया कि उस पर क्या कार्यवाही क गई है अथवा क्या कार्यवाही करने का उनका इरादा है। यदि लोकपाल इससे संतुष्ट नहीं होता तो वह एक विशेष प्रतिवेदन तैयार करेगा। यह प्रतिवेदन संसद में रखा जायेगा और संसद में उस पर बहस होगी। कृपया स्थिति का अध्ययन करें, उस परिस्थिति को देखें जो इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन अनुमानित की गई हैं। अध्यक्ष कार्यवाही का सुझाव दे सकता है या प्रस्ताव कर सकता है। लोकपाल को उस कार्यवाही की समीक्षा करने का अधिकार होगा। उस सम्बन्ध में लोकपाल चाहे तो एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा और संसद उस रिपोर्ट पर सम्भवतः विचार कर भी सकती है और नहीं भी।

मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये जाते हैं या दिये जा सकते हैं, उनकी आलोचना अवश्य की जाती है। मैंने इसके लिए राष्ट्रपति को सुझाव दिया है, जबकि इस संदर्भ में राष्ट्रपति का यह अर्थ नहीं है कि वह अपनी व्यक्तिगत विवेक-बुद्धि से निर्णय लेंगे, अपितु इसका मतलब होगा कि राष्ट्रपति मन्त्री परिषद की सलाह से कार्यवाही करेंगे। अच्छी बात तो यही

होगी कि उसे ही सक्षम प्राधिकारी के रूप में रखा जाए, बजाय इसके कि जैसा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है लोक सभा अध्यक्ष को यह अधिकार सौंपा जाये ।

प्रो० पी. जी. मावलंकर (गांधी नगर) : मन्त्री परिषद में तो प्रधान मन्त्री भी सम्मिलित रहेंगे ।

श्री नरेन्द्र पी. नथवानी : प्रधान मन्त्री को मन्त्री परिषद की इस बैठक में भाग नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वहाँ उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर विचार किया जाना है । दैविक न्याय का यह एक मुख्य सिद्धान्त है कि जब कोई ऐसा मामला सामने आता है, जिसमें कोई स्वयं फंसा हो तो उसे बातचीत में भाग नहीं लेना चाहिए और अनुपस्थित रहना चाहिए । किसी ने सुझाव दिया है कि इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाये । उस स्थिति में, इस प्रकार के सुझाव से अन्य बातों का टकराव होगा । अत: प्रधान मंत्री के मामले में राष्ट्रपति को सक्षम प्राधिकारी मान लेना कम आपत्तिजनक दिखाई देता है, जबकि वह ऐसे मामले में व्यक्तिगत विवेक से भी काम नहीं लेते । जहां तक संविधान में उल्लिखित किसी मामले का सम्बन्ध है, उस पर तो मंत्री-परिषद की सलाह से चलना होगा । परन्तु उन अन्य मामलों में, जहां उनकी व्यक्तिगत हैसियत में, कोई अधिनियम उन्हें सत्ता या विवेक-बुद्धि प्रदान करता है तो, यह तो वैध प्रतीत होता है और ऐसे मामले में वह अपनी विवेक बुद्धि से काम ले सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : परन्तु सरकार का कहना है कि प्रधान मंत्री को ही सक्षम प्राधिकारी बनाया जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : ऐसे मामलों में तर्क के लिए गुंजायश हो सकती है । एक प्रधान मंत्री दूसरे उस प्रधान मंत्री से भिन्न हो सकता है, जिसके दुराचरण की जांच की जानी है, परन्तु दोनों ही उन कुछ मामलों में एक जैसे हो सकते हैं, जिस मामले में यह विषम और अवैध हो ।

कुछ छोटी-मोटी बातें भी हैं, जिन्हें खण्डों पर विचार के समय उठाया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं व्यवस्था एवं औचित्य के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं । मुझे पूरा विश्वास है कि सदन और आप भी यह मानेंगे कि यह विधेयक स्वतंत्र भारत के विधान-इतिहास का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कदम है । ऐसे किसी भी अवसर पर मैं पाता हूं कि मंत्री-मंडल स्तर का कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं रहता । प्रधान मंत्री महोदय और उनके दो सहयोगी पहले तो यहां बैठे थे, परन्तु अब वे भी यहां से चले गये हैं । श्री एच. एम. पटेल के नाम पर 12 संशोधन सूचनाएं दी गई हैं । उन्हें चाहिए कि उत्तर देने से पूर्व वे विधेयक पर हो रही बहस को सुनें । मैं जानता हूं कि दो राज्य मंत्री बड़ी ही विस्तृत मनोरंजक नोट लिख कर ले जायेंगे परन्तु, महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अवसरों पर तो गृह मंत्री महोदय को यहां उपस्थित रहना चाहिये । हम नहीं जानते कि वे दिल्ली से बाहर हैं या भारतवर्ष से भी बाहर हैं । यदि उन्होंने आपको कुछ लिखा हो तो क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में हमें चाहे-अनचाहे उनकी अनुपस्थिति के बारे में मानना होगा ।

यदि वे दिल्ली में मौजूद हैं तो उन्हें यहां पर अवश्य ही आना चाहिये। मंत्रि परिषद तथा सरकार द्वारा इस विधेयक के प्रति उदासीनता नहीं बरती जानी चाहिये। ऐसा लगता है कि वे पूरे दिल से इसके समर्थन में नहीं हैं।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : (गांधी नगर) कोई भी नहीं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. डी. पाटिल) : गृह मंत्री महोदय दूसरे सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं तथा उसमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्यों की संख्या 30 है।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) दोपहर पहले भी वे सभा में उपस्थित नहीं थे।

श्री एस. डी. पाटिल (इरन्दोल) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने के लिये वे दूसरे सदन में उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हो, मेरे विचार से मंत्रि परिषद के एक मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर] : कुछ समय पूर्व ऊर्जा मंत्री यहां पर मौजूद थे। लेकिन अचानक ही वे सदन छोड़कर चले गये हैं। उनके जाने के कारण की मुझे जानकारी नहीं है।

डा. वी. ए. सईद मुहम्मद (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा उक्त पदों पर आसीन व्यक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयत्न किया गया है चाहे यह पूरे दिल से न हो, मैं इसका समर्थन करता हूं। जहां तक इसके लिये एक तंत्र प्रदान करने का सम्बन्ध है, चाहे वह तंत्र कितना भी असंतोषजनक क्यों न हो, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के बाकी प्रावधानों से मैं सहमत नहीं हूं अथवा निम्नलिखित कारणों से समर्थन नहीं कर रहा हूं।

मैं किसी विशेष खण्ड क, ख अथवा ग से विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरा विरोध मौलिक है। कुछ मामलों में संयुक्त प्रवर समिति के 15 अथवा 16 सदस्यों द्वारा बुनियादी बातों पर आपत्ति प्रकट की गई है। कुछ मामलों में समूची समिति द्वारा कुछ विधेयक के मूल प्रवधानों को अस्वीकृत कर दिया गया है। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिसको एकमत से अस्वीकृत किया जा चुका है उसको सरकार के संशोधनों द्वारा वापस लाया जा रहा है।

मौलिक तथा आधारभूत आपत्तियों में से एक आपत्ति यह है कि ओमबड्समैन अथवा शिकायतों को सुनने वालों की संस्था को स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस विधेयक का जन्म सभा में 1964 में चर्चा के दौरान हुआ था। इसके पश्चात, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं। उसके द्वारा शिकायत सुनने वालों की सस्था को स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी। 1968 तथा 1971 के प्रारूप विधेयकों में भी इसका प्रावधान था। लेकिन वर्तमान विधेयक में न तो इसके वैकल्पिक संस्था को स्थापित करने का सुझाव दिया गया है और न ही इसको अस्वीकार करने

का कोई कारण बताया गगा है। यह एक वहुत बड़ी त्रुटि, गलती तथा भूल-चूक है क्योंकि जिन 15 सदस्यों ने इससे नाराजगी जाहिर की थी, उनमें मैं भी एक था। मैं उन आपत्तियों को दोहराता हूं।

दूसरी आपत्ति यह है कि धारा 11 (3) के साथ पाठ्य धारा 2 (3) के द्वारा एक दण्ड के उपाबन्ध को पिछली तिथि से लागू करने के लिये सम्मिलित किया गया है। इन दोनों धाराओं का प्रभाव यह होगा कि कोई भी अपराध जो अधिनियम के लागू होने से पाँच वर्ष पूर्व किया गया था वह भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आता है और वह दण्डनीय है। इससे उस मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है जिसे हमारे श्रद्धेय पूर्वजों ने स्वीकार किया था, जो संसार के विभिन्न संविधानों में सम्मिलित किया गया है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 (1) में भी है। अर्थात् कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे कृत के लिये सजावार नहीं है, जो ऐसे कृत को करते समय अपराध नहीं था।

समिति के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे गये थे जिनका बहुत ही अर्थहीन तथा असंतोषजनक उत्तर दिया गया था। उत्तर में कहा गया था कि कोई अपराध न किया जाय तभी कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। मैंने तुरन्त ही इसका उत्तर दिया था कि यह उत्तर पूर्णत: वेबुनियाद है।

उपधारा तथा धारा के विस्तार में न जाते हुए दुर्व्यवहार की परिभाषा इसमें शामिल हैं। अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दण्ड संहिता के उपबन्धों में जिन अपराधों पर विचार किया गया है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जब कोई परिभाषा दी जाती है तो इसमें कुछ ऐसी बातें भी सम्मिलित होती हैं जो विनिर्दिष्ट नहीं होती हैं। जैसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम तथा दण्ड संहिता में जो कुछ बताया गया है वह भी इसमें सम्मिलित है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे नये अपराध जिनके बारे में भारतीय दण्ड संहिता अथवा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनिमम में विचार नहीं किया गया है उन पर भी इस अधिनियम के द्वारा विचार किया जायेगा। अत: यह तर्क कि इस अधिनियम के द्वारा किसी नये अपराध को निहित नहीं किया जायेगा अर्थहीन है। दूसरे इसके लिये दण्ड की व्यवस्था है। अधिनियम में निहित विभिन्न कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए या तो उस पर अभियोग चलाया जायेगा अथवा निष्कासन के रूप में कतिपय दण्ड दिया जायेगा। यदि उस रूप में कोई विशिष्ट दण्ड नहीं दिया जाता है तो यह तो सत्य है कि एक संसद सदस्य अथवा ऐसा कोई अन्य सार्वजनिक व्यक्ति जिसमें कोई भी मन्त्री अथवा अन्य व्यक्ति भी शामिल है, उसकी निन्दा होना और उसके खिलाफ टिप्पणी होना भी पर्याप्त सजा है। अत: इस प्रकार नये प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। तथा दण्ड देने की भी परिकल्पना की गई है। अत: यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही मौलिक सिद्धान्त का उल्लंघन करता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कृत्य के लिये सजावार नहीं है, जो कृत्य करने के समय अपराध के रूप में नहीं था। इस आधार पर मैं अन्य सदस्यों के साथ इस उपाबन्ध का विरोध करता हूं।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि प्रशासन को भी इससे अलग रखा गया है। समिति में इस पर गम्भीरता से विचार हुआ जिससे कि इसमें पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया। आपत्ति इतनी गम्भीर थी कि उस समय भी तथा उसके बाद भी मन्त्री जी ने सदस्यों को सन्तुष्ट नहीं किया कि कार्यपालिका को इसमें सम्मिलित न करना न्यायोचित है। यह ठीक हैं कि वे भ्रष्टाचार वड़े पैमाने पर न करें। मन्त्री लोग या संसद सदस्य भ्रष्टाचार करने में कार्यपालिका की सहायता तो लेते हैं। यदि अधिकारी भ्रष्टाचार करने में सहायता न दें या लालायित न करें तो मंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। फिर कार्यपालिका को इससे मुक्त क्यों छोड़ा जाये ?

चौथी आपत्ति इसमें संसद सदस्यों को शामिल करने के बारे में है। प्रधान मन्त्री ने सभा में जो वक्तव्य दिया था उसका श्री भूपेश गुप्त ने अपने विमति टिप्पण में उल्लेख किया है। मैं उस वक्तव्य को अपवाद के रूप में ले रहा हूं। बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने कहा कि केवल समिति के सदस्य ही संसद सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहते। यह बात सही नहीं है। श्री भूपेश गुप्त ने इस वक्तव्य पर ठीक ही आपत्तियां उठाई हैं। मैं उन आपत्तियों को पुन: दोहराता हूं। श्रीमान्, संसद सदस्यों को सम्मिलित क्यों किया गया है ? मैंने इस पर विचार कर लिया है। अधिकांश सदस्यों ने भी इस पर विलार कर लिया है और आप भी विचार कर सकते हैं। विश्व में कहीं भी इस तरह के विधान के अन्तर्गत संसद सदस्यों को नहीं लाया गया है। इससे यह धारणा बनेगी कि इस देश में संसद सदस्य आम तौर पर भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं। मुझे इस पर भी आपत्ति है। एक नागरिक के रूप में किसी संसद सदस्य पर देश के सभी दांडिक कानून लागू होते हैं। उस पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम दण्ड संहिता और अन्य सभी कानून लागू होते हैं। उस पर जन-राय रूपी अभिकरण, उसके निर्वाचन क्षेत्र रूपी अभिकरण, सभी लागू होते हैं। उस पर यह सभा तथा उसका हल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अत: एक जन साधारण की तुलना में एक संसद सदस्य के लिए तो चार-पांच प्रकार के अभिकरण लागू होते हैं। अत: उसके लिए इस तरह का एक और अभिकरण क्यों बनाया जाये ? मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं। सैद्धान्तिक रूप से यह गलत है।

समिति में एक बात यह भी बार-बार दोहराई गई कि इससे प्रभावशाली निहित स्वार्थों तथा धनी लोगों को किसी संसद सदस्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने का अवसर मिलेगा। ऐसा प्रभाव उस संसद सरस्य पर डाला जा सकता है जो इस सभा में निहित स्वार्थों तथा एकाधिकार गृहों के विरुद्ध अधिक बोलता है। एकाधिकार गृहों के पास इस तरह का प्रभाव डालने की पर्याप्त शक्ति है। एकाधिकार गृहों का समाचार पत्रों पर भी आधिपत्य है यदि एक बार यह विधेयक पारित हो जाये तो देश में एकाधिकार गृह समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अपनी आर्थिक शक्ति से उस संसद सदस्य को प्रभावित कर लेंगे जो कि एकाधिकार गृहों के कार्य-कलापों आदि को चुनौती देगा। मैं ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता और न ही इसका समर्थन करता हूं जिसमें कि कोई संसद सदस्य पूरी तरह उस एकाधिकार गृह तथा उसके समाचार पत्र की दया पर छोड़ दिया जाये।

एक छोटी सी बात यह है कि क्या एक ही लोकपाल हो या एक से अधिक हों। यह एक मूलभूत मामला है किन्तु एक से अधिक लोकपाल नियुक्त करने की वांछनीयता का विचार किया

गया है। चूंकि इस कानून के उपबन्ध महत्वपूर्ण लोगों तथा उन लोगों पर लागू होते हैं जिनका सार्वजनिक जीवन या समाज में बहुत ऊंचा स्थान है, अत: उनके विरुद्ध किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में निर्णय लेने के लिए दो या तीन लोकपालों का होना वांछनीय है। यह बात बहुत मूलभूत नहीं है बल्कि यह बहुत वांछनीय है।

सरकार दो संशोधन पेश करने का प्रस्ताव कर रही है। उनमें से एक संशोधन संख्या 4 है, जिसके माध्यम से मुख्य मन्त्री को भी इस विधेयक के अधीन लाना है। यह वांछनीय नहीं है। इस पर बहुत आपत्ति की गई है। मूल विधेयक में ऐसा उपबन्ध था। संयुक्त समिति ने मतैक्य से इसे अस्वीकार कर दिया, किन्तु समिति की सिफारिश को तनिक भी आदर दिए बिना सरकार इस संशोधन को पुनः ले आई है। समझ में नहीं आता कि सरकार इस पर इतना बल क्यों दे रही है। इसका एकमात्र उत्तर यह है कि आज देश की विद्यमान राजनीतिक स्थिति में सरकार मुख्य मंत्रियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है और उन पर अंकुश रखना चाहती है। इसके अलावा इस बारे में और कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। समिति में सभी दलों के सदस्य थे और उन्होंने इस विधेयक में इस उपबन्ध को मतैक्य से अस्वीकार किया था। फिर भी सरकार उस उपबन्ध पर पुन: जोर दे रही है। इस संशोधन को पूरी तरह अस्वीकार किया जाना चाहिए।

दूसरा उपबन्ध, जिस पर मुझे आपत्ति है, उसे सरकार संशोधन संख्या 6 द्वारा पेश करना चाहती है। समिति ने सिफारिश की थी कि प्रधान मन्त्री के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा। इस राय में भिन्नता भी हो सकती है कि अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति होना चाहिए। किन्तु किसी ने भी इस विचार का समर्थन नहीं किया कि प्रधान मन्त्री के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रधान मन्त्री ही हो। हम देख रहे हैं कि जब राज्य सभा में प्रधान मन्त्री के पुत्र के बारे में मामला उठाया गया था तबसे आज दस महीने हो गए हैं, वे निर्लज्जता से किस तरह अपना बचाव तथा संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कैसे मान लें कि जब प्रधान मन्त्री स्वयं सक्षम अधिकारी हैं तो वह अपने ही विरुद्ध जांच का आदेश देगा। जब उनके पुत्र के विरुद्ध मामला राज्य सभा में उठाया गया तबसे संघर्ष चल रहा है। हम इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकते। यह उपबन्ध अस्वीकार किया जाना चाहिए और इसे इस महत्वपूर्ण विधान में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं छोटी-छोटी बातों में जाकर सभा का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता। मेरा अनुरोध है कि यह सम्माननीय सभा मेरे विचारों पर विचार करे। मेरा सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे सभी विमति टिप्पणों पर भी गम्भीरता से विचार करें। केवल उसी विमति टिप्पण पर नहीं जो हम 15 सदस्यों ने दिया है बल्कि श्री भूपेश गुप्त के विमति टिप्पण पर भी ध्यान से विचार करें। उनका विमति टिप्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विधेयक का समर्थन करना है अथवा विरोध, यह निर्णय लेने से पूर्व माननीय सदस्य विमति रायों पर भली-भांति विचार कर लें।

धन्यवाद।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मिस्टर डिप्टी स्पीकर, यह जो लोकपाल बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यद्यपि……

मेरे मन में भी इसके बारे में कई रिजर्वेशज हैं। जो अम्बुड्जमैन का आइडिया था

उसकी पूर्ति तो इसमें होती ही नहीं है। सब से बड़ा इसमें एक डिफैक्ट यही है कि इसमें एग्जैक्टिव की जो सर्विसिस हैं रूलिंग सरवेन्टस उनको इसमें से एक्सक्ल्यूड कर दिया गया है। पूर्व

वक्ताओं ने भी कहा है कि जिनके पास एग्जैक्टिव पावर्ज हैं, आर्डर करने की पावर्ज हैं उनका जब तक इसमें कहीं न कहीं समावेश नहीं होता है तब तक यह जो कुरप्शन से लड़ाई है यह आगे नहीं चल सकती है। यह सबसे बड़ी कमी है। पहले जो बिल लाया गया था उसमें लोकायुक्त की बात कही गई थी। मुझे नहीं मालूम किस कारण से—वह लोकायुक्त का तो इसमें नाम भी नहीं हैं।

इसी – तरह से एक कम्पीटेंट आथोरिटी वाला मसला इसमें लाकर खड़ा कर दिया गया है। सन्तानम कमेटी ने रिकोमेंड किया था कि एक पैनल आपको बनाना चाहिये, प्रसीडेंट को ईंसल्ट करके पहले एक पैनल बना दिया जाना चाहिये और जब कभी भी दस लैजिस्लेटर्ज या पार्लिमेंट के मेम्बर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई – शिकायत करते हैं तो उस पैनल में से तीन आदमियों को लेकर के उनके सुपुर्द उस मामले को कर दियां जाना चाहिये और वे तीन आदमी देखें कि उस मिनिस्टर के खिलाफ कोई प्राइमा फैसाई केस बनता है या नहीं या बनता हैं और अगर बनता है तो मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिये। उसके बाद सी. बी. आई. या जिस किसी भी इनवैस्टीगैटिंग एजंसी के सुपुर्द आप चाहें उस मामले को कर सकते हैं ताकि उसकी जांच हो जाए, फिर चाहे कमिशन आफ इनक्वायरी हो या जो कुछ भी हो। उसमें कम्पीटेंट आथौरिटी की बात का झमेला नहीं था। यह झमेला नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत हो तो कौन उसको डील करेगा और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो तो कौन डील करेगा। ये इसमें बड़ी भारी कमियाँ हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो मक्सद हमारे दिमाग में है वह पूरा नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इंजस्टिस के खिलाफ कोई रिड्रैस प्राप्त किया जा सकता है वह इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आज आप देखें कि जो बैरी वैल गवर्न्ड देश भी हैं, सवैंडेनेवियन देश भी हैं, ब्रिटेन है, आस्ट्रेलिया है, कामनवैल्थ कंट्रीज हैं जहां अच्छी अच्छी गवर्नमैंट्स हैं, जो वैल एडमिनिस्टर्ड कंट्रीज हैं वहां भी जब अम्बुडजमैन की जरूरत पड़ती है तो हमारे यहां इस देश में जहां कुरप्शन इतनी रैम्पेंट है, साधारण आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है वहां पर जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव इंजस्टिस को दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया जाता है तब तक इस बिल का जो उद्देश्य हैं वह निष्फल होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं समझता हूं यह जो कमी है यह इस बिल को बहुत पंगु कर देती है।

संतानम कमेटी ने एक डायरेक्टर आफ पब्लिक कम्प्लैंट्स एंड ग्रीवैंसिस की नियुक्ति करने की सिफारिश की थी। उस में पर्टिकुलरली यही बात थी। अम्बुडजमैन में तो और भी ज्यादा बड़ा स्कोप होता है। वहां पर तो पब्लिक इनक्वायरी होती है।

और प्रैस भी उसमें मौजूद रहता है और वह इतना बड़ा टैरर हैं कि जिसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई ऐसा गलत काम करे कि जिसकी इनक्वायरी भी शुरू

हो जाय। लेकिन अगर प्रैस को न भी रखें तब भी अगर हम उस तरह की चीज रखते जिसमें डायरेक्टर आफ पब्लिक ग्रीवांसेज और कम्प्लेंट्स होता तो कम से कम इसको यह अधिकार होता कि जहां से कोई शिकायत हो वहां पर वह पाउन्स अपान करके कागजात अपने अधिकार में ले लें। यहां पर सवाल तो यह हैं कि एक व्यक्ति जो एक दूसरे से संबंधित है, जिनके हित एक हैं और जिनके पास सब कागजात उनकी कस्टडी में हैं, जब तक ऐसा प्रोवीजन नहीं होता, उस ओम्बुडसमैन को या डायरेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि वह जाकर किसी भी आफिस पर स्वूप कर सकता है और कागजात की जरूरत हो उनको निकलवा सकता है तब तो कोई इसका असर होने वाला है। वरना और जो इनक्वायरी होने वाली है। उससे साधारण आदमी को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है।

पोलिटिकल करप्शन जो है उसके बारे में जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा और वह इलाज हो सकता है जो इसमें दिया गया है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं इसको अपर्याप्त समझता हूं। पार्लियामेंट के सदस्यों का सवाल अवश्य है कि उनका इसमें स्थान होना चाहिये या नहीं। अब अगर होता है, आज हमारी पुलिस में विद्रोह हुआ लोग कहते हैं कि पोलिटिकल लोगों का इंटरफीयरेंस भी इस विद्रोह का एक कारण है। इसलिये सरकार इस परिपेक्ष में देखें तो ठीक है। शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन जो शिकायतें हुई उनके लिए जैसा कि कहा गया, मैं समझता हूं कि कानून में पर्याप्त गुंजायश थी कि उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता था, फिर भी अगर यह जरूरी समझा गया है कि इनको नहीं ऐक्सक्लूड किया जाय एम.एल. एज. और एम.पी.ज. को, तो मुझे कोई उसमें भी उलझन नहीं है। लेकिन जिस तरह की चीज हम चाहते थे और चाहते थे कि साधारण व्यक्ति को कोई राहत दे सकते और करप्शन पर प्रहार कर सकते जिससे उसमें कमी आती और पब्लिक लाइफ ज्यादा शुद्ध होती, उस चीज को पाने में यह बिल कतई असफल होगा, ऐसा मैं समझता हूं। एक प्रयास है, इससे ज्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूं।

कमपीटेंट अथौरिटी के बारे में यह झंझट इस वजह से पैदा हुआ कि जो प्रोवीजन उसमें बतलाया गया था इसमें तो वह ओटोमेटिक था, इसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता था, ऐडहोक पैनल के सामने वह शिकायत जाती ही जाती और किसी के बीच में उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। पर मैं समझता हूं कि जो बिल लाया गया है कहीं अच्छा होगा अगर इसमें हम सर्विसेज को भी साथ में रख दें क्योंकि जो ऐग्जीक्यूटिव आफिसर्स है, सेक्रेटरीज वगैरह हैं, जिनको आर्डर देने का अधिकार है, लाइसेंस, परमिट या फेवर शो करने का अधिकार है, जब तक ऐसे अधिकारियों को इसमें नहीं लाते हैं तब तक हमारी आशा पूरी नहीं हो सकेगी।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल (धुलिया) : उप सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि देश से विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए यह आधे दिल से किया गया प्रयत्न है, क्योंकि भ्रष्टाचार वहीं है जहां अधिकार हैं, जहां

स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति है, जहां चैक पर हस्ताक्षर करने और धन देने का अधिकार है। विधायकों और संसद सदस्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं और सीमेंट के वितरण के लिए न ही ऐसी कोई कार्यकारी शक्ति उनके पास है। निस्सन्देह इसमें विधायकों को तो सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु संसद सदस्यों को नहीं। संसद सदस्य सीमेंट की 5 बोरियां भी नहीं बांट सकता। यह तथ्य है।

दूसरे, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अधिकारी द्वारा अन्याय किया जाता है और समुचित कारण होने पर वह किसी सार्वजनिक व्यक्ति से मिलता है तब अधिकारी अपने अधीनस्थ से पूछता है कि वह सार्वजनिक व्यक्ति के पास क्यों गया ? स्थिति ऐसी है परन्तु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, विशेष रूप से रक्षा और पुलिस विभागों में। दूसरे विभागों में भी उस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है। परन्तु यदि वह व्यक्ति अधिकारी को कुछ पैसा यानि 500/- रु० या 1000/- रु० देता है तो उस व्यक्ति को वहीं स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह जाना चाहता हो। आप ऐसे अधिकारियों को बाहर रख रहे हैं और केवल संसद सदस्यों को शामिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

सलाहकार समिति का उदाहरण लीजिए। सलाहकार समिति के कार्यों में, भले ही वे सलाहकार समितियां राज्य स्तर की हैं या केन्द्रीय स्तर की। यह उल्लेख किया गया है कि वे सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन कर सकती हैं और योजनाओं का सुझाव दे सकती हैं परन्तु कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरणों के सम्बन्ध में उनके सुझाव स्वीकार नहीं किए जाते। कुछ सलाहकार समितियों में विधायक और संसद सदस्य भी होते हैं। संसद सदस्यों को क्या कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं ?

दूसरी तरफ कलक्टर और उप पुलिस अधीक्षक जैसे जिला अधिकारियों का उदाहरण लीजिए। इन स्तरों पर परोक्ष रूप से प्रतिदिन भ्रष्टाचार चलता है। प्रत्येक कलक्टर के घर पर काम करने के लिए चार चपरासी होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। वहां सरकारी धन खर्च किया जाता है। उप पुलिस अधीक्षक की सब्जी खरीदने वाले हवलदार को वेतन सरकार देती है। मैंने कुछ लालची अधिकारियों को भी देखा है जो बच्चों के बाल कटवाने के लिए चपरासी को साथ भेजते हैं जहां अदायगी भी चपरासी को ही करनी पड़ती है। इसके बदले में उसे क्या मिलता है ? एक दिन का अवकाश। वह भी सरकारी खर्चे पर। भ्रष्टाचार नीचले स्तर से आरम्भ होता है। परन्तु आप उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को छोड़ रहे हैं। मैं सुझाव देता हूं कि सरकार सर्वेक्षण करे और एक तरफ आप उन संसद सदस्यों या विधायकों को लें जो 20 या 25 वर्षों से चले आ रहे हैं, और दूसरी ओर अधिकारियों को लें और देखें कि बंगलौर, पुणे, अटकमंड और आलीशान स्थानों पर कितने भवन संसद सदस्यों या विधायकों के हैं और अधिकारियों के कितने हैं आप भी ऐसा ही तुलनात्मक अध्ययन करें और स्थिति का जायजा लें। दुर्भाग्यवश आप इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से अफसरों को अलग रख रहे हैं।

2000/- रु० प्रति मास पाने वाला अधिकारी अपने लड़के या लड़कियों को पंचगनी या अन्य किसी कान्वेंट विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजता है जहां उसे 2500/- रु० व्यय करने पड़ते हैं। यह धन वह कहां से ले रहा है। मुझे समझ नहीं आता।

मैं यह धन कहां से प्राप्त कर रहा हूं । अपने फार्म से या फैक्ट्री से । या लोगों द्वारा दिए गए दान से । इसकी जांच नहीं की जाती है·······

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, हम इसकी पड़ताल करेंगे ।

श्री विजय कुमार एन. पाटिल : हमने पश्चिम के संविधान से बहुत कुछ उधार लिया है । जैसे कि मेरे एक मित्र ने अभी कहा है कि इंग्लैण्ड में भी संसद सदस्यों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है ।

श्री सी. एन. विश्वनाथन : विश्व में ऐसा कहीं नहीं है ।

श्री विजय कुमार एन. पाटिल : मैं विशेष रूप से इंग्लैण्ड का नाम ले रहा हूं क्योंकि उस देश के बहुत उदाहरण दिए जाते हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्योंकि वहाँ महिला प्रधान मन्त्री है ।

श्री विजय कुमार एन. पाटिल : मुझे श्री गुप्ता द्वारा व्यक्त किए गए विमत को पढ़ कर हैरानी हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि जब संसद का यह दृष्टिकोण है तो इस विधेयक को प्रवर समिति से अग्रषित्त क्यों नहीं कराया गया, कहा जाता है कि प्रधान मन्त्री ने कहा कि केवल प्रवर समिति के सदस्य ही चाहते हैं कि संसद सदस्यों को इस विधेयक में शामिल न किया जाए । यह समिति के सदस्यों पर या शासक दल के सदस्यों पर परोक्ष रूप से दबाव डाला गया है कि वे अपनी सिफारिशों में संसद सदस्यों को अवश्य ही शामिल करें भले ही उनके दिमाग में यह स्पष्ट हो कि संसद सदस्यों और विधायकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

यह प्रधान मन्त्री के लिए ठीक नहीं है कि वे परोक्ष रूप से समिति के सदस्यों पर दबाव डालें या उन्हें विवश करें जबकि यह समिति सदन का प्रतिनिधि निकाय नहीं है । इसका अर्थ है कि बहुत से सदस्य नहीं चाहते कि संसद सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप किस गुप्ता का नाम ले रहे हैं ।

श्री विजय कुमार एन. पाटिल : श्री भूपेश गुप्ता । मेरे विचार में दूसरों का दृष्टिकोण भी यही है ।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, हमने देखा है कि मतदाता समझदार हो गए हैं और उन्होंने यह दिखा दिया है कि वे अपने मत का सही प्रयोग कर सकते हैं, यदि उन्हें किसी संसद सदस्य या विधायक के भ्रष्टाचारी होने का पता लगता है । तब पांच वर्ष के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जाना पड़ता है जिसके बारे में लोगों को यह पता चल जाए कि वह धन ले रहा है । वे उसके बारे में अन्य लोगों को भी बताते हैं । "चुनाव होने दो हम इस व्यक्ति को आने ही नहीं देंगे" । परन्तु अफसरशाही के मामले में ऐसी बात नहीं है और आपने सहज ही उन्हें बाहर रख दिया है । आपने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं । मैं जानता हूं कि मेरे विरोध करने से विधेयक को छोड़ा भी नहीं जाएगा । यह पास हो जाएगा ।

दूसरा मुद्दा यह है कि विधेयक के कुछ खण्डों में संशोधन के लिए मुझे कुछ सुझाव देने हैं ।

खण्ड 23 में आपने कहा है कि विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा परन्तु स्वाभाविक न्याय और कानूनी दृष्टिकोण से यह उचित नहीं है।

प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि सक्षम अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होगा। मैं यहां सुझाव देता हूं कि सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति होना चाहिए।

अब दुराचरण की परिभाषा को लें—

> "विधायक के अतिरिक्त एक सार्वजनिक व्यक्ति दुराचरण करता है—(ख) यदि वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग करता है या करने का प्रयत्न करता है या जानबूझकर दुरुपयोग होने देता है ..."

इसका अर्थ हुआ कि स्थिति के दुरुपयोग होने का एक ही मामला काफी है। परन्तु सार्वजनिक कर्मचारियों के मामले में दुराचरण की परिभाषा कुछ और है यह इस प्रकार है—

> "यदि वह कोई बहुमूल्य वस्तु आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ..." यह एक आदतन बात होगी।

यदि आप सार्वजनिक कर्मचारी सरकारी व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति के मामले को लें तो यह बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है। इससे संसद सदस्यों पर बहुत से नियंत्रण लगाए जा सकते हैं। अधिकार या शक्ति का प्रयोग न केवल एकाधिकार गृहों द्वारा किया जा सकता है बल्कि प्रधान मन्त्री जैसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। वे अपने शासक दल के संसद सदस्यों से जरा यह कह कर तो देखें कि वे दुराचार की परिभाषा के अधीन उनके विरुद्ध जांच कराना चाहते हैं। वे उन्हें धमकी भी दे सकते हैं। यह बुराई समाप्त करने का एक साधन बन जाएगा।

धारा 6 में लोकपाल की भी व्यवस्था है। आधुनिक प्रवृत्ति न्यायाधीशों का कोरम रखने की है। यदि एक मामले में एक से अधिक न्यायाधीश हों तो यह माना जाता है कि न्याय और भी उचित होगा। पुरातन समय में हम देखते हैं कि जब गांव में कोई झगड़ा होता था तब बूढ़े और बुद्धिमान लोगों को न्याय करने के लिए चुना जाता था जिन्हें **'पंच परमेश्वर'** कहा जाता था। अतः यदि आप लोकपाल की नियुक्ति करना चाहते हैं तो लोकपालों की नियुक्ति कीजिए। यदि एक से अधिक होंगे तो उचित पड़ताल के बाद उचित न्याय दिया जा सकेगा। एक अकेला मामला कुछ बातों के आधार पर ही लिया जा सकता है।

फिर खण्ड 23 (1) में यह उल्लिखित है कि यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है और यदि वह सिद्ध हो जाती है तो उसे एक वर्ष की सजा या 3,000/- रु० का जुर्माना भी किया जा सकता है। उसे एक साल की सजा दी जा सकती है। पर उसकी झूठी शिकायत का क्या किया जाता है? संसद सदस्य या विधायक की छवि लोगों की आंखों में गिरा दी जाती है और वह मानहानि का दावा नहीं कर सकता क्योंकि कानून के अनुसार जब किसी अपराधी को एक बार सजा दे दी जाती है तो उसे दुबारा सजा नहीं दी जा सकती। क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार

के अपराधी के विरुद्ध मान हानि का दावा अदालत में कर सकता है। यह कैसा उपबन्ध है ? अगर आप चाहें तो कोई सख्त उपबन्ध किया जा सकता है। मेरे मित्र ने एकाधिकार गृह के बारे में कुछ कहा है। अगर किसी एकाधिकार गृह के बारे में संसद सदस्य संसद में कोई बात कहता है तो वह गृह किसी व्यक्ति को 1000/- रु० की रकम देकर उस सदस्य के खिलाफ झूठी शिकायत कर सकता है और इस सम्बन्ध में उसे जो 3000/- रु० का जुर्माना होगा उसे भी वह गृह अदा कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जुर्माने की राशि 10,000/- रु० होनी चाहिए और सजा की अवधि तीन वर्ष। इस प्रकार का उपबन्ध एक कठोर अवरोधक का कार्य करेगा।

जैसा मैंने कहा, इस परिभाषा में 'मानहानि' भी शामिल की जानी चाहिए। इसके लिए एक सजा का सुझाव दिया जा चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस बात को फिर दुहराता हूं कि मैं विधेयक का विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि सरकार एक व्यापक विधान लाए जिसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए हैं उन्हें भी शामिल किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक स्वागत योग्य विधान है, हालांकि इसे पूरे मन से नहीं लाया गया है। यह आम धारणा है कि मन्त्री, राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, विधायक आदि भ्रष्ट होते हैं। हमारी राजनीति में राजनीतिक स्तर या राजनीतिक भ्रष्टाचार कैंसर का रूप धारण किए हुए है। इस भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं ? क्या यह केवल राजनीतिज्ञों तक ही सीमित है या नौकरशाहों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है ? यह आज विचार का विषय नहीं है। पर लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए संसद जैसी संस्थाओं को इस विषय में विधान बनाना चाहिए जिसमें राजनीतिक दायरे में आने वाले लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के तरीकों की व्यवस्था हो।

मैंने इसे आधे मन से लाया गया विधान इसलिए कहा कि इससे समस्या के एक अंश का ही समाधान होगा क्योंकि कार्यकारी प्राधिकारियों की एक बहुत बड़ी सेना को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक के साथ लगे उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है कि नौकरशाही को इसकी परिधि से अलग क्यों रखा गया है। पर महोदय, यदि आप उक्त कथन का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि नौकरशाही को इससे मुक्त रखने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतों की समस्या के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं। इस आयोग ने स्वयं एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था जिस पर जिस रूप में उसे तैयार किया गया था उस रूप में कार्यवाही नहीं की गई। फिर 1968 में एक विधेयक लाया गया जो सभा के अंग होने के कारण समाप्त हो गया। फिर 1971 में एक और विधेयक लाया गया जो संयुक्त समिति के पास इसलिए रुका रह गया कि पिछली सरकार की इसे पास करने की इच्छा नहीं थी। अब यह विधेयक केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लाया गया है। अतः यह केवल एक अधमना विधायी उपाय है।

अतः महोदय, लोकतांत्रिक ढांचे में मैं महसूस करता हूं कि राजनीतिक और प्रशासनिक ईमानदारी हेतु न केवल जनता के समर्थन की जरूरत है अपितु उनमें विश्वास भी जाग्रत होना चाहिए। इसी से यह ढांचा जीवित रह सकता है अन्यथा इससे लोगों का विश्वास उठ जाएगा।

पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और दुराचरण के अनेक तरीकों से देश की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का ह्रास हुआ है। अतः कुछ वास्तविक कदम उठाना जरूरी है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) **:** महोदय, आपने मेरे एक व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय दिया था कि सभा में मंत्रिमंडल स्तर के एक मंत्री का उपस्थित रहना अनिवार्य है। वे आपके निदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रिमंडल स्तर के किसी मंत्री को बुलाया जाना चाहिए। इसके लिए हम 10 से 15 मिनट का समय देते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विशेषाधिकार के हनन का भी प्रश्न है। आपके निदेशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी आप अपना भाषण जारी रखें। इस बीच में इन्हें 10 मिनट का समय देता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने यह सवाल 2-15 पर उठाया था। अब 3-30 हो गए हैं। एक घण्टे से अधिक समय गुजर चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दस मिनट दिए थे। श्री चटर्जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरि विष्ण कामत : आपने उन्हें काफी समय दे दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय कामत जी के व्यवधान का स्वागत करता हूं। महोदय, इसके लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छा की जरूरत है। तभी इसे वास्तविक और कारगर कानून बनाया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। जैसा कि मैं कह रहा था इस विधेयक का देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा। इस देश में अधिनायकवाद के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अधिनायकवाद राजनीतिक भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है जिसने पिछले 19 काले महीनों में अपना असली रूप दिखाया था। हमारी आशंका यह है कि क्या यह विधेयक स्थिति का मुकाबला करने में सक्षम होगा। इस बारे में हमारी गम्भीर शंकाएं हैं। विधेयक में कुछ स्पष्ट कमियां हैं। एक कमी यह है कि आपने कार्यकारी अधिकारियों और नौकरशाही को इसकी परिधि से मुक्त रखा हैं। दूसरा प्रश्न सक्षम प्राधिकार का है · · ·

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) **:** माननीय मन्त्री जी श्री चटर्जी की बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह केवल बात ही नहीं सुन रहे अपितु किसी प्रतिक्रियावादी से बातचीत कर रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया उनका ध्यान न बटाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया विधेयक के खण्ड 17 को देखें। इसमें लोकपाल द्वारा एक प्रतिवेदन पेश किये जाने की व्यवस्था है। यदि वह किसी व्यक्ति को दोष-मुक्त कर देता है तो सब ठीक है। अगर यदि वह उसे दोषी मानता है तो वह :

"एक लिखित रिपोर्ट द्वारा अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी को बताएगा।"

फिर खण्ड 17 के उपखण्ड (2) में कहा गया है—

"17(2) सक्षम प्राधिकारी उसको भेजी गई रिपोर्ट की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जांच करेगा और रिपोर्ट मिलने की तारीख से तीन मास के भीतर रिपोर्ट के आधार पर की गई या की जाने वाली कार्यवाही लोकपाल को बताएगा।"

अब आप कृपया सक्षम प्राधिकारियों की सूची पर आएं। कानून में यह व्यवस्था है कि सक्षम अधिकारी कदम उठाएगा। लोकपाल की रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि लोकपाल की रिपोर्ट को प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रशासनिक या कार्यकारी रूप से लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या न्यायपालिका क्या कार्यवाही कर पाएंगे। मान लीजिए लोकपाल ने 'क' को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है और एक सदस्य को दोषी पाया है और इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को दी है तब अध्यक्ष उसका क्या करेगा ? क्या वह एफ. आई. आर. दायर करेगा या उस भ्रष्ट सदस्य के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए किसी अधिकारी को मनोनीत करेगा ? महोदय, उनके अलावा राज्य सभा के सभापति भी यह काम नहीं कर सकता। क्या प्रधान मन्त्री यह करेगा ? ये सक्षम अधिकारी इसलिए नहीं हैं कि वे एक विशिष्ट पद धारण करते हैं पर इन्हें सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। इन्हीं को यह अधिकार दिया गया है। अतः अनुवर्ती कार्यवाही करना उनका काम है। इसमें प्रधान मंत्री, मंत्री, मंत्री परिषद के प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस विधेयक में यह सबसे बड़ी कमी है। अनुवर्ती कार्यवाही अथवा किसी प्रतिवेदन का परिणाम किसी व्यक्ति के विपरीत हो सकता है। प्रतिवेदन तथा कार्यवाही के स्वरूप के बारे में इस विधेयक में कहीं भी नहीं दिया गया है।

साथ ही किसी प्रतिकूल प्रतिबेदन की अनुवर्ती कार्यवाही के क्रियान्वयन भाग का प्रश्न भी है। इस विधेयक में कहीं भी इस बारे में नहीं दिया गया है :

"17(3) में यदि लोकपाल अपने प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही से सन्तुष्ट है ..."

इसकी उसे सूचना दी जानी है। इसमें आगे यह भी कहा गया है :

".... किन्तु जब वह इस प्रकार सन्तुष्ट नहीं है और यदि वह यह समझता है कि मामले में यह आवश्यक है तो वह इस मामले में राष्ट्रपति को एक विशेष प्रतिवेदन दे सकता है और सम्बद्ध प्रतिवेदक को भी सूचित कर सकता है।"

क्या इसका यह अर्थ है कि संसद कार्यवाही करेगी ? यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच किये जाने की आवश्यकता है। अन्यथा यह मृत कानून होगा। यदि अभिप्राय यह है सांविधि पुस्तक में शामिल करने के लिए एक कानून बनाया जाये और लोगों को यह घोषणा करने का प्रयत्न किया जाये कि राजनीतिक ईमानदारी में हमारा बड़ा भारी विश्वास है और हमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो यह अच्छा है। किन्तु धारणा यह है कि इस समस्या का समाधान करने

का प्रयास किया जाये जो, वास्तव में, मैं मानता हूं कि विधेयक में ऐसा उपबन्ध शामिल किया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में दो या तीन बातें हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री आ रहे हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : वह 'आंखों देखे हाल' के मंत्री हैं।

श्री बीजू पटनायक : मेरी इस टिप्पणी पर आपत्ति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हम ऐसी आशा करें कि हमें अपने सुझाव का कठोर उत्तर न मिले।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : आपकी तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, उन्होंने तीन या चार मामले उठाये हैं। एक यह है कि इस विधेयक की परिधि में विधायकों को शामिल किया जाये। मैं इस प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत हूं और वास्तव में मेरा निवेदन यह है कि कतिपय ऐसे विशेष उपबन्ध हैं जो विधायकों के पक्ष में इस विधेयक में रखे गये हैं और इन्हें इसमें नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऐसी धारणा बनाई गई है कि विधायकों के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा मन्त्री के साथ किया जाना चाहिए जो इस विधेयक के अन्तर्गत आता है। विधायकों के लिए "बुरे आचरण" शब्द की विशेष परिभाषा है। यदि आप इस पर विचार करें तो देखेंगे कि "बुरे आचरण" शब्द की बहुत संकुचित परिभाषा दी गई है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि यदि कोई संसद सदस्य खुले रूप में अपने लड़के के लिए कुछ प्राप्त करता है तो वह बुरे आचरण की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आ सकता और नहीं आयेगा। बुरे आचरण की दोनों परिभाषाओं के बीच जो अन्तर है जिनमें एक विधायकों पर लागू होती है और दूसरी नहीं होती है, यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई विधायक किसी अन्य व्यक्ति को कुछ लाभ दिलाता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह बुरा आचरण नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हमारे संशोधन संयुक्त प्रवर समिति में अस्वीकृत हुए किन्तु मैंने असहमति टिप्पण दिया है।

दूसरे में, विशेष गुप्त सुनवाई का एक उपबन्ध है। मैं नहीं जानता कि इस देश में किसी अन्य सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध लोकपाल की खुली जांच हो सकती है तो क्यों ? किसी विधायक की भी खुली जांच नहीं होनी चाहिए। जहां तक विधायकों का सम्बन्ध है, मैं जांच के प्रकार, बुरे आचरण की परिभाषा और किये गये उपबन्धों के बारे में, किसी विशेष कृपा अथवा व्यवहार को नहीं चाहता हूं। हमें ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हम यह चाहते हैं कि हमारे विरुद्ध कोई जांच अथवा खुली जांच न हो। संसद सदस्यों या विधायकों के लिए ऐसे विशेष उपबन्धों से उनके व्यक्तित्व को अधिक हानि पहुंचेगी और इससे यह धारणा बनेगी कि संसद सदस्यों को अनुचित महत्व दिया जाता है इसके बारे में और अधिक भ्रम होगा। संसद सदस्यों या राज्य विधान सभाओं अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के सदस्यों के लिए विशेष व्यवहार की इस विधेयक में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

इसके बाद मैं राज्य के मुख्य मंत्रियों को इस विधेयक में शामिल करने के प्रश्न पर आता हूं। जब यह विधेयक इस सभा में लाया गया था तो मुख्य मंत्रियों को इसकी परिधि में लाया गया था। जहां तक संयुक्त समिति में हुई चर्चा का सम्बन्ध है—मैं चर्चा को प्रकट नहीं कर रहा हूं—इस पहलू पर मतैक्य था। मैंने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया था और अपना संशोधन भी दिया था, यहां तक कि मंत्री भी इसके पक्ष में थे और सत्ताधारी दल के सदस्य भी इसके पक्ष में थे। आम विचार यह था कि मुख्य मंत्रियों को इस विधेयक से निकाला जाना चाहिए। संयुक्त समिति में यह धारणा थी। क्या संयुक्त समिति के प्रति यही उचित सम्मान प्रदर्शित करना है? सत्ताधारी दल के सदस्य समिति में थे और उन्होंने अपनी सहमति दी थी इसे विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया, अब इसे सरकार के संशोधन से शामिल किया जा रहा है। क्या इससे संसदीय कार्यकरण के प्रति उचित रुख प्रतिविम्बित होता है? संयुक्त समिति ने गहराई से इस मामले पर विचार किया था और उसकी सिफारिशों की अवहेलना की जा रही है और सरकार के संशोधन से इसे फिर लाया जा रहा है। इससे संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रति बहुत कम आदर दिखाया जा रहा है। अपने दल की ओर से हमारा यह निवेदन था और हमने संशोधन भी दिये थे कि जहां तक मुख्य मंत्रियों का सम्बन्ध है कुछ उपबन्ध होना चाहिए। हम कभी भी इसे अलग करना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर हमने सिफारिश की थी और संयुक्त समिति को सुझाव दिया था कि विधान सभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों को इसमें लाना चाहिए। यहां तक कि विभिन्न शहरों के निगमों के महापौरों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह केन्द्र से नहीं होगा। विभिन्न राज्यों में उचित कानूनों के अधीन लोकआयुक्त और अन्य कर्मचारी हों। हम चाहते थे कि हमें केन्द्रीय कानून में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि बहुत से राज्य अपने मुख्य मंत्रियों के बारे में उचित अथवा उपयुक्त कानून नहीं बनायेंगे। अत: एक केन्द्रीय कानून होना चाहिए किन्तु इसका क्रियान्वयन राज्यों की एजेन्सियों के द्वारा होना चाहिए जैसा कि यहां केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत है। हमने वास्तव में इसके लिए जोर नहीं दिया क्योंकि यह रुख अपनाया गया कि मुख्य मंत्रियों को केन्द्रीय कानून से बाहर रखा जाये और ऐसी इच्छा तथा आशा व्यक्त की गई थी कि विभिन्न राज्य विधान मण्डल इस मामले को लेंगे और अपने कानून बनायेंगे। साथ ही मुख्य मन्त्री को इस तरीके से लाया जा रहा है। यह संयुक्त समिति के साथ विश्वासघात है। यही मेरा निवेदन है। वे यहां मुख्य मन्त्री को शामिल करने के प्रयोजन से अपने बहुमत का प्रयोग कर रहे हैं और यह उचित नहीं है। यह बहुत ही अनियमित और अनुचित है।

(व्यवधान)

दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस प्रस्ताव के बारे में हाल ही के सरकार के इस हास्यास्पद विचार के बारे में है कि प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में वह स्वयं सक्षम अधिकारी होंगे। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या सोच रही है। वास्तव में मैं यही मान रहा हूं कि सरकार का कुछ विचार है। यह प्रश्न संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष आया। अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ (7) पर कहा गया है:

> "समिति यह नोट करती है कि प्रस्तावित उपबन्धों के अधीन प्रधान मन्त्री को अपने मामले में सक्षम अधिकारी बनाया गया है।"

साथ ही कतिपय टिप्पणियों के आगे यह कहा गया हैं :

"........प्रधान मंत्री के भी लिए यह उलझन की बात होगी—यदि उसे अपने मामले में निर्णायक बनाया जाये। अत: समिति का विचार है कि चूंकि प्रधान मन्त्री सहित मन्त्री परिषद मूलत: लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है तो अध्यक्ष को प्रधान मन्त्री के मामले में 'सक्षम अधिकारी' बनाया जाए।"

सर्वसम्मत प्रतिवेदन की अवहेलना की गई है और सरकार एक प्रस्ताव पेश करती है... मैं नहीं जानता कि वर्तमान प्रधान मन्त्री के साथ कोई चर्चा हुई थी या उन्होंने स्वयं निर्णय करने की जिम्मेदारी ली। जब लोकपाल का प्रतिवेदन उनके विरुद्ध हो तो क्या प्रतिवेदन मांगा जाये या नहीं। यह सरकार का दृष्टिकोण है जिससे हमारे दिमाग में इस विधेयक अथवा इस विधेयक से बनने वाले कानून को क्रियान्वित करने की सरकार के अभिप्राय के बारे में बड़ा भारी सन्देह पैदा हुआ है।

मुख्य-मन्त्रियों को मुख्य-मन्त्रियों के बारे में विचार करने के लिए 'सक्षम अधिकारी' बनाया जाये और प्रधान-मन्त्रियों को प्रधान-मन्त्रियों के मामले में 'सक्षम प्राधिकारी' बनाया जाये, यह तो वह मूल प्रस्ताव था जिसे जानबूझकर इस विधेयक से निकाल दिया गया था और इसे फिर यहां सरकार ने प्रस्तावित कर दिया है। इसीलिए हमें सन्देह होता है कि क्या सरकार वास्तव में ही इस मामले में गम्भीर है। इसमें अनेक बड़ी गलतियां हैं और इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं, परन्तु इन कमियों के साथ भी मुझे विश्वास है कि यह विधेयक पारित हो जायेगा और इसको पारित करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किए जायेंगे और इसे बदले की भावना से लागू न करके, सच्चाई और ईमानदारी से लागू किया जायेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रवर समिति द्वारा जो लोकपाल विधेयक यहां आया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। इस विधेयक में प्रवर समिति ने कई ऐसे विचार और प्रावधान रखे हैं जिससे मैं यह मानता हूं कि यह एक अच्छा विधेयक बन गया है।

कुछ बातें मैं इसमे जरूर कहना चाहता हूं। इसमें जो कहा गया है कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य-सभा के सभापति व लोक-सभा के अध्यक्ष की राय से करेंगे, इसमें यह भी जोड़ दिया गया है कि सभापति, राज्य-सभा और लोक-सभा के अध्यक्ष सभी ग्रुपों और विरोधी पक्ष के लोगों से राय लेंगे और उस राय से वह अपनी सहमति देंगे, इसमें यह बात भी जोड़ी गई है। इस विधेयक मे कई ऐसे प्रावधान जोड़े गये हैं, जिससे यह बहुत अच्छा बन गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट में मुख्य मंत्री का इस विधेयक की परिधि में शामिल नहीं किया गया था। अब शासन द्वारा मुख्य मंत्री को फिर शामिल कर लिया गया है—करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि यह विधेयक और अच्छा बन जाये।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि कौन-सा व्यक्ति लोकपाल नियुक्त किया जाये, आप जानते हैं कि आज हर व्यक्ति में राजनीति की बू आती है और हर पक्ष चाहता है कि हमारा आदमी, हमारे विचारों का आदमी, लोकपाल नियुक्त हो। मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल की

नियुक्ति विधानवेत्ताओं में से होनी चाहिए। वह किसी भी पार्टी से प्रेरित न हो, बल्कि एक निष्पक्ष आदमी हो और अपनी राय और अपने फैसले एक निष्पक्ष तरीके से दे, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। आज सारे देश में जहां-तहां भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। चाहे कोई व्यक्ति निर्दोष हो, भले ही वह शासकीय कर्मचारी हो या जन-नेता हो, हर एक व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि वह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। इस देश में भ्रष्टाचार कैसे दूर हो और उसकी छान-बीन कैसे हो, इसी बात को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हम चाहते हैं कि पारित होने के बाद यह विधेयक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लागू होना चाहिए, ताकि देश की जनता में विश्वास उत्पन्न हो सके।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि प्रधान मन्त्री के लिए सक्षम अधिकारी कौन हो, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि लोक सभा का अध्यक्ष न होकर राष्ट्रपति हो। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री के विषय में देश का मुख्य न्यायाधीश सक्षम अधिकारी हो, ताकि देश के किसी भी व्यक्ति को इस बारे में शंका करने की गुंजायश न रहे। ऐसी व्यवस्था करने पर ही हम कह सकते हैं कि यह एक सशक्त और प्रभावी विधेयक है।

इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। ताकि हमारे देश में भ्रष्टाचार का कुछ ज्यादा वातावरण जो फैल रहा है उस पर कुछ रोक लग सके। हम चाहते हैं कि वह चाहे प्रधान मंत्री हों, मुख्य मंत्री हों यह संसद सदस्य हों या विधायक हों उनके ऊपर इस तरह से रोक लगनी चाहिए ताकि हमारे देश की जनता कह सके कि जिन को हम चुनते हैं, जिनको हम गद्दी पर बैठाते हैं या जिनके हाथ में शक्ति देते हैं वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते बल्कि वह जन-हितैषी बनकर हमारे हित की बातें करते हैं और हमारे हित के लिए अच्छे काम करने के लिए अच्छे प्रेरणादायक सुझाव देते हैं, उनके द्वारा हमारे हित के काम सब होते हैं।

पहले इसमें केवल संसद सदस्य, विधायक या मंत्री के लिए प्रावधान किया गया था, प्रवर समिति ने और भी आगे जाकर उनके परिवारों को भी इसमें जोड़ा है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि परिवार वाले ही अक्सर मिल कर ऐसा करते हैं। कई जगह ऐसी शिकायत आती है कि मंत्री तो भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं लेकिन चाहे वह उनकी श्रीमती जी हों या दूसरे लोग हों, वे उसमें जुट जाते हैं और सारा सामान तैयार कर लेते हैं। वे ऐसे लोगों से बातचीत करके सब तय कर लेते हैं और काम करवाने के लिये कह देते हैं कि यह काम होना चाहिए। मंत्री जी कर देते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार पनपता है। तो प्रवर समिति ने पुत्र, पुत्री, नाती वगैरह सभी को इसमें जोड़ दिया है, यह बहुत ही अच्छी बात हुई हैं। मैं समझता हूं कि अपने तरीके से यह चीज ठीक होगी और इससे भ्रष्टाचार के रुकावट में काफी सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं ज्यादा न कह कर यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए ताकि हमारे देश की जनता जो चाहती है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले और

अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले हैं उनके ऊपर रोक लगायी जा सके, वह रोक जल्दी से जल्दी लग सके। इसलिए जल्दी इसको पास करना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) : अध्यक्ष महोदय, आज जो यह विधेयक संसद के सामने प्रस्तुत है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश के संसदीय इतिहास में यह बहुत ही उज्ज्वल दिन है जबकि हम इस प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं जिससे सचमुच हम अपने देश के सार्वजनिक जीवन को निर्मल बना सकें। बहुत दिनों से, बल्कि देश के स्वतंत्र होने के थोड़े ही दिनों बाद देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया और यह निरंतर, उत्तरोत्तर इतना बढ़ता चला गया कि समूचे देश में राजनैतिक जीवन बिताने वालों के प्रति एक शंका का वातावरण बन गया। यह बड़ी दुखद स्थिति है कि जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को असीम प्यार मिलता था, श्रद्धा मिलती थी, विश्वास मिलता था वहां आज घृणा की दृष्टि से राजनैतिक कार्यकर्त्ता देखे जाने लगे। जिनके हाथ में शासन सूत्र आता है उनको लोग शंका की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक अपमान की दृष्टि से देखते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी कोठियां बन गईं, बहुत बड़ी सम्पत्ति इकट्ठी कर ली गई। ये सारी बातें हमारे देश में जब चलती हैं तो मैं समझता हूं कि न केवल सार्वजनिक जीवन के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी यह एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम लोकतांत्रिक पद्धति में इस भ्रष्टाचार का निर्मूलन नहीं कर पायेंगे तो लोकतंत्र के प्रति भी लोगों को अविश्वास होगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक था कि इस प्रकार का कानून बनाया जाय और यह प्रसन्नता की बात है कि जनता पार्टी के शासन में यह कानून संसद के सामने आया।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में भी अपनी बात जारी रख सकते हैं।

— — —

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में मैंने समय निर्धारित कर दिया है कि प्रस्तावक को आरंभ में पन्द्रह मिनट मिलेंगे और उसे दस मिनट का समय उत्तर देने के लिये मिलेगा। दूसरे सदस्यों में से प्रत्येक को 10 मिनट का समय मिलेगा। श्रीमन समर मुखर्जी क्या आप प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि सभा अब स्थगित होती है।"

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम दस सदस्यों ने जनता पार्टी के संसदीय-दल से त्याग-पत्र दे दिया है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि हमारे दस सदस्यों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था हो, और हमारे दल को अलग से समय दिया जाये······

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : आप सुनिये, हम क्या कहना चाहते हैं। दस सदस्यों के लिये···

अध्यक्ष महोदय : सभी बातों पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता। मुझे फाईल देखनी होगी। उससे सम्बद्ध कागज-पत्र अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपको बतला रहा हूँ···

अध्यक्ष महोदय : बतलाने की जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया ऐसा न करें, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए 4 बजे का समय निश्चित किया है।

कोई बात भी कार्यवाही बृतांत में सम्मिलित न की जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन् समर मुखर्जी :

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय । श्रीमान बागड़ी, यह नियमों के अनुमार होगा। कृपया कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी महोदय।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पर भी वही बात लागू की जायेगी।

श्री समर मुखर्जी : जनता सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश भर में असन्तोष की लहर इस हद तक फैल गई है कि यहां तक कि पुलिस और केन्द्र सरकार के सशस्त्र बल भी आन्दोलन चलाने लगे हैं। यह कोई एकल स्थिति नहीं है। यह तो उस बढ़ रहे संकट का परिणाम है, जिससे देश आज गुजर रहा है। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक नीतियों के क्षेत्र में जनता सरकार देश को सही दिशा देने में असफल रही है। बजट प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने के बाद से आन्दोलन जोर पकड़ते जा रहे हैं और पुलिस वालों द्वारा अचानक आन्दोलन चलाये जाने के कारण देश भर में इतनी गहरी प्रतिध्वनि हुई है और समर्थन मिला है कि इसे देख कर सभी चकित हो गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि असन्तोष की आग अन्दर ही अन्दर सुलग रही थी। इसकी प्रथम चिनगारी पंजाब में फूटी और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में फैल गई। अतः, सरकार झुंझला गई क्योंकि वह इस स्थिति से निपटने के लिये तैयार न थी। अन्ततः हमने देखा असन्तोष की आग केन्द्रीय आरक्षी पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भी व्याप्त हो गई और बाद में यह रेलवे सुरक्षा बल में भी फैल

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गई। आन्दोलन चलाने का उनका बना-बनाया कार्यक्रम था और यह वे पहले ही घोषणा कर चुके थे कि इसे जुलाई में शुरू किया जायेगा। हमारा सरकार से निवेदन है कि वह असन्तोष के मूल कारणों पर गम्भीरता से विचार करें। परन्तु दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि सरकार इस समस्या पर गहराई से विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

पुलिस, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल की क्या मांगें हैं ? उनकी प्रथम मांग तो वेतनों में सुधार की है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये क्योंकि निर्वाह लागत बहुत बढ़ रही है और दूसरों की तुलना में उनके वेतनमान बहुत ही कम हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब दुर्गापुर इस्पात कारखाने की सुरक्षा के लिये तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जवान यह देखता है कि इस्पात कारखाने के एक मजदूर को जब उसके 300/- रुपये मासिक के वेतन की तुलना में न्यूनतम वेतन 512/- रुपये मिलता है तो क्या वेतनमान में संशोधन की मांग करना स्वाभाविक नहीं है ? दूसरे वे मानवीय व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम अभी भी ब्रिटिश परम्पराओं का पालन कर रहे हैं। उच्च-अधिकारियों के निवास-स्थलों पर आम पुलिस कर्मचारी को अर्दली के रूप में कार्य करना पड़ता है। वे गुलामों के से व्यवहार के प्रति प्रतिरोध प्रकट करते रहे हैं। समय बदल गया है। लोगों के अन्दर लोकतान्त्रिक भावना पनप रही है। स्वाभाविक है कि वे भी मनुष्यों जैसा जीवन यापन करना चाहेंगे। अत: उनकी एक मुख्य मांग यह है कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाये ;

उनकी तीसरी मांग यह है कि उन्हें अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिये कोई माध्यम मिलना चाहिये। उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का कोई मार्ग अब तक नहीं दिया गया है। इसीलिए तो उन्होंने यह मांग की है कि उनकी एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्य मजदूरों और कर्मचारियों को, यहां तक कि रक्षा-उत्पादन और रेल कर्मचारियों को भी, अपने संघ बनाने और अपनी मांगें रखने का लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त है परन्तु पुलिस को इसका बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि पुलिस वाले वैसा लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। केन्द्रीय आरक्षी बल के जवानों को वह अधिकार नहीं दिया जा सकता और अनुशासन के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिये उनका असन्तोष पूरी तरह सामने आया और संघर्ष अकस्मात तथा सहज ही आरम्भ हो गये।

पंजाब सरकार ने पुलिस की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। उससे औरों को भी प्रेरणा मिली और उन्होंने सोचा कि सरकार उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें स्वीकार कर लेगी। यदि सरकार ने वैसा ही रुख अपनाया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई होती। पुलिस के मामले में गृह मन्त्री महोदय ने कुछ पहल की और 6 जून को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और पुलिस कर्मचारियों के संघ को कुछ मान्यता प्रदान की गई। परन्तु केन्द्रीय आरक्षी पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मामले में ऐसा करने से इन्कार कर दिया गया।

श्री के० गोपाल (करूर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, गृह मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं। अतः हम इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। इस स्थगन प्रस्ताव में सरकार को समस्त नीतियों की आलोचना की गई है।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : इसी समस्या पर दूसरे सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस जारी है और गृह मन्त्री महोदय वहां पर अटके हुए हैं। इसलिए मैं यहां पर बैठा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसी विषय पर वह राज्य सभा में उलझे हुए हैं।

श्री समर मुखर्जी : स्थिति कितनी गम्भीर है, उसे आप भली-भांति समझ सकते हैं जब पुलिस, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हड़ताल करते हैं तो इसका अर्थ है कि संकट उस अवस्था में पहुंच चुका है जबकि सरकार को सेना और सैन्य बल के दम पर शासन चलाना पड़ेगा या फिर उन्हें गद्दी छोड़ कर जाना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 1973 में उत्तर प्रदेश में पी. ए. सी. ने विद्रोह किया था। 1974 में रेल कर्मचारियों की अखिल भारनीय स्तर पर हड़ताल हुई थी। आपात काल से पूर्व ऐसी परिस्थितियां थीं। जब शस्त्र-बल ही जो जनता में बल पूर्वक अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है, अपने सामान्य अनुशासन से च्युत हो जाएं तो उसका तात्पर्य है कि संकट उस स्थिति तक पहुंच चुका है जहां सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। अब देखना यह है कि स्थिति कहां तक बिगड़ चुकी है और आखिर हुआ क्या है? केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को इस्पात मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैनात किया गया था अथवा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों की कार्यवाहियों के विरुद्ध उन्हें तैनात किया गया था। अतः पहले तो कर्मचारी संघों ने के० ओ० सु० ब० को तैनात किये जाने का विरोध किया था और अब वे ही कर्मचारी के० ओ० सु० ब० की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने उनके आन्दोलन को कुचलने के लिये सेना की मदद लेकर पूरी तरह से उन्हें दबाने वाला रवैया अपनाया है। इसीलिये तो असन्तोष घट नहीं रहा है, बल्कि उल्टा बढ़ रहा है। यद्यपि सेना नियुक्त करके आप फिलहाल तो उन्हें दबा सकते हैं, परन्तु इसके परिणामस्वरूप असन्तोष बढ़ेगा और भड़केगा और एक दिन इसका विस्फोट पड़ेगा। इस असन्तोष के कारण ही सरकार अब मीसा लगाने पर सोच रही है। आखिर मीसा का यह प्रश्न उठा ही क्यों? जो मीसा के विरुद्ध लड़े, जो उन लोगों की ही सहायता से, उन लोगों के ही समर्थन से सत्ता में आये जिन्हें आज वे कुचलने जा रहे हैं, अब मीसा थोपने और कार्मिक अनुशासन अधिनियम (पी. डी. एक्ट) को लागू करने की बात सोचने लगे हैं। अतः सेना तैनात करके और विशेष शक्तियों को प्रयोग में लाकर यदि आप सरकार में अपनी जड़ें जमाये रखना चाहते हैं तो आप भ्रम में डूबे हुए हैं। यह वही रास्ता है जो इन्दिरा गांधी ने अपनाया था। आपको भी इन्दिरा गांधी जैसे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको अपना रवैया बदलना चाहिये। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मांगों के प्रति सरकार का क्या रुख है?

मैं गृह मन्त्री के प्रेस सम्मेलन की रिपोर्ट, जो 26 जून के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी, से

उद्धृत करता हूं :

"चार भिन्न-भिन्न बटालियनें भंग कर दी गई हैं। उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सरकार स्थिति का दृढ़ता से सामना करेगी और पुलिस बल में अनुशासन-हीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी।"

इन प्रकार समस्या का गम्भीरता से अध्ययन कर लोकतन्त्रीय समाधान खोजने की रुचि नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में एक ही रास्ता है कि उनकी उचित मांगों को स्वीकार कर लिया जाये, क्योंकि उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है।

गृह मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति में गृह मन्त्री ने उनकी मांगों के औचित्य को स्वीकार किया था परन्तु बाद में उन्होंने अपना रुख बदल लिया। सम्भवत: प्रधान मन्त्री की नीति के कारण ऐसा किया गया। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार उसी दिन प्रधान मन्त्री ने प्रेस सम्मेलन में कहा था :

"प्रधान मन्त्री ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा बोनस की मांग न पूरी होने पर हड़ताल की धमकी देने वाले रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। यदि रेलवे कर्मचारी हड़ताल करते हैं तथा राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं तो उनके साथ सख्ती से बरता जायेगा। उचित मांगों पर ध्यान दिया जा सकता है। धमकी देकर कुछ नहीं करवाया जा सकता।"

इस प्रकार उनके मतानुसार हड़ताल धमकी है तथा सरकार का दमन-चक्र अहिंसा है। यह वही भाषा है जिसका प्रयोग श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 की रेल हड़ताल के दौरान किया था। अब आप उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह केवल भाषा के बारे में चिन्तित हैं।

श्री समर मुखर्जी : पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने पुलिस की समस्याओं तथा मांगों पर ध्यान दिया था। उन्होंने बहुत पहले उनके अराजपत्रित कर्मचारी संघ को मान्यता दे दी थी। इसीलिए जब देश भर की पुलिस में असन्तोष है उस राज्य की पुलिस के चारों संगठनों ने घोषणा कर दी कि पश्चिम बंगाल में हमें किसी आन्दोलन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें अपनी मांगें तथा मामले उठाने का माध्यम प्राप्त हैं। उसे आदर्श माना जाना चाहिए। परन्तु हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा है कि मांगें स्वीकार करके पंजाब सरकार ने भूल की है। उसी प्रेस सम्मेलन में उन्होंने कहा :

"हम वही भूल नहीं करेंगे" अर्थात् वह पुलिस कर्मचारियों तथा सी. आई. एस. एफ. की मांगें स्वीकार करने की भूल नहीं करेंगे और अब वह सेना तैनात करके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सी. आई. एस. एफ. के आन्दोलन करने वाले कर्मचारियों को मौत के घाट उतार रहे हैं।

14 जून को क्या हुआ ? सी. आई. एस. एफ. और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया था। जब वे बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसका क्या अर्थ है। तर्क यह दिया गया कि उनमें से कुछ लोग वर्दी में

नहीं आये थे। इस प्रकार उन्होंने अनुशासन भंग किया था। क्या अनुशासन का यही रूप है जिसे सरकार तथा मन्त्री महोदय प्रदर्शित कर रहे हैं।

दूसरे मेरे पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा लिखा गया पत्र है। मैंने उस पत्र को श्री पटेल को भेज दिया है। उन्होंने लिखा है :

> "हमारे चुने हुए प्रतिनिधि दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालय भेजे गये थे। वहां पर दक्षिण क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि मिले और उन्होंने दो व्यक्तियों को दक्षिण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के रूप में चुना। उसी प्रकार 9 एस. जी. और 9 एच. एस. जी. चुने गये तथा उन सबको सी. आई. एस. एफ. के आई० जी० के कहने पर नई दिल्ली भेजा गया। 13 जून, 1979 को हमारी बातचीत आई० जी० के साथ हुई और हमने अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया, जो कि इस प्रकार है : (1) वेतनमानों का पुनरीक्षण, (2) स्थायीकरण, (3) पी० टी० परेड सहित आठ घण्टे का कार्य समय, (4) शत-प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर सुविधाएं, (5) तीन वर्ष अनिवार्य स्थानान्तरण योजना की समाप्ति; ··· (8) सीधी भर्ती की समाप्ति, (9) अपना कर्मचारी संगठन बनाना; (10) रात्रि भत्ता, (11) छः दिन निरन्तर कार्य के बाद एक दिन का साप्ताहिक अवकाश, (12) सरकारी अवकाश आदि। जब प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं तो आई० जी० ने वह मांग-पत्र देने को कहा जो कि उन्होंने तैयार किया था तथा मन्त्रिमण्डल ने अनुमोदित किया था।"

इस प्रकार प्रतिनिधियों द्वारा पेश किया गया वास्तविक अध्यावेदन पेश नहीं होने दिया गया आई. जी. ने एक और ज्ञापन तैयार किया। मुझे पता नहीं कि यह गृहमन्त्री की सहमति से तैयार किया गया था अथवा नहीं, परन्तु उनके पत्र में ऐसा कहा गया था, प्रतिनिधियों को उसे स्वीकार करने को कहा गया। जब उन्होंने अस्वीकार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के साथ सरकार इस तरह का बर्ताव कर रही है। उन्हें ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तथा उच्च व्यक्तियों के वर्दी में न होने का बहाना बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। यह स्पष्ट रूप से विश्वासघात है। कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुला कर गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें बहुत नाराजगी पैदा हो गई है।

वर्तमान स्थिति यह है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बहुत से कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया है। उस बारे में अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :

पदच्युत किए गए व्यक्ति

बोकारो	लगभग	830
दुर्गापुर		6
रांची		50
पूर्वी क्षेत्र		4
दक्षिणी क्षेत्र		50
उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र		1
कुल :	(लगभग)	941

आंकड़ों में कुछ अन्तर हो सकता है। बहुत से व्यक्ति अभी भी जेलों में हैं।

जेल में व्यक्तियों की संख्या है :

हजारी बाग	157
भागलपुर	248
गया	206
बक्सर	171

लगभग 800 व्यक्ति अभी जेलों में हैं—कल मैंने रिपोर्ट देखी थी—आज नहीं देख पाया। कि सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों का विमान भर कर त्रिविन्द्रम लाया गया तथा ताकि वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों को जबरदस्ती निकाल दें। मुझे बोकारो से भी रिपोर्ट मिली है। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उन्हें क्वार्टरों से भी जबरदस्ती निकाल दिया जाये। यह रिपोर्ट बोकारो से भी प्राप्त हुई है, जहां पर केन्द्रीय औद्योगिक रक्षा बल के 20 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई, कुछ की हत्या तो आत्मसमर्पण के पश्चात की गई। 'ब्लिटिज' ने उनकी संख्या 7 बताई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप 'ब्लिटज' में विश्वास र .ते हैं।

श्री समर मुखर्जी : आप विश्वास न करें। कई बार कुछ तथ्य सही साबित हुए हैं।

अभी भी उस प्रकार का दमन जारी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अपनी नीति को बदलें तथा ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें समझौता हो सके तथा दमन के वातावरण को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को तुरन्त रिहा किया जाए। जिन व्यक्तियों को पदच्युत किया गया है उन्हें सेवा में लिया जाये तथा उनके संगठनों को मान्यता दी जाये और सहमति से समझौते के लिए बातचीत की जाये। मैं चेतावनी देता हूं कि यदि ऐसा न किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी तथा आंतरिक सुरक्षा कानून आदि प्रयोग किया गया और दमनचक्र जारी रहा तो न केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य संगठन अपितु लोकतन्त्र में विश्वास करने वाली पूरी जनता इस दमन का विरोध करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : आज हम अत्यन्त गम्भीर मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं—जो मामला देश की सम्पूर्ण लोकतन्त्रीय शक्तियों के मनों को आन्दोलित कर रहा है तथा इससे पूरी लोकतंत्रीय संरचना को पुलिस तथा कई सैनिक शक्तियों के विद्रोह के कारण खतरा पैदा हो गया है।

पुलिस तथा सी. आर. पी. का वर्तमान उपद्रव शासकीय अयोग्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे सरकार के कठिन परिस्थितियों से निपटने तथा किसी भी आन्दोलन को नियंत्रण में करने की असमर्थता का परिचय मिलता है। इससे सरकार की ऐसी समस्या के प्रति पूर्णतः उदासीनता बरतने का पता चलता है जो पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही थी। जो बोकारो-इस्पात शहर में 24 जून को अथवा जड़ौदा कलां, दिल्ली मे जून के अन्त में भयानक रूप में सामने आई है।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं 1977 के अन्त में पुलिसकर्मियों की शिकायतों का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने अपनी प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट को 7 फरवरी में सरकार को दिया था। यद्यपि इस प्रतिवेदन की 6,000 प्रतियां छपी थीं, लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय इस प्रतिवेदन को देख तक नहीं सके। यह प्रतिवेदन आलमारियों में पड़ा रहा और मई में पुलिस आंदोलन विस्फोटक के रूप में सामने आया। जो पुलिस द्वारा एक अकाली विधायक के खिलाफ विद्रोह के रूप में पंजाब से प्रारम्भ हुआ। पंजाब सरकार ने पुलिसकार्मिकों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाकर इस विद्रोह को शीघ्रता से नियंत्रित कर लिया है। इसके बाद यह विद्रोह गुजरात में किया गया जो प्रधान मन्त्री तथा श्री एच. एम. पटेल का अपना राज्य भी है। यहां पर राजकोट तथा भावनगर में राज्य पुलिस ने विद्रोह किया। इसके पश्चात यह विद्रोह देश के अन्य विभिन्न राज्यों में भी फैल गया।

6 जून को गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। पुलिस आयोग की आधारभूत सिफारिशों में से एक शिफारिश यह थी कि पुलिस कार्मिकों की एसोसियेशनों को मान्यता दी जाए। उनको एसोसियेशन बनाने का अधिकार दिया जाये। विभिन्न राज्यों में उपद्रव होने के पश्चात ही गृहमंत्री ने 6 जून को विभिन्न मुख्य मंत्रियों को बुलाया तथा उनके सामने पुलिस को शांत रखने के बारे में भाषण दिया। जब वे उनको पुलिस बल को व्यवस्थित रूप में रखने के बारे में बता रहे थे उसी समय उनके गृह मंत्रालय से गुप्तचर विभाग को यह मालूम नहीं थी कि स्वयं उनके कर्मचारियों में भी आंदोलन की लहर व्याप्त है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होने अपने निम्न श्रेणीं के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार विमर्श करने के लिए सी. आर. पी. के स्टाफ काउन्सिल की 18 जून को एक बैठक बुलाई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री चह्वाण के निवास स्थान दिल्ली में 400 पुलिस कार्मिक पहुंचे थे।

श्री सौगत राय : इस पर चर्चा की जायेगी।

तीन दिन के पश्चात् सी० आर० पी० ने त्रिवेन्द्रम में कार्य करना बन्द कर दिया, उसके बाद दोबारा भुवनेश्वर में यह उपद्रव फैल गया, जिसमें अच्छे वेतन तथा सेवा शर्तों की मांग की गई। भुवनेश्बर में सी० आर० पी० के जवान हड़ताल करने लगे। लेकिन गृह मंत्री ने उस समय तक सी० आर० पी० के जवानों की शिकायतों की शीघ्रता से हल करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 6 जून को बुलाया गया लेकिन 18 जून तक भी इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। इसके बाद ही बोकारो की भयंकर घटना हुई जिसमें एक सेना बल को दूसरे सहायक सेना बल को क्रूरता के साथ दबाने के लिये उपयोग में लाया गया। इस घटना में सी० आई० एस० एफ० के 24 कार्मिक मारे गये थे। देश के इतिहास में मुश्किल से ही ऐसी घटना घटी होगी।

1973 में इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में घटी थी। श्री कमलापति त्रिपाठी को उस समय त्यागपत्र देना पड़ा था। लेकिन अब इसी प्रकार की घटना बोकारो में

होने पर गृह मन्त्री ने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। उन्होंने इस पर अपनी विफलता महसूस नहीं की है तथा शिष्टाचार के नाते प्रधान मन्त्री को अपना त्यागपत्र नहीं दिया है।

मुझे मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी शंकायें व्यक्त की है। श्री चरणसिंह ने 26 जून के आसपास प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा था कि इस मामले को बहुत ही गलत तरीके से लिया गया है। इस मामले पर चर्चा करने के लिये मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक भी बुलाई गई थी। इस सम्बन्ध में 'इण्डियन एक्सप्रेस' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि मंत्रिमंडल की बैठक में श्री बहुगुणा तथा श्री पटेल के बीच झड़पें हुई। जिसमें श्री बहुगुणा ने यह भी कहा कि पुलिस आंदोलन को रोकने के लिये सही तरीके से कार्यवाही नहीं की गई है। इस रूप में देश की सबसे गंभीर समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया है।

पुलिस कार्मिकों का आंदोलन अप्रैल के महीने से चल रहा था लेकिन जून तक कोई निर्णय नहीं किया गया तथा 26 जून को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केवल सी० आर० पी० की शिकायतों को हल करने का प्रयास किया। इसलिये यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सी० आर० पी० के जवानों की मांगों के बारे में सबको पहले से ही मालूम था। दिल्ली के झड़ौदा कलां में सी० आर० पी० के एक जवान ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि अंतिम समय पर उसको अपनी शादी पर जाने की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। जब उससे वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चों के कपड़ों को धोने का काम लिया जाना था। इन सभी शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। उस समय राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन भी मौजूद था लेकिन गृह मंत्रालय ने कोई भी कार्य न करने का निश्चय कर लिया था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गृह मन्त्री पुलिस कार्मिकों में अनुशासनहीनता की बात करते हैं तथा सी० आर० पी० की विभिन्न यूनिटों को समाप्त करने की बात करते हैं तथा सी० आर० पी० की त्रिवेन्द्रम तथा भुवनेश्वर वाली दो यूनिटों को समाप्त किया जा चुका है। बोकारो स्टील सिटी की सी० आई० एस० एफ० यूनिट को समाप्त किया जा चुका है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब सरकार मे ही अनुशासनहीनता व्याप्त है, तो यह ऊपर से ही नीचे के लोगों में फैलता जा रहा है। और इस प्रकार देश के प्रजातांत्रिक आवरण को कमजोर कर रहा है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि एक प्रजातांत्रिक ढांचे वाले देश में क्या एक सैन्य बल को दूसरे सहायक सैन्य बल को दबाने के लिए उपयोग में लाना न्यायोचित है ? प्रश्न यह है कि यदि सेना को अपने ही भाइयों को गोली से मारने की छूट दी जाती है तो क्या प्रजातांत्रिक ढांचे को कायम रखा जा सकता है। इन सब बातों की जिम्मेदारी लेने के लिये किसी व्यक्ति को सामने आना चाहिये। इसलिये मेरी प्रथम तथा अन्तिम बात यह है कि बोकारो स्टील सिटी में जो भयंकर घटनायें हुई हैं, उन परिस्थितियों से निपटने में अयोग्यता के लिये, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा सी० आई० पी० स्टाफ काउंसिल से बातचीत करने तथा पुलिस कार्मिकों की एसोसियेशन को मान्यता देने में हुए विलम्ब के लिए गृह मन्त्री को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहिये। इन सब की उन्हें जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए तथा त्यागपत्र देना चाहिये। इस समय श्री एच० एम० पटेल गृह मन्त्री हैं। एक समय था

जब इस पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति विराजमान थे ये। एक दूसरे पटेल हैं जो सी. आई. एस. एफ. के आन्दोलन को सेना की गोलियों से दबाना चाहते हैं, जिसमें सी. आई. एस. एफ. के 24 जवान तथा दिल्ली के झड़ौदा कलां में तीन जवान मारे गये। आप वहां पर मौजूद थे। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में सेना ने सी. आर. पी. के कार्यभार को संभाल लिया है। ऐसा प्रतीत होता था कि देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो रही है तथा सेना कार्य भार संभालेगी। क्या यह सरकार जनता पर यही प्रभाव डालना चाहती है ? मैं जानता हूं कि श्री समर मुखर्जी ने इस सम्बन्ध में अधिक कठोर रवैया नहीं अपनाया है। मैं उस बात को समझ सकता हूं। लेकिन इसके पश्चात् उन्होंने भी बाध्य होकर सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने गृह मन्त्री से त्यागपत्र देने की मांग नहीं की है क्योंकि उनकी मित्रता है। (व्यवधान) पुलिस कार्मिकों का आंदोलन समझने योग्य है लेकिन साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों को आंदोलन की बात समझ में नहीं आती है। यदि वे पुलिस कार्मिकों की बात का समर्थन करते हैं तो उन्हें दोषी पक्ष के बारे में भी बताना चाहिये, उन्हें केन्द्रीय सरकार के इस स्थिति से गलत तरीके से निपटने के बारे में बताना चाहिये। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को पुलिस आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर पुनः विचार करना चाहिये। देर से सही, लेकिन सरकार 28 जून को यह घोषणा कर चुकी है कि पुलिस कार्मिकों को बहुत सी सुविधायें दी जायेंगी जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। लेकिन बात यह है कि देश भर में पुलिस कार्मिक अमानवीय परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है। बोकारो स्टील सिटी से कुछ व्यक्ति अपनी शिकायतों को लेकर यहां पर आये थे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। क्या यह इस बात के समान ही नहीं हैं जबकि श्री जार्ज फर्नान्डीज को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि वे दिल्ली में रेलवे हड़ताल से पूर्व श्री ललित नारायण मिश्र से बातचीत करने के लिये आये थे। इस सरकार ने भी वही बात दोहराई है। उस समय गलती की गई थी लेकिन अब इसको दोहराया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाय। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्री एच. एम. पटेल को झड़ौदा कलां में पुलिस बैरक्स में जाना चाहिये। जैसा कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री लाल बाजार में जाते हैं, जहां पर उनको 'वामपंथी सरकार अमर रहे' का अभिवादन दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उस सीमा तक राजनीति में भाग लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस कार्मिकों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक निपटाना चाहिये। इसलिये मेरी यह मांग है कि जब सदन स्थगित हो चुका है, तो गृहमन्त्री ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया है अथवा वे अपना त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। पुलिस आंदोलन पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायी गई थी, लेकिन प्रधान मन्त्री महोदय ने इस बैठक में उपस्थित होने की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ? प्रधान मन्त्री प्रत्येक मामले पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन जब अर्ध सैन्य बल अपना संघर्ष कर रहे थे तो प्रधान मन्त्री जी ने इस मामले पर मुख्य मन्त्रियों के साथ भी चर्चा करने की कोई परवाह नहीं की। अतः दो वर्षों से अत्यधिक उपेक्षा करने तथा जनता पार्टी एवं सरकार के उच्च अधिकारियों की नितान्त अयोग्यता के कारण जो अब छोटे अधिकारियों में भी फैल गया है तथा

साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के लोगों द्वारा समर्थन देने के कारण जनता पार्टी को इस मामले को इस रूप में निपटाने का प्रोत्साहन मिला है, इसी कारण से यह पुलिस उपद्रव उत्पन्न हुआ है।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के पेचीदा और संवेदनशील विषय को जिस रूप में आज सदन में उठाया गया है वह न केवल बुरा है बल्कि इनको स्थगन प्रस्ताव के रूप में जो रखा गया है इसलिये यह और भी बदतर है। यह और भी बदतर इस रूप में है कि इस स्थगन प्रस्ताव को मेरे माननीय मित्र श्री समर मुखर्जी द्वारा पेश किया गया है। हालांकि मैं एक मार्क्सवादी नहीं हूं लेकिन प्रत्येक वस्तु के उद्देश्य की सूझ-बूझ के लिये मैं उनका आदर करता हूं।

पुलिस, सी. आर. पी., बी. एस. एफ. आदि के आन्दोलन तथा सेना और सी. आर. पी. के बीच मुठभेड़ के कारण देश में यह स्थिति और उत्तेजित हुई है। इस समय स्थिति कितनी गम्भीर बनी हुई है? मेरा विचार है कि हममें से कोई भी स्थिति की गंभीरता को नजर अन्दाज नहीं कर सकता अथवा इसकी गंभीरता को कम नहीं कर सकता। यदि आज हम सहायक सेनाओं अथवा रक्षा सेनाओं के इस मामले पर किसी पक्षपात रूप में विचार करते हैं तथा यदि हम इस मामले पर सरकार पर कोई आक्षेप लगाकर विचार करते हैं तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिये कि इसके कुछ और भी परिणाम हो सकते हैं। ऐसी आग भड़क सकती है जो न केवल जनता पार्टी को समाप्त कर देगी बल्कि हम सभी को समाप्त कर देगी। चर्चा के दौरान श्री सौगत राय ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें नहीं करना चाहिये था। उन्होंने हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को किन्हीं अन्य शक्तियों द्वारा अपने हाथ में लेने की बात कही है। मैं इसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। यही नहीं, मेरे माननीय मित्र श्री समर मुखर्जी ने भी गुस्से में कहा है कि जनता पार्टी ने पुलिस, सी. आर. पी. इत्यादि के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी है। यदि वास्तव में ही उनका देश भक्ति का उद्देश्य होता, यदि वे वास्तव में ही पुलिस, सी. आर. पी. इत्यादि की शिकायतों को दूर करना चाहते हैं तो वे सभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाते। वे इस विषय पर चर्चा करने के लिये प्रधान मन्त्री जी से विपक्ष के सभी नेताओं की बैठक बुलाने के लिये कहते।

यह पग सैनिक बलों का मामला है। यह किसी एक का मामला नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मामला है। यह केवल देश की सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं है, अपितु यह हमारे देश में लोकतंत्र के भविष्य का भी प्रश्न है। बेहतर तो यह होता कि यदि हमने इस मामले पर इस सभा में एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा न करके देशभक्ति के प्रयोजन से चर्चा की होती।

हम पुलिस की शिकायतों को दूर करने की बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या उनका कहना सही है? दिल्ली में 1967 में क्या हुआ कि अनेक पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और बर्खास्त किए गए। 1973 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 26 पी. ए. सी. कर्मचारी और 30 सेना कर्मचारी मारे गए। वे अब हमारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भविष्य में हमें पुलिस, सी. आर. पी. और अन्य लोगों द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था को शांत करने के लिए सेना को बुलाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उन लोगों से पूछता हूं, जो इस बारे

में बात कर रहे थे। क्या आपने उत्तर प्रदेश में सेना नहीं बुलायी थी ? क्या आपने सेना इसलिए नहीं बुलायी थी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कि वे बन्दूकें प्रयोग में ला रहे थे, कि वे आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, कि उन्होंने हथियार डालने से इन्कार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 पी, ए, सी. कर्मचारी मारे गए और 30 सेना कर्मचारी मर गए। यह स्थिति अच्छी नहीं है कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा।

जो लोग आलोचना कर रहे हैं—श्री सौगत राय एक नए सदस्य हैं और शायद उन्हें यह पता नहीं या याद नहीं है कि क्या हुआ है—वे हमारी सरकार की आलोचना कैसे करते हैं क्योंकि सेना बुलायी गयी थी ? मैं इसे न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं परन्तु उनके पास भी इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने मित्र श्री समर मुखर्जी से पूछता हूं कि 1969 में क्या हुआ था जबकि 50 पुलिस कर्मचारी ज्ञापन देने के लिए विधान सभा गए तो उन्हें कुत्तों की तरह पीटा गया। इतना ही नहीं, सैकड़ों पुलिस कर्मचारी निलंबित किए गए और सैकड़ों अनुच्छेद 311 के अधीन बर्खास्त किये गए। इन पुलिस कर्मचारियों को अपना बचाव करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया ? उन्हें बर्खाश्त क्यों किया गया ? इतना ही नहीं। जब उनके दल ने इसे प्रायोजित किया तब पुलिस संगठन भंग किया गया और पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता दी गई।

वे इसके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में क्या हुआ है ? वहां वे किस ढंग से पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं, वहां किस तरह से जन आन्दोलनों को कुचला जा रहा है, किस तरह से सैकड़ों लोगों की हत्या की जा रही है। लोगों को तितर-बितर करने के लिए लगभग 4000 पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले को एक भिन्न रूप में लिया जाना चाहिए था।

श्री समर मुखर्जी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पुलिस कर्मचारियों की वास्तविक तथा वैध शिकायतों के प्रति पूर्णत: उदासीन है। मैं श्री मुखर्जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 77 वर्ष के बाद पहली बार जनता सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया है, जो सभी शिकायतों तथा मामलों का अध्ययन करेगा। (व्यवधान) इससे पूर्व कोई ऐसा राष्ट्रीय आयोग गठित नहीं किया गया, कांग्रेस शासनकाल में और न ब्रिटिश शासनकाल में। केवल जनता सरकार ने ही उसकी स्थापना की है।

इसमें रक्षा की कोई बात नहीं है। पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों की बहुत सी शिकायतें हैं और उन सबके बारे में एक प्रश्नावली भेजी गई थी जिसमें सभी समस्याएं सम्मिलित की गई थीं - और उन्होंने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वित्त आयोग ने भी विशेष आवंटन किया है—पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक संगठनों की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त अनुदान।

आप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, पुलिस तथा अन्य संगठनों के बारे में गुप्त रिपोर्टें एकत्र करने का आरोप लगा सकते हैं कि जनता सरकार को इस मामले में अधिक धैर्य तथा चातुर्य प्रदर्शित

करना चाहिए। परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि जनता सरकार ने पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की समस्याओं के बारे में कठोरता बरती है।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रियों की बैठक में उन समस्याओं पर चर्चा हुई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार उनकी शिकायतों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर देने के लिए एक संगठन को स्वीकार करने को तैयार है। कांग्रेस (इ) तथा सी. पी. आई. ने बहुत से स्थानों पर पुलिस को भड़काया। हर स्थान पर या तो उन्होंने भड़काने का कार्य किया अथवा इसे समर्थन दिया। वे खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मैं अपने साम्यवादी मित्रों को चेतावनी देता हूं कि वे खतरनाक खेल खेल रहे हैं जिस समय कि देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जनता सरकार को पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य संगठनों से पूरी सहानुभूति है।

जो लोग सेना बुलाना चाहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं। निस्संदेह मैं इस पर प्रसन्न नहीं हूं, इस पर कोई भी खुश नहीं होगा। परन्तु बोकारो में क्या हुआ? वे शस्त्रागार समर्पण करने को तैयार नहीं थे। जब सेना शस्त्रागार को अधिकार में लेने गई तो किसने पहले गोली चलाई? ऐसे हालात में सेना क्या कर सकती है। 1973 में उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस ने पी. ए. सी. के विरुद्ध सेना का उपयोग किया तो परिस्थिति इतनी गम्भीर नहीं थी। मैं मानता हूं कि सेना नहीं बुलाई जानी चाहिये उसे अन्तिम उपाय के रूप में ही उपयोग में लाया जाना चाहिये। परन्तु जब बर्दी वाले अर्द्ध सैनिक संगठन विद्रोह कर देते हैं और शस्त्रागार समर्पित करने से इंकार करते हैं तथा विद्रोह की चुनौती देते हैं तो सरकार क्या कर सकती है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

प्रो० समर गुह: अन्त में मैं सरकार से अपील करता हूं कि जब आंदोलन समाप्त होता है जब हड़ताल कर रहे पुलिस कर्मचारियों की समझ में आ जाये तब उनकी समस्या को सहानुभूति पूर्वक निपटाया जाये, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के मामलों को जो गम्भीर हिंसा की घटनाओं के दोषी नहीं हैं।

श्री सी. एम. स्टीफन (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह विडम्बना है कि यह सत्र इस तरह के स्थगन प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ है।

प्रो० समर गुह ने इस मामले पर चर्चा करने के औचित्य पर संदेह व्यक्त किया है, प्रस्ताव तैयार किये जाने के प्रकार पर भी यहां चर्चा की गई। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव सभा में विभिन्न वर्गों की भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं इसीलिए जब अनुमति मांगी गई तो किसी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की। इससे प्रकट होता है कि पार्टियों को महत्व न भी देते हुए यह भावना है कि सभा इस मामले पर चर्चा करे। यह मैंने श्री समर गुह की आपत्ति के उत्तर में कहा है।

इससे पूर्व कि मैं आगे बढ़ूं मैं एक दो बातों का उत्तर देना चाहता हूं। मैं सभी बातों का उत्तर नहीं दूंगा। उन्होंने पुलिस आयोगों का उल्लेख किया है। वे गठित किए गए पुलिस आयोग

के कार्य-क्षेत्र को नहीं समझते । उसका कार्य-क्षेत्र व्यापक था । जिस उद्देश्य के लिए श्री चरण सिंह ने पुलिस आयोग की नियुक्ति की थी वह पूरी पुलिस शक्ति का पुनर्गठन करना था । यह पुलिस आयोग पहली बार नहीं बनाया गया । 1967 में खोसला आयोग नियुक्त हुआ था । उसकी रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं तथा सुझाव क्रियान्वित हुए थे । यह बात नहीं है कि भूतपूर्व सरकार पुलिस बल के बारे में चिंतित नहीं थी मुझे यही कहना है ।

इस समय हम अत्यंत गम्भीर राष्ट्रीय समस्या पर विचार कर रहे हैं । मैं दो पहलू लेना चाहता हूं । हम उत्पन्न हुई इस स्थिति की गम्भीरता पर ध्यान दें । पुलिस में इक्की दुक्की हड़तालें तथा आंदोलन होते रहे हैं । कुछ क्षेत्रों में यह घटनाएं हुई परन्तु वह वहीं दबा दी गई, उसे फैलने नहीं दिया गया । परन्तु यह पहला अवसर है कि पूरे देश में पुलिस हड़ताल पंजाब से केरल तक, फैल गई है और इसके अन्तर्गत नियमित पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस—सभी हड़ताल से प्रभावित हैं । परिणामस्वरूप जनता में भय तथा आतंक फैल गया है । परन्तु वास्तव में क्या हो रहा है । सर्वत्र भय व्याप्त हो रहा हैं । हमें उसे भूलना नहीं चाहिए । मुझे इस बारे में अधिक चिंता है क्योंकि इससे देश की स्थिति का पता चलता है । जब पुलिस हड़ताल कर देती है, सेना सामान्य व्यवहार त्याग देती है, तब देश के नेतृत्व को इस बारे में सतर्क होना चाहिए । जब तक दम नहीं घुट जाता सशस्त्र सेनाएं इस प्रकार आंदोलन का रास्ता नहीं अपनातीं, जैसा कि हमारे देश में हुआ है । ऐसा होना नहीं चाहिए था । परिस्थिति के बहुत बिगड़ जाने से ऐसा हुआ है । मूल्य बढ़ रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन गिर रहे हैं, देश की राजनीतिक सत्ता शिथिल हो रही है, प्रशासनिक क्षमता न्यून होती जा रही है ।

सब स्थानों पर यही स्थिति है और पश्चिम बंगाल, जहां पर साम्यवादी दल सत्तारूढ़ है, से विस्थापित लोग पड़ोसी देशों को जा रहे हैं । कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह दावा न करता हो कि उसके सिवा सब दोषी हैं । सब तरफ व्यवस्था समाप्त हो गई है इस प्रवृति के कारण पुलिस बल ने यह रवैया अपनाया है । पूरे देश में पुलिस बल को श्रमिक सं ठन के रूप में गठित होने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते । यह स्थिति पूरे देश में बिगड़ी हुई स्थिति की द्योतक है और राष्ट्रीय संदर्भ में नेतृत्व के लिए चुनौती बन गई है ।

यह परिस्थिति उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारी न निभाने से पैदा हुई है । यह राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ी कुसेवा है । औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल हो रही है । हो सकता है कि उनकी शिकायतें उचित हों । कुछ ऐसी शिकायतें भी हो सकती हैं जो न्याय संगत नहीं हैं और हड़तालों के दबाव में शिकायतें दूर होती हैं । कई बार शिकायतें काल्पनिक और अनुचित होती हैं जो कि हड़तालों के बावजूद पूरी नहीं होतीं । वर्तमान स्थिति विचित्र है जिसमें प्रधान मन्त्री ने स्वीकार किया है कि शिकायतें वास्तविक हैं । सभी ने यह बात स्वीकार की है । प्रधान मंत्री का कथन है कि उन पर ध्यान दिया जा सकता है । परन्तु हड़ताल के दबाव से नहीं । शिकायतों के औचित्य से किसी ने इंकार नहीं किया । श्री समर गुह ने पुलिस आयोग का उल्लेख किया है जिसकी रिपोर्ट कुछ महीने पूर्व प्राप्त हुई थी और जिसमें शिकायतों को दूर किये जाने के लिए कहा गया है । पुलिस बल की शिफारिशों के बारे में पता चल गया था । महीने गुजरते गए । सरकार ने कार्यवाही नहीं की ।

सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का कोई संकेत नहीं था। इन हालात में उन्हें हड़ताल करनी पड़ी, जो चिंगारी की तरह फैल गई। यह घटना पंजाब में घटी। कारणों में मैं जाना नहीं चाहता।

अब यदि उचित शिकायतें होंगी, तथा उन्हें सरकार वैध मानती है, और पुलिस आयोग ने उन्हें वैध मना है तो सरकार को उत्तर देना होगा कि उन शिकायतों को दूर क्यों नहीं किया गया? तथा ऐसे हालात क्यों पैदा होने दिये गए। आंदोलन शुरू होने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। पंजाब ने आपको चेतावनी दे दी थी। क्या आपने दखल देकर उसे रोका? क्या उन्हें बताया गया कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार बहरी है। प्रधान मंत्री आंखें होते हुए भी देखते नहीं। देश के हालात का उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। भारत जैसे बड़े देश के लिए प्रधान मंत्री का ऐसा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ भी होता रहे उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। परिणामस्वरूप वह हड़ताल को रोक नहीं सके। उनके नेतृत्व में गृह मंत्री जो यह समझते हैं कि शिकायतें सही हैं, वह घटनाओं को अपनी दृष्टि से देखते हैं। वह समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इसीलिए अलीगढ़ में उपद्रव हुए।

यही कारण है कि ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। हमारे देश के गृह मन्त्री का नौकरशाही रवैया है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। नहीं तो हमारी समस्याएं कदापि हल नहीं होंगी। मैं गृह मंत्री से त्यागपत्र नहीं मांग रहा हूं। मैं उनसे त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहूं? वास्तविक जिम्मेदारी प्रशासन की है। और इसके लिए प्रधान मंत्री ही जिम्मेदार हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन घटनाओं को घटित होने से रोका जा सकता था? उनकी शिकायतों को दूर करके इन घटनाओं को रोका जा सकता था। दूसरे जब ये घटनाएं हो ही गई थीं तो क्या उन्हें दबाया जा सकता था? निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता था। किन्तु उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया। परिणाम यह निकला कि इस तरह की स्थिति समूचे देश में फैल गई, इस स्थिति को संभाला जा सकता था। इसे बढ़ने से रोका जा सकता था। किन्तु सरकार ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। उनका कहना है कि मुख्य मंत्रियों को एक जगह बैठक के लिए बुलाने हेतु 10 दिन पहले सांविधिक सूचना देना आवश्यक है।

समझ में नहीं आता कि क्या युद्ध जैसी स्थिति में उनका ऐसा कहना उचित है। मुख्य मंत्रियों को इसलिए नहीं बुलाया जा सका क्योंकि उनको बुलाने के लिए इतने दिन पहले सूचना भेजनी आवश्यक थी और दूसरी ओर देश ऐसी विकट परिस्थिति से गुजर रहा था। सरकार का ऐसी स्थिति के प्रति यह रवैया रहा है। मेरा आपसे यही निवेदन है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार बहुत देर से सचेत हुई है। लोगों ने कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस को उकसाने में प्रधान मन्त्री का भी हाथ है क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी शिकायतें हैं लेकिन मैं उन शिकायतों को तब तक नहीं सुनूंगा जब तक कि वे उन्हें वापस न ले लें। पंजाब में ऐसा ही हुआ। अन्ततोगत्वा लोगों ने विरोध किया जो कि अब भी चल रहा है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस संघर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार ही

जिम्मेदार है। और इस स्थिति को केवल इसी ढंग से नहीं निपटाया जाना चाहिए मानो कि केवल पुलिस वालों का ही दोष हो। अतः समस्या सुलझानी है और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें पुलिस वालों के विरुद्ध बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। मैं उनकी मांगों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। जो बातें उचित हों उन पर विचार किया जाना चाहिए। मुझे केवल इतना ही कहना है। एक बात और है कि जब पुलिस हड़ताल करती है तो आप केन्द्रीय आरक्षित पुलिस को बुला लेते हैं, जब केन्द्रीय आरक्षित पुलिस हड़ताल करती है तो आप सीमा सुरक्षा बल को बुला लेते हैं और जब सीमा सुरक्षा बल हड़ताल करता है तो आप किसी और बल को बुला लेते हैं। फिर आप सेना बुलाते हैं। और जब सेना कह देगी कि हम यह काम नहीं करेंगे तो फिर आप किसे बुलायेंगे? अतः इस तरह आप जो बार-बार सेना बुलाते हैं और उन्हें अन्य पुलिस बलों पर गोली चलाने के लिए कहते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। एक समय ऐसा आयेगा जब सेना कहेगी कि आप लोगों को सत्ता में रखने के लिए हम अपने ही भाइयों पर गोली क्यों चलायें।

श्रीमान्, यह सिविल प्रशासन, प्रशासनिक प्रत्याधिकार, राजनीतिक प्राधिकार का पतन है। कुल मिलाकर यह भारत सरकार का पतन है। जिसकी बदौलत आज देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः मैं सरकार के किसी अंग को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं प्रधान मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय विपदा और उसका सही ढंग से सामना करने के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। इस राष्ट्रीय विपदा के फलस्वरूप देश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो कि देश के लिए नष्टकारी सिद्ध होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई पूर्व-उत्तर) : श्रीमान, मैंने अभी अभी विपक्ष के नेता के रूप में श्री स्टीफन का घिसा पिटा भाषण सुना। इस समूचे वाद-विवाद का इस स्थगन प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं नजर आता। क्योंकि विपक्ष के पास सरकार पर दोष लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि एक बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। ऐसा हुआ है लेकिन यह अभूतपूर्व नहीं हैं। 1966-67 में ऐसी ही घटना दिल्ली में हुई थी। 1973 में ऐसी ही घटनाएं उत्तर प्रदेश के छः सात शहरों में हुई थी और उस समय न केवल सेना का ही उपयोग किया गया अपितु हेलीकोप्टरों तथा प्रक्षेपास्कों का भी उपयोग किया गया था। उस समय ऐसी घटनाओं में मरने वालों की संख्या आज से कहीं अधिक थी। वर्तमान घटनाओं में तो कुल मिलाकर 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जब कि उस समय अकेले उत्तर प्रदेश में 37 व्यक्तियों की जानें गई थीं। (व्यवधान)

मेरा कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी घटना है, जिस पर दोष निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है बल्कि इससे राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा की जा रही है। फिर यह स्थगन प्रस्ताव किस बारे में है? सरकार ने कार्यवाही की है और स्थिति को काबू में किया है। आज देश के किसी भाग में किसी प्रकार का विद्रोह आदि नहीं है। यहां तक कि केरल में भी स्थिति अब सामान्य है, जहां श्री स्टीफन के लोगों ने गड़बड़ करवाई थी। इसलिए अब प्रश्न यह है कि वे सरकार में कौनसा दोष निकालना चाहते हैं। सरकार स्थिति पर नियंत्रण कर चुकी है।

आपका कहना है कि सरकार ने बर्बरता से काम लिया है। श्री मुखर्जी ने सरकार की ऐसा कहकर आलोचना की है। निस्संदेह हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार क्या कर रही है। पुलिस की तो बात क्या करनी है, मरीची आपी के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। उन्हें सतर्कता की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें यह बात स्वीकार करनी होगी। श्रीमान देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सरकार ने कम से कम पुलिस बल का सहारा लेकर इस स्थिति को मजबूती से निपटाया है। आम देश में पुन: सामान्य स्थिति कायम कर दी गई है, क्या अब भी इस स्थिति के लिए सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है? ज्योंही जनता सरकार सत्ता में आई और विधान सभाओं के चुनाव हुए, राज्यों के मुख्य मंत्रियों का अगस्त माह में एक सम्मेलन बुलाया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए पुलिस बल में सुधार लाने के लिए कहा था। अत: ज्योंही जनता सरकार सत्ता में आई, हमने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया। 1977 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना 77 वर्षों के पश्चात की गई। (व्यवधान) यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि पुलिस आयोग का क्या लाभ है। इससे क्या लाभ होने वाला है आदि। मेरे मित्र श्री सौगत राय आज पुलिस वालों की बात करते हैं।

पुलिस वालों की एक मांग आवास की है। और इस बारे में जनता सरकार ने क्या किया है। इस समय कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि छठी पंच-वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय, पुलिस कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए रखी गई, धनराशि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में निर्धारित की गई 23 करोड़ रुपये की धनराशि के मुकाबले 105 करोड़ रुपये है। यहां जनता-सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत-बहुत समय पूर्व उठाया जाना चाहिए था, परन्तु उठाया नहीं जा सका। हमने अब यह कदम उठा लिया है और गृह-मन्त्री महोदय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस आबंटन को गैर-योजनागत खर्चे में से, कैसे बढ़ाया जाये। जनता सरकार ने मकानों के लिए गैर-योजना साधनों से 90 करोड़ रुपये अलग निकालकर रख दिये हैं। अत: इसी क्षेत्र में हमने इतना कुछ किया है। इसी पर तो यहां चर्चा होनी चाहिये थी। हम इस बात पर विचार-विमर्श कर सकते हैं कि हम कैसे इसके लिये अधिकाधिक धन का प्रावधान करें. हम इस मुद्दे पर चर्चा चला सकते हैं कि हम पुलिस वालों की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। पुलिस वाले कोई जनता सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर रहे हैं और न ही वे इस देश में बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, अपितु वे तो यह चाहते हैं कि उनकी मुख्य मांगों को मान लिया जाये। यही सब कुछ तो हमें करना चाहिये था और वही कुछ हम कर भी रहे हैं। आज का विद्रोह तो विलम्बित निर्णय के कारण सारभूत भारभूत का प्रस्फुटन है। जनता सरकार तो पिछले दो वर्षों से ही कुछ अधिक समय से तो सत्ता में है और तभी से वे इस विलम्बित निर्णय के भारभूत को दूर करने के उपाय करते रहे हैं। सच तो यह है कि आज से 77 वर्ष पूर्व जो अन्तिम पुलिस आयोग गठित किया था उसने उन पुलिस कांसटेबलों (सिपाहियों) की स्थिति पर कोई विचार नहीं किया जो कि कुल पुलिस बल का

92 प्रतिशत होते हैं, अपितु उन्होंने तो केवल उप-निरीक्षकों आदि के रुतबे में ही सुधार लाने पर विचार किया था। और जो पुलिस आयोग हमने नियुक्त किया है उसने सिपाहियों (कान्सटेबलों) की कार्य-अवस्था पर भी विचार किया है। आज पुलिस का सिपाही भी आकाशवाणी का आनन्द ले रहा होगा और वह यह जानने का इच्छुक होगा कि उसकी मांगों को पूरा करने के संसद सदस्य कितने इच्छुक है। स्टीफन द्वारा श्री एच० एम० पटेल के त्याग-पत्र की मांग के प्रति या श्री समर मुखर्जी के सरकार के तानाशाही सरकार करार देने वाली आलोचना के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है। उसका इन सब बातों से कोई लगाव नहीं है। उसकी इच्छा तो केवल इतना भर जानने की है कि उसकी मांगें कहां तक पूरी होती हैं। वह तो बस इतना ही जानना चाहता है और हम उतना ही उसे बताना चाहते हैं। हम समस्या से जूझ रहे हैं और कई कदम इस दिशा में हमने उठाये भी हैं। कुछ भी हो, आज का पुलिस-सिपाही एक दम बदला हुआ है। यद्यपि उसके लिए न्यूनतम अर्हता मैट्रिक पास होती है परन्तु आज स्नातक भी कई बार भर्ती हो जाते हैं और उनमें से बहुत से हैं भी। गत वर्ष अर्थात 1978 में दिल्ली में 52 स्नातक सिपाही थे। दिल्ली में एक पुलिस-सिपाही तो अपना शोधप्रबन्ध भी लिख रहा है। सिपाही तो सिपाही बना रह जाता है जबकि उपनिरीक्षकों के पदों के लिये सीधी भर्ती की जाती है और इसीलिये वह आन्दोलन कर रहा है। वह तो पदोन्नति की मांग कर रहा है। गृह-मन्त्री महोदय इस विषय में उठाये जाने वाले कदमों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने स्टाफ-परिषदों की स्थापना न केवल पुलिस में की है अपितु सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि में भी की है। वह स्टाफ-परिषदों के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस धर्मवीर, वृद्धा-धूस की पुलिस-आयोग का अध्यक्ष क्यों नियुक्त किया गया था ? आपने और किसी को उसके लिए नियुक्त क्यों नहीं किया ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : धर्मवीर की बात पर तो मैं सहमत हो सकता हूं परन्तु यहां इस संसद में वह इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। यहां पर तो उस एक बात का ध्यान रखना ही महत्वपूर्ण है। आज एक पुलिस का सिपाही केवल विधि एवं व्यवस्था का ही प्रभारी नहीं है, अपितु जनता में भी व्यवस्था बनाए रखने का काम भी उसी का है। (व्यवधान)। प्रश्न तो यह है कि आप आज एक सिपाही को क्या दर्जा देना चाहते हैं ? जबकि उसका कार्यभार ऊँचे-दर्जे का है, सेवा उसकी चतुर्थ श्रेणी की ही मानी जाती है। जब तक आप उसे एक ऊंचा रुतबा नहीं दे देते आप यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अपने कर्त्तव्य पालन में पूरा उतरे। उदाहरणार्थ, जापान में एक पुलिस सिपाही को एक औसत औद्योगिक मजदूर से 48 प्रतिशत अधिक वेतन मिलता है। आज तो एक सिपाही को मजदूर-संघों के कर्मचारियों के आन्दोलनों को कुचलने के लिए बुलाया जाता है और अन्तत: उसे यह ज्ञान हो जाता है कि यह हो क्या रहा है। वह देखता है कि आन्दोलन के बाद मजदूर-संघ की मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं। यही सब कुछ तो वे देखते हैं। अब तो हमें उनमें फिर से विश्वास जगाना होगा। संसद को उसमें वह अनुभूति जागृत करनी होगी कि हमने समस्या को जकड़ कर अपने पंजे में दबा लिया है, हमने उसकी समस्याओं को समझ लिया है और इस काम के लिये हम धन की बाट करके दे

रहे हैं। हमें यह देखना है कि जो सिफ़ारिशें की गई हैं उनको शीघ्रता से लागू किया जाये। यह कुछ तो पुलिस के सिपाही सुनना पसन्द करेंगे। अतः मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव का कतई भी कोई मूल्य नहीं है। यह तो एक गिलगिला व्यंग्य है। न ही तो उनके पास कोई तर्क है और न ही कोई बात उन्होंने प्रस्तुत की है। आज उन्हें करना तो यह चाहिए था कि घावों को मरहम लगाते। प्रस्तावक ने भी इसे बड़े ही हल्के और अनियमित ढंग से प्रस्तुत किया है और सारी बहस ही अनियमित रूप में चली है। धन्यवाद।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : महोदय, उन्होंने 'गिलगिला व्यंग्य' शब्द का प्रयोग किया है। मेरे मतानुसार यह असंसदीय भाषा है और हर कोई मेरी इस बात से सहमत होगा। महोदय, आप एक न्यायाधीश के रूप में अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : उसमें असंसदीय जैसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर राय : (गाजीपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में जब ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है, तो मेरी समझ में इस सदन को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। इस गम्भीर स्थिति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार न करके, एक गम्भीर समस्या के रूप में विचार करना चाहिये।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मान्यवर, पुलिस की जो घटना हुई है, यह इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके लिये किसी को प्रसन्नता नहीं है, इसलिये इस मामले पर बहस करने के लिये गम्भीरता की आवश्यकता थी, जिसकी अपेक्षा मैं विरोधी दलों में बैठे हुए सदस्यों से करता था। मैं समझता था कि इस मामले पर सौगत राय साहब नहीं बोलेंगे, बल्कि चह्वाण साहब बोलेंगे, क्योंकि आज की बहस को श्री समर मुखर्जी जैसे सीनियर मेम्बर ने शुरू किया था और वह यह समझते थे कि पुलिस जब हथियार लेकर खड़ी हुई तो हमको वहां मिलिट्री नहीं भेजनी चाहिये, बल्कि माल्यार्पण करनी चाहिये थी। इसलिये जो परिस्थिति पैदा हुई है - हमें उस परिस्थिति की गम्भीरता पर विचार करना है।

श्री मनी राम बागड़ी : परिस्थिति क्यों पैदा हुई···(व्यवधान)···।

श्री गौरी शंकर राय : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि पुलिस में यह बड़ा पुराना असंतोष था। अभी मेरे मित्रों ने बतलाया कि 77 साल के बाद पुलिस कमीशन बना। आज की परिस्थितियों में पुलिस के हालात पर कांस्टेंट रिवीजन करने की परम्परा दुनियां में है। हमेशा हर साल या दो सालों में सारी दुनियां में उनके हालात के सम्बन्ध में रिवीजन होता है। हमारे यहां उनकी इतनी तादाद बढ़ी, लेकिन 77 साल के बाद कमीशन बना। मुझे मालूम नहीं, स्टीफन साहब को किसी अन्य कमीशन की जानकारी हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई कमीशन नहीं बना जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार किया गया हो। सबसे कम उनको मिलता है। कर्नाटक की पुलिस की हालस अच्छी है और पंजाब की पुलिस की हालत तो बहुत अच्छी है।

आपके यहां अभी रिफार्म की बहुत जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक आइसोलेशन के तौर पर हमें इस चीज को नहीं देखना चाहिए। सब स्टेट्स के बारे में सोचना चाहिए और एक यूनीफार्मिटी इस मामले पर सारे देश में होनी चाहिए। सब लोगों को इस मामले पर बैठ कर सोचना चाहिए और एक हल निकालना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आर्डरली की हालत आज क्या है। यह आज का झगड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे मामले हुए हैं और बिहार में भी हमारे रामानन्द तिवारी जी ने, जो कि उनके प्रेसीडेंट थे, इस मामले को उठाया था। आर्डरली जो अफसर के घर में होता है, वह उसके बच्चों और बीबी के कपड़े धोता है, जिससे उसके अन्दर रिजन्टमेंट होता है लेकिन वह काम उसको मजबूरन करना पड़ता है। अब हमारी सरकार ने यह अनाउन्स कर दिया है कि इस आर्डरली सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं बड़े विश्वास से और जानकारी के आधार पर सरकार से कहता हूं कि आर्डरली सिस्टम खत्म होने के बाद भी आज भी वह है क्योंकि सिपाही को अपनी तरक्की के लिए अफसर की तरफ देखना पड़ता है। अगर इस तरह के एक भी केस में कोई एक्शन हो जाए, तो फिर डर पैदा हो सकता है लेकिन आज भी वही पुरानी जमींदारी और सामन्तशाही का बहुत बड़ा घृणित सबूत हमारे सामने है जिसको समाप्त करने के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिएं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिससे हमारे क्रान्तिकारी मित्र शायद एग्री नहीं करेंगे। न मालूम ये किस डेमोक्रेसी के हामी हैं? किस देश में पुलिस और हमारे समर मुखर्जी की तरह जूट मिलों या दूसरे मजदूरों का मुकाबला ट्रेड यूनियन के मामले में, किया जाता है। अगर ये पुलिस और उन वर्करों का एक दूसरे के मुकाबले ट्रेड यूनियन के मामले में करते हैं, तो इनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। पुलिस और दूसरे मजदूरों को डिफ्रेन्ट स्टेन्डर्ड पर डील करना होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं यह नहीं कहता कि उनको कोई आर्गेनाइजेशन जनता सरकार ने पुलिस कमीशन बनाया और पुलिस कमीशन के बनने के बाद, यह सही बात सुब्रह्मण्यम साहब ने कही है, हम लोगों ने, दोनों तरफ के बैठने वालों ने उसके क्वेश्चेनेयर का जवाब नहीं दिया। लोगों ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ...(व्यवधान)... माफ कीजिएगा कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप कभी ऐसे मामले में दिलचस्पी नहीं लेते। अभी फरवरी में कुछ रिकमेंडेशन्स उस कमीशन के आए हैं। सरकार ने उनके बारे में कुछ किया या करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा नहीं मानता कि एकदम से ऐसे मामलों पर कुछ कर दिया जाए। यह नाजुक मामला है और इसको नाजुक तरीके से डिस्कस करना चाहिए। सदन के जो इम्पोर्टेन्ट लोग हैं, उन लोगों को बैठा कर इस नाजुक मामले पर बहस करनी चाहिए लेकिन आज तो कुछ ऐसा लगता है कि एक दूसरे पर चार्ज लगा कर सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अभी समर मुखर्जी जी ने जो भाषण दिया, उससे ऐसा लगा जैसे कि उनको वेस्ट बंगाल की पुलिस पर बहुत गर्व है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल की पुलिस की हालत सारे देश की पुलिस से दयनीय है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) : अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि सदन के इम्पोर्टेन्ट लोगों को बैठा कर इस नाजुक मसले पर बहस करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि

क्या इस सदन में कुछ लोग इम्पोर्टेन्ट हैं और कुछ गैर-इम्पोर्टेन्ट हैं ?

श्री गौरी शंकर राय : अभी इन अपोजीशन के लोगों को कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये बोलने नहीं देंगे। ··· (व्यवधान) ··· मैं यह कह रहा था कि इस मामले पर एक कन्सेंसस की जरूरत थी और सारी तरफ के लोग आपस में बैठ कर इस पर विचार करते कि पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन्स के बारे में क्या किया जाए। जैसे उनकी हाउसिंग का सवाल है। सरकार ने उसको लिया है। एक बात मैं यह कह रहा था कि हमारे समर मुखर्जी साहब ने कहा कि वेस्ट बंगाल की पुलिस की हालत अच्छी है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि बड़ी दर्दनाक हालत उनकी है। अगर राशन की सब्सीडी को देखा जाए, तो हिन्दुस्तान में नहीं होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि उनकी ग्रीवेन्सेज को दूर करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। लेकिन उनको जूट मिलों और दूसरे वर्कर्स की तरह से प्रदर्शन करना चाहिए, जो लोग इस तरह की बात कहते हैं उनकी प्रजातन्त्र की भक्ति और देश भक्ति में मुझे सन्देह होता है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि आफत में सियासत न करें और इस मामले में पालिटिकिंग न करें। यह देश के लिए बहुत घातक होगा। इसमें राजनीति निकालने का प्रयास न करें। इसमें से राजनीति नहीं निकलेगी और अगर ऐसा किया गया तो देश खतरे में आ सकता है। बहुत उत्साह के साथ हमारे मित्र बात कह कर चले गये और लोग प्रसन्न हो गये। हमारे स्टीफन साहब ने जैसी कहावत है डेविल कोट्स ··उसे क्या कहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : दि स्क्रिपचर्स।

श्री गौरी शंकर राय : उसको छोड़ दीजिए। क्या वे इतने सीरियस इस डिबेट के बारे में हैं, प्रजातन्त्र के लिए हैं ? वे उठ कर चले गये।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : उनका फोन आया था।

श्री गौरी शंकर राय : मेडम का फोन आया था। हमारे बहुगुणा जी इसके मूर्तिमान रूप हैं। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली थी कमलापति जी की और हवाई जहाज से बमबार्ड करने वाले जहाज राम नगर के ऊपर से उड़ रहे थे, इनको मालूम नहीं है। इस मामले में पहले भी हम सब एक थे और आज भी हम सबको एक होना चाहिए। मैं उस समय की बात इसलिए नहीं कहता हूं कि अगर उस समय यह घटना हुई तो अब भी होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। ऐसी नाजुक घटनाओं को हमें सोच समझकर हल करना चाहिए, उनसे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और सरकार से भी निवेदन करूंगा।

सरकार ने पुलिस वालों के लिए कुछ सुविधाओं को अनाउन्स किया है। और भी जो उनके मामले हैं उनके बारे में भी सरकार को अनाउन्स करना चाहिए। अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे वे यह तो बतला रहे थे कि उनकी डिमाण्ड्स क्या हैं। लेकिन इस आन्दोलन में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से किसी के बारे में भी न तो सी. पी. एम. के लोगों ने और न कांग्रेस आई. के. लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है। मैं मान्यवर, उनके लिए अपनी आवाज उठाऊंगा।

मान्यवर, पुलिसमैन में असन्तोष रहा है। लेकिन वह क्या इस तरह से, क्या इनके उकसाने से हल होगा ? उनको उकसाने में इन लोगों का हाथ रहा है। यह एक शर्मनाक बात है और इसकी निन्दा होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज सारी दुनियां में पापुलेशन बढ़ने के साथ-साथ यह विचार पनप रहा है कि क्या बढ़ती हुई पापुलेशन को देखते हुए पुलिस के सारे नेशनल सेट अप को बदल दिया जाए ? मैं यह नहीं कहता कि इसको बिल्कुल बदल दिया जाए लेकिन यह विचार दूसरे देशों में चल रहा है। हमारी सरकार को भी यह देखना चाहिए कि इस बढ़ी हुई आबादी को चलाने का काम क्या पुलिस का वर्तमान ढांचा, पुलिस की सारी वर्तमान कार्यविधि, पुलिस का वर्तमान मेनुअल कर सकेगा ? यह केवल सरकार को ही नहीं बल्कि विरोध में बैठने वालों को भी सोचना चाहिए।

मान्यवर, ये लोग अनुशासन के नाम पर सरकार चलाते रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे पुलिसमैन में, हमारी पेरामिलिट्री में अनुशासन नहीं रहना चाहिए ? अगर यह नहीं रहेगा तो देश का शासन कैसे चलेगा ? क्या हर जगह ट्रेड यूनियन का बिल्ला लगाने से ही क्रान्तिकारी व्यक्तित्व स्पष्ट होगा ? ऐसी बात नहीं है। उनके साथ और लोगों को भी दर्द है और सबसे ज्यादा दर्द है। उन लोगों को तकलीफ में डालने से ही या उनको आपस में लड़ा देने से ही दर्द नहीं प्रकट होता है। हमें भी अपने कांस्टेबल के साथ हमदर्दी है। लेकिन उनकी हमदर्दी में राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास बन्द किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उनकी हाउसिंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो आपने किया है वह तो किया है लेकिन इस सम्बन्ध में और भी करने की आवश्यकता है। आपने आर्डरली सिस्टम को अबालिश किया, यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह अंग्रेजों का कोढ़ था जिसको पिछले तीस साल तक हमने अपने सिर पर ढोया है। अब इसके इम्प्लीमेन्टेशन में सरकार को मजबूती दिखानी होगी। जहां कहीं से आपके पास खबर आये कि इसका मजबूती से पालन नहीं हो रहा है वहां इसको मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है, नहीं तो देश में प्रजातन्त्र की जड़ हिल सकती है।

श्री एम. एन. गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत ही गम्भीर है और मैं उन कुछ मित्रों की बात से सहमत हूं, जिन्होंने यह कहा है कि इसे दलों के बीच राजनैतिक मतभेद का मामला नहीं बनाया जाना चाहिये, क्योंकि इस देश के इतिहास में कभी भी, न केवल स्वातन्त्रोत्तर काल में, अपितु स्वतंत्रता पूर्व काल में भी—विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने वाले समस्त साधन इस प्रकार नहीं बिगड़े थे जैसे कि अब बिगड़े हैं।

कई मित्रों ने हमें बताया है कि इससे पहले भी पुलिस ने कार्यवाही की है। हो सकता है, परन्तु अब की स्थिति की यह विशेषता है कि इस बार न केवल पुलिस, वल्कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, के. औ. सु. ब. और देश भर की सारी की सारी पुलिस ही इसमें भाग ले रही है। कहीं-कहीं आप इसका सेना की सहायता से दमन भी कर रहे होंगे। परन्तु सच्चाई तो यह है कि समस्त पुलिस बल ही कष्ट में है। तो यहां ये बातें किसने उकसाईं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां

मार्क्सवादियों और सी. पी. आई. को दोषी ठहराना चाहा। मैं सोद्देश्य प्रश्न की गहराई में गया और मैंने पाया है कि पुलिस-आयोग ने ही यह आग भड़काई है। आप वह बात क्यों भूल जाते हैं ?

यहां पर कुछ सदस्य तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि क्या शस्त्र-सेनाओं को अथवा बलों को पुलिस के साथ सम्बन्ध बनाने का संघ बनाने का कोई अधिकार मिलना चाहिये। यदि आप उनके प्रतिवेदन को देखें तो पायेंगे कि संघ बनाने के अधिकार की सिफारिश पुलिस-आयोग ने बड़े ही जोरदार शब्दों में की है। वह तो उनकी एक मुख्य मांग है। और फिर उन्होंने आगे यह सिफारिश भी की है, उन्हें कुशल श्रमिक के समान समझा जाना चाहिये, परन्तु अब तो उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान अकुशल श्रमिकों की तरह समझा जाता है। आयोग ने मांग की थी कि उनका दर्जा (रुतबा) और वेतन कुशल श्रमिकों जितना ही बढ़ा दिया जाये। दूसरी मांग यह थी कि उनके पदोन्नति के अवसरों के बावजूद उनकी अन्तरिम वेतन-वृद्धि 100 या 200 रुपये कर दी जाए। आयोग ने यह स्वीकार किया है कि बहुत से सिपाही वर्षों तक सेवा करने के बाद भी, सिपाही के ही रूप में सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। यह भी वह एक अन्य मांग है जो पुलिस वालों ने की है।

सहायक सैन्य-बलों को उनके भोजन के लिये सरकार अपनी ओर से कुछ धन देती है। पुलिस आयोग ने सिफारिश की है कि वही सुविधा इनको भी मिलनी चाहिये। फिर एक मांग 8 घंटे तक काम करने और साप्ताहिक अवकाश के बारे में भी थी। हर कोई जानता है और राजनीतिज्ञों को तो विशेष रूप से जानना चाहिये कि पुलिस वालों को अधिक काम करना पड़ता है, यानि कि 24 घंटे तक। यह केवल समस्याओं की वह संख्या ही नहीं है, जिसकी ओर उनका ध्यान खींचा नहीं गया कि बढ़ गई, बल्कि पुलिस आयोग ने यह प्रतिवेदित किया है कि काम के आठ घंटे और साप्ताहिक छुट्टियों को इस तथ्य के बावजूद लागू किया जाना चाहिये कि आया कोई सिपाही विशेष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अथवा किसी अन्य स्थान पर कार्य कर रहा है। क्या यह उनकी गलती है ? समिति के सदस्य हैं कौन ? आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इसके अध्यक्ष वह धर्मवीर थे जो कि वरिष्ठ मन्त्री मण्डलीय सचिव थे। (व्यवधान)। चाहे वह नौकरशाह ही क्यों न हों। लेकिन अब तो यहां बैठे हुए नौकरशाह उसकी नियुक्ति की बात को नहीं काट सकते।

जिन पुलिस अधिकारियों ने ये सिफारिशें की हैं वे वे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें प्रशासन और पुलिस क्रिया-कलापों का कोई अनुभव न हो, बल्कि वे तो वे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रशासन और पुलिस कार्यों का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने यह तथ्य इस बात से जता दिया है कि ये वे सिफारिशें हैं जो अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकती हैं। जब पंजाब में पुलिस ने आन्दोलन आरम्भ किया तो पंजाब सरकार ने जो सही कार्य किया वह था इस मामले को सुलझाना। अन्य सरकारों को भी उनका अनुकरण करना चाहिये। अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय गृह मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछता हूं। जब रेल कर्मचारियों को बोनस देने की बात पर विचार-विमर्श किया गया था तो वे सदैव यही कहते थे कि अन्य विभागों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी; क्या प्रभाव पड़ेगा ? यदि रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है तो डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को क्या उत्तर दिया

जायेगा ? सरकार इस बात का अन्दाजा लगा सकती है कि यदि कुछ विभागों को कुछ सुविधाए प्रदान कर दी जाती हैं तो अन्य विभागों में भी इसकी प्रतिक्रिया होगी । क्या वे इतना भी नहीं समझ सकते कि यदि पुलिस वालों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी उनकी मांग करेंगे ? क्या उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिये ? उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

यदि किसी व्यक्ति ने पुलिस को कार्यवाही के लिये उकसाया है तो वह है पुलिस आयोग का प्रतिवेदन और उसके द्वारा की गई सिफारिशें । इस विषय में कोई भी पुलिस कर्मचारी पुलिस आयोग की सिफारिशों से बाहर नहीं गया है ।

दूसरे, जहां तक के० औ० सु० ब० का सम्बन्ध है उनका तो प्रेरित करने वाला उनका एक एजेन्ट था अर्थात के० औ० सु० ब० का महानिरीक्षक । जैसा पत्र जो उन्होंने यहां पढ़ा था समर जी को मिला है वैसा ही पत्र तमिलनाडु से मुझे भी मिला था और उसे मैंने मन्त्री महोदय को भिजवा दिया । उनसे अपने प्रतिनिधि चुनने और उन्हें अपने मांग-पत्र के साथ दिल्ली भेजने के लिए कहा गया था । जब वे यहां पहुंचे तो उनसे रेखांकित पंक्तियों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया । जिस पर उन्हें बन्दी बना लिया गया । इससे बढ़कर उत्तेजना किसी के लिए क्या हो सकती है ? बोकरो में के० औ० सु० ब० की क्या मांग थी ? मैंने व्यक्तिगत रूप में वहां जाकर यह जानने का प्रयत्न किया कि वस्तुस्थिति क्या है ? उनकी प्रथम मांग थी ? यह सूचना मैंने अधिकारियों से प्राप्त की, न कि कामगारों से । मैंने अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि उनकी क्या मांगें हैं ? उनकी मांगें थीं कि सबसे पहले हमारे उन अधिकारियों को रिहा किया जाये, उन्हें दिल्ली में बुलाकर कुछ रेखांकित पंक्तियों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया और उनके ऐसा न करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया । भंग किसे किया जायेगा ? क्या उन सिपाहियों को जो हड़ताल पर थे या अधिकारियों को ? मन्त्री महोदय में न ही तो इतना दम है कि उनसे कड़ाई से पेश आएं और न ही उन अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का दिमाग है, जिन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है······(व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें ।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं । जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो आपने सर्वाधिक गलत काम यह किया कि असैनिक प्राधिकारियों द्वारा उनके हथियार छिनवा लिए । मुझे ऐसा एक भी तो उदाहरण दीजिये जहां सारे देश में हड़ताल कर रहे किसी पुलिस कर्मचारी ने अहिंसा का सहारा लिया है, आज्ञा का उल्लंघन और आन्दोलन उन्होंने अवश्य किया । क्या ऐसा कोई आरोप है कि उनके किसी कार्मिक या अधिकारी पर उन्होंने कोई हमला किया हो ? उनकी यह भी बड़ी भारी गलती थी कि जल्दबाजी में भयाक्रांत होकर उन्होंने असैनिक अधिकारियों के बावजूद सेना को बुला भेजा । उन्होंने कब हमला किया ? गहन रात के 2 बजे उन्होंने बैरकों में घुसकर 3 बजे दरवाजों पर गोली दाग दी । आंकड़े तो देखिये यह कैसे हो सकता है कि उन होमगार्डों को भी जोकि उसमें सम्मिलित न थे घेर लिया गया, उन पृष्ठों पर समाचारपत्र की खबरों को पढ़िए । वे शस्त्रागार स्थल पर पहुंचे । उनमें से बहुत से

व्यक्तियों ने आत्म समर्पण कर दिया। लेकिन एक साथी ने गोली चला दी तथा मेजर की मृत्यु हो गई। वहां पर मशीन गन से गोली चलाई गई तथा अन्धाधुन्ध गोलियां बरसाई गईं। वे लोग कौन हैं जो मारे गए ? उनमें से अधिकांश वे थे जिन्होंने आत्म समर्पण कर दिया था और उसके बाद उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की। इसके पश्चात जीप पर लाद कर तोप लाई गई। चूंकि वे भी सैनिक कार्मिक हैं वे इसका तात्पर्य समझते हैं इसलिए उन्होंने सफेद झण्डा दिखाया।

यदि सैनिक टुकड़ी में किसी प्रकार का उपद्रव किया जाता है तो इसके लिए केवल सिपाहियों को ही सजा दी जानी चाहिए। सबसे पहले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जो सिपाहियों की मनोदशा को नहीं समझ पाते हैं। तथा वे अधिकारी जो अपना नेतृत्व नहीं बनाये रख पाते हैं। ऐसे लोगों को पहले पदच्युत किया जाना चाहिए। क्या आपने ऐसी कोई कार्यवाही की है ? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।

आपने सेना को बुलाया है, लेकिन आप जानते हैं कि इससे जनता के मन में क्या भावना उत्पन्न हुई है ? देश में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। जब वह अस्तव्यस्त हो जाती है तो आप सेना को विकल्प के रूप में सहायता के लिए बुलाते हैं, यदि अव्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिए आप सेना को उपयोग में लाते हैं तो सेना और जनता के बीच कैसे सम्बन्ध स्थापित होंगे। जनता उनको अत्याचारी के रूप में मानेगी न कि संरक्षक के रूप में। यह एक बहुत ही गलत तथा खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये। जब इस विषय पर चर्चा आरम्भ की गई थी तो मैंने गृह मंत्री महोदय को सभा में नहीं देखा है। मैंने प्रधान मंत्री को यहां पर बैठे हुए देखा था। मैं सोच रहा था कि श्री एच. एम. पटेल ने अपना त्यागपत्र दे दिया होगा।

कुछ माननीय सदस्य : कभी नहीं।

श्री वयालार रवि : उनमें से कोई भी अपना त्यागपत्र नहीं देगा।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : मुझे इस बात पर निराशा है कि वे अभी भी बने हुए हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपने पद से त्यागपत्र दे दें।

श्री पटेल साहब, यह बात सही है कि आपका सारा तंत्र, जिस साधन को आपने उपयोग में लिया था वह अस्त व्यस्त हो गया है और वह आपके खिलाफ उपद्रव कर रहा है। अपने पद की गरिमा को देखते हुए आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जब इस स्थगन प्रस्ताव को पेश किया था तो हमने अपनी ओर से इसका विरोध नहीं किया क्योंकि हमारी यह धारणा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सही रूप में तथा उद्देश्यपूर्ण चर्चा की जाय। मैं इस स्थिति की गम्भीरता को एक क्षण के लिए भी कम नहीं करना चाहता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं विपक्ष की इस मांग का भी जोरदार रूप में खण्डन करता हूं कि गृह मन्त्री को त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस बहुत ही गम्भीर तथा विवाद स्थिति को बड़ी शीघ्रता से तथा होशियारी से बहुत ही कम खून-खराबे से नियन्त्रण में कर लिया है और आज इस स्थिति को अत्यन्त शीघ्रता से सामान्य बना दिया गया है। जनता

पार्टी इस बात पर गर्व कर सकती है कि 75 वर्ष के पश्चात वे एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग को नियुक्त करने में समर्थ हो सके हैं (पहला 1902 में नियुक्त किया गया था) पुलिस आयोग ने अपनी योग्यता के साथ बड़ी ही शीघ्रता से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रारम्भ में ही मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण तथा न्यायोचित सिफारिशों को यथा-शीघ्र क्रियान्वित करने की कोशिश की जाय। पुलिस बल की दशा की काफी आलोचना की गई है क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत है जबकि अधिकारी लोग अधिकतर विदेशी थे तथा पुलिस के छोटे अधिकारी अपने देश के थे तथा उनको अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए इसको बहुत पहले लाना चाहिए था। इसको स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ वर्षों के बाद लाना चाहिए था। खैर जो कुछ भी हो, हम इस बात से खुश हैं तथा हमें गर्व है कि जनता सरकार ने इस पुलिस आयोग की नियुक्ति की जिसने प्रभावकारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं स्थिति की गम्भीरता को कम नहीं करना चाहता हूं। सुरक्षा बल पर सेना द्वारा गोली चलाने की आवश्यकता एक वांछनीय कार्य नहीं है। लेकिन इसके साथ ही कुछ विपक्षी सदस्यों ने जिस रूप में दबाव डालने की कोशिश की है उसको रोकना चाहिए। तथाकथित उपद्रव की क्या गम्भीरता है? सी. आर. पी. की 58 बटालियनों में से केवल 2 बटालियन ही प्रभावित हुई थीं तथा अन्य दो बटालियनों में केवल दो कम्पनियाँ ही प्रभावित हुई थीं। इस उपद्रव से कुल 58 बटालियनों में से अन्य 54 बटालियन पूर्णतः अप्रभावित रहीं। यदि सी. आई. एस. एफ. की ओर ध्यान दें तो सी. आई. एस, एफ. द्वारा केन्द्रीय सरकार के 97 उपक्रमों की सुरक्षा की जाती है, उनमें केवल दो स्थानों पर ही उपद्रव हुए। एक स्थान पर निःसंदेह रूप से इसकी स्थिति बहुत ही विकट तथा गम्भीर थी।

श्री बयालार रवि : सी. आर. पी. कार्मिकों की गिरफ्तारी के बारे में क्या बात है?

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मेरे मित्र श्री बयालार वि को कुछ सी. आर. पी. कार्मिकों की गिरफ्तारी से चता है। यही बात साम्यवादी दल के माननीय नेता श्री समर मुखर्जी ने व्यक्त की है। यदि हम देश की रक्षा करने वाली अर्ध सैनिक को अनुशासित, संगठित तथा प्रशिक्षण प्राप्त रूप में रखना चाहते हैं तो जब भी वे औपचारिक रूप में जाते हैं तो उनको हमेशा बर्दी पहनकर ही जाना चाहिए। इस बात की दुहाई क्यों दी जा रही है कि उन पर इसलिए अभियोग चलाया गया है, क्योंकि वे वर्दी पहने हुए नहीं थे? इस प्रकार की सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही है? मैं केवल इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि यदि वे बगैर वर्दी के बाहर आये, तो वे मेरे मित्र जो उस संगठन में चोरी छिपे घुसना चाहते थे, उसमें अपने लोगों को भेज सकते थे, जबकि सैनिक लोग बगैर वर्दी के बाहर आ गए थे। यदि निम्न श्रेणी के जवान और अधिकारी लोग बगैर वर्दी पहने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने पहुंचे, तो अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही करना, बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि इससे न केवल सम्बन्धित अधिकारियों का ही अपमान होता है बल्कि इससे इस सेवा का भी अपमान होता है। अतः उनको गिरफ्तार करके बहुत ही उचित कार्यवाही की गई है।

सेना को उपयोग में लाने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। जब किसी अर्ध सैनिक

संगठन में असन्तोष फैल जाता है तो प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे उनके उपद्रव को रोका जा सके। विपक्ष के भूतपूर्व नेता ने भी अपने समापन भाषण में यह उल्लेख किया है कि सेना को शीघ्रता से बुलाया जाना चाहिए था। सेना ने वहाँ पर जाकर क्या किया ? पुलिस अथवा अर्ध सैन्य बल को बदलने के लिए सेना को कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया। सेना को विशिष्ट रूप से असन्तुष्ट अर्ध सैनिक बल से हथियार लेने के प्रयोजन से बुलाया गया था। साधारणत: सेना देश के बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करती है। लेकिन यदि देश की किसी अर्ध सैनिक अथवा संगठित बल में कोई असन्तोष फैल जाता है तो सेना का यह कर्तव्य है कि उनसे हथियार लेने के लिए सरकार के आदेशों का पालन करे। बोकारो में वास्तव में ही गम्भीर घटना घटी। मैंने देखा है कि विपक्ष के प्रत्येक माननीय सदस्य ने बोकारो में जो कुछ हुआ उसको नजरअंदाज किया है। सेना के वहाँ पहुंचने पर स्वयं कम्पनी कमाण्डर ने सी. आई. एस. एफ. को आह्वान किया गया कि वे सैनिकों को अलग रखें तथा अपने हथियार का समर्पण कर दें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सामरिक महत्व के स्थानों पर अपना स्थान ले लिया, जहां से आसानी से आक्रमण किया जा सके. जैसे कि कोई विदेशी आक्रमणकारी हमला कर रहा हो। कम्पनी कमाण्डर जिस समय बोल रहा था उसी समय उस पर गोली चलाई गई तथा वहीं तुरन्त ही उसकी मृत्यु हो गई तथा उसके साथ में लेफ्टिनेंट खड़े हुए थे वे भी मारे गये। कम्पनी कमाण्डर मारा गया, उसके दो सहायक भी मारे गये। इसके बावजूद भी मेरे माननीय मित्र क्या सुझाव दे रहे हैं ? इसमें 23 व्यक्ति मारे गए हैं। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। मेरा विचार है कि अनुशासनहीन तथा उपद्रवी लोगों के खिलाफ सख्ती से काम लिया जाय अन्यथा संगठन कायम नहीं रह सकता तथा सरकार कार्य नहीं कर सकती। हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि यदि बोकारो में सेना सख्ती से कठोर कार्यवाही न करती तो इस प्रकार की स्थिति सारे देश में फैल जाती बोकारो में इस कठोर कार्यवाही से सारे देश में इसका प्रभाव पड़ा। उस कार्यवाही के फलस्वरूप ही मुख्यालय में दो व्यक्तियों की मृत्यु के सिवाय कहीं पर भी कोई अन्य मृत्यु नहीं हुई।

विपक्ष के माननीय नेता—पता नहीं कि वे अभी भी विपक्ष के नेता है अथवा नहीं—ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि उनकी सरकार ने खोसला आयोग की नियुक्ति की थी। उनको इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि खोसला आयोग ने क्या किया है ? खोसला आयोग का प्रतिवेदन हमारें सम्मुख नहीं आया। इसके प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया। और आप जानतें ही हैं कि उसको कितना क्रियान्वित किया गया है। आपातकाल के दौरान पुलिस को पूर्णत: अपने अधीन कर लिया गया था।

मार्क्सवादी साम्यवादियों को पुलिस के बारे में अधिक चिंता बनी हुई है। उन्होंने मारीछप्पी में असहाय हरिजनों को कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया था। ये लोग सभा में डींग मारते हैं कि पश्चिमी बंगाल में हरिजनों पर कोई भी अत्याचार नहीं किया गया है। यदि देश भर के अत्याचारों से पीड़ित सभी हरिजनों को एक साथ मिलाया जाय, तो यह जानकारी प्राप्त होगी कि अकेले मारीछप्पी में ही हरिजनों पर सबसे अधिक अत्याचार किये गए।

मार्क्सवादी साम्यवादियों तथा उनके साथ ही साम्यवादियों को पुलिस बल के बारे में बड़ी चिंता है। मैं सरकार से विशेषकर प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस तथ्य की ओर वे गम्भीरता से ध्यान दें कि ये पार्टियां पुलिस संगठन में चोरी छिपे घुसने की कोशिश कर रही हैं। वे प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं। महोदय, कोई भी व्यक्ति जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वह यह जानता है कि सेना, पुलिस तथा अर्ध सैनिक बल को राजनीति से पूर्णत: अलग रहना चाहिये। लेकिन मार्क्सवादी साम्यवादियों का यह सिद्धांत नहीं है। यह भारतीय साम्यवादियों का भी सिद्धान्त नहीं है। वे प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं। उनके नेता श्री नम्बूदरीपाद से लेकर बाकी भी यही कहते आये हैं कि हम प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में उन्हें तोड़ देने के उद्देश्य से ही चोरी छिपे घुसते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अशोक कृष्ण दत्त : मैं यह कह रहा हूं कि वे सदैव लोकतन्त्र को समाप्त करने की इच्छा करते रहे हैं। एक बड़े और एक छोटे राज्य को छोड़कर गत चुनाव परिणाम की उन्हें जानकारी है। अब लगभग समूचे देश में उनका सफाया हो गया है। इसलिए वे अब पुलिस बल में घुसपैठ कर रहे हैं और इसे रोका जाना चाहिए। इसे चुनौती दी जानी चाहिए।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आज सदन के समक्ष है और जिसको कामरेड समर मुखर्जी ने रखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो समूचे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर, जो गम्भीर परिस्थिति है, उस पर हम सब को एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए। अभी बंगाल के सब लोग बोल रहे थे।...(व्यवधान)...मैं यह कहना चाहता था कि यह केवल शान्ति व्यवस्था का मामला नहीं है। अगर यह चीज बिगड़ती चली जाएगी, तो आगे चलकर यह बहुत गम्भीर रूप धारण कर सकती हैं।

मैं यह बात और कहना चाहता हूं कि यह आज का पाप नहीं है। यह तो 30 साल का पाप है, जिस को हम भोग रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने सन् 1952-53 में एक भाषण दिया था। मेरा भाषण देवरिया में हुआ था, जहां से मैं चुनकर आया हूं। जब मैं भाषण दे रहा था, तो वहां पर पुलिस के लोग आ गये और उस समय के पुलिस कप्तान ने और उस समय की सरकार ने इनसाइटमेंट टू डिस्एफेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट आफ इन्डिया, 1921 कह कर मेरा चालान कर दिया। मैं, जैसा कि माननीय राज नारायण जी जानते हैं, 10 महीने तक मुकदमें में भिड़ता रहा और फिर मैंने एक दरख्वास्त दी कि मेरे ऊपर मुकदमा किस बात पर है। गेंदा सिंह जी ने पता लगाया कि वह कानून तो हमारी स्टेट पर लागू नहीं होता और वह तो प्रेजिडेंशियल प्रोविन्सेज में लागू है। तब 11 महीने के बाद मैं छूटा। फिर 1973 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गुरु कमलापति त्रिपाठी को हटाने के लिए मुहतरमा ने फौज भेजी पुलिस वालों पर हमला करने के लिए। हमने इस पर भाषण किया और श्री रामानन्द तिवारी ने भाषण किया, तो हमें डी० आई० आर० में पकड़ कर बन्द कर दिया। अगर हाईकोर्ट का जज

न होता, तो मैं न छूटता। 5 महीने के बाद हम निकले। इसलिए मैं सब बातों को जानता हूं और हमने इन लोगों के लिए संघर्ष किया है और इनके संघर्ष में भाग लिया है और मैं यह कहता हूं कि आज जनता पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें इनकी मांगों के प्रति सहानुभूति न हो।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इनका राज्य था, तो मैंने एसेम्बली में भाषण दिया था कि एक सिपाही को 29 रुपये मिलते हैं जबकि एक दारोगा के घोड़े को घास के लिए इनकी सरकार 65 रुपये देती थी। मैंने विधान सभा में कहा था कि आदमी घोड़े से तो दरोगा का घोड़ा ही अच्छा है, जिसकी घास के लिए इतने रुपये मिलते हैं। इस पर भी दरोगा ने दरख्वास्त दे दी कि घोड़े की घास बहुत मंहगी हो गई है, उसके खाने का दाना बहुत मंहगा हो गया है, इसलिए उसके पैसे बढ़ाए जाएं और सोशलिस्टों के बहकावे में न आया जाए। इस पर घोड़े की घास और दाने के लिए 65 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये इनकी सरकार ने कर दिया। माननीय राज नारायण जी जानते हैं कि क्या क्या जुल्म इन पर हुए हैं। इनको बैरकों में भेज दिया गया और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पुलिस एक्ट को फेंक देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ और डा० अम्बेडकर की जब बम्बई में सभा हो रही थी, तो मैं भी उसमें भाग लेने गया था। मैंने वहां पर उनसे एक सवाल यह किया कि यह खर्रा जो आप बना रहे हो, क्या इसको सभी लोग लागू कर सकेंगे। उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि देखो मि० सिंह, हमने तो यह लिख दिया है और तुम और जो आगे आने वाली जेनरेशन है, उस पर है कि वह इसको कैसे लागू करे। हमारे भारतीय नागरिकों के लिए जो संविधान है, उसमें उनकी सुरक्षा के लिए पंडितों ने पन्ने के पन्ने लिखे हुए हैं, मगर सवाल उनको लागू करने का आता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप सब बैठकर समझिये कि उनकी मांगें क्या हैं? क्या हम यह चाहेंगे या जनता पार्टी का कोई आदमी यह चाहेगा कि अफसरों के कुत्तों के रहने के लिए तो मकान हो, बिरला, टाटा, सूरजमल, नागरमल, सिंघानिया, बजाज, मजीठी, खैतान, रूंगटा आदि के कुत्ते तो रजाई में रहें और इनकी मां को जाड़े में एक चादर भी न मिले। क्या पटेल साहब और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं? मैं तो यह कहूंगा कि यह 30 साल का पाप है। 30 साल से लकड़ी जलना शुरू हुई लेकिन लकड़ी गीली थी, इसलिए वह ठीक से जल नहीं पाई और आज जो पूरी आजादी मिल गई, हमारी सरकार ने पूरी आजादी दे दी, तो अब वह लकड़ी जल गई। मैं यह जरूर कहता हूं कि उनकी मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति है। पुलिस कमीशन ने अभी उनके बारे में कुछ रिकमेंड किया है। अभी एक साहब कह रहे थे कि पंजाब में पुलिस एजीटेशन करने वाली थी, उन्होंने एजीटेशन किया ताकि उन्हें ज्यादा मिल जाए। बिहार में कभी आपने हाथ सेका है। आज आप हमें पढ़ाना चाहते हैं। हमने भी मार्क्स और एंजिल को पढ़ा है और हम जानते हैं कि क्रांतियां कैसे होती हैं। क्रांतियां कोई चों चों का मुरब्बा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 'लेफ्ट कम्युनिज्म एण्ड इनफैन्टाइल डिजाइनर' में लेनिन ने लिखा है, कामरेड श्रीमती पार्वती कृष्णन् जरा ध्यान दीजिए:

"जो गर्मागर्म बातें करते हैं, वे अन्त में दरबारी राजनीति का शिकार होते हैं।" यह लेनिन ने कहा है। मेरे कहने से घबराइये मत।

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का

जो चीरा तो कतराए खूं भी न निकला।

मैंने भी पुलिस वालों के लिए मार खाई है। उत्तर प्रदेश में मैं पुलिस वालों के लिए लड़ा हूं। यह बात वहां पुलिस का हर सिपाही जानता है। मैंने उनकी बैरकों में सभाएं की हैं। यह सब करने के बाद ही मैं यहां चुनकर ग्राया हूं। ग्राप हमको ज्यादा मत पढ़ाइये।

मुझे ग्राज एक बात का बड़ा खतरा मालूम होता है। जो नया नया मुसलमान होता है वह बे वक्त नमाज पढ़ता है। ग्राज मोतरिमा के ये ग्रजीज दोस्त इस तरह से क्रांति करना चाहते हैं। इस तरह से क्रांनियां नहीं होती हैं। ये क्रांतियां कागजी क्रांतियों में बदल जाती हैं।

जब रूस में 1905 में क्रांति हुई तो लेनिन ने कहा था कि ग्रब ग्रागे क्या करें? वह क्रांति पूरी नहीं थी। इसलिए 1917 में क्रांति हुई ताकि क्रांति का पीरियड पूरा हो जाए। ग्राप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ग्राप उन लोगों को मत उभारिये। ग्राप कहते हैं कि हमने उनको मारा। क्या ग्राप भूल गये हैं कि ग्रापने भी उनको मारा था ग्रौर बुरी तरह से मारा था। इस-लिए मैं कामरेड मोतीरिमा से कहना चाहता हूं कि ग्राप इस ग्राग में ग्रपने हाथ मत सेकिये। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस ग्राग से ग्राप फायदा मत उठाइये, इससे ग्रापको कोई फायदा नहीं मिलेगा।

पुलिस की मांगों से हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन मैं गांधी, लोहिया ग्रौर जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों में विश्वास करने वाला हूं ग्रौर जो भी इन सिद्धांतों में विश्वास-करने वाला होगा वह यही कहेगा कि बन्दूक लेकर मत उठियेगा। हमारे गुरु लोहिया कहा करते थे कि गोली की इज्जत नहीं होती है, बोली की इज्जत होती है। ग्राप ग्रगर डैमोक्रैसी में विश्वास करते हैं तो एण्ड में ही विश्वास मत रखिये, मींस में भी विश्वास रखिये। ग्राज इस देश में जम्हूरियत है ग्रौर सी० ग्रार० सी० ग्रौर ग्रार० पी० एफ० ग्रगर ग्रपनी मांगें शान्तिपूर्ण तरीके से रखती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मुझे एतराज उनके 303 के उठाने पर है। ग्राप कागज में देखिये कि फौज को ग्राखिर में कब्जा करने के लिए भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में रोज कत्लेग्राम हो रहा है। श्री चन्द्र शेखर सिंह कहेंगे कि किसी एम० पी० को एस० एस० पी० के सामने खदेड कर मारा जाए, क्या यह वायलेंस नहीं है? मैं कहता हूं कि यह वायलेंस है, ग्राप इससे दूर रहिये।

सरकार ने उन्हें मकान का भत्ता ज्यादा दिया, वर्दी का भत्ता दिया। मैं यह नहीं कहता कि क्यों दिया? यश देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क्स को ज्यादा बोनस चाहिए, बैंक के लोगों को ज्यादा तनख्वा चाहिए। क्या उन लोगों में भी यूनियन की लेक्चरबाजी का ग्रसर नहीं पड़ेगा? उन पर भी ग्रसर पड़ेगा। तो वह भी ग्रपना हक मांगते हैं। वह भी इन्सान हैं, ग्राप उनकी मांगों को पूरा कीजिये हां कोई एतराज नहीं है।

ग्रन्त में एक सुझाव देना चाहता हूं, ग्रौर एक बात कहना चाहता हूं पूरे सदन से जितनी ताकत मुझमें है, देश की 60 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं राजनीतिक दलों के नेताग्रों से कहना चाहता हूं जरा ध्यान दीजिए एशिया ग्रौर यूरोप के नक्शे पर फिलिपाइन्स से लेकर ग्रल्जीरिया तक हिन्दुस्तान ही ग्रकेला देश है जहां डैमोक्रैसी है, बाकी हर जगह तानाशाही है। तो

भगवान के नाम पर तानाशाही प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन न दीजिए। अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो डैमोक्रैसी खत्म हो जायेगी। गरीब गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी का देश, जहां 1977 में चुनाव में जनतन्त्र का इतना बड़ा प्रयोग हुआ है उसको बरबाद न कीजिये। अन्त में मेरा सुझाव है कि आप एक राउन्ड टेबिल कानफरेंस बुलाइये, समर दादा को बुलाइये, माननीय स्टीफन को बुलाइये, आज वह नेता विरोधी दल है, कल अगर न भी रहे नेता विरोधी दल तो भी इन्हें बुलाइये, चव्हाण जी को बुलाइये, माननीय, राज नारायण जी को बुलाइये, क्योंकि राज नारायण जी जितना पुलिस के लिए लड़े हैं बहुत कम लोग लड़े होंगे, यह अच्छे सुझाव देंगे। पुलिस के अधिकारियों को बुलाइये और फिर एक नतीजे पर पहुंच कर इसको राष्ट्रीय समस्या समझकर इसको हल कीजिए।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि इस प्रस्ताव को लाने से आपका कोई लाभ नहीं होगा।

श्री राज नारायण (रायबरेली) : श्रीमन्, मैं बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं, अपने मित्र उग्रसैन को सुनने के बाद, जिन्होंने डैमोक्रैसी की बात कही, वह यह नहीं समझते हैं कि डैमोक्रैसी केवल एक शब्द नहीं है। जब इन्सान की सोच कथनी कथनी और करनी में अन्तर होता है तो डैमोक्रसी मर जाती है। हरियाणा में अभी 40 एम० एल० ए० 15 दिन तक इम्पोर्टेड गाड़ियों में बाहर घुमाये गये। यह डैमोक्रैसी है? पुलिस का विद्रोह सरकार करा रही है। यह सेना का भी विद्रोह करायेगी, जब यह हरियाणा के एम० एल० ए० को कहेगी डाक बंगले में बन्द करके कि कोई दूसरा आदमी मिलने आवे तो उसको मिलने न देना। मैं 16, 17 तारीख में कलकत्ता में था। 12 हरियाणा के एम० एल० ए० 5 इम्पोर्टेड गाड़ियों में कलकत्ता से भारत दर्शन के लिये निकले। यह डैमोक्रैसी है? अगर यही डैमोक्रैसी है तो ए खुदा इस डैमोक्रैसी से हमें बचा ले। अखबारों में बयान पढ़ा गया होगा, एक सज्जन लिखते हैं मुझे मेरी एम० एल० ए० वाइफ दे दो। एक आदमी गया लड़की शादी के लिये सामान खरीदने, सामान को उठा लिया गया पुलिस की सहायता से। जब पुलिस से यह काम लिया जाएगा तो निश्चित रूप से पुलिस अनियंत्रित होगी। मैं माननीय उग्रसैन जी से कहना चाहता हूं आप किस पार्टी में हो? मैं जरा बता देना चाहता हूं, पता नहीं हमारे साथ 10, 15, 50, 100 कितने आदमी आयें, मगर हमारी पार्टी का फिलहाल नाम होगा जनता पार्टी (एस), यानी जनता पार्टी (सैक्यूलर)। और जो जनता पार्टी कम्युनल है वह हमसे दूर रहेंगे। ...(व्यवधान) वह कॉमुनल हैं, आप सैकुलर में आओ। दे आर जनता (सी)—कौमुनल एंड वी आर जनता (एस) सैकुलर। (व्यवधान)

श्रीमान् मैं केवल बहुत थोड़ा समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, आपका सिर्फ 6 मिनट समय बाकी रह गया है।

श्री राज नारायण : अफसोस यह है कि इस समय हमारे प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं अर्ज करूंगा कि सारे अनर्थ की जड़ में प्रधान मंत्री जी हैं। यह बेचारे जो घर मंत्री हैं, इनको ज्यादा कहिये मत, जब चाहें प्रधान मंत्री जी इनको हटा दें, धक्का देकर।

यह देखा जाये कि 23, 24 तक तो शान्ति थी, 22 को प्रधान मंत्री जी लौटकर जब आये तो घर मंत्री जी की, जो पहले की पालिसी थी, वह पालिसी बिल्कुल बदल गई। तब वह

घमंड, अभिमान बोलने लगा और कहने लगा कि हम तो दबा देंगे, गोली से भून देंगे। इस तरह के जजबात का इजहार होने लगा अफसरों की तरफ से। पुलिस आन्दोलन देखा दही है, पटेल साहब हमने देखा है, हम गिरफ्तार भी हुए हैं।

मैं दो चिट्ठी पढ़ देना चाहता हूं, अपनी चिट्ठी और श्री पटेल साहब की चिट्ठी। मैंने 1 जुलाई को श्री पटेल को चिट्ठी लिखी कि यह जो यहां पर दिल्ली में झड़ौदा कलां में गोली चली है, उसमें बहुत से लोग मरे हैं और जिन गांवों से लाश घसीट कर गई हैं, उन गाव के लोगों ने आकर मुझको कहा है, हमको इजाजत दे दीजिये, जाकर देख लें क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग रायबरेली के हैं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर और बलिया के हैं। तो उन लोगों को हम देखना चाहते हैं।

क्योंकि हथियार तो ले लिये गये थे, अब मैं माननीय दृष्टि कोण पर आ रहा हूं। यह चिट्ठी क्या लिखते हैं, पटेल जी।

प्रिय श्री राजनारायण, यद्यपि केन्द्रित रिजर्व पुलिस के कुछ गुमराह कार्मिकों को हिरासत में लिया गया है, फिर भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन लोगों के परिवारों की देखभाल की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी कैम्प का दौरा कर रहे हैं। इन लोगों के परिवारों से मिल रहे हैं। इन परिस्थितियों में, मुझे आशा है आप मुझसे सहमत होंगे कि मौजूदा हालतों में किसी अशासकीय व्यक्ति द्वारा झड़ौदा कलां स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बस्तियों का दौरा करना न तो जरूरी है और न ही वांछनीय है।

श्री उग्रसैन कहते हैं, हम जाकर देखें, और उनका घर मंत्री कहता है कि वांछनीय नहीं है, आवश्यक नहीं है। ईमानदारी के साथ, मैं चाहता हूं कि असत्य बोलने से कोई फायदा नहीं, समस्या उलझेगी। पुलिस पर बथियार बन्द पुलिस, निहत्थी पुलिस पर हथियारबन्द पुलिस, हथियारबन्द पुलिस पर मिलैटरी, और मिलैटरी का विद्रोह होगा तो कौन आयेगा ?

एक माननीय सदस्य : आर० एस० एस०।

श्री राज नारायण : कौन आयेगा ? इसलिये घर मंत्री जी को सरदार पटेल के समय की आर. एस. एस. के बारे में जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लेना चाहिये। जिसमें श्री बल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि 6 लाख वालेन्टियर इन लोगों ने तैयार कर रखे हैं, इनकी पूरी योजना थी कि गांधी जी को मारो, जवाहर लाल जी को मारो, उच्च नेताओं को मारो, आतंक पैदा करो और इस तरह से सिविल रिवोल्यूशन के जरिये ताकत अपने हाथ में लो। क्या उस बारे में कोई चिंतित हो रहा है, सोच हो रहा है ? क्या कोई सोच हो रही है ? मैं दृढ़ और निश्चित मत का हूं कि पुलिस सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के आन्दोलन का पूरा उत्तरदायित्व भारत की केन्द्रीय सरकार पर है, और उसमें प्रमुख हाथ प्रधान मंत्री का है।

जब पंजाब में पुलिस का आन्दोलन शुरू हुआ, तो केन्द्रीय सरकार बिल्कुल अचेतावस्था में सोई हुई थी। जब पंजाब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, तो ये लोग बौखला उठे और कहने लगे कि उनकी मांगें क्यों मानी गईं, इसका असर दूसरी जगह भी होगा, जहां के लोग यह सोचेंगे कि अगर हम आन्दोलन नहीं करते, तो हमारी मांगें नहीं मानी जायेंगी।

पंजाब के बाद गुजरात और राजस्थान में आन्दोलन हुआ। इन राज्यों में तथा बिहार,

तामिलनाडु, आसाम और मध्य प्रदेश में भी मांगें रखी गईं। इसके बाद प्रश्न आया केन्द्र की पुलिस-- सी. आर. पी. सी., आई. एस. एफ. और बी. एस. एफ. का/गृह मन्त्री ने वादा किया था कि सी. आर. पी. के जवानों के प्रतिनिधियों से 22 जून, 1979 को बातचीत होगी। उन लोगों को वचन दिया गया था कि स्टाफ कौंसिल बनेगी और उसमें उन लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि रखे जायेंगे। उन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के नाम भेजे। जब उनके प्रतिनिधि गये, तो उनको धता बता दिया गया और अपने चहेते प्रतिनिधियों को रख कर कहा गया कि यही सब कुछ करेंगे। जवानों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे।

गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मजबूरियों और जरूरतों का उत्तर छः महीने के बाद मिलेगा। छः महीने कौन इन्तजार करेगा ? अगर इन्सान मजबूरियों और जरूरतों से परेशान है, तो क्या वह छः महीने तक इन्तजार कर सकता है ? इसके बाद अफसरों ने क्या कहा ? अगर मुंह खोला, तो गोली से भून दिये जाओगे। एक तरफ तो घर मंत्री उनको बुलाते हैं, कि अपने प्रतिनिधियों को कौंसिल में भेजो, और दूसरी तरफ जब वे जाते हैं, तो उनका तिरस्कार किया जाता है। यह बात सारे देश में बिजली की तरह फैल गई। कैसे फैली ? डायरेक्टर जेनेरल, क्षेत्र 3 के इंस्पैक्टर जैनेरल और दिल्ली रेंज के डी. आई. जी. ने धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने मुंह खोला, तो गोली से भून दिये जाओगे। यही बात उत्तेजक बनी। बासकेटबाल की टीम तथा रेडियो के आपरेटर द्वारा भेजे गये समाचार से सारे देश में सनसनी फैल गई। 23 जून को ट्रिवेंड्रम, बोकारो, भुवनेश्वर और झरोडा कलां आदि में हड़ताल शुरू हुई।

एक बात मैं खुशी की बता दूं कि सेना अब सचेत हो रही है। इस समय सेना मन्त्री यहां नहीं हैं और न प्रधान मन्त्री हैं, जिनके पास न तो कोई डायरेक्शन है और न कोई समन्वय की क्षमता है। वह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री रहते हुए पीसफुल डैथ पाऊं। बस ! दिस इज हिज मिशन। जब मोरारजी भाई लौटे, तब मामला ज्यादा गड़बड़ हुआ। वास्तव में मोरारजी भाई ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। 110 कैजुएलटीज हैं, जिनमें 30 मरे हैं। अफसर कहते थे कि सेना की दो बैटेलियनों ने गोली चलाने से इन्कार कर दिया और कहा कि हम निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलायेंगे, हम देश की रक्षा के लिए हैं, पुलिस के जवान डंडा लेकर खड़े हैं, हम उन पर गोली नहीं चलायेंगे। क्या शर्म नहीं आती है ? क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं है ? सेना की दो बैटेलियनों ने कहा कि हम गोली नहीं चलायेंगे। फिर तीसरी बटालियन को बुलाया गया।...(व्यवधान)

दो तीन मिनट में वाईड अप कर रहा हूं।

तीसरी बटालियन् आती है। उस समय भी वहां पर कोई बन्दूक लिए हुए नहीं था। केवल एक लाठी लेकर पहरे पर खड़ा हुआ था। धायं से गोली मारी जाती है और वह खत्म होता है। फिर दो जो छुड़ाने वाले थे उनको भी मारा गया। मां अपने बच्चे को लेकर सोई हुई थी, एक व्यक्ति सोया हुआ था, रेकलेस फायरिंग शुरू कर दी गई। तीसरी बटालियन के द्वारा और तमाम मृत्यु हुईं। टांग पकड़-पकड़ कर उन को खींच लिया गया।

मैं आज उग्रसैन जी और अपने दूसरे साथियों से कहना चाहता हूं जो कि जनता पार्टी (सी) कम्यूनल में हैं कि वे जरा सोचें, क्या गांधी ने यही कहा था ?...(व्यवधान)...मैं यह भी कहता हूं कि यह जो जनता पार्टी (एस) नाम हमारा है यह फिलहाल है, यह बदला भी जा सकता है। (एस) माने सेकुलर और (सी) माने कम्यूनल।...(व्यवधान)...

तो अपने जवानों को आपस में लड़ने की नीति छोड़ी जाय। उनकी मांगों को पूरा किया जाय। उनकी कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो पूरी न हो सके। उनके अन्दर जो डिस्पैरिटीज है उनको खत्म किया जाय। डिस्पैरिटी जब तक रहेगी, आज बर्दाश्त करेंगे, कल बर्दाश्त करेंगे परसों विस्फोट होगा। होली जलेगी, चाहे आज जले, चाहे कल जले, पर जलेगी जरूर। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सारी जिम्मेदारी इस सरकार की है। अगर तनिक भी शर्म हो और प्रधान मन्त्री जी पीसफुल डेथ बीइंग दि प्राइम मिनिस्टर इतना ही न चाहते हों तो तुरंत इस्तीफा दें।

श्री अरविंद बाला पजनौर (पांडिचेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा होता हूं। परन्तु विशेष रूप से रायबरेली से आने वाले जनता (सेकुलर) के श्री राजनारायण के बाद मैं यह नहीं जानता कि मैं कितनी गहराई में जा सकूंगा और उनके हृदय को छू सकूंगा। परन्तु इस मामले पर हरएक ने चिन्ता व्यक्त की है।

डा. स्वामी ने बड़े भावपूर्ण विचार व्यक्त किए परन्तु मैं नहीं समझता कि इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव देश विरोधी कैसे है। हमारे अनुसार तो जहां तक हमें मामले की जानकारी है या हम मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, यह मामला देश विरोधी नहीं है। यदि हम कतिपय मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनमें सुधार करे और भविष्य में बेहतर ढंग से कार्य करे।

चूंकि समय कम है, इसलिए मैं इस पर संक्षेप में चर्चा करूँगा। इस देश में यह एक आम बात है कि छात्रों, मजदूरों, किसानों, राजनीतिज्ञों और सभी में असंतोष है। परन्तु आसूचना विभाग को इस आन्दोलन या रोष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाना था। मैं नहीं जानता कि इस देश में आसूचना विभाग उचित समय पर समुचित कार्यवाही करने हेतु गृह मन्त्री या प्रधान मन्त्री को वह चाहे जो भी हों -- पूर्व सूचना देने के लिए क्या कर रहा है ?

अब विरोधी और सत्तारूढ़ दल का प्रत्येक व्यक्ति समझदार है। वे काहिल हैं और इस पक्ष में भी हम समझदार हैं। परन्तु यह एक आम परम्परा है, जैसा कि मैंने कहा है कि इस देश में हरेक व्यक्ति में असंतोष है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस राज्य का विषय है। परन्तु सी. आर. पी., सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और रेलवे सुरक्षा बल के मामले में ऐसा नहीं हैं। किसी ने भी सभा का ध्यान नहीं दिलाया है कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी को 35/- रुपए मूल वेतन मिलता है जो कि 100 वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। श्री स्वामी ने 1977 में आयोग के बारे में बताया है और श्री दत्त ने 1975 के आयोग का भी उल्लेख किया है। परंतु हमें पता है कि इस देश में, आयोग क्या कर रहे हैं। इसे उन्हें कार्यान्वित करना है।

जब अनेक सदस्यों ने उत्तेजित होकर, कड़े शब्दों में कटु भाषा में प्रश्न उठाया तो सत्तारूढ़ पक्ष से मैंने यह आशा की थी कि वह सभा में आकर बताते......

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में कुछ शांति बनाये रखें। यदि आप निजी चर्चा करना चाहते हैं तो आप 'लाबी' में जाकर कर सकते हैं।

श्री अरविन्द बाला (पजनौर) : सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस या सीमा सुरक्षा बल के प्रति उनकी ईमानदारी या गम्भीरतापूर्ण दृष्टिकोण का पता इस सभा में उनके कार्यों से चलता है। वे इस मामले पर बाहर अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं कि क्या उनकी संख्या बढ़ेगी, क्या वे जनता (कम्युनल) या जनता (सकुलर) में हैं। हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो इस देश के लोगों की स्थिति से है। यह एक चेतावनी नहीं है। मैं अनुभव प्राप्त इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि एक चेतावनी दूं। प्रो० समर गुह ने श्री सौगत राय को एक 'नया आगन्तुक' बताया है : हर बात के लिए सेना मत बुलाइए। यह एक खतरनाक बात है। कल आपको अपने लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए सेना बुलानी पड़ सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मन्त्रि-मंडल से प्रेरणा लेंगे। मैं आप पर यही आरोप लगाता हूं। लोगों को अनुशासन में रहने का उपदेश देने से पहले आप अनुशासन में रहें। आप में अनुशासन की भावना नहीं है। कुछ मन्त्री कई तरह की बातें करते हैं। आप इस देश के लोगों को अनुशासन में रहने के लिए कहते हैं। आप कुछ लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए सेना बुलाते है। कल सेना यहां आकर आप पर नियंत्रण कर सकती है। यही खतरा है मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। यह स्वतः स्पष्ट है। इनमें से अनेक लोग इसकी जानकारी न रखते हुए, इसे आमंत्रित कर रहे हैं। हम इसके बारे में भविष्य के बारे में बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई आकर इस र कब्जा कर सकता है। कौन इसे अपने कब्जे में लेगा ? इससे आपकी अक्षमता, गुप्तचर विभाग और गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण रखने वाले लोगों की अक्षमता सिद्ध होती है। राजनीतिज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपको अच्छा लगता है। कभी-कभी आप इसमें भी असफल रहे हैं। आप सभी अनावश्यक जानकारी टेलीफोन बीच में सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु आप इन लोगों की रोषपूर्ण भावनाओं को पहले नहीं समझ सकते थे ?

जब कभी हम कोई समस्या उठाते हैं तो दूसरी ओर से पुराने आंकड़े पेश कर दिये जाते हैं। वे कहते हैं, 1963 में इतने थे, 1967 में इतने, 1973 में इतने इत्यादि। आप 1977 की बात क्यों करते हैं। फिर हम यहां किस लिए हैं ? अगर आप पिछले आंकड़े देकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं तो आप ईमामदार नहीं हैं। इस मामले के तीन पहलुओं पर विचार करना होगा। सर्वप्रथम आप पहले जानकारी हासिल नहीं कर पाए या जानकारी मिल गई थी तो उस पर समय पर कार्यवाही नहीं की गई। मैं संख्या को चुनौती नहीं दूंगा। क्योंकि आप इसका औचित्य स्थापित करने की चेष्टा करते हैं कि यह गदर कैसे था, यह गृह युद्ध कैसे था, आपने इस्पात नगर बोकारो को नियंत्रित करने के लिए सेना कैसे बुलाई, आदि। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह न केवल तमिलनाडु में बल्कि महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने भी इस समस्या को पहले ही समझ लिया था और कार्यवाही की थी। आपकी जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि हमने लमिलनाडु में

50 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों को मकान दे रखे हैं। श्री सिकन्दर बख्त यहां हैं। वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों को भी मकान नहीं दे पाए है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि पुलिस कर्मचारी, सी. आर. पी., बी. एस. एफ. सभी इस निर्णय की प्रतीक्षा में हैं कि उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगीं। पर आपने अभी भी अपने निर्णय की घोषणा नहीं की है। आप पूर्व शर्तें ही लगा रहे हैं। इससे आप अधिक समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।

मेरे दोस्त ने कहा कि त्रिवेन्द्रम में समस्या का समाधान किया जा चुका है। इसकी मुझे खुशी हैं। पर क्या समाधान हुआ इसकी जानकारी अभी मिलनी है। पर यह अस्थायी होगा। आप स्थायी समाधान नहीं कर पाएगे। जब भी आप कहते हैं कि आप गम्भीरता से विचार कर रहे हैं तो केवल आपकी भाषा ही गम्भीर होती है। काम गम्भीरता से नहीं होता। देश में आज बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। इसके लिए मैं गृह मंत्री से त्यागपत्र देने की मांग नहीं करूंगा क्योंकि इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रधान मन्त्री से भी त्यागपत्र देने को नहीं कहूंगा। पर यदि वे बुद्धिमान हैं तो वे इसे ध्यान में रखेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सदस्यों का कोई महत्व नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इस चर्चा से देशभक्ति की भावना नहीं झलकती तो फिर इस सभा में यह चर्चा हो ही क्यों रही है ?

गृह मन्त्री ने उत्तर दिया है कि उन्हें इस विषय के लिए मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिए दस दिन का समय चाहिएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप पुलिस को अपनी विषय सूची में न समझें। आप यह नहीं जानते कि समग्र रूप से 42वें संशोधन में क्या कुछ है। वह सी. आर. पी. वहां क्यों रखना चाहते हैं। विगत में जब भी आप पुलिस से नाखुश होते थे तो आप वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेज देते थे। जब आप भी सी. आर. पी. से खुश नहीं होते थे तो उसके स्थान पर दूसरा बल भेज देते थे। यह अंग्रेजों का तरीका है। आप में से अनेक अंग्रेजी व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं, अंग्रेजी भाषा को नहीं चाहते। पर इस देश पर शासन करने के लिए आप हमेशा के लिए अंग्रेजों का तरीका अपनाना चाहते हैं।

रायबरेली से आए मेरे दोस्त—वे उपस्थित नहीं हैं—ने धर्मनिर्पेक्ष और साम्प्रदायिकता की बात कही। मैं यह नहीं कहता कि साम्प्रदायिकता का विस्फोट होने वाला है और धर्मनिर्पेक्षता बनी रहेगी। इसे तो भविष्य ही सिद्ध करेगा। देशवासी हम राजनीतिज्ञों से ईमानदारी के बर्ताव की आशा रखते हैं। यहां कई सदस्यों ने कहा कि यह मामला कतिपय राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप का मामला है। क्या आप स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि आपने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। हम आप लोगों को जानते हैं कि आप राजनीतिक लाभ के लिए भी हस्तक्षेप करते हैं। हमें इसे दलगत मामला न मानकर राष्ट्रीय मामले के तौर पर लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। इसकी बजाय आप सारे विपक्ष को दोष दे रहे हैं कि वह आपके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि आप कुछ वर्षों तक सत्ता में बने रहें। पर सवाल है कि जनता की सेवा कैसे हो ? आप कह सकते हैं कि यह आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया। पर मैं ऐसा नहीं कह सकता। जे पी का कहना

था कि अगर आदेश उचित नहीं है तो उसे मत मानिए। यही उन्होंने कहा था। अब समय आ गया है कि हम समस्त व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। जनसंघ किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं है। अन्य दल शासन कर रहे हैं। सी. पी. एफ. बगाल में सत्ता में है। तमिलनाडु में हम सत्ता में हैं। महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है। कांग्रेस (ई०) आंध्र प्रदेश में सत्ता में है। कर्नाटक कांग्रेस कर्नाटक में है। केरल में सी. पी. आई. है। अत: सभी राजनीतिक दलों की देश के किसी न किसी भाग में कोई न कोई ज़िम्मेदारी अवश्य है। जिन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है वह अपने जातीय हित के लिए ऐसा कर सकते हैं। इस समय प्रश्न है कि आप कितने ईमानदार हैं। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि प्रधान मन्त्री कौन है ? यह आपका अपना मामला है। आज कोई प्रधान मन्त्री है तो कल कोई और हो सकता है। हमें इसकी चिन्ता नहीं है; पर आप स्वयं अनुशासन का उदाहरण पेश करें। हमे अनुशासन न सिखाएं। देशभक्ति और अनुशासन का प्रचार नहीं होता। इसकी आपको सबसे अधिक जरूरत है

इस बहस में आप इस मामले को मजाक के तौर पर ले रहें हैं और इसे कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। पुलिस कर्मचारी और सी० आर० पी० के जवान हमारे इस व्यवहार पर निगरानी रखे हुए हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि राजनीतिक बड़े खतरनाक होते हैं। इनके आन्दोलन को दबाने के लिए सेना को बुलाना उचित नहीं है। यही हमारा भी कहना है। यह चेतावनी नहीं है। पर स्थिति स्पष्ट है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने गलती की है। आप इसे स्वीकार करें। इसका समाधान ढूंढें। एक गोल मेज सम्मेलन बुलाएं और सारी समस्या उसके सामने रखें। चूंकि यह राष्ट्रीय मामला है इसलिए हम किसी का प्रश्न लेना नहीं चाहते। गृह मंत्री इस मसले का अध्ययन करें। मैं प्रधान मंत्री या मंत्री मंडल से त्याग पत्र देने को नहीं कहता। पर आप एक कार्यक्रम तैयार करें, उसे लोगों को बताएं। पिछली सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम न हो। आप वह कार्यक्रम लाएं जिसे जनता पार्टी अमल में लाना चाहती है, जिस पर हम इस सभा में चर्चा कर सकें। यह कार्यक्रम ऐसा न हो जिसे अमल में लाने में 2 या $1\frac{1}{2}$ वर्ष लग जाए। यह कुछ ही महीनों में पूरा होना चाहिए। आप इस प्रकार का कार्यक्रम लाएं। तभी हम जैसे लोग आपका विश्वास करेंगे। आपका समर्थन करेंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं विषय की समाप्ति यहीं कर रहा हूं। मैंने मामले की शुरुआत की हैं ताकि यह देश उठ खड़ा हो, ताकि हम देश को अधिनायकवाद से बचा सकें, सैनिक शासन से बचा सकें या किसी अलोकतांत्रिक शासन से बचा सकें जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।

श्री रामजी लाल 'सुमन' (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय इस सम्मानित सदन में विचार के लिए उपस्थित है लेकिन जिन लोगों के मैंने भाषण सुने, उनसे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को राजनैतिक भाषण करने की आदत सी पड़ गई है भले ही वे अपने भाषण में यह कहें कि यह एक राष्ट्रीय सवाल है, भले ही यह कहें कि इससे हिन्दुस्तान की जनता की जिन्दगी सीधी जुड़ी हुई है। लेकिन वे जो भाषण करते हैं, उस से एक ही बात दिखाई देती है कि वे उसमें राजनीति ले आते हैं। निश्चित रूप से यह मसला जो है

यह अत्यधिक चिंता का मसला है, लेकिन उधर से जो भाषण होते हैं, उनमें सरकार ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, तो वे उसकी तारीफ करना अपना फर्ज नहीं समझते।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस आयोग 1902 में बना था और उसके बाद इस देश में पुलिस की जो समस्याएं थीं, वे समस्याएं कोई नई नहीं हैं और आज जो विस्फोट हुआ है और आज जो कुछ भी हुआ है, वह उन पुरानी समस्याओं के कारण ही हुआ है। मैं यह तो समझ सकता हूं कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन उसकी बुनियाद में क्या है, यह भी देखना चाहिए। यह कोई नई चीज पैदा हो गई है ऐसी बात नहीं है कि लोग इनके बारे में सोचते नहीं थे। पुलिस वालों की जो शिकायतें हैं, छोटे लोगों की जो शिकायतें हैं, वे दो तीन शिकायतें हैं। उनको वेतन कम मिलता है, उनको वर्दी नहीं मिलती, उनकी आवास की समस्या है। दूसरे उनकी यह शिकायत बतायी जाती है कि पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है।

श्री बी० पी० मंगल (मधेपुर) : महोदय, समय समाप्त हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : जरा ठहरिए। क्या सभा का समय एक घण्टा बढ़ाने के लिए सभा को अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस पर कई सदस्य बोलना चाहते हैं ···

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुमन, मुझे खेद है। सभा की इच्छा नहीं है। अतः मैं मंत्री जी से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : खड़े हुए··· **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? मैं आपकी ओर से अनुरोध कर रहा हूं। पर वे सहमत नहीं हैं। श्री सुमन, मुझे अत्यन्त खेद है कि सभा सभा का समय बढ़ाने से इंकार कर रही है और कोई चारा नहीं है। यह स्थगन प्रस्ताव है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसे कल तक जारी नहीं रखा जा सकता। अन्यथा आपको समय मिल जाता। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। पर सदस्य सहमत नहीं हैं।

श्री वयालार रवि (चिरीयेंकील) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम बहुत ही स्पष्ट है। बिना समय बढ़ाए आप मंत्री जी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकते। कृपया नियम देखें।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम पर निर्भर कर रहे हैं ?

श्री वयालार रवि : यह स्थगन प्रस्ताव के बारे में है—नियम 58 या 59.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : यह शायद नियम 58 है।

श्री वयालार रवि : 6.30 से अधिक समय हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक अध्यक्ष का समाधान नहीं हो जाता है कि चर्चा पर्याप्त हो गई है, तो वह 6.30 बजे या दो घण्टे और तीस मिनट से अन्यून ऐसे किसी अन्य समय पर, जो चर्चा

आरम्भ होने से आरम्भ होता है, प्रश्न रख सकेगा ।

श्री पी० एम० सयीद (लक्ष्यद्वीप) : घर मंत्री ने अभी उत्तर देना है। अब 6.30 से अधिक समय हो चुका है ।

श्री वायलार रवि : वह कैसे जवाब दे सकते हैं ? अब 6.30 बज चुके हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जो इस प्रकार है । आप उस नियम को पढ़कर सुनाएं जिसमें स्थगन प्रस्ताव की अवधि ढाई घण्टे बताई गई है । इसका अर्थ है यदि आप चाहते हैं कि प्रस्ताव पर चर्चा 6.30 पर ही समाप्त हो जाए तो आपको प्रस्ताव 6.30 पर मतदान के लिए रखना होगा । अन्यथा आप मंत्री जी को उत्तर देने के लिए पहले ही बुलाते जिससे कि सारी चर्चा 6.30 बजे तक समाप्त कर हो जाती । पर ऐसा नहीं हुआ । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम में स्पष्टतः कहा गया है कि न्यूनतम समय ढाई घण्टा है । समय बढ़ाने के लिए सदस्यों से कहना मेरी राय में ठीक नहीं था । अगर आप सन्तुष्ट नहीं थे कि चर्चा में सभी मुद्दो पर विचार कर लिया गया है और वह पर्याप्त नहीं थी तो आप समय बढ़ाने के लिए कह सकते थे । आप स्वयं ही सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे सकते । मेरा कहना यह नहीं कि आप क, ख, ग, कि ी को अनुमति देते हैं । मूल प्रश्न है कि क्या वाद-विवाद पर्याप्त हुआ या नहीं । 6.30 बज चुके हैं । आप नियम की भाषा पर जाकर कहीं न अटकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभा की इच्छा का अधिल्लंघन नहीं किया है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : गृह मंत्री उत्तर न दें । आप इस पर मतदान करके इसे निपटा दें । पर यदि आप समझते हैं कि अभी भी चर्चा पर्याप्त नहीं हुई है तो आपको सभा की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी । आप यह देखते कि अधिक से अधिक लोगों को अपने विचार रखने का मौका मिलता । आप अपने स्वविवेक से यह निश्चित करें कि क्या सभा का समय बढ़ाया जाए या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : विदेशों के अनुसार दो बातें अनिवार्य हैं (1) मंत्री द्वारा उत्तर और (2) प्रस्तावक द्वारा उत्तर । समय के बारे में अध्यक्षसर्वे सर्वा नहीं हैं । सभा ही इस स्थिति मे है । जब भी हम सभा का समय बढ़ाना चाहते हैं ऐसे फैसले किए जाते हैं । प्रस्ताव को उत्तर देने का अधिकार है । इस विषय में और कोई प्रतिक्रिया नहीं है । सामान्य नियग है कि अन्य प्रस्तावों पर लागू होने वाला उत्तर देने का अधिकार स्थगन प्रस्ताव पर भी लागू होता है । गृह मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकते हैं उन्होंने चाहे पहले बोला हो या नहीं । और प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है । मेरा कहना यह है कि दो अनिवार्यताएं हैं—पहली यह है जि प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है । सभा को उसके इस अधिकार को लेने का अधिकार नहीं है । सभा इसे अन्य तरह से सीमित कर सकती है । अतः मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने का थोड़ा समय देता हूं और मैं प्रस्तावक, श्री समर मुखर्जी को उत्तर देने की अनुमति देता हूं । और मैं श्री समर मुखर्जी को सारांश में उत्तर देने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (अकोला) : महोदय, मैं नियम 62 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 62 में कहा गया है :

"यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है तो वह 18.30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घण्टे से कम न हो, प्रश्न रख सकेगा।"

अतः यह अधिक हो सकता है। यह आपका विवेक है।

अध्यक्ष महोदय : समय के मामले में नहीं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, इस विशेष मामले में मुझे विश्वास है कि आपके विवेक की संतुष्टि नहीं हो सकेगी कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है। हम इससे इस हद तक उत्तेजित हो गये थे कि हमने यहां आकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। हम इस हद तक उत्तेजित हो गये थे और हमें अपना मत प्रकट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिस पर हम स्थगन प्रस्ताव रखने के लिए आगे आये हैं, हमें अपना मत प्रकट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। वाद-विवाद पर्याप्त नहीं है **(व्यवधान)**। मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिन लोगों ने कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है उन्हें बोलने का अवसर दिया गया किन्तु मेरी शिकायत यह है कि हमें जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है. अवसर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वाद-विवाद पर्याप्त नहीं है किन्तु यह अल्पमत सदस्यों की राय है। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे *समय बढ़ायें।*

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): महोदय, आप बहुमत की ओर राय के नहीं चल सकते हैं। अल्पमत सदस्यों के विचार भी सुने जाने चाहिए। कृपया बहुमत की संख्या का अनुसारविचार न करें। जब आप उनकी राय लेते हैं तो वे नहीं कहते है। इसका क्या अर्थ है ? यह लोकतंत्र नहीं है। आप कृपया बहुमत की राय पर ही विचार न करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।............

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं जनता पार्टी के अपने मित्रों से कहता हूं कि वे अपने वर्तमान बहुमत का घमंड न करें। आपको केवल दो वर्ष हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा हूं। व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अल्पमत सदस्यों के मत को आप कैसे दबा सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, नियम 62 में वाद-विवाद बन्द करने की व्यवस्था है। इसमें विशेष रूप से यह व्यवस्था है कि यह आपकी सन्तुष्टि पर निर्भर करता है वाद-विवाद की पर्याप्तता की सन्तुष्टि। अतः चर्चा के लिए समय बढ़ाने के लिए सभा की राय लेने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करें। आपने पहले ही कहा है कि आप वाद-विवाद की पर्याप्ता से सन्तुष्ट नहीं हैं। आपका यह कर्त्तव्य है कि आप सभा के हितों की रक्षा करें और आपको वाद-विवाद का समय बढ़ाना है ताकि अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकें।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मेरे व्यवस्था के प्रश्न के दो आधार हैं। जहां तक वाद-विवाद की पर्याप्तता के प्रश्न का सम्बन्ध है आपने यह मत व्यक्त किया है कि अधिक समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि अल्पमत सदस्यों का मत भी सुना जाना चाहिए।....

श्री सी० एम० स्टीफन : आपके निर्णय में अल्पमत की राय प्रतिविम्बित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पर्याप्त वाद-विवाद नहीं हुआ है। यह आपका मूल्यांकन है। यह आपका निर्णय है। आप जब इस स्थिति पर आयें—18.30 घंटे की बात इस पर लागू नहीं होती। आपके निर्णय में, इस वाद-विवाद में अल्पमत राय प्रतिविम्बित नहीं है। यह स्थिति है। अत: पर्याप्त वाद-विवाद नहीं हुआ है। वाद-विवाद की पर्याप्ता की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जब तक अल्पमत राय नहीं सुनी जाती है वाद-विवाद समाप्त नहीं होना चाहिए। महोदय, यही मेरी सविनय प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वाद-विवाद जारी रखूंगा। श्री सुमन कृपया संक्षिप्त करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : आज आप एक लोकतांत्रिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वाद-विवाद जारी रखूंगा। ज्योंही मैं देखूंगा कि वाद-विवाद पर्याप्त हो गया है मैं इसे बन्द करूंगा। श्री सुमन आप जारी रखें।

श्री रामजी लाल (सुमन) (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस आयोग 1902 में बना था और आज जो समस्याएं हैं, वह कोई नई समस्याएं नहीं हैं। इससे पहले सत्ता में जो लोग थे, उनके सामने भी वह समसएं थीं और अगर वह चाहते तो उन समस्याओं का समुचित समाधान कर सकते थे। हमारे देश में एक परम्परा है—लैस वर्क मोर पे और मोर वर्क लैस पे। यानी जो ज्यादा काम करता है, उसको कम तनख्वाह और जो कम काम करता है, उसकी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। यहां भी हालात ऐसे ही हैं।

1973 में जब पी० ए० सी० का रिवोल्ट हुआ, तो मध्य प्रदेश के नौजवानों की कानफ्रेंस के बाद जो पी० ए० सी० के जो जवान जेल में बन्द थे, उनसे मुझे मुलाकात करने का मौका मिला। उनमें एक बी० ए० पास लड़का था। उसने बताया कि मैं कांस्टेबल हूं, लेकिन मेरा बड़ा अधिकारी चाहता है कि मैं उसके बच्चों को पढ़ाऊं, उसके घर के बर्तन साफ करूं, उसकी बीवी की साड़ियां साफ करूं; मेरा मूल काम अपने बड़े अधिकारी की सेवा करना है, लेकिन सही मानों में मेरा जो काम है, वह मुझ से नहीं कराना चाहता है।

पुलिस के छोटे लोगों में असन्तोष है। जैसा कि मेरे पूर्व-वक्ताओं ने बताया है, आज मजदूरों को 400, 450 रुपये मिलते हैं। इसकी तुलना में एक पुलिस कांस्टेबल को, जो उनसे अधिक काम करता है, केवल 300 रुपये मिलें, इसका कोई औचित्य नहीं है।

राजनैतिक हस्तक्षेप की जो बात कही जाती है, वह मुझे जंचती नहीं है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि एम० एल० ए० और एम० पी० जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रशासन में दखलदाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो पहले से सचेत हैं। अगर इसकी कहीं बुनियाद है, तो उन्हीं लोगों के यहां हो सकती है। पहले यह सम्भव था कि कोई मर्डर या डकैती करे, लेकिन किसी बड़े नेता के फोन करने पर मामला खत्म कर दिया जाये। लेकिन अब तो कोई जायज बात भी नहीं मानता है। बनारस के माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर सिंह, के बारे में आपको जानकारी होगी। मुख्य मंत्री की मौजूदगी में एस० एस० पी० के कहने से एक इंस्पैक्टर एम० पी० की पिटाई करता है। और राजनैतिक हस्तक्षेप की बात कही जाती है। कहां राजनैतिक हस्तक्षेप? जब कोई अधिकारी जायज बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर राजनैतिक हस्तक्षेप कहां है?

मैं समझता हूं कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के अफसरों की बड़े राजनैतिक लोगों से स्पर्द्धा है। वे कहते हैं कि इन बड़े नेताओं की कुर्सी सिर्फ पांच साल के लिए है, जबकि हम तो यहां बने रहेंगे। इसलिए मेरे विचार में यह कहने में कोई औचित्य नहीं है कि जनता के लोग पुलिस के काम में हस्तक्षेप करते हैं, पुलिस पर उनका दबाव पड़ता है, जिससे पुलिस का मनोबल टूटता है।

हमारे सामने के मित्र आज जो कुछ कह रहे हैं, उनके काम उससे बिल्कुल उल्टे रहे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस प्रश्न पर रेलवे की हड़ताल कराई कि वहां के मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए। इन लोगों ने उस हड़ताल को तहस-नहस कर दिया और आज उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिये, क्योंकि सरकार के सामने आर्थिक संकट है। मैं उन लोगों में से हूं, जो बोनस का समर्थन करते हैं।

सबको ज्ञात है कि पिछली सरकार के लोगों का नजरिया मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन आज वे लोग सबसे पहले कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप अल्पसंख्यक होना चाहिए। 3 जून को मिसेज गांधी का बयान छपा कि पुलिस के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी मांगें बहुत जायज हैं। मिसेज गांधी एक लम्बे समय तक सत्ता में रहीं। पुलिसमैन वही हैं और उनकी समस्यायें ज्यों की त्यों हैं। लेकिन उनको याद नहीं आया कि कांस्टेबल भूखा मर रहा है, उसकी बीवी के पास कपड़े नहीं हैं, उसकी तनख्वाह पर्याप्त नहीं है, उसके आवास की व्यवस्था नहीं है, और बड़े अधिकारियों द्वारा उसके साथ जो व्यवहार होता है, वह उचित नहीं है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो लोगों की हम से अपेक्षायें ज्यादा हैं, या शायद प्रशासन पर पूरी तरहसे पकड़ नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि आज किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों आदि सब की तरफ से इनकलाब जिन्दाबाद हो रहा है। हमारी यह आदत है कि हम समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है और आन्दोलन छिड़ जाता है,

तब हम कोई रास्ता ढूंढ़ने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र भर में मजदूर, किसान, पुलिस आदि जिस किसी भी वर्ग की कोई समस्यायें हैं, हम उचित समय पर उनके बारे में विचार करके कार्यवाही करें।

ताकि कोई ऐसा वातावरण तैयार न हो, जिसमें किसी आदमी को आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़े।

आज की परिस्थिति बहुत गम्भीर है। सरकार को इस बारे में समय पर विचार करना चाहिए था। पुलिस के छोटे लोगों की समस्यायें कोई नई समस्यायें नहीं हैं—वे समस्यायें पहले से चली आ रही हैं। आज उनका समुचित समाधान करने की आवश्यकता है। जिन उचित बातों को पिछली सरकार के लोग नहीं कर सके, इस सरकार को उन बातों को जरूर करना चाहिए। लेकिन इसका किंचित मात्र भी यह अर्थ नहीं है कि उन लोगों में यह एहसास न हो कि जिन ज़िम्मेदारियों का उन्हें निर्वाह करना चाहिए था, उनका निर्वाह उन्हने नहीं किया।

जहां तक राजनैतिक हस्तक्षेप के आरोप का सवाल है, अभी मैंने बनारस की घटना का जिक्र किया है। अलीगढ़ में हमारे छः एम० पी० गये, वहां पर डी० एम० और एस० एस० पी० ने उनके साथ निंदनीय व्यवहार किया, मगर उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। इस बारे में हालत खराब है।

जहां तक पुलिस के छोटे लोगों और कांस्टेबल्ज का सवाल है, उनकी मांगें जायज हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन बड़े अधिकारियों का व्यवहार अत्यधिक निंदनीय है। बड़े नेताओं के साथ उनकी जो स्पर्द्धा है, उसके बारे में नियंत्रण लगाना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोनान्नी) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद के मामले मे आपसे जो पक्ष लिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्र के हित का ध्यान है वह इस बात को देख चुप नहीं बैठ सकता है कि सेना पुलिस बल और अर्ध-सैनिक बल पर गोली चलाये।

महोदय, कुछ सदस्यों ने गृह मन्त्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा है, दूसरे सदस्यों ने प्रधान मन्त्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा है और कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि किसी को त्याग पत्र देना चाहिए किन्तु तथ्य यह है कि किसी भी सरकार को, जो पुलिस बल और अर्ध-सैनिक बल की और सेना के बीच झड़प की स्थिति पैदा करती है, सरकार की बागडोर सम्भालने का कोई अधिकार नहीं है। स्थिति की गम्भीरता को देखिए। आम आदमी हमेशा पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध शिकायत करता रहा है। किन्तु आज पुलिस के आन्दोलन करने के बाद तथा उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया उससे आम आदमी इतना उत्तेजित हुआ है कि पुलिस के प्रति उसकी सद्भावना हो गई है और सरकार और नौकरशाही के प्रति क्रोध की भावना पैदा हो गई है। पुलिस कर्मचारियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है उसका मैं विस्तृत बिवरण नहीं देना चाहता हूं। कई स्थानों पर अधिकारियों ने कांस्टेबलों को पीटा है। पंजाब में सिक्ख पुलिस कर्मचारियों को उनके बाल पकड़ कर खींचा गया है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। इस मामले में अधिकारियों का इस प्रकार का शर्मनाक व्यवहार रहा है। पंजाब

सरकार ने जेल में गुप्त रूप से आन्दोलनकारियों को दण्ड देने के लिए विचारण भी किया है। यह फौजी कानून का प्रशासन जैसा है। हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़े कर एक दूसरे को चपत मारने को कहा। पुलिस बल के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया। फिर सबसे बड़ी बात यह हुई कि पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर सेना ने गोली चलाई है।

महोदय, पुलिस की शिकायतें और समस्याएं सभी जानते हैं। कम से कम 14 आयोग इस मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए समय-समय पर नियुक्त किये गये हैं जिन पर लगभग 14 करोड़ रुपये सरकार ने व्यय किया है। 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के तुरन्त बाद पुलिस आयोग बिठाया गया था और दूसरा पुलिस आयोग 1902 अथवा 1903 में बिठाया गया था। उसके बाद 75 वर्ष बीत चुके हैं। मैं 1902 के पुलिस आयोग के निष्कर्ष उद्धरित करता हूं। इस आयोग ने कहा :

"समस्त देश में पुलिस बहुत ही असंतोषप्रद दशा में है। सर्वत्र दुरुपयोग हो रहा है। इससे लोगों को बड़ी चोट पहुंचती है और सरकार को अपयश प्राप्त होता है और आमूल सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।"

1902 में जो कुछ कहा गया है वह आज भी 1979 में घटती है। जैसा कि मैंने कहा है कि पुलिस समस्याएं ऐसी नहीं हैं कि उनके बारे में जानकारी न हो, समय की कमी को देखते हुए संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि औसतन पुलिस कर्मचारी का बुरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उसके रहन सहन एवं काम करने की स्थिति असम्मानपूर्ण है और अर्दली प्रथा के अन्तर्गत उसे अपने वरिष्ट अधिकारियों का बन्धुआ मजदूर बनाया गया है।

यह बात बड़े चढ़ा बढ़ाकर की गई कि जनता पार्टी के सत्ता में आने पर नवम्बर, 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की। किन्तु इस राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 7 फरवरी, 1979 को अन्तरिम प्रतिवेदन दिया जिसमें इसके सभापति ने कहा है कि स्थिति के सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाये जाने चाहिएं। इस प्रकार के निष्कर्ष के बाबजूद गृह मन्त्री इस पर कठोर रवैया अपनाते रहे और लगभग 4 से 5 महीने इस प्रतिवेदन पर बैठे रहे। आन्दोलन आरम्भ होने के बाद ही प्रतिवेदन की प्रतियां मुख्य मंत्रियों को तुरन्त भेजी गई। ये प्रतियां मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के केवल 3 या 4 दिन पहले भेजी गई।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यदि आन्दोलन न हुआ होता तो इस प्रतिवेदन को मुख्य मंत्रियों को विचारार्थ न भेजा गया होता। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसे हवा भी लगने नहीं दी गई है। सरकार के इस कठोर बर्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।

इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर भी कहा गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या चाहता था? यह बल केवल यही चाहता था कि इसके कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार से मिलने दिया जाए और उन्हें उनके समक्ष अपनी मांगें पेश करने दी जाएं। इसके विपरीत सरकार ने अपने चुनीन्दा लोगों को ऐसा करने के लिए और बताए गए स्थान पर हस्ताक्षर लेने के लिए कह

दिया । इससे सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है जिसकी निन्दा प्रत्येक द्वारा की जानी चाहिए । यह बहुत ही अपमानजनक और लज्जाजनक बात है कि सेना के रिजर्वों को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया जबकि एक तरफ पुलिस और अर्ध-सैनिक संगठनों से सेना पहले ही निपट रही थी ।

कुछ वक्ताओं ने पुलिस, सी. आर. पी., सी. आई. एस. एफ और आर. पी. एफ. के वर्तमान आन्दोलन का उल्लेख किया है और लघु विद्रोह कर दिया है । इसे विद्रोह या ऐसा और कोई नाम देना अन्याय होगा । यह शुरू से आखिर तक शान्तिपूर्ण रहा है । ज्यादती तो सरकार की तरफ से हुई है । पुलिस या सी. आर. पी. या सी. आई. एस. एफ. द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई । वे कभी भी क्रोधित तथा उत्तेजित नहीं हुए । परन्तु अफसरशाही वाला रवैया अपनाने के कारण और सेना को इसमें लाने के कारण इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है ।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि पुलिस द्वारा आन्दोलन किया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है; परन्तु राष्ट्रीय संकट इससे भी बड़ा है । इस बात का पता शासक दल के सदस्यों की दोहरी बातों से लगता है । एक आवाज में वे जनता संसदीय दल की बैठक और समाजवादी तथा अन्य बैठकों में बोलते हैं और दूसरी आवाज में इस सदन में । राष्ट्रीय संकट इससे भी बड़ा है । शासक दल में कई सदस्यों में आत्मपुष्टि की भावना है । इसके लिए कमर थप-थपाई जा रही है । हमें राष्ट्रीय स्थिति को इसके सम्पूर्ण महत्व को ध्यान में रखकर देखना चाहिए । जिस सेना ने अर्ध-सैनिक संगठनों पर गोली चलाई है उसका पुलिस अर्ध-सैनिक संगठनों और स्वयं सेना पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री महोदय नहीं, नहीं इस पर काफी बहस हो चुकी है ।

गृह मन्त्री (श्री एच. एम. पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुमान है कि प्रस्तावक महोदय ने अपना भाषण इन शब्दों के साथ कि "स्थिति आगे और भी बिगड़ सकती है" समाप्त किया है । यदि हम हार न मानें तो स्थिति और आगे कैसे बिगड़ सकती है ?

प्रस्तावक महोदय और इनके बाद के वक्ता यह बात भूल गए प्रतीत होते हैं कि पुलिस और अर्ध-सैनिक संगठनों से बिल्कुल अलग ढग से निपटना पड़ता है । उनकी समस्याओं पर विचार अलग ढंग से और उनकी जांच भी अलग ढंग से करनी होगी । उनकी समस्याओं पर विचार और उनकी जांच औद्योगिक श्रमिकों या औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं की तरह नहीं की जाएगी । उन्हें कुछ अनुशासन का पालन करना होगा और सरकार को भी कुछ अनुशासन का पालन करना होगा । यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखना होगा । हमेशा यही समझा जाता है कि सरकार पुलिस की शिकायतों पर विचार करने में असफल हुई है । इसके विपरीत जैसा कि बार-बार कहा गया है कि इस सरकार ने यह महसूस किया है कि पुलिस की समस्याओं और शिकायतों की लम्बे समय तक उपेक्षा की गई है । अतः सबसे पहला काम जो इसने किया वह था राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति ।

वास्तव में श्री गोविन्दन नायर ने इस सब के संबंध में भड़काने वाली बात कही है। अपने विवेकपूर्ण विश्लेषण में उन्होंने कहा है कि इस सारी मुसीबत के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग जिम्मेदार हैं। पुलिस आयोग के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। मैं नहीं समझता कि उनकी बात ठीक हैं। आप राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना के महत्व को स्वयं समझ सकते हैं। इसकी नियुक्ति से पुलिस वालों को यह आशा हो गई है कि उनकी समस्याओं पर विचार तो हो रहा है और वास्तव में उन पर विचार हो भी रहा है।

अब यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी, 1979 में दे दी थी और सरकार ने उस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मेरे विचार में इस सदन के सदस्यों को रिपोर्ट पर जल्दी कार्रवाई देखने की आदत पड़ गई है। जैसे आज ही रिपोर्ट पेश की जाए तो उसकी जांच आज ही हो जाए और अगले ही दिन या एक या दो महीने तक आदेश जारी कर दिए जाएं। परन्तु यहां तो चार महीने बीत गए है। यह कैसे हुआ ? सरकार की निन्दा किसी भी प्रकार की जा सकती है।

श्री वसन्त साठे : शाह आयोग को छोड़कर।

श्री एच. एम. पटेल : मैं सोचता हूं कि आज मैं सदन में श्री वसन्त साठ की ओर ध्यान नहीं दूंगा। यद्यपि वह सदन के सदस्य हैं और माननीय सदस्य हैं। उनका कहना है कि पुलिस आयोग की सिफारिशों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। सबसे पहली घोषणा जो सरकार ने की वह यह थी कि सरकार एसोसिएशनों के संबंध में दी गई सिफारिश को स्वीकार करती है। उन्हें एसोसिएशन बनाने की अनुमति होगी और मान्यता देना सरकार का काम है। राज्य सरकारें उन्हें मान्यता नहीं दे रही हैं। दो राज्य सरकारों को छोड़कर शेष ने इस संबंध में दिए गए अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक भारत सरकार का संबंध है हमने यह घोषणा की है कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि केन्द्रीय पुलिस संगठनों और संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस को एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया जाए बशर्ते कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा रखी गई शर्तों का पालन किया जायेगा।

दूसरी मुख्य शिकायत अर्दली प्रथा की थी। उस संबंध में भी मैंने कहा है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के संगठनों का संबंध है, इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। यह घोषणा करने के पश्चात मैंने आगे यह भी कहा है कि राज्य सरकारें भी ऐसा ही करें। इस बात का ख्याल रखने के लिए मैं अपने पद का प्रयोग करूँगा। इस प्रकार के निर्णय को लागू करने में थोड़ा समय लगता है...

एक माननीय सदस्य : क्या कोई आदेश दिए गए थे ?

श्री एच. एम. पटेल : जी हां, परन्तु उन्हें लागू करने में समय लगता है। हमारा अनुभव है कि अर्दली प्रथा इसलिए आरम्भ नहीं हुई थी कि लोग अर्दलियों, पुलिस वालों और अन्यों का उपयोग अनुचित कार्यों के लिए करना चाहते थे बल्कि इसलिए हुई थी कि उनके कुछ विशेष कर्त्तव्य हैं। हमने इस बात पर भी विचार किया है कि क्या इसका वैकल्पिक हल ढूंढना उचित होगा। जैसे कि इनाम देने का कोई तरीका, उन अधिकारियों की प्रतिपूर्ति करने का कोई तरीका

जिनसे अर्दली वापिस ले लिए गए हैं, ताकि वे खिन्न न हों। अतः कोई हल निकाला जाना है जिस पर कुछ समय लगेगा।

मैंने यह कहा है कि शिकायतें उचित हैं परन्तु इसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि चूंकि मांगें उचित हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्दीधारी शक्तियां वह सब करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी कहा है कि इन सभी शिकायतों की जांच की गई है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, इनकी तत्काल जांच की गई। केन्द्रीय सरकार ने यहां यह निर्णय लिया कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट की आरम्भिक जांच के पश्चात् हम इस संबंध में राज्य सरकारों से बात करेंगे

एक माननीय सदस्य ने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कहा था कि सिपाही की भूमिका और कार्यों में परिवर्तन आ गया है, अतः अब पहले की अपेक्षा अधिक योग्य व्यक्ति चाहिएं। वह अधिक शिक्षित होता है और उसके कर्त्तव्य आजकल अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

इन सभी बातों को देखते हुए उन्हें कुशल कर्मचारियों के समकक्ष माना जाए। कुशल मजदूरों की विवक्षाएं बहुत हैं। इसकी जांच करने की आवश्यकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। परन्तु इसका यह मतलब है कि राज्य सरकारों के समक्ष इनको रखने से पूर्व अन्य बातों पर इनके संभावित प्रभाव की जाँच करनी होगी क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार अपने-अपने वेतनमान निर्धारित करती है। यह उनके वित्तीय स्रोतों के अनुसार किया जाता है। आज भी कुछ राज्य सरकारों के वेतनमान अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम हैं। अन्तर काफी है। हमारे हां करने का मतलब है, राज्य सरकारों पर असहयनीय बोझ डालना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। कृपया जारी रखें ;

श्री एच. एम. पटेल : यह तो पुलिस के संबंध में हुआ। मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि सरकार कैसे कार्य करती रही है।

सर्वप्रथम आन्दोलन पंजाब से आरम्भ हुआ। यह आन्दोलन भड़क उठा। यद्यपि कुछ मामलों में पुलिस वालों में रोष था, परन्तु आन्दोलन करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परन्तु पंजाब में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिनमें ड्यूटी पर खड़े सन्तरी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी के लिए भी उचित नहीं था। इससे पुलिस वाले क्षुब्ध हो गए और इस सीमा तक खुन्दक खा गए कि आन्दोलन और भी भड़क उठा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह उनकी प्रमुख मांगों में से एक है। वास्तव में सार्वजनिक व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्त्ता और अन्य लोग उनकी स्थिति का पूर्ण लाभ नहीं उठाते हैं और कभी-कभी पुलिस वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो सन्तोषजनक नहीं होता है।

पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस आन्दोलन को देखते हुए सहायता करने के लिए कहा। हमने उनकी सहायता के लिए बी. एस. एफ. और अन्य बटालियनें भेजीं ताकि वे इस आन्दोलन को बढ़ने से रोक सकें और कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम रखी जा सके। यह

सब हो जाने के पश्चात पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना और इस बात की चिन्ता किए बिना कि इसका अन्य राज्य सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेतन में बढ़ोत्तरी कर दी । उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में नहीं रखा । परन्तु इसका विशेष प्रभाव पड़ा । एक प्रभाव यह पड़ा कि जब बी. एस. एफ. वहां गयी तो उसका वेतन पंजाब पुलिस से 32 रुपये अधिक था, परन्तु अब यह 90 रुपया कम हो गया है । मैं समझता हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह समझा जा सकता है कि बी. एस. एफ. को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और पंजाब सरकार की सहायता करने के लिए भेजा गया था और इसका परिणान यह हुआ कि लाभ तो मिला पुलिस वालों को बी. एस. एफ. की उपेक्षा हो गई ।

(व्यवधान)

यह स्वाभाविक है । मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं । मैं बता रहा हूं कि घटनाएं कैसे घटीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखिए ।

श्री एच. एम. पटेल : मैंने जैसा कि कहा है मैं तो केवल स्थिति का विशलेषण कर रहा हूं । यह कहा जा सकता है कि इन सेवाओं में इस प्रकार कठिनाइयां उत्पन्न हो गई ।

मैंने कहा कि मुझे यहां भी कुछ आन्दोलन की संभावना थी । मैंने तत्काल ही स्टाफ कांउसिल की बैठक बुलवाई जिसके पास यह सारा मामला भेजा गया है ।

सीमा सुरक्षा दल में कर्मचारी परिषदों की परम्परा है अर्थात् जहां पर प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर गृह मन्त्री से मिलेंगे और वह उनकी समस्या विशेष को सुनेंगे और उस पर कार्यवाही करने के लिये विचार करेंगे । मैंने यह कहा था कि इस प्रकार की कर्मचारी परिषदें उस समय तक तदर्थ रूप से बनाई जा सकती हैं जब तक अन्य बलों — जैसे केन्द्रीय सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि संघ न बना लें और अपने प्रतिनिधि न चुन लें । ऐसा किया गया था । 13 जून से 27 जून के बीच मैं विभिन्न दिनों को इन बलों से मिला और उनकी समस्याएं और शिकायतों को सुना । सब की अपनी अलग-अलग समस्याएं थीं किन्तु कुछ समस्याएं एक जैसी थीं । मैंने उन्हें कहा कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कम से कम बड़ी समस्याओं पर सरकार एक महीने में निर्णय ले । सचमुच एक महीने के अन्दर ही मैंने सीमा सुरक्षा बल और इन्डो-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के बारे में निर्णयों की घोषणा कर दी । साथ ही मैंने यह भी घोषणा कर दी कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है; किन्तु स्थिति सामान्य होते ही आदेश जारी कर दिये जायेंगे । जब मैंने कहा कि "ज्यों ही स्थिति सामान्य होगी" तो उन्होंने पूछा कि यह शर्त क्यों लगाई गई है । इस सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि हमें इन मामलों में दवाब में कार्य नहीं करना चाहिये । यह बिलकुल स्पष्ट करना होगा कि ज्योंही वह स्थिति को सामान्य बना देंगे, हम आदेश जारी करेंगे । जहां तक सी. आर. पी. का सम्बन्ध है, इस समय स्थिति क्या है ? पूरी सामान्य स्थिति हो गई है, केवल त्रिवेन्द्रम में ही

आन्दोलन चल रहा है । मुझे अब सूचना मिली है कि यह भी समाप्त प्राय: हो गया है । ऐसा हो गया है तो कुछ दिनों में हम सी. आर. पी. के बारे में भी निर्णय ले लेंगे ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में स्थिति जरा कठिन है । (व्यवधान) यह एक ऐसा बल है जिसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वाच और वार्ड की डियूटी निभानी होती है । 97 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में यह कार्य कर रहे है । इस प्रकार उनका औद्योगिक श्रमिकों और श्रमिक संघों से सम्पर्क होता है अत: उन्हें भी यह छूत का रोग लग जाता है... (व्यवधान) वास्तव में उनकी पहली मांग यह है (व्यवधान)

श्री वयालार रवि : उद्योगों से आप प्रति जवान 700 अथवा 800 रुपये प्राप्त करते हैं किन्तु आप एक जवान को केवल 290 रुपये दे रहे हैं । मैंने प्रधान मन्त्री को तार भेजे थे । मैंने आपको तार भेजे थे । (व्यवधान)

श्री एच. एम. पटेल : उनकी सबसे पहली मांग यह थी कि उनको 650 रुपये प्रति जवान दिये जायें, शायद इतना न्यूनतम वेतन बोकारो इस्पात कारखाने के एक श्रमिक को मिलता है । स्पष्ट है कि यह मांग इस प्रकार की है जिस पर सरकार विचार नहीं कर सकती है । तथापि मैं वह बाव कर रहा हूं कि सी. आई. एफ. के बारे में समस्या अधिक जटिल है । अन्य मामलों में तो समस्यायों का समाधान कर दिया गया है किन्तु इनके मामले में अभी और समय लगने की सम्भावना है । इस बीच इस कारण से उनका आन्दोलन जारी है कि वह असन्तुष्ट हैं और उनके असन्तोष के कारण को समझा जा सकता है क्योंकि जिन लोगों की वह सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं उन्हें बोनस दिया जाता है किन्तु इन्हें वह नहीं मिलता । विभिन्न विभिन्न उद्यमों अपने कर्मचारियों को ऊंची तनख्याहें दे रहे हैं । अत: इन सब समस्याओं का समाधान करना होगा । सी. आई. एस. एफ. के बारे में मैं केवल यह कह रहा हूं—(व्यवधान) मुझे यह नहीं समझ में आता कि माननीय सदस्य व्यर्थ में क्यों क्रोधित हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें शांत रह कर चर्चा में भाग लेना चाहिये । आपने बात कह दी है ।

(व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : जनरल मानेकशा ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है कि सेना

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बार-बार व्यवधान ठीक नहीं है ।

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी आर. देसाई) . मुझे उनसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : सी. आई. एस. एफ. को वेतन कौन देता है ? क्या सरकारी क्षेत्र देता है ? यदि सरकारी क्षेत्र देता है तो उन्हें श्रमिकों के समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री एच. एम. पटेल : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य को आर्थिक समस्या के बारे में अल्प ज्ञान है अत: मुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इन सब बातों के होते हुये भी अधिकांश पुलिस, सी. आर. पी. और सी. आई. एस. एफ. के कर्मचारी निष्ठावान और अनुशासित रहे हैं और सन्तोषजनक ढंग से कार्य करते रहे हैं। इस तथ्य को दिमाग में रखने की आवश्यकता है।

जब मेरे माननीय मित्र श्री सौगत राय ने कहा है कि देश विनाश की ओर जा रहा है तो मेरे विचार से वह उसकी कल्पना कर रहे थे, स्वपन देख रहे थे। विधि और व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है जिस प्रकार की वह कल्पना कर रहे हैं। निश्चय ही अभी भी समस्याएं तो हैं किन्तु स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में है और कभी भी स्थिति अनियन्त्रित नहीं हुई। इस बात को हमें समझना चाहिये।

उनका सुझाव है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में सेना का प्रयोग नहीं करना चाहिये। मैं यह समझना चाहता हूं कि उनका ऐसा कहने से क्या आशय है ? क्या सेना का किसी को दबाने के लिये प्रयोग किया जाता है ? बिल्कुल नहीं। इस सम्बन्ध में मैं श्री गोविंदन नय्यर को बताना चाहता हूं कि उनके तथ्य बिल्कुल गलत हैं।

श्री गोविंदन नय्यर : मैं वहां गया हूं। मैंने उनकी समस्या को समझा है। आपने जो समझा है वह पूरी तरह गलत है।

श्री एच. एम. पटेल : मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं उनके सभी तथ्य गलत हैं।

श्री वसन्त साठे : आप गलत हैं। आपने बड़ी कठोरता से बोकारो पर तैनात आदमियों को दबा दिया है।

इसलिए यह फैला नही हैं। आप एक ही समय में दो बातें नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य की आवाज ऊंची है और वह चिल्ला सकते हैं। मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं। यह कहा गया है कि वह बिल्कुल शान्त थे और हमने समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकालने का कोई प्रयास नहीं किया है। दिल्ली में क्या हुआ ? दिल्ली में सेना के कमांडर ने इन लोगों से पूछा, "क्या आप इस बात को समझेंगे कि आप शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा और आप आत्म समर्पण कर दीजिए।" किन्तु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वास्तव में यही सही रपट है। केन्द्र से साइरन और बिगुल बजने की आवाजें सुनाई दीं और सी० आर० पी० ने क्वार्टर गार्ड क्षेत्र तथा साथ की इमारतों से गोलियां चलाईं। सेना ने उसका जवाब दिया। असली बात यह है। पहले सी० आर० पी० के कर्मचारियों ने दिल्ली में गोली चलाई थी। यही बात सी० आई० एफ० के बारे में भी हुई। **(व्यवधान)**

यह माननीय सदस्य अपनी इच्छानुसार विश्वास करना चाहते हैं। किन्तु कभी कभी तथ्यों पर भी विश्वास करना होता है। इन व्यक्तियों ने अपनी ड्यूटी प्रशासनिक भवन के ऊपर लगवा ली और जैसा कि हमें बाद में पता चला उन्होंने रेत की बोरियों की भी व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने वास्तव में स्वयं को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया था। उन्होंने क्या किया ? सेना को यह कड़ी हिदायतें थीं . . . **(व्यवधान)**

श्री ए० के० राय : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि मंत्री महोदय जो कह रहे हैं वह तथ्यों की दृष्टि से गलत है क्योंकि मैं बोकारो स्वयं उपस्थित था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हो सकता है यह सही कह रहे हों अथवा गलत, किन्तु यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब मंत्री महोदय ····

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय गलत कह रहे हों तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। आप भाषण करना चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एच० एम० पटेल : कमांडर ने उनसे पुनः अपील की कि वह हिंसा का रास्ता न अपनायें और बिना लड़ाई के आत्म समर्पण कर दें। इस पर भी उन्होंने गोली चलाई। एक मेजर वहां मारा गया। इसके बाद ही सेना ने कार्यवाही की। इसके बाद यह बात पता चली कि जब शस्त्रागार खोला गया। तो उन्हें पता चला कि उसमें कई हथियार नहीं हैं। मोलोरोव काकटेल जैसी बोतलों, जो विस्फोटक होती हैं, शीशे के टुकड़ों तथा रसायन जैसे विस्फोटक पदार्थों का भारी स्टाक जमा कर रखा था। इससे स्पष्ट है कि वे झगड़ा करने पर उतारू थे। मेरे माननीय साथी विरोध कर रहे हैं। पर उन्होंने भी पूर्ण या बड़े बन्द का आवाहन किया। पर हुआ क्या ? किसी ने भी उसमें भाग नहीं लिया। बोकारो में सामान्य रूप से काम हुआ। इस्पात कारखानों में काम करने वाले सभी कर्मचारी यह जानते थे कि क्या कुछ होगा। आपने कहा कि सरकार ने कुछ ऐसा काम किया जो गलत या अनुचित था। मैं समझता हूं मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।

मेरे विचार से सरकार ने उचित कार्यवाही की, तत्पर कार्यवाही की। उनकी सभी शिकायतों पर विचार किया गया। सभी के मामलों में आदेश तुरन्त जारी किए गए। पर जिन मामलों में राज्य सरकारें अन्तर्ग्रस्त हैं उनमें हमें उनसे परामर्श करना होता है और यह देखना होता है कि वे सहमत हैं। शीघ्र निर्णय लेने के लिए हमें उन्हें अनुरोध करना पड़ता है, उनका मार्ग दर्शन करना पड़ता है। मुझे खुशी है कि कुछ राज्यों ने इस विषय में निर्णय तो लिए हैं और दूसरे राज्य भी कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री समर मुखर्जी।

श्री बसंत साठे (अकोला) : मंत्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया ···

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री बसंत साठे : *

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। मैं स्थिति के उनके मूल्यांकग से बिलकुल सहमत नहीं हूं और सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए जो तरीके अपनाए उससे भी सहमत नहीं हूं। उन्हें यह मानना पड़ा

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि उनकी मांगें न्यायोचित थीं। जब आप यह मानते हैं तो आपको उनकी मांगों के प्रति शीघ्र ध्यान देना चाहिए था। पर यह तर्क कि वर्दीधारी और बिनावर्दी के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता गलत है। **(व्यवधान)**। परिणाम क्या रहा यह आप देख चुके हैं। मैं जनता पार्टी के सभी दलों से शान्ति से मेरी बात सुनने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि यदि सरकार अपनी गलती महसूस नहीं करती, अपने तरीके को नहीं बदलती तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। दुर्भाग्य से मन्त्री जी इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं।

इस समय क्या स्थिति है ? अभी उचित मांगें नहीं मानी गईं। अब कई मांगें की जा रही हैं। कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। कई कम्पनियां समाप्त कर दी गई हैं। इस स्थिति में उनकी मुख्य मांग है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए। अब अगर यह मांग की जाती है तो सरकार उसे नहीं मानेगी और फिर सेना को बुलाएगी। तब क्या स्थिति होगी ? **(व्यवधान)**। दुर्भाग्य से इसे आप सहन नहीं कर पाते। मेरा कहना है कि सरकार मांग का समर्थन कर रही है, पर उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि असंतोष पैदा हो रहा है। आप उसकी तब तक अनदेखी करेंगे जब तक कि वह विस्फोटक रूप धारण न कर ले। हो सकता है आप संतुष्ट हों कि स्थिति ठीक है, काबू में है। पर निश्चित ही सेना का इस्तेमाल करके आप किसी इक्के-दुक्के आन्दोलन को दबा सकते हैं, पर जब वह सारे देश में फैल जाएगा तो क्या सेना इससे अछूती रहेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यही तो आप चाहते हैं।

श्री समर मुखर्जी : हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप इससे सबक लें क्योंकि सेना ने सी. आर. पी. और अन्य लोगों के दमन के लिए उसका इस्तेमाल किए जाने के मामले में असंतोष व्यक्त किया है। यह जो अनौपचारिक के असंतोष उन्होंने व्यक्त किया है वह समाचार पत्रों में छपा है। सेना के अनुशासन के कारण वह इसे अनौपचारिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। प्रधान मन्त्री महोदय, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि जब सारी जनता में रोष हो और जब आन्दोलन हो रहा हो तो सेना भी खामोश नहीं रहती क्योंकि वे लोग भी ....

श्री मोरारजी देसाई : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य सेना को भड़का रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : जी, नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह उन कदमों के महत्व को न समझना है जो कि सरकार उठा रही है। यह उनकी गलत व्याख्या है। यदि आप हमारी चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देंगे तो परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। आप उन्हें दबा सकते हैं, आप हमें भविष्य में जेल कर सकते हैं; क्योंकि हम जानते हैं कि आंसुका के विधान बनते ही यह जनता सरकार सबसे पहले हमें जेल भेजेगी क्योंकि हम कर्मचारियों के हितों का बचाव करते हैं। और हम उनके आन्दोलन का नेतृत्व करते हैं। हम इसके प्रति पूर्णतः जागरूक हैं। पर फिर भी हम जानते हैं कि आप अधिनायकवाद के लिए वचनबद्ध हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए वचनबद्ध हैं।

परन्तु लोकतंत्र की रक्षा करने का यह तरीका नहीं है। अब गृह मंत्री ने उस बात को सही मान लिया है जो मेरे मित्र स्वामी ने कही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं वयस्क सुब्रह्मण्यम् हूं, बाल सुब्रह्मण्यम् नहीं हूं।

श्री समर मुखर्जी : अब पुलिस या सेना में जो व्यक्ति भर्ती किये जाते हैं, वे पढ़े लिखे - ग्रेजुएट या मैट्रीकुलेट होते हैं। वे सब भर्ती होने के लिए आ रहे हैं और सशस्त्र सेना का विस्तार हो रहा है। अतः ये सेनाएं, आम आन्दोलनों से, जो कि देश में बढ़ते जा रहे हैं, अलग नहीं रह सकतीं।

श्री बसंत साठे : सौभाग्य से हमारे देश की सेना बड़ी उत्तरदायी है।

श्री समर मुखर्जी : यही कारण है कि सेना में लोकतंत्र की भावना बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि प्रतिनिधित्व के अधिकारों की मांग, एसोसिएशन को मान्यता देने की मांग बढ़ती जा रही है। परन्तु उनसे कैसा व्यवहार किया गया है ? उन्हें 14 जून को दिल्ली में बात करने के लिए बुलाया गया परन्तु बात होने से पूर्व ही उन्हें कैद कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप यह पहले कह चुके हैं।

श्री समर मुखर्जी : मंत्री महोदय ने इसके महत्व को नहीं समझा। इससे हालात और भी बिगड़ गई। यह विश्वास भंग करने वाली बात थी। इस प्रकार लोगों को बात करने के लिए बुलाया जाता है और उन्हें कैद किया जाता है। इसके पीछे क्या तर्क है ? उन्हें वर्दी में होना चाहिए। केवल तीन या चार व्यक्ति वर्दी में नहीं थे। उन्होंने यह वक्तव्य भी दिया था कि जब वे चले थे, तब तक उन्हें वर्दी नहीं मिली थी और आई. जी. के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि उन्हीं लोगों के साथ बात की जाए जो वर्दी में हों और जो बर्दी में नहीं उन्हें वार्ता में शामिल न किया जाए। परन्तु इसकी भी अनुमति नहीं दी गई। आई. जी. ने कहा या तो सब वर्दी में आएं या वे किसी के साथ बात नहीं करेंगे। यह तो इनका दृष्टिकोण था। बाद में उन्हें आई. जी. द्वारा तैयार किये गये ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सब पहले कह चुके हैं।

श्री समर मुखर्जी : उन्हें बताए गए स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने इन्कार कर दिया। जब उनकी मांगें न्यायसंगत हैं, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति कौन बिगाड़ रहा है। आपने उनकी मांगें मानने से इंकार कर दिया तब उनके पास आन्दोलन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था। उसके पश्चात् आपने दमन करना आरम्भ कर दिया। कानून और व्यवस्था की स्थिति को कौन बिगाड़ता है ? वे लोग नहीं जिनकी मांगें न्यायसंगत हैं। आप उनकी मांगों को मानने से इंकार करते हैं तो उनके पास उस रास्ते पर चलने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता है जिस पर मजदूर चल रहे हैं। अतः जब वे प्रदर्शन करते हैं तो कानून और व्यवस्था के नाम पर उनका दमन किया जाता है।

अतः आपसे यह मेरी अन्तिम अपील है। आप इस अध्याय को बन्द करने का यत्न करें। आप नया वातावरण बनाएं, ताकि शान्तिपूर्ण वार्ता तत्काल आरम्भ की जा सके और इसके लिए

पहली शर्त अनकी रिहाई है। आप उन सब को रिहा कर दें, जो कैद किये गये हैं। इसके पश्चात् जिनको नौकरी से निकाला गया है, आप उन सबको वापस नौकरी पर रखें। कुछ व्यक्तियों के मामले में देरी लग सकती है परन्तु यदि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि सरकार का रवैया सहानुभूति-पूर्ण है तो अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है। अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यह मेरी चेतावनी है।

श्री एच० एम० पटेल : कहा गया है कि कुछ लोगों को इसलिए अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे वर्दी में नहीं थे। यह ठीक है, क्योंकि वे वास्तव में सशस्त्र बल के व्यक्ति थे। परन्तु जो कुछ उन्हें कहना था वह उन्हें कहने की और मेरे कार्यालय में मेरे निजी सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति थी। और मुझे इसकी सूचना भी दी गई थी। अत: यह कहना कि उन्हें प्रति-निधित्व करने की अनुमति नहीं दी गई, सर्वथा ये गलत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "अब सभा स्थगित की जाये"।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में	**विपक्ष में**
अलगेशन, श्री ओ. वी.	अग्रवाल, श्री सतीश
अल्लूरी, श्री सुभाषचन्द्र बोस	अर्गल, श्री छविराम
आस्टिन, डा. हेनरी	अमात, श्री डी०
उन्नीकृष्णन, श्री. के. पी.	अमीन, प्रो. आर. के.
कदम, श्री वी. पी.	आहूजा, श्री सुभाष
कृष्णन्, श्री जी. वाई.	उग्रसेन, श्री
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती	ओंकार सिंह, श्री
किदवई, श्रीमती मोहसिना	कछवाय, श्री हुकम चन्द
किक्कू, श्री जदुनाथ	कृष्ण कान्त, श्री
कुशवाहा, श्री रामनरेश	कामत, श्री हरि विष्णु
कोंडियग, श्री पी. के.	कार. श्री साथ,
गोडे, श्री संतोषराव	कालदाते, डा. बापू
गोपाल, श्री के.	किशोर लाल, श्री
गोस्वामी, श्रीमती बिभा घोष	कुन्डू, श्री समरेन्द्र
चटर्जी, श्री सोमनाथ	कुरील, श्री आर. एल.
चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	कुरोल, श्री ज्वाला प्रसाद
चव्हाण, श्री यशवन्तराव	कोत्राशेट्टी, श्री ए. के.
चौधरी, श्री त्रिदिव	कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी.	खां, श्री गुलाम मोहम्मद
जाफर शरीफ, श्री सी. के.	खां, श्री मोहम्मद शमसुल हसन

पक्ष में	विपक्ष में
जांवदे, श्री श्रीधर राव नायोबाजी	गंगा भक्त सिंह, श्री
जायसवाल, श्री अनन्तराम	गंगा सिंह, श्री
टिर्की, श्री पावस	मट्टानी, श्री आर. डी.
तिवारी, श्री बृजभूषण	गुप्त, श्री कंवर लाल
दास, श्री रेणुपद	गुलशन, श्री धन्ना सिंह
दासप्पा, श्री तुलसीराम	गुह, श्री समर
देव, श्री वी, किशोर चन्द्र	गोयल, श्री कृष्ण कुमार
घोंडगे, श्री केशवराव	घोषाल, श्री सुधीर
नायर, श्री एम. एन. गोविन्दन	चक्रवर्ती, प्रो, दिलीप
नायडू, श्री पी. राजगोपाल	चतुर्भुज, श्री
पटनायक, श्री शिवाजी	चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ
पुजारी, श्री जनार्दन	चन्द्र, डा० प्रताप चन्द्र
बद्रीनारायण, श्री ए. आर.	चन्द्रशेखर, श्री
बनतवाला, श्री जी. एम.	चन्द्रावती, श्रीमती
बसु, श्री ज्योतिर्मय	चरण सिंह, श्री
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ	चांदराम, श्री
बागड़ी, श्री मनिराम	चावड़ा, श्री के. एस.
बुरांडे, श्री गंगाधर अप्पा	चौधरी, श्री ईश्वर
भगतराम, श्री	चौधरी, श्री मोतीभाई आर.
भट्टाचार्य, श्री दीनेन	चौहान, श्री नवाब सिंह
भट्टाचार्य, श्री श्याम प्रसन्न	चौहान, श्री भारत सिंह
महाटा, श्री सी. आर.	जगजीवन राम श्री
महाला, श्री के. एल.	जुल्फीकार उल्ला, श्री
मालन्ना, श्री के.	जैन, श्री कचरुलाल हेमराज
मुखर्जी, श्री समर	जैन, श्री कल्याण
मैथ्यु, श्री जार्ज	जैन, श्री निर्मल चन्द
मोदक, श्री विजय	जोशी डा० मुरली मनोहर
रथ, श्री रामचन्द्र	ठाकरे. श्री कुशाभाऊ
रवि, श्री वयालार	डान, श्री राज कृष्ण
राजन, श्री के. ए.	तन सिंह, श्री
राजनारायण, श्री	तेज प्रताप सिंह, श्री
राय, श्री ए. के.	त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद
राय, डा. सरदीश	दत्त, श्री अशोक कृष्ण
राय, श्री सौगत	दवे, श्री अनन्त

पक्ष में	विपक्ष में
दानवे, श्री पुण्डलोक हरि	दिग्विजय नारायण सिंह, श्री
राव, श्री एम. सत्यनारायण	दुर्गाचन्द कंवर, श्री
राव, श्री जलगाम कोंडाला	देशमुख, श्री राम प्रसाद
राव, श्री जी० मल्लिकार्जन	देशमुख, श्री शेषराव
राव, श्री पट्टाभी राम	देसाई, श्री मोरार जी
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द	धारिया, श्री मोहन
रेड्डी, श्री जी. एस.	धुर्वे, श्री श्यामलाल
लक्ष्मीनारायण, श्री एम. आर.	नाथूसिंह, श्री
लहानु सिडवा कोम, श्री	नथवानी, श्री नरेन्द्र पी.
वेंकटासुब्बैया, श्री पी.	नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
शंकरानन्द, श्री बी.	नायर, डा. सुशीला
सईद, श्री पी. एम.	नाहर, श्री विजय सिंह
साठे, श्री बसंत	नेगी, श्री टी. एस.
सान्याल, श्री शशांकसेखर	पटनायक, श्री बीजू
साहा, श्री ए. के.	पटेल, श्री एच. एम.
सुन्ना साहिब, श्री ए.	पटेल, कुमार मणिबेन वल्लभभाई
सुब्रह्मण्यम, श्री सी.	पटेल, श्री द्वारिकादास
सूर्यनारायण, श्री के.	पटेल, श्री मीठालाल
सेन, श्री रोबिग	परमार, श्री नटवर लाल बी.
सैनी, श्री मनोहर लाल	परभाई लाल, श्री
स्टीफन, श्री सी. एम.	परस्ते, श्री दलपत सिंह
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र	पांडे श्री अम्बिका प्रसाद
	पांडेय, डा. लक्ष्मीनारायण
	पाटिल, श्री एस. डी.
	पासवान, श्री राम विलास
	पिपिल, श्री मोहन लाल
	प्रधान, श्री गणनाथ
	प्रधान, श्री पबित्र मोहन
	फजलूर रहमान, श्री
	फर्नान्डीज, श्री जार्ज
	फिरंगी प्रसाद, श्री
	बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
	बलदेव, प्रकाश डा.
	बलवीरसिंह, चौधरी

पक्ष में	विपक्ष में
	बहुगुणा, श्रीमती कमला
	बहुगुणा, श्री हेमवती नन्दन
	बालकराम, श्री
	वीरेन्द्र प्रसाद श्री
	वोरोले, यशवन्त
	बृजराजसिंह, श्री
	ब्रह्मप्रकाश, चौधरी,
	भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह
	भारत भूषण, श्री
	मंगलदेव, श्री
	मंडल, श्री धनिक लाल
	मंडल, श्री वी. पी.
	मयती, श्रीमती आशा
	मल्होत्रा, श्री विजय कुमार
	महाला, श्री के. एल.
	महाले, श्री हरि शंकर
	महीलाल, श्री
	माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
	मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली
	मिरी, श्री गोविन्द राम
	मिश्र, श्री श्यामनन्दन
	मुण्डा, श्री कड़ियां
	मुरमू, फादर एन्थनी
	महालगी, श्री आर. के.
	मेहता, श्री प्रसन्न भाई
	मेहता, श्री अजीत कुमार
	मोहम्मद हयात अली, श्री
	यादव, श्री जगदंबी प्रसाद
	यादव, श्री नरसिंह
	यादव, श्री रूपनाथ सिंह
	यादव, श्री विनायक प्रसाद
	यादव, श्री शरद
	यादव, श्री हुकम देव नारायण
	यादवेन्द्र दत्त, श्री

पक्ष में	विपक्ष में
	युवराज, श्री
	रणजीत सिंह, श्री
	राकेश, श्री ग्रार. एन.
	राघवजी, श्री
	राघयेन्द्र सिंह, श्री
	राजदा, श्री रत्नसिंह
	राठौर, डा० भगवान दास
	राम, श्री रामदेनी
	राम किंकर, श्री
	रामकिशन, श्री
	राम गोपाल सिंह, श्री
	रामचन्द्रन, श्री पी.
	रामजी सिंह, डा०
	रामधन, श्री
	रामजीवन सिंह, श्री
	रामदास सिंह, श्री
	रामसागर, श्री
	राय, श्री गौरी शंकर
	राय, श्री नर्मदा प्रसाद
	राही, श्री रामलाल
	रेड्रिक्स, श्री रूट्रोल
	लालू प्रसाद, श्री
	वघेला, श्री शंकर सिंह जी
	वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
	वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद
	वर्मा, श्री फूलचन्द
	वर्मा, श्री बृजलाल
	वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
	वर्मा, श्री रवीन्द्र
	वाजपेयी, श्री ग्रटल बिहारी
	शर्मा, श्री जगन्नाथ
	शर्मा, श्री यज्ञदत्त
	शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
	शाक्य, श्री दयाराम

पक्ष में	विपक्ष में
	शाक्य, श्री महादीपक सिंह
	शास्त्री, श्री भानु कुमार
	शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
	शाह, श्री सूरत बहादुर
	शिव नारायण, श्री
	शिब संपत्ति राम, श्री
	शुक्ल, श्री चिमन भाई एच.
	शुक्ल, श्री मदन लाल
	शेजवलकर, श्री एन. के.
	शेठ, श्री विनोदभाई वी.
	शेरसिंह, प्रो.
	श्रीकृष्ण सिंह, श्री
	षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप
	सत्यदेव सिंह, श्री
	सरकार, श्री शक्ति कुमार
	साय. श्री लारंग
	साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
	सामन्त सिंहेरा, श्री पदमाचरण
	साहू, श्री एन्थू
	सिंह, डा. वी. एन.
	सिकन्दर बख्त, श्री
	सिन्हा, श्री एच. एल. पी.
	सिन्हा, श्री महामाया प्रसाद
	सिघा, श्री सचिन्द्र लाल
	सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण
	सिन्हा, श्री सी. एम.
	सुमन, श्री सुरेन्द्र झा
	सुरेन्द्र विक्रम, श्री
	सूरजभान, श्री
	सोमानी, श्री रूप लाल
	स्वतंत्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद
	स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम
	हजारी, श्री राम सेवक

पक्ष में	विपक्ष में
	हरिकेश बहादुर, श्री
	हीराभाई, श्री
	हुकमराम, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 75

विपक्ष में 192

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन लोकपाल विधेयक पर आगे चर्चा करेगा।

श्री वाई. वी. शास्त्री :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। सभा की बैठक कल 11-00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

मध्यान्ह पश्चात 6.46 बजे

लोक सभा मंगलवार, 10 जुलाई, 1979/19 आषाढ़, 1901 (शक) के 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-11006.